खण्ड-353, अंक-6
शुक्रवार, 2 माघ, शक संवत् 1903
(22 जनवरी, 1982 ई0)

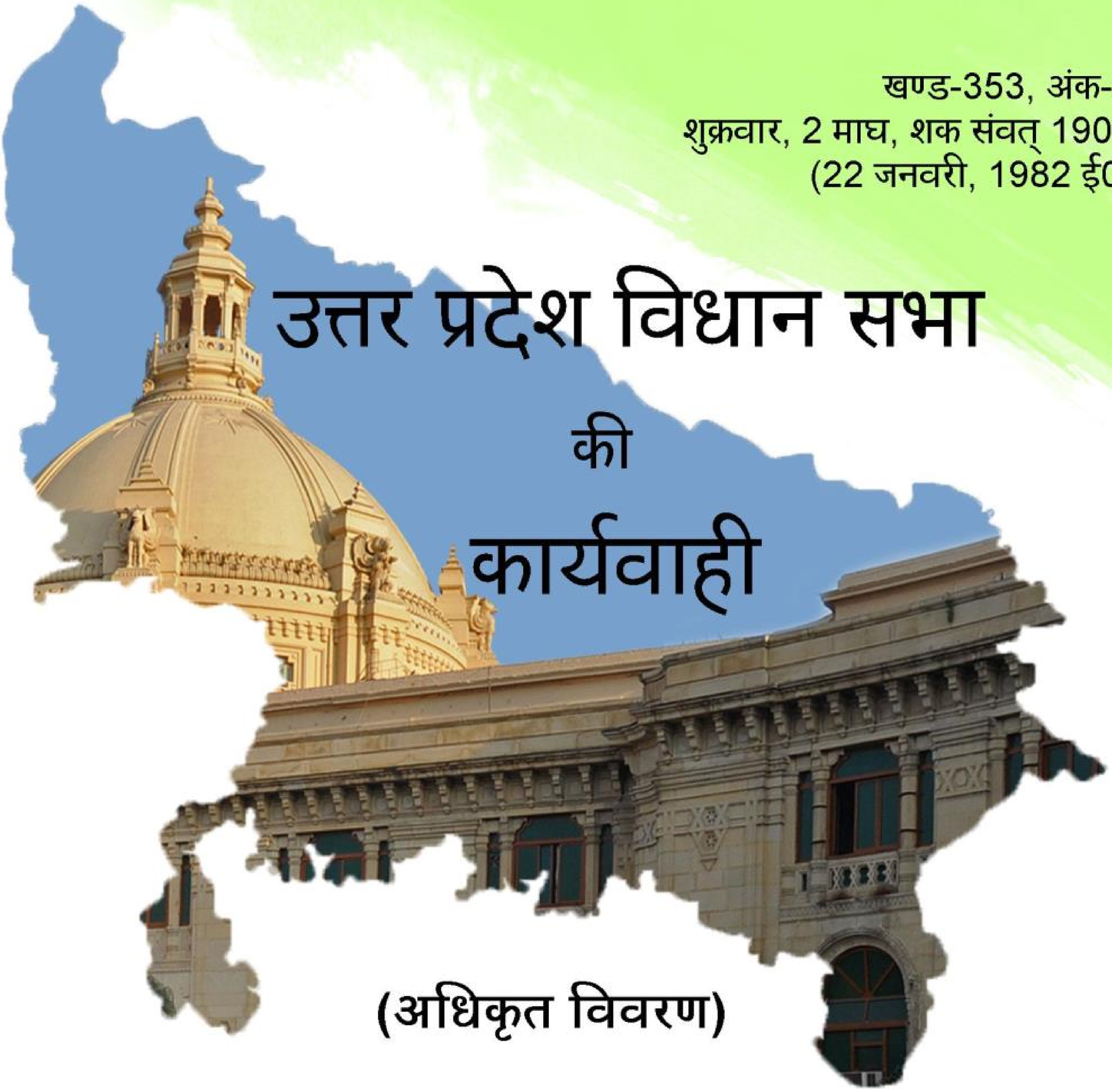

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 353 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	595–599
प्रश्नोत्तर	599–679
भूतपूर्व सदस्य, श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय के निधन पर शोकोद्गार ..	680–682
कल दिनांक 21 जनवरी, 1982 को सदन में मुख्य मन्त्री की पत्नी पर लगाए गये आरोप के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का स्पष्टीकरण	682–669
दि किसान कोआपरेटिव सहकारी चीनी मिल्स, अनूपशहर (बुलन्दशहर) के सम्पर्क मार्ग पर धरना दे रहे गन्ना किसानों पर मैटाडोर चढ़ा देने से कतिपय व्यक्तियों को चोट आने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	689
आजमगढ़ में मऊनाथ भंजन के पूरब में टोंस नदी पर बनाए जा रहे बंधे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	689–690
एस0एम0 अस्पताल, आगरा के डाक्टर अशोक कुमार गंगवार द्वारा कोकीन की बिक्री के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	690
ईसी का पुरा, थाना सराय इनायत, जनपद इलाहाबाद निवासी श्री जवाहर लाल को पुलिस द्वारा पकड़ कर ले जाने तथा पांच हजार रुपए ले लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	690–691
पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर बस्ती जनपद में हो रहे हरे वृक्षों की कटान पर रोक लगाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	691
कतिपय सदस्यों द्वारा अपनी नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिए जाने की मांग	691–692
विधान सभा सदस्य, श्री किरनपाल सिंह व श्री छत्तर सिंह की रिहाई की सूचना	692
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन-भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	692
स्वास्थ्य मन्त्री श्री लोकपति के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	692–693
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरःस्थापित किया गया)	693–696
श्री हरी किशन श्रीवास्तव द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना को लिए जाने की मांग	696
कालविन स्कूल देवरिया को दी गयी भूमि के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	696
जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल को दी गयी भूमि के सम्बन्ध में लगाए गये आरोप का स्पष्टीकरण मुख्य मन्त्री द्वारा सदन में न देकर पत्रकार सम्मेलन में देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	696–699

विषय	पृष्ठ संख्या
आगरा जिले के निबोहरा थानान्तर्गत ग्राम पलबुआ में डाकुओं द्वारा कतिपय व्यक्तियों के मारे जाने के सम्बन्ध में तथा अन्य कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	699–706
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 (पारित)	706–739
उत्तर प्रदेश आमोद और पण कर (संशोधन) विधेयक, 1981 (पारित)	739–744
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 (पारित)	745–764
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	764–765
केन्द्रीय कारागार, बरेली में पुलिस द्वारा प्रवेश करके निहत्थे बन्दियों पर गोली चलाए जाने से 5 कैदियों के मारे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	765–771
नत्थियां	772–797

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, **श्री श्रीपति मिश्र** की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 353

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री — बरेली
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) — खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्याण सिंह, श्री — बरेली

कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्ण वीर सिंह, श्री — बदायूं
केदार नाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द यादव (एडवोकेट), श्री — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री — देवरिया
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरीगढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोवर्द्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर

गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर मैया, श्री — बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० — बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
चरनजीत सिंह, श्री — पीलीभीत
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल विकल "साकेती", श्री — फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
झगड़ सिंह श्री — मेरठ
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री — आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री — मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीप उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून

धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
धूप राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी — इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री — मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री — इटावा
बलवीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री — रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी

बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बृज किशोर मिश्र, डा0 — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवतदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भूप सिंह केन, श्री — गाजियाबाद
भगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री — एटा
मशरुर जफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महावीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा — आगरा
महेश उपाध्याय, श्री — आगरा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोतीलाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी — रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) — गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री — वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
रत्ती राम, श्री — बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री — रायबरेली
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुवंर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 — जौनपुर
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
रामपाल सिंह श्री — मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर

राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रुल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	बांदा
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह राना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूरजभान, पंडित	अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ

सत्यमेव जयते संसद

हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा	हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतपुर	हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरदेव, श्री	बलिया	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा	हरी शंकर, श्री	हरदोई
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर	हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 22 जनवरी, 1982 ई0

ग्राम पालपुर, जिला फैजाबाद में हरिजन हत्याकाण्ड के मृतकों के आश्रितों को भूमि का आवंटन तथा कब्जा

*1—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

द्वितीय सत्र 1981 के 7वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या—14 के क्रम में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13—2—81 को ग्राम पालपुर, थाना कुमारगंज, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत हुए 'हरिजन हत्याकाण्ड' के मृतकों के पीड़ित भूमिहीन आश्रितों तथा घायलों एवं अन्य भूमिहीन हरिजनों को ग्राम समाज एवं सीलिंग तथा अतिरिक्त भूमि दो सौ बीघा (200 बीघा) कृषि योग्य जमीन का आवंटन करने हेतु मा0 मुख्य मन्त्री जी ने फरवरी, मार्च, 1981 को जिला अधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया था ? क्या उपरोक्त भूमि के आवंटन हेतु हत्या काण्ड के पीड़ित हरिजनों ने अपना प्रार्थना-पत्र माननीय राजस्व मन्त्री और जिला अधिकारी को दिया था ? यदि हां, तो अब तक भूमि का आवंटन न किये जाने का क्या कारण है ? क्या राजस्व मन्त्री उक्त भूमि का शीघ्र आवंटन तथा कब्जा दिलाने की कृपा करेंगे ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

जी हां। माननीय मुख्य मन्त्री जी के आदेशानुसार जिलाधिकारी, फैजाबाद को यह आदेश दिनांक 27 फरवरी, 1981 को दिए गये थे कि सम्बन्धित ग्रामों में अवैध कब्जों को हटवाकर आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि का आवंटन समस्त पात्र व्यक्तियों में कर दिया जाय। तद्नुसार ग्राम पालपुर में हुई घटना से पीड़ित 3 मृतकों से सम्बन्धित बालिग 9 व्यक्तियों को 4 बीघा, 16 बिस्वा, 10 धुर गांव सभा भूमि तथा एक घायल व्यक्ति के परिवार को 4 बालिग सदस्यों को 1 बीघा, 15 धुर भूमि कृषि हेतु आवंटित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त 37 अन्य पात्र व्यक्तियों में गांव सभा पालपुर की 18 बीघा, 17 बिस्वा, 13 धुर भूमि का आवंटन दिनांक 23—4—81 को तथा 75 अन्य पात्र व्यक्तियों में 23 बीघा, 14 बिस्वा, 4 धुर गांव सभा भूमि का आवंटन दिनांक 3—1—76 को किया जा चुका है। आवंटित भूमि का स्थल पर सीमांकन कर कब्जा दिया जा चुका है।

श्री राम आसरे वर्मा—

फैजाबाद के पालपुर हरिजन हत्या काण्ड के जो पीड़ित लोग थे, उनको कृषि योग्य भूमि आवंटित किए जाने के आदेश मुख्य मन्त्री जी ने दिए थे और साथ ही यह भी आदेश दिये थे कि जिनके अवैध कब्जे हैं जमीन पर, वह जमीन उनको आवंटित की जायेगी, तो मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि किन-किन लोगों के अवैध कब्जे हटाए गए और हत्या-काण्ड से पीड़ित किन लोगों और उसके गम्भीर रूप से घायल लोगों को जमीन आवंटित की गयी है ?

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मुख्य मन्त्री जी के आदेश इस प्रकार के थे कि वहां पर जो भूमि है गांव सभा की और उस पर जो अनधिकृत कब्जे हैं, उनको हटाकर वहां के जो पात्र व्यक्ति हैं उनको और जो काण्ड से पीड़ित हैं उनके परिवार के लोगों को भूमि आवंटित की जाय, तो उसके तहत

कार्यवाही की गयी, कब्जे हटाए गये और कब्जा हटाने के बाद 50 व्यक्तियों को जमीन दी गयी। यह दिनांक 23-4-81 के प्रस्ताव के तहत दी गयी, जिसको परगना अधिकारी ने 5-6-81 को अनुमोदित किया था। इससे पहले भी 75 पात्र व्यक्तियों को जमीन दी जा चुकी है। मृतकों के परिवारों को जो तीन हैं, जिनमें 9 व्यक्ति हैं बालिग और जो घायल थे, श्रीपाल और उनके परिवार को कुल मिलकर 5 बीघा 17 बिस्वा और 7 बिस्वांसी जमीन दी गयी।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, प्रश्न कुछ और जवाब मन्त्री जी ने कुछ और दिया है। मैंने पूछा था कि क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिन लोगों के अवैध कब्जे हटाए गये, वह कौन-कौन लोग हैं? दूसरी बात, यह कि मुख्य मन्त्री जी ने हत्याकाण्ड से पीड़ित लोगों के नाम जमीन आवंटित करने के आदेश दिए थे, जो लोग गम्भीरतम रूप से घायल थे, उनमें से एक का नाम तो बता दिया और जो दूसरे गम्भीर घायल थे उनको जमीन नहीं दी गयी, उसका क्या कारण है?

श्री बैजनाथ कुरील---

इस समय वह सूची मेरे पास नहीं है कि किन-किन लोगों का कब्जा हटाया गया लेकिन 23-4-81 का जो प्रस्ताव था उसमें 50 व्यक्तियों को जमीन दी गयी। जिनका जानी नुकसान हुआ है या गम्भीर रूप से घायल हुए हैं वे सब इसमें शामिल हैं।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो अवैध कब्जेदार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी और दूसरे गांव के लोगों को जमीन आवंटित की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील---

इसकी जांच करवा लूंगा और सूची भी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

जो भूमि आवंटित की गयी है वह कृषि योग्य भूमि नहीं है तो क्या इसकी मन्त्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री बैजनाथ कुरील---

भूमि का आवंटन यही समझकर किया गया है कि वह कृषि योग्य है लेकिन अगर कोई इस प्रकार की शिकायत आयेगी कि वह कृषि योग्य नहीं है तो दिखवा लूंगा।

श्री मित्र सेन---

मान्यवर, दिनांक 3-1-1976 को 75 आदमियों को 23 बीघा, 14 बिसवा, 4 धुर गांव सभा की भूमि का आवंटन किया जा चुका था लेकिन जो भूमि बची थी उस समय उसका कुछ नहीं किया गया था। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब दुबारा भूमि आवंटित की गयी तो इसका साफ मतलब है कि वह भूमि किसी के कब्जे में थी, इसलिए उस भूमि का आवंटन 76 में नहीं हो सका था? 13 फरवरी, 1981 को ग्राम पालपुर में हरिजनों का उत्पीड़न हुआ जिसमें 3 व्यक्ति मारे गये और 17 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए तो उस जमीन का आवंटन क्यों नहीं किया गया और वह किस-किस व्यक्ति के कब्जे में थी?

श्री अध्यक्ष---

यह तो पहले की बात है, इसका उत्तर वे कैसे दे सकते हैं?

श्री मित्र सेन---

इसका स्पष्ट मतलब है कि उस समय कृषि योग्य भूमि उपलब्ध थी और अब तक नहीं बंटी तो उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी जो इस पर काबिज थे?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा है कि उनकी सूची देंगे।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि उक्त ग्राम में ग्राम समाज के अन्तर्गत कितनी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध थी ? यदि हां, तो उस पर किन-किन लोगों का कब्जा था और क्या दूसरे गांव के लोगों का उस पर कब्जा था या उनको बांटी गयी थी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो पूरा का पूरा अलग प्रश्न है। वे कैसे इस प्रश्न में बता सकते हैं। आप का प्रश्न और है तो कैसे उत्तर वे दे सकते हैं ? उसी के अन्तर्गत आप प्रश्न पूछिए या अलग से प्रश्न कीजिए।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, यह सारी जमीन दूसरे को दे दी गयी। इसी बात पर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार अब कोई भूमि वहां पर उपलब्ध नहीं है, आवंटन के लिए।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

सदन को गुमराह करने के लिए यह सूचना दी जा रही है।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

इस प्रश्न के उत्तर से एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं। इतने सप्लीमेंटरी कभी-कभी जो होने लगते हैं वे न हों और अगर प्रश्न का उत्तर मन्त्री जी द्वारा स्पष्ट और सही आ जाया करे। प्रश्न यह था कि वहां पर अनधिकृत कब्जा लोगों का था, वह किस-किस का था, किस-किस को हटाकर किस-किस को दिया गया ? अगर इसका सही उत्तर सीधा-सीधा दे दिया जाता तो इतने सप्लीमेंटरी न होते। तो किसी भी मन्त्री महोदय से आप ठीक-ठीक उत्तर दिला सकेंगे जिससे इतना समय न लगा करे ?

श्री अध्यक्ष—

वैसे तो प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का प्रश्न उठता नहीं, लेकिन मन्त्री किसी प्रश्न का समुचित और उचित उत्तर दें यह तो होना ही चाहिए, अगर नहीं देंगे तो प्रश्न उठेंगे ही।

श्री मित्रसेन—

क्या मेरी सुनिश्चित जानकारी के आधार पर कि दोबारा काण्ड होने के बाद जिन लोगों को जमीन दी गयी है उनको न तो पट्टे की रसीद यानी पर्ची मिली है और न ही जमीन का कब्जा मिला है और वह जमीन भी कृषि योग्य नहीं है। तो क्या मन्त्री जी इसकी जांचा फिर से करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जैसा कि मैंने बताया 23 अप्रैल, 1981 को प्रबन्धक कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया। 5 जून, 1981 को परगनाधिकारी ने उसको अनुमोदित किया। उसके बाद उनको जानकारी दे दी गयी और जमीन का कब्जा दिला दिया गया है।

श्री फखरे आलम—

5 जून के बाद जिन लोगों को पट्टा देकर कब्जा कराया गया है उनमें से 7 लोगों की जमीन पर फिर से उन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया है जिन लोगों का पहले से अवैध कब्जा था। क्या मन्त्री जी को इसकी जानकारी है ? नहीं हो, तो इसको स्थगित कर दें आप।

श्री अध्यक्ष—

कहां की जमीन पर आप कह रहे हैं ?

श्री फखरे आलम---

वहीं की जमीन पर जिसके बारे में यह प्रश्न है। जो जमीन इन लोगों को दी गई है। जिस इलाके की जमीन के बारे में यह प्रश्न है, उसी के बारे में मैं पूछ रहा हूं।

श्री बैजनाथ कुरील---

मान्यवर, मैंने जानकारी की है, अगर माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि किसी को कब्जा नहीं मिला तो वह लिखकर हमको दे दें, उसको हम फिर से दिखवा लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा---

एक सवाल मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइए। अब एक सवाल पर 15 मिनट हो गया। अब प्रश्न संख्या 2। अब बैठ जाइए आप।

श्री गोपीनाथ वर्मा---

यह तो मान्यवर, इस तरह से किया जा रहा है कि हम लोगों को कोई ठीक से न जवाब दिया जा रहा है और न प्रश्न ही पूछने दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब नहीं। एक सवाल पर 15 मिनट हो गया। आप बैठ जाइये।

श्री गोपीनाथ वर्मा---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दिया गया, मुझे एक अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर दे दीजिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइए। इस प्रश्न पर 15 मिनट हो गया अब प्रश्न संख्या 2 मैं ले रहा हूं।

श्री बेनी माधव पाण्डेय, तत्कालीन तहसीलदार सण्डीला, जिला हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

*2---श्री दामोदर शर्मा तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र ---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के 1ले शुक्रवार के अता० प्र० संख्या 169 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर में उल्लिखित आरोप संख्या 3 उक्त तहसीलदार के विरुद्ध प्रमाणित पाया गया, तो उसके विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही अभी तक न किए जाने का क्या कारण है? उपरोक्त सन्दर्भ में आरोप संख्या 1, 2, 4 तथा 5 की जांच किस तरीके से कराई गयी? क्या सरकार इस आरोपों में तहसील के कर्मचारियों से कोई साक्ष्य लेकर जांच कराने के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश शुक्ल---

श्री बेनी माधव पाण्डेय, तत्कालीन तहसीलदार, सण्डीला, जिला हरदोई के विरुद्ध श्री जसवन्त सिंह बिष्ट तथा अन्य पांच विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र में लगाए गये पांच आरोपों की प्राथमिक जांच पहिले परगनाधिकारी, सण्डीला और तत्पश्चात अतिरिक्त जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा कराई गयी। इस प्राथमिक जांच के परिणामस्वरूप शिकायती-पत्र का आरोप संख्या 3 प्रत्यक्षतः प्रमाणित पाया गया। इस सम्बन्ध में तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु राजस्व परिषद् द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई से आरोप-पत्र का आलेख्य साक्ष्य सहित परिषद् के 21 दिसम्बर 1981 के पत्र द्वारा मांगा गया है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आरोप संख्या 1, 2, 4 तथा 5 उपरोक्त अधिकारियों की जांच के फलस्वरूप प्रमाणित नहीं हुए। प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप

संख्या 3 के सम्बन्ध में तहसील कर्मचारियों के बयान लिए गए थे। अन्य आरोपों के सम्बन्ध में तहसील कर्मचारियों से साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री दामोदर शर्मा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पूरे आरोप में तहसील कर्मचारियों से साक्ष्य लिए गये और आरोप संख्या 3 उन पर प्रमाणित पाया गया, तो एक, दो, चार, पांच आरोपों में भी तहसील के कर्मचारियों के साक्ष्य क्यों नहीं लिए गये और अगर आरोप नं0 3 प्रमाणित हो गया है, तो मेरी यह निश्चित जानकारी है कि आरोप नं0 1, 2, 4, 5 भी प्रमाणित पाये गए और सूचना में इतना विलम्ब क्यों किया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जांच करा गयी और उसमें जो आरोप नं0 3 है, वह सिद्ध हुआ प्रथम दृष्टा, लेकिन एक, दो, चार, पांच यह जनरल नेचर के आरोप हैं, और इसमें जो 3 नम्बर है, इसमें साक्ष्य लिया गया था तहसील के कर्मचारियों का, लेकिन जो जनरल नेचर के आरोप हैं, उनमें साक्ष्य की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, सूचना दिसम्बर, 81 को पत्र द्वारा मांगी गयी थी, मैंने दूसरा प्रश्न यह भी किया है कि सूचना आने में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, विलम्ब तो नहीं हुआ। 17–3–81–से यह बात चली है। 29–4–81 को एस0डी0एम0 की जांच हुई थी, तो शासन ने उसको अस्वीकार कर दिया। तहसीलदार से ऊपर के अधिकारी जो हैं उसके एक सीढ़ी और ऊपर के अधिकारी से जांच होनी चाहिए और उसको यह कहकर वापस किया गया। जिलाधिकारी ने पुनः इसकी जांच ए0डी0एम0 श्री के0 एन0 पाण्डे से करवाई और 19–9–81 को शासन को भेजा, 18-9-81 को प्राप्त हुआ, 6–11–81 को परिषद् में कार्यवाही के लिए भेजा गया, 21-12-81 को जिलाधिकारी को आरोप-पत्र तैयार करने को कहा गया, 12–1–82 को जिलाधिकारी ने सूचित किया कि ए0डी0एम0 जांच जिसने किया था उनको कहा गया है आरोप-पत्र तैयार कर रहे हैं जैसे ही आरोप-पत्र आ जायगा, कार्यवाही की जायगी।

बिक्री-कर अधिकारियों की आपत्तिकालीन प्रतियोगात्मक परीक्षा के सफल अधिकारियों का स्थायीकरण

*3—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री जी को ज्ञात है कि बिक्री-कर अधिकारियों की आपत्तिकालीन प्रतियोगात्मक परीक्षा, 1975 में सफल सामान्य अधिकारियों का अभी तक स्थायीकरण नहीं किया गया जबकि उक्त परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गये भू0 पू0 सैनिक अधिकारियों को एक वर्ष बाद ही स्थायी कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अधिकारियों के साथ भेदभाव क्यों और कैसे किया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

1—ज्ञात है।

2—सैन्य वियोजित अधिकारियों का स्थायीकरण उनके लिए बनाए गये विशेष नियमों के अन्तर्गत किया गया है।

3—सामान्य अभ्यर्थियों को बिक्री-कर सेवा नियमावली, 1978 के प्राविधानों के अन्तर्गत 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करनी आवश्यक है तथा उनके पूर्ण होने पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जा रहा है ?

4—किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। 1975 में बिक्री-कर के जो सामान्य अधिकारी थे उनको 2 वर्ष की परिवीक्षा कब पूरी होगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

यह लोग 1975 की परीक्षा में शामिल हुए थे और अब इनके स्थायीकरण का मामला बिक्री-कर विभाग ने शासन को 15 जनवरी, 1982 को भेजा है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मन्त्री जी देर से स्थायीकरण करने पर उनकी सीनियारिटी में तो कोई असर नहीं पड़ेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त—

नियमावली के अनुसार किया जायगा, न्यायपूर्ण ।

मण्डुवाडीह पिंडरा लाइन पर तार की चोरी से विद्युत् आपूर्ति का अभाव

*4—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख 8-3-81 को रात में निवाहे का ताल बाघतपुर, जिला वाराणसी में कई खेमों का विद्युत् तार काट लिया गया जिससे तारीख 7, 8 व 9 को विद्युत् सप्लाई पिंडरा सब विद्युत् स्टेशन से नहीं हो पाई ? क्या यह भी सत्य है कि सन् 78 से लेकर 18-3-81 तक 35 बार तार काटे गए ? इसके लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

दिनांक 7-8 मार्च, 1981 की रात्रि में निवाहे का ताल पर 33 के0 वी0 मण्डवाडीह पिंडरा लाइन के तीन खंभों का लगभग 750 मीटर तार काट कर चुरा लिया गया था जिसके कारण 33 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द्र, पिंडरा की विद्युत आपूर्ति में 9 मार्च, 1981 के सायं 5 बजे तक व्यवधान रहा। जनवरी 1, 1978 से मार्च, 10, 1981 की अवधि में 33 के0 वी0 मन्डुवाडीह पिंडरा लाइन पर 12 (बारह) अवसरों पर तार की चोरी हुई। प्रत्येक चोरी की घटना की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने पर तत्परता से दर्ज कराई गयी तथा पुलिस की जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुए कि यह लाइन महत्वपूर्ण है और इसके सम्बन्ध पिंडरा स्टेशन से हैं, इसके तार कट जाने से स्टेशन बन्द हो जाता है उसके 5 फीडर और हैं। 1 जनवरी, 1978 से मार्च 10, 81 तक 12 बार कटिंग हुई, इसके पहले मेरी जानकारी के अनुसार 50 बार कटिंग हो चुकी है । क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि वाराणसी जौनपुर से 4 फर्लांग दूरी पर यह तार निकला है इसको रोड के किनारे लाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

जहां तक चोरी को रोकने का मामला है शासन ने वहां के पुलिस अधीक्षक रूरल को कह दिया है कि उसकी पेट्रोलिंग करे। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जायगा।

श्री ऊदल—

मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि पुलिस की जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है और एस0 पी0 रूरल को आदेश दिया गया है। जनवरी 1, 1978 से 12 बार कटिंग हुई मार्च, 81 तक और उसकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है तो, रूरल एस0पी0 क्या करेगा। इसलिए

पुलिस इसका कन्ट्रोल नहीं कर पा रही है। मैंने विद्युत् परिषद् को और भूतपूर्व मन्त्री, श्री ब्रह्मदत्त को इसके पहले भी लिखकर दिया है कि यह लाइन सूनी जगह पर है और रोड चालू है, कम खर्चा आयेगा। इसलिए इस पर सरकार क्या विचार करेगी चोरी तार की समाप्त की जाय ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, यहां से अभी आदेश दिए गये हैं कि इस लाइन पर पेट्रोलिंग की जाय, लेकिन जो सुझाव दिया गया है उसमें पहले ही कहा है कि विचार किया जायगा।

*5—श्री जयदीप सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]।

*6—श्री राम सागर—

[21वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत् वितरण खण्ड, उन्नाव में कार्यरत श्री योगेश चन्द्र दीक्षित की मत्यु तथा आश्रितों को ग्रेच्युटी तथा पेंशन का भुगतान

*7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् वितरण खण्ड उन्नाव में कार्यरत जिस एक आर0 जी0सी0 (योगेश चन्द्र दीक्षित) की मृत्यु 14 नवम्बर, 1982 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन हुई, उनकी मृत्यु के कारण फैमली पेंशन, सामूहिक बीमा, ग्रेच्युटी आदि का धन मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक मिल जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

चूंकि मृतक ने अपने दावेदार का नामांकन नहीं किया था और उसकी मां व पत्नी ने अपने को दावेदार घोषित किया है, अतएव न्यायालय के माध्यम से सही दावेदार के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मन्त्री जी को क्या जानकारी है कि लगभग 1 वर्ष पहले ही श्री योगेश चन्द्र दीक्षित की पत्नी ने न्यायालय से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर बिजली विभाग को लिखा दिया है, लेकिन उसके बाद भी उनको यह चीजें नहीं मिली हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक हमारे पास कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है लेकिन जैसे ही सर्टिफिकेट आयगा इसका भुगतान कर दिया जायगा।

मेसर्स कामर्शियल मोटर लिमिटेड, लखनऊ पर बिक्री-कर की बकाया धनराशि

*8—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स कामर्शियल मोटर्स लि0, लखनऊ पर सन् 1977 से 1980 तक बिक्री-कर का लाखों रुपया बकाया है ? यदि हां, तो उसकी वसूली की क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ? यदि नहीं की गयी है, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मेसर्स कामर्शियल मोटर्स लिमिटेड, लखनऊ पर सन् 1977 से 1980 तक कोई बिक्री-कर बकाया नहीं है। अतः वसूली की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्न संख्या 8 पुकारे जाने तथा सम्बन्धित सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

श्री मोहन सिंह—

मेरी रुचि इसमें है।

श्री अध्यक्ष—

बाद में हो जायगा।

निजी नलकूप लगाने वाले किसानों को बिजली के विलम्ब से भुगतान पर छूट

*9—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 23 जनवरी, 1981 का कोई पत्र बाबत निजी नलकूप लगाने वाले किसानों को बिजली बिल के भुगतान विलम्ब पर दो प्रतिशत प्रति माह सरचार्ज देने तथा उद्योगों में इस प्रकार का कोई सरचार्ज न लेने विषय के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में किसानों से प्रतिमाह निश्चित समय पर बिजली का भुगतान न होने पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से अतिरिक्त मार लिए जाने के बजाय वर्ष में एक बार (माह जुलाई में) भुगतान का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। इस पत्र का उत्तर माननीय विधायक को दिया जा चुका है ।

राज्य विद्युत परिषद को विद्युत उत्पादन के पूर्व कोयला, तेल, कच्चा माल, मशीन आदि खरीदने के लिए ऋण लेना पड़ता है और उस पर ब्याज भी देना पड़ता है परन्तु किसानों को विद्युत का उपभोग करने के एक माह बाद ही बिल का भुगतान करना होता है। इस परिस्थिति में किसानों से एक वर्ष बाद बिजली बिल का भुगतान करने का समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है। जहां तक औद्योगिक उपभोक्ताओं से सरचार्ज न लेने का प्रश्न है, उनके द्वारा नियत तिथि पर भुगतान न करने पर उन्हें अनुमन्य 7 प्रतिशत की छूट नहीं दी जाती है जो दूसरे रूप में सरचार्ज ही है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से प्रश्न पूछने से पहले यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपने पत्र में यह नहीं लिखा था कि किसानों से वर्ष में एक बार भुगतान लिया जाय। मन्त्री जी ने जो उत्तर में यह कहा है वह बिल्कुल तथ्य से परे है। मैंने पत्र में लिखा था कि यदि किसान प्रति माह अपने विद्युत बिल का भुगतान नहीं कर पाता है चूंकि उसकी आमदनी के स्रोत मुख्यतः साल में दो बार होते हैं, तो क्या विद्युत् परिषद् या शासन इसपर विचार करेगा कि उससे सरचार्ज प्रत्येक माह के बिलों का भुगतान न कर पाने की दशा में एक मुश्त 6 महीने के बाद सरचार्ज ले लिया जाय ? जो किसान प्रति माह भुगतान करना चाहते हैं वह करें लेकिन दैवी आपदा या अन्य कारणों से यदि कोई किसान 6 माह तक बिल का भुगतान नहीं कर पाता है तो उससे सरचार्ज 6 महीने के पहले न लेकर उसके बाद लिया जाय ?

माननीय मन्त्री जी ने अपना उत्तर तथ्य से बिल्कुल परे दिया है। किसानों के ट्यूब-वेल का बिल जब उनके पास आता है तो एक निर्धारित तिथि तक भुगतान करने पर छूट दी जाती है अगर किसान भुगतान नहीं कर पाता है तो छूट नहीं मिलती है। तो जैसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए छूट उपलब्ध है उसी प्रकार से किसान को है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे पत्र को ध्यान में रखते हुये चूंकि किसानों की आमदनी प्रत्येक माह में न होकर 6 महीने में एक बार होती है जब उनकी फसल तैयार होती है, तो क्या मन्त्री जी दो परसेंट सरचार्ज किसानों से प्रतिमाह न लेकर 6 महीने में लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, किसानों को बहुत सस्ते दर पर बिजली दी जाती है। हमारे तापीय उत्पादन का खर्च 34 पैसे प्रति यूनिट है और किसानों को हम 15 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब भी किसान की बिजली कट जाती है देय नहीं दे पाते हैं, तो उनकी हमेशा रिक्वेस्ट यही आती है कि हमारी मासिक किश्तें बांध दी जायं। तो माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि वह इस बात का ध्यान दें कि किसानों की गुजारिश भी यही होती है कि मासिक किश्तें बांध दी जायं जिससे आसानी से भुगतान वह कर सके। जो मासिक बिल जाता है उसमें एक माह से अधिक समय मिलता है उसको देने के लिए।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों के लिए और औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों के लिए बिजली की दरें क्या हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

किसानों के लिए 15 रुपए प्रति हार्सपावर और उद्योगों के लिए 26.50 रुपए प्रति हार्स पावर बिजली की दर है ।

श्री विजय सिंह राना—

अध्यक्ष महोदय, किसानों से हार्स पावर के हिसाब से चार्ज लेते हैं। प्रति यूनिट के हिसाब से उनसे चार्ज नहीं लिया जाता है। आप कैसे अन्दाज लगा रहे हैं कि इतना पैसा प्रति यूनिट हुआ ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, किसानों से प्रति हार्स पावर की दर से लेते हैं। अगर पांच हार्सपावर की मोटर है तो उसके हिसाब से और अगर साढ़े सात हार्स पावर की मोटर है तो उसके हिसाब से लिया जाता है। मैं एक जानकारी और दे दूं कि किसानों को प्रदेश में बिजली औसतन 7 घंटे दी जा रही है। अगर 2 घंटे बिजली उनको रेगुलर सप्लाई कर दी जाय तो जो 15 रुपया लिया जाता है वह पूरा हो जाता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी कोई इस प्रकार की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे कि सरचार्ज न लेकर कुल यूनिट जितना किसान इस्तेमाल करे उसे हिसाब से चार्ज लेने का कष्ट करेंगे ? यूनिट के हिसाब से किसानों से चार्ज लेने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जहां पर निजी नलकूपों का सवाल है, वहां मीटर हम नहीं लगाते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि 2 परसेंट का सरचार्ज किसानों पर ही क्यों लगाया जाता है जबकि यह सरकार अपने को किसानों का भक्त बताती है और इसके विपरीत उद्योगपतियों पर 7 प्रतिशत का रिबेट दिया जाता है, इतना बड़ा फर्क क्यों ? इसलिए मैं चाहूंगा कि जब किसानों से सरचार्ज वसूल किया जाता है तो उद्योगपतियों से भी सरचार्ज वसूल किया जाय और उनके रिबेट को समाप्त किया जाय, क्योंकि उनको तो बड़ी रकम देनी होती है, अगर उन पर सरचार्ज लगाया गया तो वे भुगतान समय के अन्दर अवश्य करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, यह सरचार्ज केवल इसलिए लगाया गया है कि किसान अपना भुगतान समय के अन्दर पेमेन्ट कर दें, जिससे उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यह दोहरा मापदण्ड क्यों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उद्योगपतियों पर यह माध्यम क्यों नहीं लागू किया गया है। किसान से इसलिए लेना चाहते हैं कि उन पर ड्यूज बाकी न रहे और उद्धमियों पर जो ड्यूज बाकी रहते हैं, उनको वसूल करने के लिए यदि आप यह सरचार्ज उन पर भी लगायें तो बात उचित समझी जा सकती है, इस तरह तो एक दोहरे मापदण्ड को आप अपना रहे हैं ।

श्री सुनील शास्त्री—

मैंने मान्यवर, स्पष्ट कर दिया कि उनका भुगतान समय से हो सके, इसलिए यह सरचार्ज लगाया जाता है और अगर वह समय से दे देते हैं तो उन पर नहीं लगाया जाता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा —

मान्यवर मेरा प्रश्न अब भी साफ नहीं हुआ ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि जो आपका विद्युत परिषद् घाटे में चल रहा है, तो क्या उसको पूरा करने के लिए ही 2 प्रतिशत का सरचार्ज किसानों पर लगाया जा रहा है, और यदि ऐसा है तो उद्योगपतियों पर भी सरचार्ज क्यों नहीं लगाया जा रहा है, ताकि उनका भुगतान भी समय से हो सके ?

श्री ब्रह्म दत्त

इसमें मान्यवर, दो चीजें हैं एक तो किसानों को 15 रु0 प्रति हार्स पावर के हिसाब से कम रेट पर वनस्पति उद्योगपतियों के बिजली दी जा रही है, इसलिए इधर इन पर सरचार्ज लगा दिया जाता है ताकि इनका भुगतान समय से हो जाय। दूसरे उद्योगपतियों को जो 7 प्रतिशत की छूट दी जाती है, अगर वह भी समय से भुगतान नहीं करते तो 7 प्रतिशत की रिबेट खत्म हो जाती है, यही उनका सरचार्ज है।

गढ़वाल भावर क्षेत्र में राजकीय भूमि पर अवैध कब्जे नियमित करने का प्रस्ताव

*10—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ने पत्रांक 8/7-1(79-80) दिनांक 3-10-79 द्वारा जो संस्तुति की है कि गढ़वाल भावर क्षेत्र में भमि का अवैध हस्तान्तरण 31-12-62 से आगे 1-6-1965 तक बढ़ाया जाय, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक आदेश प्रसारित हो जायेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

गढ़वाल भावर क्षेत्र में राजकीय भमि पर किए गये अवैध कब्जों को नियमित करने के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् से कुछ सूचना के साथ पुनरीक्षित प्रस्ताव मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल ने अपनी संस्तुति में क्या-क्या संस्तुतियां की थीं और अब राजस्व परिषद की ओर से पुनरीक्षित प्रस्ताव क्या मांगा गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जिलाधिकारी ने यह संस्तुति की है कि तारीख 1-6-62 से 65 तक बढ़ा दी जाय और राजस्व परिषद्, ने जो प्रस्ताव भेजा है लेकिन 1976 में कोटद्वार में मन्त्रि परिषद् की उप समिति की एक बैठक हुई थी, वहां के लोगों ने मांग की थी कि जो अनधिकृत कब्जे हैं जमीन पर, उनको बेदखल न किया जाय बल्कि उनका नियमितीकरण कर दिया जाय। उसके बाद शासन ने मांग की राजस्व परिषद् के माध्यम से कि वहां पर किस-किस तरह के खाते हैं, तो यह इनफारमेशन उन्होंने मांगी है। वही अब विचाराधीन है। यह इनफारमेशन मांगी गयी थी 23-11-77 के शासनादेश में, उसके आने के बाद चूंकि यह नीति का प्रश्न है, अतः मन्त्रि परिषद से इसका अनुमोदन होने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जायगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि पहले भी मन्त्रि परिषद् की एक बैठक इस सम्बन्ध में हो चुकी है और मन्त्रि परिषद् ने भी इसको सिद्धान्ततः मान लिया है तो इसको कई वर्ष हो गये हैं, सन् 1962 से लेकर निरन्तर यह प्रश्न सामने आ रहा है तो क्या मा0 मन्त्री जी इसको तत्काल करने के लिए कोई आश्वासन देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, इस पर कार्यवाही हो रही है, जैसे ही प्रस्ताव आ जायगा इस पर निर्णय लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जनता की मांग है, मन्त्रि परिषद् का भी निश्चय हो चुका है, जिलाधिकारी ने भी संस्तुति की है, तो क्या शासन जनहित में इसपर निर्णय ले लेगा, जिससे रिपोर्ट आने की औपचारिकता की भी कोई जरूरत नहीं है।

श्री बैजनाथ कुरील--

जल्द करने के लिए प्रयास हो रहा है। एक विस्तृत जानकारी चाही गई है, उसमें टाइम तो कुछ लगेगा। अब प्रयास यही होगा कि जल्द से जल्द निर्णय हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या प्रक्रिया अपनायेंगे जिससे इतने महत्वपूर्ण जनहित के प्रश्न पर सरकार शीघ्र निर्णय ले सके ?

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो बताया है कि इन अवैध कब्जों का नियमितीकरण करने के लिए राजस्व विभाग से पुनरीक्षित रिपोर्ट मांगी गयी है और वह शासन के विचाराधीन है, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उन अवैध कब्जों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं होगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैंने तो आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी दी कि प्रस्ताव आने पर यह फिर मन्त्रि परिषद् में जायगा और उसी के बाद अंतिम निर्णय लिया जायगा। माननीय सदस्य के कहने से यह लगता है कि कोई बेदखली वहां हो रही है, इसका मै निरीक्षण करा लूंगा।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानते हुए कि इस प्रश्न का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है, क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इन सब लोगों को अवैध काबिज हैं, नियमितीकरण कर देंगे और लोगों को डराया नहीं जायगा कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो उनको हटा दिया जायगा।

एक सदस्य--

क्या प्रश्न आप लाये हैं ?

*11--श्री रियासत हुसैन--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद गोरखपुर, तहसील महाराजगंज में गाटे की पैमाइश तथा नक्शों में भिन्नता के निराकरण की कार्यवाही

*12--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ग्राम सभा बउलिया राजा की भूमि पैमाइश कराने व पत्थर लगाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 22-4-81 प्राप्त होने के बाद उन्होंने इस दिशा में कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

जी हां, प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1981 शासन को प्राप्त हुआ था उसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गयी। जांच में यह पाया गया कि वर्तमान गाटे नक्शे के मुताबिक नहीं हैं। इस भिन्नता के निराकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न गांव से सम्बन्धित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि गोरखपुर की तहसील महराजगंज में चकबन्दी कुछ गांवों में चल रही है। जो गांव गाटे से बाहर निकल गये हैं, वह निकल चुके हैं वहां 75 प्रतिशत नक्शों में और मूल जमीन की पैमाइश में भिन्नता है। गाटे की पैमाइश और नक्शे एक दूसरे से मिलते नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या कार्यवाही की गयी है और पूरी कार्यवाही करा करके पत्थर कब तक लगवा लिए जायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इसकी जांच कराई गयी है। जांच में यह मिला कि नक्शे और जमीन के रकबे में भिन्नता है। सेम्पिल के तौर पर 10 गाटों का निरीक्षण कराकर उसमें जरा-जरा सा जैसे .00 की, इसी प्रकार की थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, लेकिन यह निश्चित है कि उसमें भिन्नता है। अब चकबन्दी को भेजा गया, उसमें यह आया कि धारा 52 के हो जाने के बाद यह हमारे अधिकार में नहीं रह जाता है। जिलाधिकारी इसको करेगा। जिलाधिकारी ने इसके लिए एक्स्ट्रा स्टाफ की मांग की है। स्टाफ मिल जाने के बाद जमीन की पैमाइश कराकर ठीक करा दिया जायगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि थोड़ी भिन्नता है। मैं सम्बन्धित तहसीलदार से मिला था उसने बताया कि 75 प्रतिशत भिन्नता है। इस आधार पर उसने बताया कि इसमें तात्कालिक कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि वहां के प्रमुख लोगों की भूमि, वहां के वरिष्ठ लोगों की भूमि गाटे से सटी हुई है। कमजोर वर्ग के गाटे मूल रूप से छोटे हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उस भिन्नता को मिटाने के लिए फिर से जमीन की पैमाइश करवायेंगे, सही ढंग से कार्यवाही कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि यह तय हो चुका है कि गांव की पूरी पैमाइश करायी जायगी। जिलाधिकारी ने इसके लिए स्टाफ मांगा है, स्टाफ को भेजना है, वह हो जायगा तो जिलाधिकारी के माध्यम से कार्यवाही करायी जायगी।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में प्रतिदिन विद्युत देने की व्यवस्था

*13-श्री किरनपाल सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मई, जून, 1981 को प्रदेश में कुछ जनपदों को विद्युत सप्लाई 24 घंटे प्रतिदिन जारी रखने के आदेश सरकार ने दिए थे ? यदि हां, तो किन-किन जनपदों को तथा उसका औचित्य क्या था ?

श्री सुनील शास्त्री--

पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण नैनीताल, टेहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, चमोली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों को माह मई, जून, 1981 में 20-24-घंटे प्रति दिन विद्युत् देने की व्यवस्था थी जो कि अभी भी जारी है।

इसके अतिरिक्त गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, अलीगढ़, एटा, बांदा, रायबरेली, सुल्तानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, हमीरपुर एवं बदायू जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों को 11 मई, 81 से 30 जून, 81 तक मध्यावधि चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन द्वारा 20-24 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गयी थी।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर को देखते हुए इसमें सप्लीमेंटरी किए जाने की कोई गुन्जाइश नहीं है। आप मान्यवर मई, जून की स्थिति को देखें जबकि बिजली का

बहुत कम प्रोडक्शन था तब उस हालात में जहां पैदावार अच्छी होती थी वहां इस सरकार ने बिजली गलत नीयत से दी। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिजली की आपूर्ति का शान्ति और व्यवस्था से सीधा क्या सम्बन्ध है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सूबेदार सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखने के लिए कुछ जिलों में 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की, तो उन जिलों में जहां परमानेंट रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री—

क्योंकि मध्यावधि चुनाव चल रहे थे इसलिए वहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की गयी थी। अतिरिक्त जिलों में ऐसा कोई समस्या नहीं है, सब जगह अच्छा चल रहा है।

श्री सूबेदार सिंह—

समस्या नहीं है तो डकैती उन्मूलन अध्यादेश की क्या आवश्यकता है ?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मुरादाबाद में जब कानून और व्यवस्था की बात आई तो बिजली आपूर्ति की गयी और आगरा से जब मांग आई थी तो की गयी, यह एक सामान्य नीति है।

श्री सूबेदार सिंह—

मैनपुरी, एटा, इटावा, कई जगहों में ऐसी स्थिति है. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सब लोग बैठ जायं, कोई एक खड़ा हो।

श्री मोहन सिंह—

जिन दिनों जहां-जहां उपचुनाव हो रहे थे, 24 घंटे बिजली दी गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्हीं दिनों में जो सर्वाधिक दस्यु प्रभावित जिले हैं उनमें से कितनी बिजली काट कर उनकी दी गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

पूरे प्रदेश में इस समय औसतन 7 घंटे बिजली दी जा रही है और उस समय भी इतनी ही दी जा रही थी, इसलिए कटौती नहीं की गयी थी दूसरी जगह से।

श्री छत्तर सिंह—

मेरठ डिवीजन के जो जिले कृषि प्रधान हैं, उनको इस टाइम में बिजली क्यों नहीं दी गयी और जिन जिलों में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिजली दी गयी, तो क्यों दी गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जब गन्ने की फसल के सूखने का प्रश्न आया था तो उस समय हिन्डालको की भी बिजली काटकर दी गयी थी।

(तालियां)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जब कहीं असामान्य स्थिति होगी तो क्या बिजली की सप्लाई करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मा0 मुख्य मन्त्री जी राजमंगल पाण्डेय जी ने पूछा है कि क्या आप यह आश्वासन देंगे कि प्रदेश में कहीं असामान्य स्थिति हो तो उसको सामान्य बनाने के लिए बिजली की सप्लाई करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह— —

असामान्य स्थिति को सामान्य करने का हर प्रयास किया जायगा मान्यवर ।

*14—श्री बलवीर सिंह—

]माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित[

*15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[20-1-81 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 2 द्वारा उत्तरित]

*16—श्री केदार नाथ सिंह—

]माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित[

कलेक्टिव फार्म्स एवं फारेस्ट लिमिटेड कम्पनी ग्राम पटिहन, जिला खीरी लखीमपुर द्वारा सीलिंग में जमीन बचाने के लिए धोखाधड़ी की जांच

*17—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मिलकियत सिंह, निवासी ग्राम पटिहन, जिला खीरी लखीमपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-10-80 को मा0 ज्ञानी जैल सिंह, गृह मन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को सम्बोधित है और उसमें कलेक्टिव फार्म्स एवं फारेस्ट लिमिटेड कम्पनी ग्राम पटिहन, जिला खीरी लखीमपुर द्वारा सीलिंग में जमीन बचाने के लिए किये गये धोखा-धड़ी के कृत्यों का विस्तृत उल्लेख है उनके वैयक्तिक सचिव द्वारा 2-10-80 को अग्रसारित होकर उन्हें उनके कार्यालय में दिनांक 17/18-11-80 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच करायी गयी और जांच का क्या परिणाम निकला और यदि जांच नहीं कराई गयी, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

जी हां, कथित प्रार्थना-पत्र शासन में दिनांक 27 नवम्बर, 1980 को प्राप्त हुआ था।

प्रश्नगत मामले में जांच करायी गयी। प्रश्न गत फार्म के संचालक श्री नौनिहाल सिंह व उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध पहले से ही सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत वाद चल रहे थे, जिनका निर्णय दिनांक 30 नवम्बर, 1981 को हो गया है, और 114.267 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी है। दो अन्य खातेदारों की रिटें माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रश्न की ओर आकर्षित करूंगा। यह जो कम्पनी है कलेक्टिव फार्म्स एवं फारेस्ट लिमिटेड, यह बहुत ही पावरफुल लोगों की कम्पनी है। इसमें सब बड़े-बड़े लोग और पंजाब के भूतपूर्व मुख्य सचिव भी शेयर होल्डर हैं और जब कभी कोई जांच उठाई गयी, जांच सही नहीं हो पाती है। यह जो शिकायती-पत्र दिया गया है इसमें 3 एनेक्सर हैं आरोपों के, जिसमें यह आरोप लगाए गये हैं कि सीलिंग से जमीन बचाने के लिए धोखा-धड़ी की गयी हैं, सीलिंग के दौरान फर्जी बैनमा किया गया तो क्या इन आरोपों की जांच कराई गयी ? यदि इन आरोपों की जांच कराई गयी तो किन-किन आरोपों को सही पाया गया और किन-किन आरोपों को गलत पाया गया, इस सम्बन्ध में मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कुछ नहीं कहा है ? क्या इसके बारे में कुछ बतायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मा0 भीखा लाल का कहना सही है कि इसमें 7 डाइरेक्टर हैं परन्तु इन सभी के मुकदमें तय हो चुके हैं। सिर्फ दो के मुकदमे अभी माननीय उच्च न्यायालय में हैं। एक श्री सुरेन्द्र जी का है और दूसरा श्री हरेन्द्र सिंह जी का है। बाकी सबके मुकदमे तय हो गए हैं और उन मुकदमों के दौरान इन सभी शिकायतों पर भी ध्यान दिया गया है और उन पर सभी निर्णय लिए गये हैं ।

श्री मीखालाल--

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर कोई स्पष्ट नहीं आया। जो आरोप हैं धोखा-धड़ी के उसके सम्बन्ध में मा0 मन्त्री जी कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। इस कम्पनी के पास 4500 एकड़ जमीन थी और 5000 एकड़ जमीन शेयर होल्डर्स की थी! इस प्रकार 9500 एकड़ जमीन इस कम्पनी के शेयर होल्डर्स के बीच थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें प्रारम्भिक स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा कितनी जमीन अतिरिक्त घोषित की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरल--

इसमें 114 एकड़ जमीन एक परिवार की है और बाकी और जो हैं उनकी जमीन का 464.37 एकड़ इन्वाल्व है और दूसरे में जो अभी दायर है उसमें 264.282 एकड़ इन्वाल्व है।

श्री मीखा लाल--

मैं मन्त्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह जो धोखा-धड़ी के आरोप हैं उसमें खासतौर से जो यह है कि रिकार्ड को वहां से निकाल कर गायब कर दिया गया है। क्या इसकी फिर से जांच करवाकर अप्लीकेशन देने वालों को तथा सदन को उत्तर देने की कृपा करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, श्री मीखा लाल जी प्रार्थना पत्र मुझे दे देंगे तो मैं उसके बारे में उत्तर दे दूंगा और उनको बतला दूंगा।

श्री मीखा लाल--

मान्यवर, ज्ञानी जैल सिंह के पास जो प्रार्थना-पत्र भेजा गया है वह तो माननीय मुख्य मन्त्री के पास मौजूद है ही, फिर मेरे अप्लीकेशन देने की क्या बात है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वह तो पहले का है, जो आपके पास है उन्हें दे देंगे तो बतला दिया जायेगा।

जनपद बस्ती के राजस्व विभाग में छटनी शुदा अमीनों का वेतन निर्धारण

*18--श्री रामेश्वर नाथ चौबे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश संख्या जी-2-777/दस-142, दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 के अधीन जनपद बस्ती के राजस्व विभाग में वर्ष 75 से 80 में खपाए गये कृषि विभाग के छटनी शुदा अमीनों में किन-किन अमीनों का वेतन निर्धारण किया गया है ? क्या यह सच है कि कुछ अमीनों के वेतन निर्धारण में उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इसे पूरा कराएगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र जी जा रही है ?

बाढ़ के पानी से घिरे गांव की सुरक्षा का प्रयास

*19--श्रीमती गौरी देवी--

क्या राजस्व मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जो गांव बाढ़ के पानी से घिर जाते हैं क्या उन गांवों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या होगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जो गांव बाढ़ के पानी से घिर जाते हैं वहां के निवासियों को तुरन्त सुरक्षित स्थानों तथा बाढ़ सहायता केन्द्रों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। ऐसे सभी ग्रामों के आबादी स्थल हटाकर अन्य स्थानों पर बसाना सम्भव नहीं है। आवश्यकतानुसार यथा सम्भव

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[श्री वैजनाथ कुरील]

पानी निकासी की व्यवस्था एवं बांधों तथा बंधियों के निर्माण से बाढ़ के पानी से गांव की सुरक्षा का प्रयास किया जाता है। जो आबादी स्थल बहुत नीचे हैं अथवा नदी की धारा से कट गये हैं वहां के निवासियों को आवश्यकतानुसार यथा सम्भव वन विभाग की भूमि, ग्राम सभा भूमि, सीलिंग भूमि आदि पर अथवा भूमि अध्याप्त करके बसाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ग्रामों के आबादी स्थलों को यथा आवश्यक ऊंचा करने का भी प्रयास किया जाता है। जब-जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं---तब-तब समस्या के स्वरूप एवं गहराई के अनुरूप यथा-सम्भव आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

*20---श्री यदुनाथ सिंह---

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण की निर्माणाधीन योजनायें

**1---श्री हरवंश सहाय---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियन्त्रण के लिए गठित केन्द्रीय मण्डल ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण नियन्त्रण के लिए उपयुक्त नीतियां अगर शीघ्र न अपनाई गयीं और उन्हें तुरन्त कार्यान्वित न किया गया तो गंगा नदी के भविष्य और गंगा के दोनों किनारों पर रहने वाले लाखों लोगों के व्यापक हितों को भारी संकट का सामने करना पड़ेगा? यदि हां, तो उक्त सुझाव पर राज्य सरकार कौन-कदम तत्काल उठाने जा रही है?

नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)---

जी हां। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण एव नियन्त्रण बोर्ड द्वारा ऐसी चेतावनी दी गयी है।

वाराणसी एवं इलाहाबाद में प्रदूषण नियन्त्रण की योजनाएं निमार्णाधीन है तथा कानपुर में भी ऐसी योजना के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त तात्कालिक कदम के रूप में प्रमुख प्रदूषण कारी उद्योगों के विरुद्ध उ0प्र0 जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अभियोजन दायर कर दिए गये हैं।

श्री हरिवंश सहाय---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद और वाराणसी में जो जल प्रदूषण को रोकने की समस्या योजना निमार्णाधीन है वहां जल प्रदूषण की बहुत ही गम्भीर समस्या है क्योंकि तमाम जगह जगह शहर के नाले गंगा में गिर रहे हैं, इनको आप एक जगह कहीं गिराने की व्यवस्था करेंगे जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सके?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

यह सही है कि जगह जगह के नाले गंगा में गिर रहे हैं और कुछ उद्योगों के मालिक भी अपने दूषित जल का डिस्चार्ज गंगा में करते हैं, इसके लिए उनको शासन की तरफ से आदेश दिया गया है कि वे इतने दिन के अन्दर अपने यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लें, साथ ही गन्दे पानी की सीवेज फार्म में ले जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे-जैसे उसके लिए धन उपलब्ध होता जायगा यह योजना कार्यान्वित होती जायगी।

श्री हरिवंश सहाय----

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण नियन्त्रण बोर्ड की सूचना अखबारों से उन्हें प्राप्त हुई या उनके विभाग ने स्वयं इसके नियन्त्रण का प्रयास किया है? और इसके लिए कुछ लोगों को नोटिस दे रखा है कि वे जल्द से जल्द अपने यहां वाटर ट्रीटमेंट लगा लें जिससे प्रदूषण की रोकथाम हो सके।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुए कि वाराणसी में गंगा के अन्दर 8–10 गन्दे नाले बह कर गिरते हैं, जबकि उस गन्दे पानी की सीवेज फार्म में ले जाने की योजना पर अब तक दो करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं लेकिन अस्सी से राजघाट तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि एक तरह से दो करोड़ रुपया बेकार कैसे पड़ा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

बेकार नहीं पड़ा है, इसके लिए रुपए की और व्यवस्था की जा रही है कि आठ दस नाले जिनसे गन्दा पानी बहकर गंगा में जाकर प्रदूषण पैदा करता है उसको रोका जा सके।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर इसकी जांच करायेंगे कि कानपुर का सबसे बड़ा गन्दा शीशामऊ नाले के नाम से कहा जाता है, उसका पानी 15 दिन के अन्दर सीवेज फार्म में ले जाने की व्यवस्था करने का आदेश हुआ था, यह दिसम्बर, 1979 की बात है, लेकिन उसका पालन अधिकारियों की तरफ से नहीं किया गया, तो क्या सरकार उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जरूर करेगी जिन्होंने सरकार के निर्णय का पालन नहीं किया।

श्री कैलाश टण्डन—

मान्यवर, जो अस्सी घाट से लेकर राजघाट नाला आप देखकर आये हैं, क्या बतलाने का कष्ट करेंगे कि कितने इस वक्त कार्यकर रहे हैं और कितने बेकार पड़े हुए हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

संख्या तो नहीं बता सकूंगा ?

श्री कैलाश टण्डन—

म यह जानना चाहता था कि जहां से नगवा का नाला शुरू होता है उसके बाद मणिकर्णी का घाट आदि सारे के सारे नाले सब बेकार पड़े हुए हैं। मैं चाहता कि तत्काल माननीय मन्त्री जी इसको देखेंगे क्योंकि वहां का जनजीवन बड़ा कष्ट प्रद हो चुका है। आप जानते हैं वहां लोग रोज स्नान करते हैं और बगल में गन्दा नाला गिरता रहता है।

श्री अध्यक्ष—

एक सामान्य प्रश्न था प्रदूषण रोकने का। उसके बारे में बताया गया। विभिन्न, स्पेसिफिक सवाल आये उनका उत्तर दे दिया, अब इसमें क्या सवाल पूछेंगे ?

हरिजनों को बन्दूक के लाइसेंस

**2—श्री राम आसरे पासवान (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभाओं के आधार पर प्रत्येक ग्राम के पांच-पांच हरिजनों को प्रशिक्षण के बाद बन्दूक का लाइसेन्स देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी नहीं।

यह व्यवहारिक नहीं है।

श्री राम सागर—

मान्यवर, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक गांव के पांच हरिजनों को बन्दूक देने पर विचार करेंगे, माननीय मन्त्री जी ने उससे इंकार कर दिया। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि देवली और साढ़ूपुर में हरिजनों ने अपने सुरक्षा के लिए बन्दूक देने के लिए प्रार्थना-पत्र दे दिए थे उन पर कोई विचार नहीं हुआ

तोट—अल्पसूचित प्रश्न संख्या 2 श्री रामसागर की रुचि पर लिया गया।

[श्री रामसागर]
लेकिन जब सामूहिक रूप से वहां हरिजनों का संहार कर दिया गया तो वहां जाकर बन्दूकों की स्वीकृति दे दी गयी ? मुझे जानकारी है कि इस जिले में और भी गांवों से हरिजनों ने बन्दूकों के प्रार्थना-पत्र दिए हैं लेकिन उन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां-कहीं हरिजन सामूहिक रूप से मारे जायेंगे वहीं आप बन्दूक देने की व्यवस्था करेंगे शेष हरिजनों की व्यवस्था नहीं करेंगे ?

(मन्त्री जी उत्तर के लिए खड़े नहीं हुये।)

श्री राम सागर--
मान्यवर, जवाब दिलवा दीजिए.....

श्री अध्यक्ष--
किस प्रश्न का जवाब दिलवाऊं? यह कोई प्रश्न ह जिसका जवाब दिलवाऊं...

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--
इसमें केवल लाइसेंस की बात कही गयी है कि व्यवहारिक नहीं है। लाइसेंस की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मान्यवर, सवाल देखने का कष्ट करें। इसमें है कि ट्रेनिंग देने के बाद बन्दूक का लाइसेन्स देने की व्यवस्था करेंगे और माननीय मन्त्री जी ने लाइसेन्स देने की व्यवस्था करने से इंकार कर दिया। मैं आपके माध्यम से.....

श्री अध्यक्ष--
आपका प्रश्न है "क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभाओं के आधार पर प्रत्येक ग्राम के पांच-पांच हरिजनों को प्रशिक्षण के बाद बन्दूक का लाइसेन्स देने की व्यवस्था करेंगे ? इसका उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा व्यवहारिक नहीं है। अब क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री मोहन सिंह--
मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बेहमई काण्ड हुआ था उसमें सरकार ने बिना प्रक्रिया और औपचारिकता को पूरा किए ग्राम वासियों को लाइसेन्स दे दिया था और कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष संजय सिंह श्री ने वहां पर मुफ्त में बन्दूकें दी थीं। सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जहां सामूहिक हत्याएं होंगी, वह उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकतीं इसलिए गांववालों को बन्दूक के लाइसेन्स दिए जायेंगे। यह बात साफ मालूम हो गयी यह सरकार हरिजनों को सुरक्षा नहीं कर सकती है और आज प्रदेश में व्यापक पैमाने पर हरिजनों का नरसंहार हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं निर्बल वर्ग है इसलिए क्या सरकार उनको भी उसी कसौटी पर रखने के लिए विचार कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--
माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न किया गया है वह यह है कि "हरिजनों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभाओं पर प्रत्येक ग्राम के पांच-पांच हरिजनों को प्रशिक्षण के बाद बन्दूक का लाइसेन्स देने की व्यवस्था करेंगे ?" मान्यवर, जहां तक सुरक्षा की बात है जहां भी सुरक्षा की आवश्यकता होगी, वहां उनको लाइसेन्स दिया जायगा केवल पांच-पांच हरिजनों को ही नहीं, पांच से भी अधिक हरिजनों को दिया जायगा.....

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा--
क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लाइसेन्स देने की जो प्रक्रिया इस समय सामान्य रूप से है उसके अन्तर्गत हरिजन भी हैं वे गरीब और भूमिहीन होने के कारण उसमें नहीं आ पाते हैं। इसलिए क्या माननीय गृह मन्त्री हरिजनों को लाइसेन्स देने की प्रक्रिया में ढील करेंगे ताकि भूमिहीन और हरिजनों को लाइसेन्स दिया जा सके और शीघ्र दिया जा सके ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, सुरक्षा के आधार पर मैं नहीं समझता कि भूमिहीनों के लिए कोई बन्धन है। यह मेरी जानकारी है। आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। जिसको भी सुरक्षा की आवश्यकता होगी, चाहे वह भूमिहीन हो या न हो, हम उसको लाइसेन्स देंगे . . .

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

गृह मन्त्री ने इन्कार कर दिया और मुख्य मन्त्री ने कहा कि हम करेंगे. . . ...

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शान्त बैठें।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मैं स्वयं मैनपुरी जिले में गया था और कई गांवों में मैंने देखा, मुझे वहां सूचना मिली कि साढूपुर और देवली गांवों के अतिरिक्त अन्य गांवों के हरिजनों में भी इन काण्डों को लेकर असुरक्षा व्याप्त है और वहां के हरिजनों ने भी बन्दूक के लाइसेन्स के लिए प्रार्थना-पत्र दिए हैं। मुझे जानकारी है कि जिलाधिकारी ने इन दो गांवों के अतिरिक्त जहां से भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे, उन पर कोई विचार नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे जनपदों में भी जिन्होंने इस तरह के प्रार्थना-पत्र दिए हैं, क्या आप उन को बन्दूक के लाइसेन्स देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसमें दुविधा इस लिए हो गयी कि गृह मन्त्री ने लाइसेन्स देने से इन्कार कर दिया और मुख्य जन्त्री ने आश्वासन दे दिया तो हम कौन सी बात मान लें।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शान्त रहें, बैठ जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गृह मन्त्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में व्यावहारिकता की बात की है जिस प्रश्न में यह पूछा गया है कि ग्राम सभाओं के आधार पर प्रत्येक ग्राम के 5-5 हरिजनों को प्रशिक्षण के बाद बन्दूक का लाइसेन्स दिया जाय। इसको माननीय गृह मन्त्री ने कहा व्यावहारिकता के आधार पर ऐसा सम्भव नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा जहां भी सुरक्षा के लिए पांच या पांच से अधिक की भी आवश्यकता होगी, लाइसेन्स दिया जायगा। इसमें कौन सा विरोधाभास है ?

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, कोई भी प्रार्थना-पत्र दिया जाता है उसकी तीन कापियां दाखिल करनी पड़ती हैं। एक प्रति कार्यालय में रह जाती है, एक प्रति तहसीलदार के पास जाती है और एक प्रति सम्बन्धित थाने में जाती है। जो प्रति सम्बन्धित तहसीलदार के पास जाती है उसमें स्पष्ट रूप से उसमें उनसे आख्या मांगी जाती है कि इनके पास पक्का मकान है, हैसियत है या नहीं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आप हरिजनों की रक्षा का दावा करते हैं तो इस प्रक्रिया में उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि लाइसेन्स पा सकें। इस प्रक्रिया को बदलना होगा तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि अगर कोई भी आवेदन-पत्र देगा तो एक दो महीने के अन्दर बिना हैसियत की आख्या लिए ही निर्णय लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--
माननीय हरीकिशन जी, आपने सुना नहीं, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा भूमि का होना न होना इसमें कोई बाधक नहीं होगा ।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--
तो फिर तहसीलदार को कापी न जाय ।

श्री अध्यक्ष--
आपको सदन में आश्वासन दिया है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--
मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में हरिजनों के आए दिन काण्ड हो रहे हैं। तो इन तमाम काण्डों को देखते हुए क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी धन से असलाह क्रय करके ग्राम सभाओं में कम से कम पांच-पांच बन्दूक हर ग्राम सभा को देने का प्रबन्ध करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--
मान्यवर, उत्तर हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा--
आये दिन हत्याकाण्ड हो रहें हैं उनकी जान की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--
आप बैठ जायें ।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव ।
प्रक्रिया बदलवायें.....

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा--
मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--
आपने प्रत्येक गांव सभा में 5-5 बन्दूकें देने का प्रश्न पूछा है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--
मान्यवर, फिर चुनाव में क्या हाल होगा ?

श्री यदुनाथ सिंह--
इनकी हुकूमत दो मिनट में तबाह हो जायगी ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--
मान्यवर, पिछली फरवरी में फैजाबाद में पांच हरिजनों के हत्या काण्ड हुए, उनके परिवार वालो ने बन्दूक के लाइसेन्स की दरख्वास्त दी लेकिन वहां के डी0एम0 ने दो-दो हजार रुपए के एन0एस0सी0 न जमा करने के कारण उनकी दरख्वास्त निरस्त कर दी। तो क्या माननीय मन्त्री मन्त्री जी निर्देश देंगे कि बगैर एन0एस0सी0 जमा कराए लाइसेन्स दे दें ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--
मान्यवर, यह नीति विषयक प्रश्न है, यह विशेष प्रश्न है। इसके लिए वह खुद ही समझ लें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष

जो यह बोल रहे हैं लिखा नहीं जायगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कुछ लिखा नहीं जायगा। आप बैठ जाइए। बन्द कर दीजिए, यह जो कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए। इस तरह से बोलने से क्या फायदा है ? यह कुछ लिखा नहीं जायगा।

(व्यवधान)

माननीय जसवन्त सिंह जी, मैं आप से बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप ध्यान रखिये कि इस पीठ से क्या कहा जा रहा है। अब आप बोलना शुरू करते हैं तो इस पीठ का बिलकुल ही ध्यान नहीं रखते हैं। अब से आप इसका पूरा ध्यान रखिये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[× × ×]

श्री यदुनाथ सिंह—

यह इस तरह की बात ठीक नहीं है . . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए, बैठ जाइए यदुनाथ सिंह जी ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए कोई व्यवस्था की बात नहीं है। अब मैंने निधन का निर्देश ले लिया है। (व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य आपके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, शायद वह अपनी बात पूरी तरह से कह नहीं सके, उनके कहने का मतलब केवल इतना था कि हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो उस सम्बन्ध में क्या मुख्य मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जितने हरिजन मरें उनके समकक्ष अन्य सवर्ण लोगों के मरने के बारे में वही सहानुभूति अपनायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अतारांकित प्रश्न

गृह निर्माण अनुदान हेतु मापदण्ड का आधार

1—श्री मोतीलाल देहलवी—

30 जनवरी, 1981 की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस उत्तर में जिन 188 व्यक्तियों को पात्र न समझ कर उन्हें यह अनुदान नहीं दिया गया उनकी अपात्रता का मापदण्ड उसी तारीख के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में सरकार द्वारा बताए गये मापदण्ड को आधार माना गया अथवा 9 अक्टूबर, 1980 को प्रश्नकर्ता को दिए गये अतिरिक्त जिलाधिकारी (ग्रामीण) कानपुर के पत्र में उल्लिखित मापदण्ड को आधार माना गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत 138 व्यक्तियों को गृह निर्माण अनुदान के लिए अपात्र मानने के मापदण्ड में सन्दर्भित तारांकित प्रश्न संख्या-11 के उत्तर में दर्शाए गये मापदण्डों को आधार माना गया।

भूतपूर्व सैनिक श्री मनोहर लाल द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में दिया गया प्रार्थना-पत्र

2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मनोहर लाल भारद्वाज, पुत्र श्री दुर्गा दास, मकान नं0 3 गोपीनाथ बिल्डिंग न्यू हैदराबाद, लखनऊ भूतपूर्व सैनिक को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता ने पत्र के साथ दिनांक 9-1-81 को प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न का पहला भाग—

जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

सूचना एकत्र की जा रही है।

एन्युटी के लिए मांगी गयी दरख्वास्तें तथा खारिज किए गये प्रार्थना-पत्र

3—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1974 में जमीन्दारी उन्मूलन एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 100 (ए) व 100(बी) बढ़ाकर 30-6-74 तक जो एन्युटी के लिए दरख्वास्तें मांगी गयी थीं उनका कोई रिकार्ड रखा गया ? यदि हां, तो कितनी दरख्वास्तों को एन्युटी मिली और कितनी दरख्वास्तें खारिज की गयीं ? जो दरख्वास्तें खारिज की गयीं उन दरख्वास्तों को देने वालों को सबूत पेश करने का मौका दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ् कुरील—

जी हां। कुल 4352 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 3656 प्रार्थना-पत्रों पर एन्यूटी निधारित की गयी तथा 666 प्रार्थना-पत्रों को खारिज कर दिया गया। जो दरख्वास्तें खारिज की गयीं उनके देने वालों को अपना मामला सिद्ध करने का प्रर्याप्त अवसर दिया गया था केवल पीलीभीत जिले में 33 प्रार्थना-पत्रों में दावा सिद्ध करने का मौका इसलिए नहीं दिया गया कि वे पूर्ण बैरिटेबुल के न होकर आंशिक बैरिटेबिल के मामले थे। निरस्त किए गये मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को सादय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

तहसील हैदरगढ़ के तहसीलदार द्वारा मन्दिर निर्माण की जांच

4—श्री राम सागर—

क्या राजस्व मन्त्री को मालूम है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील हैदरगढ़ के तहसीलदार तहसील की ग्राउण्ड पर लाखों रुपयों की लागत से मन्दिर बनवा रहे हैं ? यदि हां, तो किसकी अनुमति से और किसके धन से ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। परगनाधिकारी, हैदरगढ़ से जांच कराई गयी थी किन्तु मामले से सम्बन्धित कुछ बिन्दु अस्पष्ट होने के कारण इस मामले में पुनः विस्तृत जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

जिला कानपुर, तहसील बिल्हौर में गृह अनुदान प्राप्त करने की पात्रता

5—श्री मोती लाल देहलवी—

प्रश्नकर्त्ता के दिनांक 20 फरवरी, 1981 की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के दिए गये उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा भेजी गयी दरख्वास्तों के आवेदकों में से किस-किस को गृह अनुदान दिया गया और जो लोग अपात्र मानकर गृह अनुदान से वंचित किए गये उनकी अपात्रता का क्या कारण था ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नकर्त्ता द्वारा जिला प्रशासन को गृह अनुदान हेतु भेजी गयी दरख्वास्तों के 201 आवेदकों में से जिन 98 आवेदकों को गृह अनुदान वितरित किया गया उनकी सूची संलग्न है।

गृह अनुदान प्राप्त करने की पात्रता की श्रेणी में केवल भूमिहीन श्रमिक, सीमान्त कृषक (2.5 एकड़ तक असिंचित या 1.6 एकड़ तक सिंचित भूमि वाले कृषक) तथा गैर खेतिहर जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2,400 रुपए तक हो आते हैं, इसके अतिरिक्त बाढ़ अथवा अन्य दैवी आपदाओं के कारण यदि किसी व्यक्ति का मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाय तो उसको भी गृह अनुदान उसी भांति दिया जा सकता है जैसेकि सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों तथा रु0 2400 की वार्षिक आय वाले गैर खेतिहर व्यक्तियों को दिया जाता है

शेष 103 आवेदक उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते थे जिसके कारण उन्हें अपात्र मानकर गृह अनुदान नहीं दिया गया।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 772–775 पर)

अतिवृष्टि से तहसील देवरिया में क्षतिग्रस्त मकानों को गृह अनुदान

6—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया तहसील में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से गिरे मकानों का सभी गांवों में अनुदान दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों और देवरिया तहसील में किन-किन गांवों में किन लोगों को अनुदान दिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1980 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से तहसील देवरिया के कुल 399 ग्रामों में मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। उक्त सभी ग्रामों के 3351 पात्र परिवारों को कुल 8,39,000 रु0 गृह अनुदान वितरित किया गया। उक्त ग्रामों तथा लाभान्वित व्यक्तियों के नाम की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

जिला बस्ती, टिघरा गांव के अनियमित पटटे को रद्द करवाने हेतु मुकदमा लड़ने की स्वीकृति

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम समाज टिघरा; पोस्ट चोरी महलानी, जिला बस्ती तथा निकसोली, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती के सदस्यों ने एक प्रार्थना-पत्र (श्री प्रभुनाथ दुबे ने) दिनांक 23-11-80 को जिलाधिकारी, बस्ती को दिया था जिसमें टिघरा गांव के अनियमित पट्टे को रद्द करवाने हेतु मुकदमा लड़ने की स्वीकृति मांगी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र में व्यक्तिगत वकील रखने की भी मांग की गयी थी। ऐसी अनुमति दिए जाने का कोई आधार नहीं था क्योंकि गांव सभा के वकील (डी0जी0सी0राजस्व) द्वारा ऐसे वादों की पैरवी की जाती है। अतः जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 11-8-81 द्वारा तदनुसार प्रार्थी को सूचित कर दिया गया। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित अनियमित पट्टे के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, नौगढ़ द्वारा जांच करायी गयी। जांच के दौरान पाया गया कि गलत पट्टा देने के लिए प्रधान जिम्मेदार था तथा इसके लिए श्री श्याम बिहारी लाल, लेखपाल व श्री राम आसरे मालवीय, नायब तहसीलदार भी दोषी पाए गये। उक्त दोषी कर्मचारियों में से सम्बन्धित लेखपाल की मत्यु हो चुकी है तथा नायब तहसीलदार सेवा निवृत्त हो गए हैं। प्रश्नगत पट्टा असामी का एक साल का था जो साल व्यतीत होने पर स्वतः समाप्त हो गया। पट्टेदार को बेदखल भी कर दिया गया है।

ग्राम खेलावन, जिला फतेहपुर में खसरा नम्बर-७५५ की भूमि पर दिया गया सीरदारी अधिकार

8—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खेलावन, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर में खसरा नम्बर 755 रकबा एक बीघा, सोलह बिस्वा पर देवी दीन पुत्र कल्लू, हरिजन को, जो इस भूमि पर 30 जून, 1975 के पूर्व से काबिज है, जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122 (बी) (4) (एफ) के अन्तर्गत सीरदारी अधिकार दिया गया। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं। चूंकि यह भूमि नम्बर सुरक्षित भूमि तालाब वर्ग-6 (1) में दर्ज है, अतः ऐसी भूमि पर सीरदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं।

जनपद मैनपुरी, ग्राम सभा कुबेरिया शिकमी गोहाना के श्री एदल सिंह, भू०पू० प्रधान के विरुद्ध लगी एफ० आर०

9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की ग्राम सभा कुबेरिया शिकमी गोहाना के एदल सिंह, भू0पू0 प्रधान के विरुद्ध धारा 409 व 420 भा0द0वि0 के अन्तर्गत शासन के आदेशानुसार अपराध संख्या क्रमशः 64 व 65 थाना करहल पर सन् 1979 में श्री राम दुलारे पर्यवेक्षक कानूनगो पंजीकृत कराए थे ? क्या यह सच है कि पर्यवेक्षक कानूनगो एवं विवेचनाधिकारी ने उक्त मामले में एफ0आर0 लगा दी ? यदि हां, तो एफ0 आर0 लगाने का क्या आधार था, उक्त के सम्बन्ध में सुनहरी लाल खेरिया शिकमी गोहाना के शिकायती-पत्र दिनांक 1 अगस्त, 1980 को मन्त्री जी को व जिलाधीश, मैनपुरी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

उक्त मामले की विवेचना में कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण एफ0आर0 लगा दी गयी जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। श्री सुनहरी लाल खेरिया शिकमी गोहाना का शिकायती-पत्र दिनांक 1–8–80 प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मुकदमों की विवेचनाओं का पुनः परीक्षण कराया गया लेकिन कोई कारगर तथ्य अग्रिम विवेचना के लिए सामने नहीं आए ।

जिला मैनपुरी के ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना में सीरदारी पट्टों के आवंटन में विलम्ब

10—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1978 के प्रथम शुक्रवार दिनांक 8 सितम्बर, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 25–11–78 से इस मामले सम्बन्धित पत्रावली संख्या 421/377 पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद जनपद में अहमदपुर पवन ग्राम का विद्युतीकरण

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह सही है कि ग्राम अहमदपुर पवन, परगना चायल, जिला इलाहाबाद के निवासियों को बिजली सप्लाई करने हेतु एक वर्ष पूर्व खंभे तथा तार लगाए गये थे ? यदि हां, तो आज तक बिजली की सुविधा न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

इलाहाबाद जनपद के अहमदपुर पवन ग्राम का विद्युतीकरण एल0टी0 लाइन बिछा कर दिनांक 29–2–1980 को किया जा चुका है ।

उक्त ग्राम में कनेक्शन हेतु अभी तक छः व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिए हैं जिनमें से दो को 6–1–1982 को कनेक्शन दिया जा चुका है। एक मामले में जिस नाम से प्रार्थना पत्र दिया गया था उस नाम का कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। अवशेष तीन मामलों में कनेक्शन देने के लिए एल0टी0 लाइन का विस्तार करने की आवश्यकता है जिस पर आने वाली कुल लागत पर प्राप्त तीन प्रार्थना-पत्रों के आधार पर, समुचित प्रतिलाभ प्राप्त न हो पाने की स्थिति में कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं है ।

12—श्री राम आसरे वर्मा—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

13—श्री दामोदर शर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्री सी० एम० सिंह, लिपिक के विरुद्ध रीजनल आडिट आफिसरों द्वारा की गयी शिकायतों पर कृत कार्यवाही

14—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0प्र0 के अधीन कार्यरत श्री सी0एम0 सिंह, लिपिक के विरुद्ध रीजनल आडिट आफिसरों ने अनेक शिकायत की थीं ? यदि हां, तो किस आधार पर मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 8–1–73 द्वारा श्री सिंह को खजांची का

काम सौंपा था ? क्या माह अगस्त, 1975 में खजांची श्री सिंह द्वारा सरकारी धन के गबन का मामला प्रकाश में आया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी ? यदि हां, तो मामले के पूर्ण विवरण क्या हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

श्री सी0एम0 सिंह जब 1963 के पूर्व नैत्यक लिपिक के पद पर जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ में कार्य कर रहे थे तब उनके विरुद्ध क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल की शिकायत प्राप्त हुई थी—"अम्बर कैफे के कारोबार में व्यस्त रहने के कारण वे कार्यालय के कार्य में रुचि नहीं लेते हैं।" उनकी संस्तुति के अनुसार श्री सिंह का स्थानान्तरण कानपुर कर दिया गया। इसके बाद मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 11-1-73 के अन्तर्गत खजांची का कार्य सौंपने के समय तक श्री सिंह के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। सम्पूर्ण अवधि में श्री सिंह का कार्य एवं व्यवहार अच्छा रहा। अतः खजांची का कार्य सौंपने के लिए उन्हें अनुपयुक्त समझने का कोई कारण नहीं था।

माह अगस्त, 1975 में खजांची श्री सिंह द्वारा सरकारी धन के गबन का मामला प्रकाश में आया था जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी।

गबन का मामला प्रकाश में आने पर प्राथमिक जांच कराने के उपरान्त विदित हुआ कि खजांची श्री सी0एम0 सिंह द्वारा राजकीय धन का गबन किया गया है। अतः मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गयी तथा शासन एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भी सूचित किया गया। दूसरी ओर श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की गयी। आरोप सिद्ध होने पर श्री सिंह को सेवा से पदच्युत कर दिया गया। पुलिस द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। उपलब्ध सूचनानुसार इस मामले में 15-2-82 की तिथि बयान चार्ज के लिए लगी है।

अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति को दिया गया अनावर्तक अनुदान तथा स्मारिका के प्रकाशन पर कुल व्यय

15—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 4थे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए ता0 प्र0 सं0 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति को वर्ष 1975 में रु0 5,000 का अनावर्तक अनुदान किन-किन मदों पर व्यय करने हेतु दिया गया था, स्मारिका के प्रकाशन पर कुल कितना व्यय हुआ था ? वर्ष 1975 के बाद और कितनी धनराशि समिति को स्मारिका के प्रकाशन हेतु दी गयी ? रजिस्ट्रार सोसाइटीज, फर्म्स एण्ड चिट फण्ड, उ0प्र0 द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-9-80 पर की गयी जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आए और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री ब्रह्म दत्त—

अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति को अखिल भारतीय दण्ड-शास्त्र सम्मेलन के आयोजनार्थ वर्ष 1975 में रु0 5,000 का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया था।

स्मारिका के प्रकाशन पर कुल रु0 1465 का व्यय हुआ था।

वर्ष 1975 के बाद समिति को स्मारिका के प्रकाशन हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी। पत्र दिनांक 19-9-80 पर की गयी जांच में प्राप्त तथ्यों के सम्बन्ध में माननीय विधायक महोदय को उनके द्वारा वर्ष 1981 के प्रथम सत्र के चौथे शुक्रवार के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कतिपय निम्नलिखित तथ्य और प्रकाश में आए हैं —

(1) अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा अपनी नियमावली में किए गये संशोधन को रजिस्ट्रार, फार्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स द्वारा अपने अभिलेखों में अंकित कर लिया गया है।

(2) वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 व 1980–81 के लेखाओं की सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा द्वारा कर ली गयी है तथा इसके फलस्वरूप लगभग रु0 62,000 की और अनियमित अप्रयुक्त अनुदान तथा अधिक भुगतान की धनराशि प्रकाश में आई है। जांच के फलस्वरूप पाए गये तथ्यों के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने हेतु निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्देश दे दिए गये हैं।

जनपद मिर्जापुर की कतिपय योजनाओं में स्थापित तथा पुर्नवासित हुए परिवार तथा दिया गया मुआवजा

16—श्री विजय सिंह (मिर्जापुर) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक मिर्जापुर जनपद के आनपारा ताप परियोजना, शक्तिनगर, सुपरताप विद्युत परियोजना बीना, ककरी व खड़िया कोल प्रोजक्ट तथा कनहर सिचाई परियोजना में कितने परिवार स्थापित हुए तथा कितनों को पुर्नवासित किया गया है और अभी तक कितने परिवारों को मुआवजा वितरित नहीं किया गया है? जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है उनके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती के तहसील खलीलाबाद में संग्रह अमीन पद पर कार्यरत वरिष्ठता पर नियुक्ति

17—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के तहसील खलीलाबाद में संग्रह अमीन पद पर कार्यरत श्री वशिष्ट और श्री गोपाल की कुल कितने वर्षों की सेवा 31–3–79 तक है? क्या यह सच है कि इनमें वरिष्ठ व्यक्तियों को सेवा का अवसर नहीं दिया जा रहा है? तथा उक्त दोनों रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए खलीलाबाद तहसील में कुल कितनी जगह स्थायी रूप से रिक्त हैं? और कब तक उन पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति कर दी जायगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम घटौली, जनपद फैजाबाद में भूमिहीन हरिजनों को आवंटित भूमि

18—श्री माधव प्रसाद—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम घटौली (बेनीराम तिवारी का पुरवा), थाना खंडासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद की भूमि नम्बर–2, रकबा 5 बीघा जो वहां के भूमिहीन हरिजनों को आवंटित की गयी थी, पर उक्त ग्राम के सवर्ण काश्तकारों ने नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है और उसमें अगस्त, 1981 में पेड़ लगा दिए गये हैं? सरकार उक्त भूमि को उसी गांव के हरिजन भूमिहीनों को पुनः दिलाएगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। ग्राम घटौली (बेनी राम तिवारी का पुरवा) थाना खंडासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद की भूमि नं0 2, रकबा 1, बीघा 12, बिस्वा 14 धुर भूमि का आवंटन भूमिहीन हरिजनों को नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर श्री राम सजीवन पुत्र

श्री सत्य नारायण, निवासी, ग्राम घटौली ने अनाधिकार कब्जा कर लिया है तथा उस पर आम के पेड़ भी लगा लिए हैं। उनके विरुद्ध धारा 122 बी की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है। सन्दर्भित भूमि का गांव के भूमिहीन हरिजनों को देना, उपरोक्त वाद में निर्णय हो जाने के बाद ही सम्भव हो सकेगा।

बढ़वा–कझा मार्ग में ली गयी भूमि से सम्बन्धित भूमिधरों को प्रतिकर के भुगतान के आदेश

19—श्री खैरुल बशर—

क्या सरकार कृपया बतलाने की कृपा करेगी कि उसने अपने राजस्व विभाग–2 पत्र संख्या 286/4–4 (31 75 रा0 अनु0–2 दिनांक 22–11–75 के द्वारा श्री राम सुमेर लाल, 283 मुन्शीपुरा, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ को उनके ग्राम रैकवारडीह, तहसील मुहम्मदाबाद स्थित भूमि को बढ़वा—काझा मार्ग में ले ली गयी उसको प्रतिकर देने के लिए उचित कार्य- वाही करने का आश्वासन दिया था? यदि दिया था, तो सरकार के सम्बन्धित भूमिधरों को त्वरित प्रतिकर भुगतान कर देने के आदेश के बावजूद भी उनको अभी तक प्रतिकर का भुगतान क्यों नहीं हुआ ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

20—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

21—श्रीमती धनेश्वरी देवी—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर में भूखण्ड संख्या 1344 के खाता व खेवट में किये गये इन्दराज के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर की गयी कार्यवाही

22—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर में भू-खण्ड संख्या–1344 बाग वर्तमान 1514–1515 बन्दोबस्त सोयम से 1351 फ0 तक किसके नाम एवं खाता खेवट किया गया है? 1352 फसली से 1359 फ0 में उसका खाता खेवट संख्या एवं किसके नाम दर्ज था? यह इन्दराज किस आधार पर हुए? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र शासन एवं आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, अल्पसंख्यक आयोग को 1977 से 3–10–81 तक शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या आवश्यक कार्यवाही हुई?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के भूखण्ड संख्या 1344 बन्दोबस्त सोयम में खाता खेवट 1 की जमीन है। खाता खतौनी 214 बन्दोबस्त सोयम बाग मालिकान मुन्दर्जे खाता खेवट एक दर्ज है। बन्दोबस्त सोयम में खाता खेवट एक पर मुहम्मद वसीम अली खां खातिस्ल अक्ल व विलायत मुहम्मद जैंगम अली खां बिरादर हकीमी व मुहम्मद जैंगम अली खां पिसरान बाबू मुर्तजा हुसैन खां कौम भाले सुलतान हिस्सा दस आना व अली हुसैन खां व अबतुराब खां नाबालिग व विलायत मुसम्मात आबिदा बेगम मादरखुद पिसरान बाबू मुर्तजा हुसैन खां व 7 आना दर्ज है। भूखण्ड संख्या 1344 बन्दोबस्त सोयम में खाता खतौनी 214 पर बाग जिमन 8 (4) अ के अन्तर्गत खेवट 1 के खातेदारान के नाम बाग मालिकान अंकित है। बन्दोबस्त सोयम 1344 फसली में पूर्ण हुआ है बन्दोबस्त सोयम के बाद 1345 फसली से 1351 फसली तक के ग्राम अभिलेख नष्ट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में 1345 से 1351 फसली तक के इन्द्राजों

के विषय में प्रश्नगत भमि से सम्बन्धित इन्द्राज के बारे में सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। इस तहसील में पहली बार चकबन्दी प्रक्रियाएं 1955 ई0 (1362 फ0) में हुई थीं जिसमें बन्दोबस्त सोयम के नम्बर 1344 रकबा 5–44–15 धुर का नया नम्बर 1514 0–3–0, 1515–5–11–15 बना है। 1352 फसली से 1355 फसली तक के ग्राम अभिलेख नष्ट हो चुके हैं। 1356 फसली व 1359 फसली में क्रमशः खाता नम्बर 216 287 पर प्रश्नगत भूखण्ड 1344/5–14–17 रकबे के साथ जिमन 8(4) बाग के रूप में बाबू मोहम्मद बेगम अली खां व बाबू अबूतुराब खां व बाबू मुहम्मद वसी अली खां पिसरान, बाबू मुर्तजा हुसैन खां के नाम दर्ज है।

1357 व 1358 फसली के अभिलेख नष्ट हो गये हैं, 1345 फसली से 1355 फसली तक के खेवट नष्ट हो चुके हैं। 1356 तथा 1359 फ0 का अन्तिम खेवट उपलब्ध है जिसमें खाता खेवट 1 पर बाबू मोहम्मद वसी अली खां, अकल वली मुहम्मद बेगम अली खां, चार आना, बाबू मुहम्मद बेगम अली खां चार आना, बाबू अबू तुराब खां आठ आना पिसरान बाबू मुर्तजा हुसैन खां कौम भाले सुल्तान साकीन देह का नाम दर्ज है। चूंकि 1355 फसली तक के खेवट नष्ट हो चुके हैं इसलिए वर्तमान खेवट 1356 ता0 59 फसली के इन्द्राज जिस आधार पर हैं, कहा नहीं जा सकता है। जहां तक मौजूदा (वर्तमान) इन्द्राज का सम्बन्ध है भूखण्ड संख्या 1514/0–5–0, 1515/5–11–15 खाता खतौनी 29(1379) ता 81 (फसली) पर जैगम अली खां व वसी अली खां (जड) संरक्षक जैगम अली खां व अबुतूराब खां सुत मुर्तजा हुसैन खां ग्रामवासी के नाम दर्ज है, जो अन्य भूखण्डों के साथ है, श्रेणी भूमिधरी में अंकित है।

जहां तक 1977 ई0 से 3–10–81 ई0 तक शिकायती पत्र प्राप्त होने का प्रश्न है, श्री अब्दुल वाहिद खां पुत्र श्री मुहम्मद मुस्तफा खां, ग्राम व पोस्ट रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर का एक शिकायती-पत्र दिनांक 5–2–81 खाता खतौनी खसरा एवं खेवट में काटछांट तथा हेरा-फेरी के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है। क्योंकि इस अनुभाग का प्रख्यापन दिनांक 11–6–1979 ई0 को चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत लिए जाने का हो चुका है और जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत धारा–9 के अन्तर्गत प्राख्यापन के बाद कोई भी व्यक्ति अभिलेख में स्वयं आदि की त्रुटियों के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत कर निराकरण करा सकता है। इस आशय की सूचना बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा शिकायत कर्ता को पहले ही दी जा चुकी है ?

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर में भूखण्ड संख्या 1713–1714 के खाते में दर्ज नाम के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

23—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में भूखण्ड संख्या 1713–1714 बाग वर्तमान 1925-1926 बन्दोबस्त सोयम से 1359 फसली तक किसके नाम है? दौरान चकबन्दी 1360–62–63 में किसके नाम किस हैसियत से दर्ज किया गया है उसका आधार क्या है। इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र शासन को दिनांक 3–10–81 तक प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं? तथा उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील—

कथित भूखण्ड संख्या 1713–1714 बाग वर्तमान 1925–1926 बन्दोबस्त सोयम में बाग मालकान श्री मुहम्मद हसन वैगरह दर्ज है। 1359 फसली में उक्त भूखण्ड श्री मुहम्मद हसन तथा श्री नुरुल हसन इत्यादि के नाम बाग दर्ज है। 1360 फसली व 1362 फसली में गाटा संख्या 1713/0–13–0 बिसवा व 1714-अ/0–3–0 बिसवा मोहम्मद

हसन खां निवासी बझौलिया मजरे मरदानपुर व नुरुलहसन निवासी रसूलपुर के नाम भूमिधरी अंकित है। 1353 से 1365 फसली तक गाटा संख्या 1713, 1714 वर्तमान 1925/0–10–3, 1926/0–3–0 खाता 69 में भजन व श्री राम व शंकर व गयादीन व मालिक के नाम भूमिधरी अंकित है। उक्त भूखण्डों पर नामों का परिवर्तन पुराने चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेश से किये गये थे। श्री नूरुलहसन खां आदि ने दौरान चकबन्दी सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा किए गये उक्त आदेश के विरुद्ध कोई आपत्ति अपील दायर नहीं की। ग्राम की चकबन्दी समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है जबकि अब श्री नुरुल हसन खां ने अपने शिकायती-पत्र दिनांक 4–3–80 द्वारा इन्दराज की शिकायत की है। चूंकि ग्राम को दुबारा चकबन्दी के अन्तर्गत लिए जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है अतः धारा 9 का प्रकाशन होने के बाद शिकायतकर्ता को इस सम्बन्ध में आपत्ति/अपील करने का मौका मिलेगा।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर में भूखण्ड संख्या 751–751/1 का खाता व खेवट क्षेत्रफलों में अन्तर के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में भूखण्ड संख्या 751–751/1 बाग बन्दोबस्त सोयम एवं 1349–50 फ0 में किसके नाम दर्ज है और भूखण्ड संख्या 751/1 कब खाता खेवट नं0 2 आला के बजाय खाता खेवट नं0 1 आला में किसके नाम और किस आधार पर दर्ज किया गया है? क्या शासन आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को दिनांक 3–10–81 तक इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं? तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित भूखण्ड 751–अ/3–7–8 बन्दोबस्त सोयम में खाता खतौनी 214 पर जिमन 8(4) व में बाग मालिकान खातेदारान खाता खेवट 1 के नाम तथा 751–ब 13–7–8 खाता खतौनी 219 जिमन 8(4) व बाग मालिकान के रूप में खाता खेवट 2 के खातेदारान के नाम दर्ज हैं। बन्दोबस्त सोयम के खाता खेवट 1 के खातेदारान मुहम्मद वसी अली खां खातिरुल अक्ल व विलायत मुहम्मद, जैगम खां बिरादर हकीकी व मुहम्मद जैगम अली खां पिसरान बाबू मुर्तजा हुसैन खां कौम भाले सुल्तान 10 आना अली हुसैन खां व अबूतुरान खां नाबालिगान विलायत मुहम्मद आबिदा बेगम माबरखुद पिपरान बाबू मुर्तजा हुसैन खां 6 आना का नाम तथा खाता खेवट नं0 2 पर नूर बख्श खां अब्दुल हसन खां नाबालिगान व कैदुल वाजिद खां पिसखुद व मुहम्मद हुसैन खां वल्द करमजोर खां का नाम उर्ज है। 1349–1350 फसली के अभिलेख नष्ट हो चुके हैं इसलिए उक्त 2 फसली वर्षों के इन्दराजों के विषय में सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। सन् 1356 फसली में 751/1–3 बीघा, 7 बिस्वा, 8 धुर खाता खेवट 1 के अन्तर्गत खतौनी खाता संख्या 217 पर बाग मालिकान आला जिमन 8(4) व तथा 751, 3 बीघा 7 बिस्वा 8 धुर खाता खेवट संख्या 2 के अन्तर्गत खाता खतौनी संख्या 220 पर बाग मालिकान जिमन 8(4) व के अन्तर्गत अंकित है। बन्दोबस्त सोयम के बाद 1355 फसली तक का खेवट नष्ट हो चुका है। 1356 फसली का अन्तिम खेवट जो उपलब्ध है उसके अनुसार खाता खेवट नं0–1 पर बाबू मुहम्मद वसी अली खां फातुरुल अक्ल वली मुहम्मद जैगम अली खां 4 आना, बाबू मुहम्मद जैगम अली खां 4 आना, बाबू अबुतराब खां 8 आना, पिसरान बाबू मुर्तजा हुसैन खां कौम भाले सुल्तान साकीन देह तथा खाता खेवट संख्या–2 पर नुरुल हसन वल्द अब्दुल वाहिद खां कौम भाले सुल्तान साकिन रसूलपुर निरफ, मुहम्मद हसन खां वल्द करमशेर खां कौम भाले सुल्तान साकीन बझुलिया मजरा

मरदानपुर निस्फ का नाम दर्ज है। 1359 फसली की खतौनी में भू खण्ड संख्या 751/1 3 बीघा 7 बिस्वा 8 धुर खाता खतौनी संख्या 268 पर जिमन 8(4) व बाग मालिकान खाता खेवट 1 के अन्तर्गत तथा 751/2/3 1 बीघा 7 बिस्वा 8 धुर खाता खतौनी 290 पर जिमन 8(4) व बाग मालिकान खाता खेवट 2 के अन्तर्गत अंकित है तथा 751/2/1 एक बीघा 10 बिस्वा मालगुजारी 7 रुपया 2 आना के साथ खाता खतौनी संख्या 278 पर बालक सुत गजाधर के नाम बमुदाते 1 वर्ष और भूखण्ड संख्या 751/2 2 रकबा 10 बिस्वा मालगुजारी 2 रुपया 6 आना के साथ खाता संख्या 279 पर बसन्त सुत गजाधर के नाम बमुदद्दत 1 वर्ष दर्ज है। चूंकि 1355 फसली की खतौनी नष्ट हो चुकी है इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि उक्त 2 अन्तिम खातों पर खातेदारान के नाम किस आधार पर अंकित हुआ, वर्ष 1955 (फसली वर्ष 1362) में हुई पहली चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत नम्बर 751/6/14/16 का नया नम्बर 824/3-7-8, 825/1-7-8, 826/0-10-0, 827/1-10-0 बना। वर्तमान अभिलेख खतौनी 1379-1381 में खाता नं0 29 पर भूखण्ड नं0 824/3-7-8 भूमिधर में नैगम अली खां व वसी अली खां जड़ संरक्षक जैगम अली खां व अबुतुराब खां सुत मुर्तजा हुसैन खां ग्रामवासी के नाम तथा भूखण्ड 825/1-7-8 खाता नं0 12 भूमिधरी में इदरीश सुत मुहम्मद हुसैन व नूरुल हसन सुत अब्दुल वाहिद निवासी ग्राम के नाम दर्ज है। जिस पर भाग 2 में सिकमी के रूप श्रेणी 7 में राम दुलारे, राम पियारे, राम समुझ, राम उदित, राम आधार, सुतगण माता फेर, स्याम लाल, राधे लाल, सुतगण राम आसरे ग्राम वासी के नाम बिना लगानी दर्ज है। तथा नं0 828/0-10-0 खातेदार बसन्त सुत गजलू के नाम खाता 241 पर तथा भूखण्ड नं0 827/1-10-0 खाता नं0 240 पर बालक सुत गजलू ग्रामवासी के नाम क्रमशः वर्ग 2 सीरदार की श्रेणी में दर्ज है। उपरोक्त नम्बरान में से केवल नं0 825 पर जिल्द बन्दोबस्त खतौनी चकबन्दी (सी0एच0 45) में खाता संख्या 77 पर अंकित भिन्नता इस प्रकार है कि अहमद हुसैन सुत करम हुसैन बनूरुल हसन वल्द अब्दुल वाहिद का नाम अंकित है जबकि वर्तमान खतौनी 1379-81 में प्रविष्टि (स0 एच 45) में उपरोक्त वर्तमान खतौनी के अनुरूप ही है।

जहां तक दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 तक शिकायती-पत्र प्राप्त होने का प्रश्न है श्री अब्दुल वाहिद खां पुत्र मुहम्मद मुश्तफा खां ग्राम व पोस्ट रसूलपुर जिला सुल्तानपुर का एक शिकायती-पत्र दिनांक 5 फरवरी, 1981 को प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है। क्योंकि इस गांव का प्रख्यापन दिनांक 11 जून, 1979 ई0 को चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः लिए जाने का हो चुका है और जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत प्रख्यापन के बाद कोई व्यक्ति अभिलेख में स्वस्व आदि की त्रुटियों के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत कर निराकरण कर सकता है इस आशय की सूचना बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा शिकायत-कर्त्ता को पहले ही दी जा चुकी है।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर में बन्दोबस्त सोयम एवं खातों में अंकित क्षेत्रफलों में अन्तर के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

25--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में बन्दोबस्त सोयम एवं 1359 फ0 में खाता खेवट नं0 1 व 2 आला में कितना-कितना क्षेत्रफल दर्ज है? बन्दोबस्त सोयम एवं 1359 फ0 में खातों में अंकित क्षेत्रफलों में कोई अन्तर है? यदि हां, तो इसका आधार क्या है? इस सम्बन्ध में वर्ष 1977 से 3-10-81 तक शासन चकबन्दी आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग, आयुक्त, फैजाबाद को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या उचित कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील—

बन्दोबस्त सोयम सन् 1337 फ0 में खेवट खाता 1 में क्षेत्रफल 1704 बी—3 वि0 अंकित है। खेवट खाता 2 में 30 बी0 16 वि0 3 वि0 अंकित है। सन् 1359 फ0 के खेवट खाता 1 में 1691 0—2—17 खेवट खाता 2 में 30—16—3—अंकित है। खेवट खाता में 13—0—13 की कमी है। सन् 1350 फ0 में कुल क्षेत्रफल 9—11—14 नहर विभाग के लिये अध्याप्ति हुआ। शेष क्षेत्रफल 3—8—19 खेवट खाता संख्या 1 से कम होने का आधार 1337 फ0 तथा 1355 फ0 के बीच के खेवट उपलब्ध न होने के कारण ज्ञात न हो सका। बन्दोबस्त सोयम से 1355 फ0 तक खाता खेवट नियमानुसार नष्ट किए जा चुके हैं। 1356 से 1359 तक का ही खेवट है खेवट खाता 2 के क्षेत्रफलों में कोई अन्तर नहीं है। इस सम्बन्ध में श्री नुरुल हसन खां का शिकायती-पत्र दिनांक 6—3—80 एवं उनके पिता अब्दुल वाहिद खां का शिकायती-पत्र दिनांक 26—3—80 प्राप्त हुए, जिनकी जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी से कराई गयी। ग्राम में दुबारा चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ हो गया है। प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है कि वह चकबन्दी अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करे और उस पर अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर में भूखण्ड संख्या 1732 में श्री जैगम अली खां व वसी अली खां का अंकित नाम तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित किए गये आदेश

26—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में बन्दोबस्त सोयम व 1356—59 फ0 में भूखण्ड संख्या 1732 बाग वर्तमान 1947 किस के नाम है? साल 1960—62 के चकबन्दी में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा कितने और क्या आदेश पारित किए गये हैं और किसके पक्ष में और किसके नाम दर्ज किया गया है? उसका आधार क्या है? और शासन को वर्ष 1977 से दिनांक 3—10—81 तक कोई शिकायती-पत्र इस सम्बन्ध में मिला है? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री जैगम अली खां व वसी अली खां पुत्रगण मुरतजा हुसैन खां, अधिवासी साकिन देह के नाम अंकित हैं। सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा 1360—62 फसली में निम्नलिखित तीन आदेश पारित किए गये थे :—

(1) आदेश दिनांक 15-11—1954 गाटा संख्या 1732 अबू तुराब, जैगम अली एवं वसी अली पुत्रगण मुरतजा हुसैन अधिवासी पूर्व सन् 1360 फ0 अंकित हो।

(2) आदेश दिनांक 15-12—1952 इन्द्राज कागजात देही बदस्तूर रहे। हुकुम दिनांक 15-11—1954 मंसूख हो। वादी व प्रतिवादी दीवानी के जरिए अपना फैसला करायें।

(3) आदेश दिनांक 23—3—1955-1362 की खतौनी के खाता संख्या 62 में गाटा संख्या 1732 से मोहम्मद हसन खां का नाम खारिज होकर जैगम अली का नाम भूमिधरी में अंकित हो।

उपरोक्त आदेशों से सम्बन्धित पत्रावलियां मुहाफिजखाने में नियमानुसार दि0 4—1—1973 को नष्ट (पीड) की जा चुकी हैं। श्री नुरुल हसन खां, पुलिस उप निरीक्षक, थाना कृष्णानगर, लखनऊ के दो शिकायती-पत्र दिनांक 4—3—1980 एवं 6—3—1980 तथा श्री अब्दुल वाहिद खां पुत्र श्री मोहम्मद मुरतजा खां का शिकायती-पत्र दिनांक 26—6—1980 प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त शिकायती-पत्रों में मुख्य शिकायतें गाटा संख्या 1625 1626 एवं 1714 तथा खसरा नम्बर 824, 1947, 1514, 1515/1 व 1515/2 के

गलत इन्द्राज के सम्बन्ध में है। उपरोक्त शिकायतकर्ता पिता पुत्र हैं अतः पिता श्री अब्दुल वाहिद खां को सूचना दे दी गयी थी कि चकबन्दी अधिनियम की धारा 9 के प्रकाशन पर वे नियमानुसार आपत्ति प्रस्तुत करें तभी इंगित त्रुटियों का यदि कोई हों, तो निराकरण सम्भव होगा।

बिक्री-कर विभाग में अपीलीय अधिकारियों का अपील निस्तारण का माहवारी कोटा

27—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि बिक्री-कर विभाग में अपीलीय अधिकारियों का माहवारी कोटा 200 अपीलों को निरस्तारण करने का है, यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 1976 में लखनऊ के हर सहायक आयुक्त (न्याय) ने कितनी अपीलें दैनिक निस्तारण के लिए लगवायीं और कितनों का निस्तारण किया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

बिक्री-कर विभाग में अपीलीय अधिकारियों का प्रति कार्यशील दिवस कोटा 8 अपीलों के निस्तारण का है ? माह जुलाई, 1976 में लखनऊ में कार्यरत 4 सहायक आयुक्त (न्याय) क्रमशः श्री जे0पी0 नौटियाल, श्री चन्द्र शेखर, श्री पी0एन0 मिश्रा, व श्री एल0 पी0 शुक्ला के 1 माह जुलाई, 1976 में लखनऊ के हर सहायक आयुक्त (न्याय) ने कितनी अपीलें दैनिक निस्तारण के लिए लगवायीं और कितनों का निस्तारण किया, इस का विवरण निम्न प्रकार है :—

माह जुलाई, 76

अधिकारी का नाम	माह में दैनिक निस्तारण के लिए लगवाई गई अपीलों की संख्या	सुनवाई पूर्ण की गयी अपीलों की संख्या	माह में निस्तारण
1	2	3	4
1—श्री जे0पी0 नौटियाल	418	143	144
2—श्री चन्द्र शेखर	454	162	154
3—श्री पी0एन0 मिश्रा	573	189	167
4—श्री एल0पी0 शुक्ला	369	171	176

लखनऊ, कानपुर, इटावा जनपदों में व्यापारियों के सम्बन्ध में फर्जी चालान की सूचना तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

28—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि 1975 के बाद शासन और आयुक्त बिक्री-कर को ज्ञात हुआ है कि लखनऊ—कानपुर और इटावा के बिक्री-कर कार्यालयों में लाखों रुपयों के फर्जी और स्टेट बैंक के चालान कर दाताओं की पत्रावलियों में लगा दिए हैं और राजस्व की हानि की है ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे चालान कितने कर-दाताओं की पत्रावलियों में लगाए गये और कितने रुपयों के थे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

लखनऊ जनपद में दो व्यापारियों के सम्बन्ध में फर्जी चालान की सूचना मिली थी। जिसमें निहित धनराशि रुपए 79,266,78 थी। कानपुर मण्डल में 13 व्यापारियों के

सम्बन्ध में फर्जी चालान की सूचना मिली थी जिसमें रुपए 15,32,660.82 की धनराशि निहित थी। इसी भांति इटावा जनपद में 22 व्यापारियों के सम्बन्ध में फर्जी चालान की सूचना मिली थी जिसमें निहित धनराशि रु0 1,41,726.81 थी।

29—श्री यदुनाथ सिंह—

इस गड़बड़ी के लिए कितने बाबू और अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तब अब तक क्यों नहीं की गयी ? इन करदाताओं से कर व्याज तथा पेनाल्टी वसूल की गयी ? यदि नहीं की गयी तो अब कब तक की जायगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

गड़बड़ी के लिए कानपुर में एक लिपिक को तथा इटावा में तीन लिपिकों को निलम्बित किया गया था। लखनऊ में इस सम्बन्ध में अभी तक किसी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया।

कानपुर में कर-दाताओं से रुपया 1,49,969.19 कर के रूप में, इटावा में रु0 33,738.52 कर तथा रु0 6,678.19 ब्याज एवं लखनऊ में रु0 43,661.52 कर के रूप में वसूला गया।

विभागीय परीक्षा दल द्वारा आबकारी ठेकेदारी की पत्रावलियों की जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

30—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि वर्ष 1975–76 में आयुक्त बिक्री-कर के विभागीय परीक्षा दल ने आबकारी ठेकेदारी की 14 पत्रावलियों की जांच की और पाया कि सात मामलों मे 33475 रु0 कर लगाने से रह गया और अन्य सात मामलों में 9969 रु0 कर कम दर से लगाया। यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन 14 पत्रवलियों के कर आदेश कितने अधिकारियों ने पारित किए ? उनमें कितने कब-कब सेवानिवृत्त हो गये ? कि 1976 से 29–6–81 तक तथा 29–6–81 से 30–9–81 तक इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई तब क्यों नहीं हुई ? अब कब होगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां।

इन 14 पत्रावलियों पर कर निर्धारण आदेश 10 अधिकारियों द्वारा पारित किए गये हैं। इनमें से एक अधिकारी 31–7–76 को तथा एक अधिकारी 30–9–79 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

अधिकारियों के विरुद्ध उक्त सन्दर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है क्योंकि इस बारे में जांच चल रही है जांच समाप्त होने पर और उत्तरदायित्व निर्धारित होने के बाद अधिकरियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जायगा।

लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय के खण्ड–1 से फार्मों की चोरी तथा प्रभारी बिक्री-कर अधिकारियों द्वारा फार्मों के मिलान का उत्तरदायित्व

31—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय के खण्ड एक में फार्म 31 माह मई, 1981 में खो गये थे ? यदि हां, तो कितने फार्म खो गए और इन फार्मों के खो जाने का पता कब और कैसे और किसको चला ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां। बिक्री-कर कार्यालय, लखनऊ के खण्ड–1 से 200 (दो सौ) फार्म–31 दिनांक 28–5–81 के सायंकाल से दिनांक 29–5–81 के प्रातःकाल के मध्य उसी खण्ड के आलेखक प्रालेखक की लोहे की बन्द अलमारी से खो गये थे। इन फार्मों की चोरी का पता दिनांक 29–5–1981 को लगभग 10–30 एवं 11 बजे के मध्य आलेखक-प्रालेखक को लगा जिसने तत्काल इसकी सूचना खण्ड के बिक्री-कर अधिकारी श्रेणी–2 को दी। इस चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हजरतगंज में दिनांक 29–5–1981 को ही दर्ज करा दी गयी थी तथा समस्त जांच चौकियों को तार द्वारा सूचना भेज दी गयी थी। उक्त फार्मों के खो जाने की जांच पुलिस के अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है तथा रिपोर्ट आपेक्षित है।

32—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री बतायेंगे कि क्या सहायक आयुक्त (शा0) और उपायुक्त (शा0) ने इस खण्ड के और अन्य किसी खण्ड के 'सी' फार्म और फार्म 31 का वर्ष 1979–80, 1980–81 व 1981–82 में आकस्मिक निरीक्षण करके वास्तविक मिलान किया? यदि नहीं किया, तो क्यों नहीं किया गया?

श्री ब्रह्मदत्त—

सहायक आयुक्त (शा0) और उपायुक्त (शा0) बिक्री-कर, लखनऊ द्वारा विशेष रूप से फार्म सी व फार्म–31 के मिलान हेतु कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। खण्डों के प्रभारी बिक्री-कर अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे खण्डों में उपलब्ध फार्म सी और फार्म 31 का मिलान नियमित रूप से करते रहें, जो किया जा रहा है।

राजकीय नलकूप संख्या–81, अमौत, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी का क्षति ग्रस्त ट्रांसफार्मर की रिक्त पूर्ति तथा उक्त ट्रांसफार्मर के बन्द होने की अवधि में विद्युत् शुल्क माफ करने की कार्यवाही

33—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 81 अमौत ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का ट्रांसफार्मर 10 अगस्त, 81 को जल गया जिसकी रिपोर्ट सब विद्युत् स्टेशन पिंडरा तथा विद्युत् विभाग मडुआडीह, वाराणसी में करने पर 25 सितम्बर, 81 को ट्रांसफार्मर खराब लगा दिया गया जो कार्य नहीं कर रहा है? यदि हां, तो तुरन्त अच्छा ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगाया गया, इसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं?

श्री सुनील शास्त्री—

जिला वाराणसी के राजकीय नलकूप संख्या–81 अमौत का ट्रांसफार्मर दिनांक 17 अगस्त, 1981 को क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी सूचना मिलने पर उक्त ट्रांसफार्मर के स्थान पर एक मरम्मत किया गया ट्रांसफार्मर दिनांक 25 सितम्बर, 1981 को लगाया गया तत्पश्चात् 28 सितम्बर, 1981 को सूचना मिलने पर कि लगाए गये ट्रांसफार्मर से एक फेज सप्लाई नहीं मिल रही है, उक्त ट्रांसफार्मर को दिनांक 11 अक्तूबर, 1981 को बदल दिया गया जो सुचारु रूप से कार्य कर रहा है? ट्रांसफार्मर में खराबी की सूचना मिलने के उपरान्त ट्रांसफार्मर के बदलने में असामान्य विलम्ब नहीं हुआ अतः इसके लिए कोई अधिकारी, कर्मचारी दोषी प्रतीत नहीं होता।

34—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त ट्रांसफार्मर से पांच पम्पिंग सेटों को कनेक्शन दिया गया था? वे भी 10 अगस्त से 25 सितम्बर, तक बन्द रहे और अब भी नहीं चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर कार्यवाही करेगी और विद्युत् शुल्क माफ करेगी?

श्री सुनील शास्त्री—

राजकीय नलकूप संख्या 81 अमौत पर लगे 63 के0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मर से एक राजकीय नलकूप तथा चार पम्प सेटों को कनेक्शन दिया गया था। उक्त नलकूप, 1 पम्प सेट 17 अगस्त, 1981 से 25 सितम्बर, 1981 तथा 27 सितम्बर, 1981 से 12 अक्तूबर, 1981 की अवधि में बन्द रहे। वर्तमान स्थिति में प्रश्नगत सभी नलकूप, पम्पसेट को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

पिंडरा विद्युत उपकेन्द्र, जिला वाराणसी में विद्युत आपूर्ति

35—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तारीख 27 सितम्बर, 81 से पिंडरा सब-स्टेशन से विद्युत् सप्लाई बिलकुल नहीं की गयी और ता0 3-10-81 को 4-1/2 बजे बिजली दी गयी, जो दो घंटे भी रेगुलर नहीं मिली? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री सुनील शास्त्री—

यह सत्य नहीं है कि पिंडरा विद्युत् उपकेन्द्र (जिला वाराणसी) से 27 सितम्बर, 1981 से विद्युत् आपूर्ति बिलकुल नहीं की गयी। 27-9-1981 से 3-10-81 की अवधि में उक्त उपकेन्द्र से, परिषद के केन्द्रीय विद्युत वितरण नियन्त्रणालय द्वारा निश्चित सारणी के अनुरूप, विद्युत आपूर्ति की गयी थी। तदनुसार दिनांक 27-9-1981 को तीन घंटे तथा 28-9-81 से 3-10-1081 तक प्रत्येक तिथि पर पांच घंटे विद्युत आपूर्ति की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पिंडरा विद्युत उपकेन्द्र (जिला वाराणसी) का क्षतिग्रस्त के० वी० इनकमिंग स्विचगीयर

36—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पिंडरा सब-विद्युत् स्टेशन, वाराणसी के कई इनकमिंग महीनों से जल गये थे और उसमें ता0 26-9-81 तक एक जला ही रहा उसको बनाया नहीं गया था? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या इनकमिंग जो जल गए थे उसमें कितने का नुकसान हुआ और एक को न बनाने का क्या कारण है?

श्री सुनील शास्त्री—

पिंडरा विद्युत उपकेन्द्र (जिला वाराणसी) पर दो 11 के0वी0 इन-कमिंग स्विचगीयर दिनांक 9 जुलाई, 1981 को क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त इन-कमिंग स्विचगीयर को आवश्यक मरम्मत के पश्चात् 2 दिसम्बर, 1981 को पुनः चालू कर दिया गया।

इन-कमिंग स्विचगीयर के क्षतिग्रस्त हो जाने से परिषद् को अनुमानतः रु0 2,300 की हानि हुई।

वर्तमान स्थिति में, पिंडरा विद्युत उपकेन्द्र पर लगे दोनों इन-कमिंग स्विचगीयर चालू हालत में हैं।

परगना भदोही, वाराणसी की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूखण्ड संख्या-376 व 369 का पट्टा श्री शौकत अली को देने का प्रस्ताव, परगनाधिकारी ज्ञानपुर द्वारा पट्टे की जांच तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

37—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री प्रथम सत्र 81 के 3रे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 56 उर्फ लखनपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी की गांव सभा आराजी नं0 376

व 369 को भूमि प्रबन्धक समिति ने एक करोड़पति शौकत को पट्टा देने के लिए प्रस्ताव किया था, उसकी बिना जांच किए ही परगनाधिकारी, ज्ञानपुर ने अपनी स्वीकृति क्यों दे दी ? क्या उक्त काण्ड में लेखपाल, कानूनगो एवं नायब तहसीलदार, तहसीलदार की भी संस्तुतियां हैं ? इन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो इस पट्टे को निरस्त करने हेतु ए0डी0एम0 के न्यायालय में जो मामला विचाराधीन है उसमें अब तक क्या हुआ ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 29–1–79 को भूखण्ड संख्या 376 व 369 को श्री शौकत अली को पट्टा करने का प्रस्ताव पास किया था।

परगनाधिकारी ज्ञानपुर ने जांच करवाने के उपरान्त ही अपनी स्वीकृति दी थी। लेखपाल, पर्यवेक्षक, कानूनगो, नायब तहसीलदार व तहसीलदार तथा डी0जी0सी0 (माल) ने जांच करने के उपरान्त अपनी संस्तुति परगनाधिकारी के समक्ष दी थी। इनमें से केवल लेखपाल को निलम्बित किया गया था। उन्हें निलम्बन काल का वेतन न देकर बहाल कर दिया गया। पटटे के निरस्तीकरण का मामला अभी भी डी0एम0 ज्ञानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

38—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री प्रथम सत्र 81 के तीसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0 57 के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि शौकत तथा उनके खानदान के पास दसियों एकड़ जमीन भदोही में तथा आसपास है ? यदि हां, तो उन्हें लघु उद्योग (कालीन) के लिए इस जमीन को कैसे दिया गया ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री शौकत तथा उनके खानदान के दस व्यक्तियों के नाम से भदोही तथा आसपास के 6 ग्रामों में कुल 11 बीघा 11 बिस्वा 5 धुर भूमि अभिलेखों में अंकित है ? भूमि प्रबन्धक समिति ने कई बार जांच के उपरान्त ही पट्टा देने का प्रस्ताव पारित किया था। ए0डी0एम0, ज्ञानपुर के निर्णय के उपरान्त ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

ए० डी० एम० फाइनेंस, वाराणसी द्वारा पट्टे की स्वीकृति तथा खतौनी में शौकत अली भदोही, वाराणसी का नाम दर्ज करने का आदेश

39—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 3रे शुक्रवार के अता0प्र0सं0 56 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 22–2–79 को ज्ञानपुर में ए0डी0एम0 का कोई पद नहीं था ? क्या यह सत्य है कि ए0डी0एम0 फाइनेंस, वाराणसी ने यहां की स्वीकृति तथा खतौनी में शौकत अली भदोही, वाराणसी का नाम दर्ज करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो ए0डी0एम0 फाइनेंस के कार्यों की जांच की जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। दिनांक 22–2–79 को ज्ञानपुर में ए0डी0एम0 का कोई पद नहीं था। यह सत्य नहीं है कि ए0डी0एम0 फाइनेंस वाराणसी ने पट्टा की स्वीकृति तथा खतौनी में शौकत अली, भदोही, वाराणसी का नाम दर्ज करने का आदेश दिया। जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम लखनपुर उर्फ अभयनपुर की आराजी पर परिवर्तन आदेश

40—श्री ऊदल—

प्रथम सत्र 81 के तीसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 58 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत आदेश की नकल जो उनके कार्यालय में आ गयी है उस पर क्या कार्यवाही की गयी और सन् 1383 से 1388 फ0 ग्राम लखनपुर उर्फ

अभयनपुर की आराजी पर परिवर्तन आदेश किस अधिकारी ने जांच पड़ताल करके दिए हैं ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? और इस मामले में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

चूंकि मामला अभी तक ए0डी0एम0 ज्ञानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। अतः निर्णय होने के पूर्व उस पर कोई कार्यवाही करना न्यायसंगत नहीं है। फसली 1383 से 1388 फ0 ग्राम लखनपुर उर्फ अभयनपुर की आराजी परिवर्तन आदेश नायब तहसीलदार, डी0जी0सी0(माल) वाराणसी, तथा तहसीलदार ज्ञानपुर की संस्तुति पर परगनाधिकारी, ज्ञानपुर ने दिनांक 15-1-79 को दिए। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण किसी प्रकार की जांच अथवा कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

गांव विजयपुर, जिला वाराणसी में प्लाट नं० 8 पर भूस्वामियों का कब्जा तथा राजवाहा नई बस्ती वन भूमि का राजस्व विभाग को हस्तान्तरण

41---श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव विजयपुर बिजौरा, ब्लाक नौगढ़ तहसील चकिया, जिला वाराणसी में प्लाट नं0 8 में स्कूल व भूमिहीनों को बसाने के लिए छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त प्लाट पर भूस्वामी कब्जा कर रहे हैं, खलिहान कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? क्या नौगढ़ पुलिस भूस्वामियों की मदद कर रही है ? क्या यह सत्य है कि राजवाहा नई बस्ती को अब तक रेवेन्यू में नहीं घोषित किया गया, अब भी वन भूमि है, इसका क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील---

यह बात सही है कि प्लाट नं0 8 स्कूल व भूमिहीनों को बसाने के लिए छोड़ा गया है। इसी भूमि में उनके अन्य सार्वजनिक कार्य भी होंगे जिसका ध्यान भूमि प्राप्त करते समय रखा गया था। उक्त प्लाट नं0 8 में भूस्वामी नया कब्जा नहीं कर रहे हैं बल्कि भूस्वामियों में से 7 व्यक्तियों ने अपने अपने मकान सन् 1978 में ही बना लिए थे तब से वे बराबर उसी रूप में काबिज हैं। चूंकि वे लोग मकान बना लिए हैं तथा काश्त करते हैं तो खाली पड़ी हुई भूमि पर खलिहान रखना स्वाभाविक है।

उक्त भूमि अब भी ग्राम अभिलेखों में वन विभाग के नाम अंकित है तथा प्लाट नं0 8 में बसे हुए व्यक्ति ग्राम विजयपुर, बिजौरा के ही हैं, नौगढ़ पुलिस द्वारा भूस्वामियों की मदद किए जाने का कोई मामला अभी नोटिस में नहीं आया है।

राजवाहा नई बस्ती को अभी राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है। यह भूमि अभी अभिलेखों में वन भूमि अंकित है। अतः उक्त क्षेत्र में राजस्व ग्राम के सृजन विषयक कार्यवाही तभी सम्भव है जब भूमि का स्वामित्व वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तान्तरित हो जाय।

तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के प्रधान श्री सीताराम मौर्य के कार्यकाल की सभी आवंटित जमीनों की जांच

42---श्री ऊदल---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनपुर उर्फ अभयनपुर परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के प्रधान सीताराम मौर्य ने अपने कार्यकाल में गांव सभा की सम्पत्ति अपने लड़के बृजमोहन पुत्र सीताराम व अपने पिता तेजई राम पुत्र जगरूप मौर्य के नाम 6 एकड़ जमीन आवंटित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभापति के कार्यकाल की सभी आवंटित जमीनों की जांच कराएगी ? क्या यह सत्य है कि उक्त आवंटित भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा मो0 रहीम एण्ड सन्स, कारपेट कम्पनी प्रा0 लि0, भदोही, वाराणसी को बेंच भी दिया है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रधान श्री सीताराम मौर्य ने अपने कार्यकाल में गांव सभा की 2 बीघा 7 बिस्वा 10 धुर भूमि का पट्टा अपने लड़के जगमोहन के पक्ष में तथा 2 बीघा 3 बिस्वा 13 धुर भूमि का पट्टा अपने पिता श्री तेजई राम पुत्र जगरूप के पक्ष में करके अपने लड़के व पिता के नाम कुल 4 बीघा 11 बिस्वा 3 धुर (3 एकड़) भूमि का कृषि हेतु पट्टा किया है। उक्त प्रधान के कार्यकाल की सभी आवंटित जमीनों की जांच की गयी। 22 पट्टे अनियमित होने के फलस्वरूप उनकी मंसूखी की धारा 198—4 की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यवाही के अन्तर्गत प्रधान के पिता एवं उनके लड़के के साथ हुए पट्टे भी सम्मिलित हैं।

प्रधान के पिता तेजई राम की मत्यु हो गयी है। अतः उनकी भूमि प्रधान के तीनों भाई, सीताराम, दाताराम एवं शिवशंकर के नाम कागजात माल में वरासत के द्वारा दर्ज हो गयी थी। प्रधान के भाई ने आवंटित भूमि संख्या 458 रकबा 18 बिस्वा 5 धुर में से अपने हक का बैनामा रजिस्ट्री कमरन्निसा पत्नी नसरूद्दीन, रियाज अहमद, नसरुद्दीन एवं शेख महमूद पुत्रगण अब्दुल हमीद, हजारा बेगम पत्नी अब्दुल हमीद, एजाज अहमद, फैयाज अहमद पुत्रगण मुहम्मद सईद, सबीबुलनिसा पत्नी फजलुल पुत्र शाह मोहम्मद, निवासी बाजार सरदार खां के पक्ष में दिया है। इस प्रकार से उक्त भूमि का मो0 रहीम एण्ड सन्स कार्पेट कम्पनी के नाम कोई बैनामा नहीं हुआ है बल्कि उपरोक्त व्यक्ति उक्त कम्पनी से सम्बन्धित हैं ?

43—श्री ऊदल—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिक्री-कर अधिकारियों का स्थानान्तरण

44—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि बिक्री-कर विभाग में बिक्री-कर अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने जुलाई, 1980 तक अपनी नियुक्ति के लिए जिले में तीन साल के ऊपर की अवधि व्यतीत की ? इन अधिकारियों का स्थानान्तरण 3 वर्ष बाद के बावजूद भी किस कारण क्यों नहीं किया गया ? इस अनियमितता के लिए कौन उच्च अधिकारी जिम्मेदार है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां।

ऐसे अधिकारी जिन्होंने एक ही जनपद में जुलाई, 1980 तक 3 वर्ष से अधिक की तैनाती अवधि पूर्ण कर ली थी, उनमें से अधिकांश अधिकारी को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया था ? कुछ अधिकारियों को प्रशासनिक कारणों से अथवा राजकीय कार्य हित में तथा कुछ को उनकी व्यक्तिगत पारिवारिक कठिनाइयों के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया।

इस विषय में कोई अनियमितता नहीं हुई और न ही कोई उच्च अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है।

निबन्धन विभाग में अधिकारियों की कुल सख्या तथा अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति का कोटा

45—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धन विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के कितने पद हैं ? इनमें कितने अनुसूचित जाति एवं कितने पिछड़ी जाति के हैं ? क्या आरक्षण कोटा नियमों के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

निबन्धन विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या 8 है जिसमें इस समय किसी पद पर अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है। महानिरीक्षक निबन्धन के एक एवं अपर महानिरीक्षक निबन्धन के दो पद पर आरक्षण का प्रश्न नहीं है। उप महानिरीक्षक निबन्धन के पांच पदों में एक पद अनुसचित जाति के लिए आरक्षित है। शासन की अधिसूचना सं0 एस0आर0 3087/दस–96(एम0) 77, दिनांक 31–7–1980 द्वारा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति किए जाने के आदेश प्रसारित किए गये थे। उनकी नियुक्ति के विरुद्ध लोक सेवा अधिकरण में रिट याचिका दायर की गयी है, जो विचाराधीन है। लोक सेवा अधिकरण के आदेश के अनुसार उक्त अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्थगित की गयी है।

वाराणसी के ग्राम लखनपुर तथा फिखारीपुर की ग्राम सभाओं की भूमि का ग्राम प्रधान श्री सीताराम द्वारा अपने परिवारजनों के नाम कराए गये अनियमित पट्टे तथा उक्त भूमि पर भूमि राजस्व का निर्धारण

46—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नं0 81, 201, 371, 372, 458 गांव लखनपुर उर्फ अमयनपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर,जिला वाराणसी के बारे में परगना हाकिम ज्ञानपुर ने पुनः 4–12–76 को आदेश दिया कि खाते का नवीन भूराजस्व 21–65 रूपये निर्धारित किया गया ? क्या यह भी सही है कि आदेशानुसार 40 का0 व मुजिब 4-क 11-क मृतक तेजई पुत्र जगरूप के स्थान पर सीताराम व दाताराम व शिवशंकर का नाम वरासतन दर्ज हो यह आदेश 25–1–81 का है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

भू-राजस्व अभिनवीकरण के अनुसार संशोधित मालगुजारी के अन्तर्गत तत्कालीन परगनाधिकारी, ज्ञानपुर ने दिनांक 4–12–76 से खाते की नवीन भूराजस्व बमुजीब 60 ख' 21–65 रुपए निर्धारित किया है।

यह सही है कि तत्कालीन प0का0 ने बमुजीब प-क–11 से मृतक तेजई पुत्र जगरूप के स्थान पर सीताराम, दाताराम व शिवशंकर पुत्रगण तेजई निवासी स्थानीय का नाम बरासतन दर्ज करने का आदेश दिनांक 25–1–81 को दिया है।

47—श्री ऊदल—

क्या सरकार ने इसकी जांच की कि सीताराम गांव लखनपुर उर्फ अमयनपुर का प्रधान था और गांव समाज की भूमि को अपने पिता तेजई के नाम यहां फर्जी तरीके से कराया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र मा0 राजस्व मन्त्री को 23 सितम्बर, 81 को गांव भिखारीपुर एवं लखनपुर उर्फ अमयनपुर की जमीन को हड़पने आदि के सम्बन्ध में लिखा है ? उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार सभी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं प्रधान के कार्यों की जांच करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

इसकी जांच की गयी कि सीताराम ग्राम लखनपुर उर्फ अमयनपुर का प्रधान होते हुए भी उसने अपने पिता तेजई के नाम पट्टा किया है।

इसके विरुद्ध धारा 198(4) की कार्यवाही की गयी है, जो अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

दिनांक 23–9–81 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकरण से सम्बन्धित एक दिनांक रहित पत्र अक्तूबर, 81 में शासन को प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में माननीय विधायक को शासन के अशासकीय पत्र सं0 वी–773/1-2/81 दिनांक 26–11–81 द्वारा उत्तर दिया जा चुका है।

ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर में आवंटित भूमि के आवंटियों की जांच की गयी जिसमें 22 पट्टे अवैधानिक पाए गये (जिसमें सीताराम प्रधान के पिता तेजई राम व पुत्र जगमोहन भी सम्मिलित हैं) के विरुद्ध धारा 198(4) की कार्यवाही कर दी गयी है, जो अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), ज्ञानपुर के न्यायालय में विचारधीन है ?

48—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव भिखारीपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की आराजी नं0 140/2, 143/2, 144, 145, 149, 214/2 गांव सभा की सम्पत्ति रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस जमीन को जगमोहन पुत्र सीताराम, गांव लखनपुर उर्फ अभयनपुर, परगना भदोही के नाम किया गया है ? क्या यह भी सही है कि परगनाधिकारी, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी ने 8-12-76 को आदेश देकर खाते का नवीन भू-राजस्व 16.25 पैसा किया है और इसके पहले लेखपाल, कानूनगो एवं नायब तहसीलदार, तहसीलदार की संस्तुति पर इसका पट्टा लखनपुर उर्फ अभयनपुर के प्रधान सीताराम के पुत्र के नाम किया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

यह सत्य है कि ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर के प्रधान श्री सीताराम ने भू0पू0 स0 का प्रस्ताव ग्राम भिखारीपुर एवं लखनपुर उर्फ अभयनपुर के ग्राम समाज की जमीन का पारित किया है जिसमें से ग्राम भिखारीपुर की उक्त जमीन का पट्टा अपने लड़के जगमोहन पुत्र सीताराम के नाम किया है ।

भू-राजस्व अभिनवीकरण के अनुसार संशोधित मालगुजारी के अन्तर्गत 60-ख पर पर तत्कालीन परगनाधिकारी, ज्ञानपुर ने अपने आदेश दिनांक 8-12-76 के द्वारा नवीन भू-राजस्व 16.25 पैसा निर्धारित किया है ।

लेखपाल/सचिव ने उक्त प्रस्ताव को अग्रसारित किया है तथा तत्कालीन पर्यवेक्षक कानूनगो/नायब तहसीलदार ने क्रमशः दिनांक 3-1-76 व 4-1-76 को अपनी संस्तुति के साथ तत्कालीन परगनाधिकारी के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया और उक्त संस्तुति के आधार पर तत्कालीन परगनाधिकारी, ज्ञानपुर ने दिनाक 10-1-76 को स्वीकृत किया ।

49—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं0 81, 201, 371, 372, 458 गांव सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की सम्पत्ति रही है ? इसका पटटा सीताराम प्रधान ने अपने पिता तेजई पुत्र जगरूप के नाम किया था जिस पर परगनाधीश, ज्ञानपुर ने ता0 10-1-76 को गांव समाज का नाम खारिज करके तेजई का नाम दर्ज करने का आदेश और भूमि का लगान 12.26 पैसा निश्चित किया ? यदि हां, तो पट्टा देते वक्त लेखपाल, कानूनगो, ना0 तहसीलदार, तहसीलदार एवं परगनाधीश ने जांच क्यों नहीं किया कि तेजई प्रधान सीताराम के पिता हैं ? क्या सरकार अब इस मामले की जांच करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

यह सत्य है कि प्रश्नगत आराजी नम्बरान का पटटा सीताराम प्रधान ने अपने पिता तेजई पुत्र जगरूप के नाम किया था और यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में परगनाधीश, ज्ञानपुर द्वारा 12.26 पैसा लगान निश्चित कर दिनांक 10-1-76 के आदेश के आधार पर पर्यवेक्षक कानूनगो के आदेश दिनांक 13-2-76 के द्वारा तेजई पुत्र जगरूप का नाम बतौर सीरदार दर्ज हुआ और उक्त नम्बरान से ग्राम समाज का नाम खारिज किया गया । प्रश्नगत मामले में जांच के दौरान अनियमित पाए गये पट्टों के निरस्तीकरण का मुकदमा न्यायालय

में विचाराधीन है। अतः न्यायालय के निर्णय के बाद किसी कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अथवा अन्य किसी प्रकार की जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

रामपुर जनपद में पनवाड़िया 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र में अग्निकाण्ड

50—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जनपद में पनवड़िया 132 के0वी0 विद्युत् सब स्टेशन पर 22-5-81 को किस कारण से आग लगी और इससे कितना नुकसान हुआ ? क्या आग लगने के कारणों की कोई जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

दिनांक 22 मई, 1981 को रामपुर जनपद में पनवाड़िया 132 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र पर एक 11 के0वी0 'इनकमिंग" स्विचगियर के केबिल बाक्स में खराबी पैदा हो जाने के कारण आग लगी। उक्त अग्निकाण्ड में क्षतिग्रस्त उपकरणों को बदलने एवं मरम्मत कराए जाने पर लगभग रु0 55,000 का व्यय हुआ।

जी हां। उक्त अग्निकाण्ड के कारणों की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा कराई गयी। इस समिति में एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं दो अधीक्षण अभियन्ता थे। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार उक्त दुर्घटना 11 के0 वी0 'इनकमिंग' स्विचगीयर के केबिल बाक्स का 'इनसुलेशन' वर्षा के कारण खराब हो जाने के कारण हुई। उक्त दुर्घटना के लिए किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया।

जनपद हरदोई में विद्युत् देयों के बकाएदारों की सूची

51—श्री हरीशंकर—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि 30-9-81 को हरदोई जिले में 60 हजार रुपए से अधिक बिजली के कितने बकाएदार हैं तथा उनके नाम व पते क्या हैं ? उक्त बकायेदारों से धन की वसूलयाबी हेतु बिजली विभाग व सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

हरदोई जनपद के विद्युत् वितरण खण्ड में 30-9-81 तक 5 विद्युत् उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर विद्युत विभाग का रु0 60,000 या उससे अधिक बकाया था जिसकी वसूली के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है। वांछित विवरण तालिका 'क' में संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 776-779 पर)।

52—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

53—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

54—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

सीतापुर नगर में कटोली फीडर तथा हरिगांव फीडर की ऊर्जा बढ़ाकर बाहरी फीडर बनाने पर विचार

55—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर में कटोली फीडर तथा हरिगांव फीडर की कुछ ऊर्जा बढ़ाकर बाहरी फीडर बनाने के बारे में प्रश्नकर्ता का कोई मांग-पत्र दिनांक 2 जुलाई, 80 को मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेंडी में विद्युतीकरण

56—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड, खैराबाद तथा परसेंडी के जो गांव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन दोनों ब्लाक नं0 1 में हैं, विद्युतीकरण हेतु चयनित किए गये थे उनमें से ऐसे गांव कौन-कौन हैं जिनका विद्युतीकरण हो गया है तथा शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक हो जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेंडी के 132 ग्राम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयन किए गये थे जिनमें से 85 ग्रामों का विद्युतीकरण 30 दिसम्बर, 1981 तक किया जा चुका है (सूची संलग्न)। शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चल रहा है तथा योजनाकाल की बची हुई लगभग दो वर्ष की अवधि में कर दिए जाने की सम्भावना है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 780 पर।)

57—श्री राजेन्द्र कुमार—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

आई०आर०डी० तथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अधीन भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर में ऋण वितरण

58—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर की जिले की समस्त शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 1980–81 में कुल कितना कर्ज बांटा गया तथा उसमें आई0आर0डी0, अन्त्योदय तथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अधीन कितना-कितना कर्ज बटा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर की जिले की समस्त शाखाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 में कुल 181.15 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया जिसमें से आई0आर0डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 73–09 लाख रुपए तथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत 49.07 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण वितरण नहीं किया गया।

59—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

60–61—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

'सी' श्रेणी के नगरों के राजकीय कर्मचारियों को आवास भत्ता

62—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 'सी' श्रेणी के नगरों के राजकीय कर्मचारियों को आवास भत्ता सरकार स्वीकृत करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

यह मामला शासन के विचाराधीन है।

सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद के ग्राम परसोहिया में विद्युत् लाइन बिछाने हेतु दिया गया मुआवजा

63—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद के ग्राम परसोहिया में बिजली की लाइन बिछाने हेतु श्री बाबू राम के जो पेड़ काटे गये थे क्या उनका मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

सितम्बर, 1980 में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64—श्री विजय सिंह—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती सोनमती देवी द्वारा उनके पति को चिकित्सा अवकाश से लौटने पर कार्यभार ग्रहण न करने देने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

65—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सोनमती देवी ने अपने पति श्री परमहंस मल्ल (विकलांग) सीनियर एकाउन्टेंट, क्षेत्रीय लेखाधिकारी, गोरखपुर के उत्पीड़न सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र दिनांक 7-7-81 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 16—7—81 को मन्त्री जी की सेवा में प्रेषित किया है ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । श्रीमती सोनमती देवी की मुख्य शिकायत यह थी कि उनके पति के चिकित्सा अवकाश से लौटने पर मण्डलीय चिकित्सा परिषद्, गोरखपुर द्वारा दिए गये स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया जिससे उनके पति का 11 माह से वेतन रुका है । चूंकि श्री परमहंस मल्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियम के विपरीत एवं निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था अतः उन्हें कार्य पर नहीं लिया जा सका । उक्त शिकायती-पत्र प्राप्त होने के पूर्व से ही इस मामले पर विचार किया जा रहा था और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा जा चुका है ।

जनपद गोंडा, तहसील तरबगंज में कार्यरत लेखपाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

66—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा तहसील तरबगंज हल्का क्षेत्र परसपुर में कार्यरत लेखपाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा जमीन की चोर-बाजारी के सम्बन्ध में दिनांक 30—3—81 व 20—6—81 को श्री हरिद्वार प्रसाद ने कोई शिकायती-पत्र आपकी सेवा में भेजा है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

लेखपाल तहसील तरबगंज क्षेत्र परसपुर, जनपद गोण्डा के विरुद्ध श्री हरिद्वार प्रसाद का राजस्व मन्त्री जी को सम्बोधित शिकायती-पत्र दिनांक 15-3-81 तथा मुख्य मन्त्री जी

को सम्बोधित शिकायती-पत्र दिनांक 30–4–81 प्राप्त हुआ था। इन पत्रों की जांच कराई गयी। लेखपाल के विरुद्ध लगाए गये आरोपों में से भा0दं0सं0 की धारा 218 के अन्तर्गत दायर इस्तगासे में न्यायालय द्वारा 300 रु0 जुर्माना किए जाने का आरोप सही था।

दंडित मामले में लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उसे वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर प्रत्यावर्तित किया गया था शिकायती प्रार्थना-पत्र में लगाए गये अन्य आरोप असत्य पाए गये।

विद्युत परिषद् के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

67—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री नन्द किशोर सिंह ने अपने पत्र दिनांक 29–6–81 तथा प्रश्नकर्ता के अपने पत्र दिनांक 30–5–81 के साथ विद्युत परिषद् के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं उक्त पदों पर अनियमित ढंग से कार्यरत रहने सम्बन्धी शिकायती-पत्र आपको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध हैं तथा शिकायत पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुनील शास्त्री—

दोनों पत्रों में से कोई भी पत्र शासन में प्राप्त हुए नहीं पाए गये। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

68—श्री यदुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बिक्री-कर कार्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल तथा मांगें

69—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर बिक्रीकर कार्यालय में बाबू लोगों की हड़ताल तारीख 18–2–81 और 19–2–81 को हुई थी जिसके कारण करदाताओं को बड़ी परेशानी हुई थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह हड़ताल बाबू लोगों और अधिकारियों के बीच मारपीट के कारण हुई थी?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां, करदाताओं को इस कारण परेशानी हुयी नहीं प्रतीत होती। यह हड़ताल बिक्रीकर अधिकारी श्री रामपाल सिंह व श्री वी0 एन0 बाजपेई, मुख्य लिपिक के बीच वाद-विवाद के उग्र रूप धारण करने के फलस्वरूप हुई थी? अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच मारपीट नहीं हुई थी।

70—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि बाबू लोगों की क्या मांगें थीं और उन पर क्या निर्णय हुआ? करदाताओं का जो नुकसान हुआ, उसका प्रतिकर कैसे किया गया?

श्री ब्रह्मदत्त—

कर्मचारी संघ ने श्री रामपाल सिंह, बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार और अपमान करने का आरोप लगाया और उन्हें तुरन्त हटाने की मांग की थी। घटना की जांच के दौरान संबंधित मुख्य लिपिक ने लिखित रूप से खेद प्रकट किया। अतः इस बारे में कोई अन्य कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। करदाताओं को इस कारण नुकसान होने अथवा प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता।

लाटरी विभाग के प्रचार हेतु कलेंडर की स्वीकृति

71—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1980 में लाटरी विभाग के प्रचार के लिए दस हजार स्टील कलैण्डर छपवाने हेतु 1 लाख 56 हजार 6 सौ रुपया स्वीकृत किया था? क्या यह सही है कि विभाग ने स्टील के बजाय टीन कलैण्डर छपवाये जिसका बाजार मूल्य केवल प्रति कलैण्डर तीन रुपये है और सारा रुपया निकाल लिया? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं। 10,000 टिन कलैण्डर छपवाने हेतु रु0 1 लाख 60 हजार की स्वीकृति दी गई थी। स्टील कलेण्डर बनवाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। कलैण्डर कोटेशन प्राप्त करके निम्न दर पर लिये गये थे। अतः उसका बाजार मूल्य प्रति कलैण्डर रु0 3 होने का प्रश्न नहीं है। भुगतान फर्म से बिल प्राप्त होने पर उसकी पूर्ण जांच करने के पश्चात किया गया।

विद्युत सेवा आयोग द्वारा अवर वर्ग लिपिक पद पर चयन हेतु आयोजित परीक्षा की जांच एवं कृत कार्यवाही

72—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत सेवा आयोग द्वारा दिनांक 25 एवं 26 सितम्बर, 81 को अवर वर्ग लिपिक पद पर चयन हेतु आयोजित परीक्षा में कितने व्यक्ति बैठे थे तथा इसका विज्ञापन किन-किन समाचार-पत्रों में निकाला गया था तथा क्या परिषद के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों के सम्मिलित होने हेतु कोई सर्कुलर जारी किया गया था? यदि हां, तो यह परीक्षा कितने पदों हेतु आयोजित की गयी थी?

श्री सुनील शास्त्री—

इस परीक्षा में केवल 19 व्यक्ति बैठे थे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न तो समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला गया था और न ही कोई सर्कुलर जारी किया गया था।

73—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या इस परीक्षा में पक्षपात किये जाने के कारण इस परीक्षा को रोकने एवं जांच तथा कार्यवाही हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या परीक्षा को रोककर जांच एवं कार्यवाही की गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। कुछ अन्य पत्र भी इस सम्बन्ध में प्राप्त हुये थे। पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि संबंधित परीक्षा, परिषद मुख्यालय में अवर वर्ग सहायकों के पदों के विरुद्ध लम्बे समय से तदर्थ रूप से कार्यरत व्यक्तियों को नियमित करने के उद्देश्य से, परिषद मुख्यालय सेवा नियमावली 1969 में अवरवर्ग सहायक के पद हेतु निर्धारित पाठ्य विवरण एवं स्तर के अनुसार परिषदीय कार्यवाही में ली जा रही थी, अतः इस परीक्षा को रोकने का औचित्य नहीं पाया गया।

मुख्य अभियन्ता द्वारा पाण्डुलिपिकों की पदोन्नति

74—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) द्वारा जुलाई, 80 में कनिष्ठ पाण्डुलिपिक से वरिष्ठ पाण्डुलिपिक के पद पर तथा अक्तूबर, 81 में वरिष्ठ पाण्डुलिपिक से मुख्य सहायक पद पर तथा अक्तूबर, 81 में वरिष्ठ पाण्डु-

लिपिक से मुख्य सहायक के पद पर पदोन्नति में वरिष्ठ कर्मचारियों की उपेक्षा कर उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जुलाई, 1980 में कनिष्ठ पाण्डुलिपिकों की पदोन्नति वरिष्ठ पाण्डु लिपिकों के पद पर वरिष्ठता की घोषित पद क्रम सूची के आधार पर ही की गई है। केवल एक कर्मचारी को उनकी लम्बी अनाधिकृत छुट्टी के कारण पदोन्नति नहीं किया गया । विद्युत सेवा आयोग के जिन व्यक्तियों को मुख्य सहायक के पद हेतु चयन किया था उन्हें ही अक्तूबर, 81 में मुख्य सहायक के पद पर प्रोन्नति की गयी। केवल दो वरिष्ठ लिपिकों का चयन उनके मामले में संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया गया था जिनके लिये दो पद रिक्त छोड़ दिये गये थे। सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध हो जाने पर उन दोनों लिपिकों का भी चयन कर लिया गया और उनकी प्रोन्नति के आदेश 9–12–81 को जारी कर दिये गये।

तहसील बरेली, जिला बरेली में प्रतिकर वसूल करने के आदेश

75—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बरेली, जिला बरेली में 1979–80 व 1980–81 में क्रमशः उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122-ख के अन्तर्गत कुल कितना प्रति कर वसूल करने के आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किये जा चुके हैं ? इसमें से कितना प्रतिकर वसूल हो चुका है, और कितने मामलों में धारा 122–ख, उपधारा (3) के अनुसार प्रतिकर को मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करने के आदेश पारित किये गये हैं।

श्री बैजनाथ कुरील—

जिला बरेली, तहसील बरेली से सम्बन्धित वर्ष 1979–80 में 106 मामलों मु रु0 11500.50 व वर्ष 1980–81 में 241 मामलों में रुपया 82314.00 प्रतिकर वसूली के आदेश पारित किये गये जिसमें से क्रमशः रुपया 1167.50 व रु0 2471.04 की वसूली की जा चुकी है।

उपरोक्त सभी मामलों में बकाया धनराशि को मालगुजारी के रूप में वसूल किये जाने के आदेश दिये गये हैं। परन्तु इनमें 49 मामले न्यायालय द्वारा स्थगित किये गये हैं जिनमें 16285.00 रुपये की धनराशि निहित है।

तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर में प्रतिक वसुल करने के आदेश

76—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर में वर्ष 1979–80 व वर्ष 1980–81 में क्रमशः उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122–ख के अन्तर्गत कुल कितना प्रतिकर वसूल करने के आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किये गये ? इसमें से कितना प्रतिकर वसूल हो चुका है और कितने मामलों में धारा 122–ख उपधारा (3) के अनुसार प्रतिकर को मालगुजारी बकाया के रूप में वसूल करने के आदेश किये गये हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1979–80 में रु0 5,52,549.03 तथा वर्ष 1980–81 में रु0 3,58,458.03 धनराशि के प्रतिकर वसूल करने के आदेश पारित हुए, जिसमें से क्रमशः रु0 1,20,875.85 तथा रु0 1,51,241.30 की धनराशि वसूल हो चुकी। इस

प्रकार के सभी प्रतिकर जिन्हें न्यायालय में ही नहीं जमाकर दिया जाता, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किये जाने का प्राविधान है और तदनुसार वसूली की जाती है।

तहसील बहेड़ी जिला बरेली में प्रतिकर वसूल करने के आदेश

77—श्री जगदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बहेड़ी जिला बरेली में वर्ष 1979–80 व 1980–81 में क्रमशः उ0प्र0 जमींदारी निकास और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122–ख के अन्तर्गत कुल कितना प्रतिकर वसल करने के आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किये जा चुके हैं? इसमें से कितना प्रतिकर वसल हो चुका है और कितने मामलों में धारा 122–ख उपधारा (3) के अनुसार प्रतिकर को मालगुजारी के रूप में वसूल करने का आदेश पारित किये गये हैं?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना ऐकत्र की जा रही है।

बदायूं जनपद में 132 के० वी० विभव पर विस्तार

78—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा विद्युत विभाग से जनपद बदायूं में 66 के0वी0 की शक्ति को बढ़ाकर 132 के0 वी0 किया किया गया था? यदि हां, तो कब और 132 के0वी0 शक्ति जनपद में सुचारुरूप से कार्य कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

बदायूं जनपद में स्थापित 66 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का 132 के0 वी0 विभव पर विस्तार अभी नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

66 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बदायूं का 132 के0वी0 विभव पर विस्तार का कार्य प्रगति पर है। आशा की जाती है कि यह उपकेन्द्र 132 के0 वी0 विभव पर जनवरी 1982 के अन्त तक चालू हो जायेगा।

जनपद बरेली व जनपद बदायूं के बिक्रीकर विभाग में एक ही पटल पर कार्यरत कर्मचारी

79—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद बरेली व जनपद बदायूं में बिक्री-कर विभाग में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही पटल पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो कितने और किस आधार पर, ? क्या श्री राम लाल लिपिक का बदायूं से 1972 एवं 1975 में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया था? यदि हां, तो वर्ष 1981 में काशीपुर से बदायूं को किस आधार पर उनको स्थानान्तरित किया गया और क्या श्री डी0पी0एस0 गौतम, लिपिक बरेली में गत 15 वर्ष से तथा स्थापना पटल पर 8 वर्ष से कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां, जनपद बरेली व बदायूं में क्रमशः 16 तथा 4 तृतीय श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं जो तीन वर्षों से अधिक अवधि से एक ही पटल पर कार्यरत हैं। जनपद बरेली में इन 16 कर्मचारियों के पास कोई पब्लिक डीलिंग कार्य न होने के कारण इनके पटल को बदलने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। इसी भांति जनपद बदायूं में दो कर्मचारियों के विकलांग होने तथा एक कर्मचारी के पास लेखा पटल का कार्य होने के कारण पटल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी गयी। शेष एक कर्मचारी को अगस्त, 1981 में ही तीन वर्ष पूरे हुए हैं।

जी हां, वर्ष 1980 में मुख्यालय के आदेश दिनांक 14–12–80 द्वारा इनकी पदोन्नति के फलस्वरूप काशीपुर कार्यालय में सरप्लस होने के कारण उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर, बरेली के आदेश दिनांक 29–1–81 द्वारा श्री रामलाल को बदायूं कार्यालय में समायोजित किया गया ।

जी नहीं। श्री डी0पी0एस0 गौतम दिनांक 27–7–68 से अब तक मण्डल कार्यालय बरेली सहायक आयुक्त (शा0) बिक्री-कर बरेली तथा कार्यालय उपायुक्त (शा0) बिक्री-कर, बरेली में भिन्न-भिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। इस प्रकार श्री गौतम बरेली रीजन में भिन्न-भिन्न कार्यालयों में स्थापना पटल पर कुल 7 वर्ष 6 माह 14 दिन कार्यरत रहे। परिक्षेत्रीय उपायुक्त द्वारा तदर्थ पदोन्नति करने तथा मुख्यालय द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर बरेली में ही पद रिक्त होने के कारण श्री गौतम की पदोन्नति करके तैनाती की गयी है।

80—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कोटद्वार (गढ़वाल) मण्डल के व्यापारिक संस्थाओं के हिसाब में गड़बड़ी से अपवंचित विक्रय धन तथा जारी किए गये वसूली प्रमाण-पत्र

81—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980–81 में बिक्री-कर अधिकारी कोटद्वार (गढ़वाल) ने 15 व्यापारिक संस्थानों के हिसाब में गड़बड़ी पाए जाने पर रु0 38,15,000 का कर अपवंचक पकड़ा है ? यदि हां, तो सरकार को उसमें कितना राजस्व अब तक प्राप्त हुआ और कितना धन अवशेष है अवशेष धन की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक पूर्ण राजस्व उक्त संस्थाओं से प्राप्त होने की आशा है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

कोटद्वार (गढ़वाल) मण्डलके 15 विभिन्न व्यापारिक संस्थानों के हिसाबों में गड़बड़ी पाए जाने पर कुल रु0 38,18,400 का अपवंचित विक्रय धन प्रकाश में आया है, जिस पर कर के रूप में रुपया 2,07,162 लगाया गया है। इस धनराशि में से अब तक कुल रुपया 82,285 राजकीय कोष में जमा हो चुका है और रुपया 1,24,877 अवशेष है जिसमें से रुपया 41,877 की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गये हैं तथा रुपया 83,000 की धनराशि के लिए व्यापारियों द्वारा सहायक आयुक्त (न्याय) से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गये हैं। विभिन्न व्यापारियों द्वारा दायर अपीलों के फलस्वरूप स्थगित धनराशि 83,000 रुपए की वसूली अपीलों के फैसले के बाद ही सम्भव हो सकेगा।

जनपद इटावा के बिक्रीकर कार्यालय में फर्जी चालानों द्वारा जमा किए गये राजस्व के मामले में तृतीय श्रेणी के निलम्बित कर्मचारी

82—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा के बिक्री-कर कार्यालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को बिक्री-कर के फर्जी चालानों द्वारा जमा किए गये राजस्व के मामले में निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि के फर्जी चालान किस वर्ष में पाए गये और क्या यह भी ही है कि 1–3–80 को इस सम्बन्ध में कोई पत्र मा0 सदस्य, लोक सभा मोहम्मद असरार अहमद ने महामहिम राज्यपाल के सलाहकार श्री इस्लाम अहमद को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर आयुक्त, बिक्री-कर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जनपद इटावा के बिक्री-कर कार्यालय में फर्जी चालानों द्वारा जमा किए राजस्व के मामले में तीन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी ।

फर्जी चालानों द्वारा वर्ष 1974–75, 1977–78 एवं 1978–79 के लिए जो धन-राशि गलत रूप से ट्रेजरी चालानों में दर्शायी गयी थी वह क्रमशः रु0 19,872.58, 87,476.19 तथा 34,473.01 है ।

जी हां, पत्र में उल्लिखित बातें निराधार पाई गयीं। चूंकि प्रश्नगत मामला धोखा-धड़ी का था, अतः इस सम्बन्ध में आयुक्त बिक्री-कर द्वारा स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। स्थानीय पुलिस द्वारा जांचोपरान्त न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है ।

बिक्री-कर विभाग बरेली की जीप दुर्घटना के समय कर्मचारी व अधिकारी

83—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

प्रश्नकर्त्ता के प्रथम सत्र 1981 के 7वें शुक्रवार के लिए ता0प्र0स0 13 (दिनांक 3–4–81) के सन्दर्भ में वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर विभाग, बरेली की जीप न0 यू0एस0ई0 6123 में दुर्घटना के समय कितने कर्मचारी एवं अधिकारी बैठे थे ? क्या वह ड्यूटी पर थे और क्या जीप सरकारी कार्य हेतु प्रयोग की जा रही थी ? क्या यह भी सही है कि दुर्घटना वाले दिन उपरोक्त जीप की लागबुक तत्कालीन बिक्री-कर अधिकारी, बरेली (श्री ए0डी0 शर्मा) द्वारा भरी गयी थी ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

दुर्घटना के समय जीप में ड्राइवर, श्री प्रेम सिंह रावत के अतिरिक्त कोई अन्य सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी नहीं बैठे थे ।

ड्राइवर दुर्घटना के समय ड्यूटी पर नहीं था जीप का प्रयोग सरकारी कार्य हेतु नहीं किया जा रहा था ।

दुर्घटना वाले दिनांक 6–12–77 को श्री ए0 डी0 शर्मा, तत्कालीन बिक्री-कर अधिकारी द्वारा जीप सरकारी कार्य हेतु प्रातः से अपराह्न 6 बजे तक प्रयोग की गई थी तथा उन्होंने उक्त दिनांक को की गयी केवल सरकारी कार्य से यात्रा से सम्बन्धित प्रविष्टि लाग-बुक में की थी। लाग-बुक भरे जाने में कोई अनियमितता नहीं थी इसलिए अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं है ।

ड्राइवर अनाधिकृत रूप से गाड़ी गैराज से निकाल कर ले गया था तभी दुर्घटना हुई।

84—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर के आबादी रहमानीपुरा के पास कच्चे रास्ते पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा

85—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खन्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में जगदीशपुर से बाजार शुकुल जाने वाली पक्की सड़क से तीन किलोमीटर के निकट से एक कच्चा रास्ता आबादी रहमानीपुरा भूखण्ड संख्या 1155 से भूखण्ड सं0 320, 321 से होकर जाती है जिस पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है जिसके कारण आवागमन में बड़ी असुविधा उत्पन्न हो गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में शासन को शिकायतें 30–9–81 तक प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम रसूलपुर जिला सुल्तानपुर के भूखण्ड नं0 1153–1155 में दर्ज ग्रामवासियों के नाम तथा मस्जिद की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

86—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर में आराजी नं0 1153–1155 में एक पक्की मस्जिद पुरानी स्थिति में है तथा उससे मिला कब्रिस्तान है ? यदि हां, तो तहसील के कागजात में इसका इन्द्राज है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर के भूखण्ड नं0 1153 पर श्री गुलाम मोहम्मद सुत दोस्त मोहम्मद तथा सियाराम सुत भवानी भीख, ग्राम निवासी का नाम अंकित है तथा ये लोग इस पर काबिज हैं। भूखण्ड सं0 1155 पर श्री अब्दुल वाहिद सुत मुस्तफा खां, ग्राम वासी का नाम दर्ज है तथा इनका मकान बना हुआ है। इस मकान से सटी हुई एक छोटी सी मस्जिद अत्यन्त जीर्णावस्था में है। दोनों भूखण्डों से मिला हुआ कोई कब्रिस्तान नहीं है अतः उसके ग्राम अभिलेखों में दर्ज होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा रसूलपुर जिला सुल्तानपुर के भूखण्ड ११५५ में वर्षा एवं बाढ़ से क्षति

87—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1980–81 में ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर ग्राम रसूलपुर के रहमानी पुरा नामक आबादी के भूखण्ड 1155 में वर्षा एवं बाढ़ से मकानों के गिरने की संख्या कितनी है तथा पीड़ितों को कितना गृह अनुदान एवं सहायता शासन द्वारा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद सुल्तानपुर की ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर के ग्राम रसूलपुर में रहमानीपुरा नाम का कोई पुरवा नहीं है। आराजी नम्बर 1155 ग्राम रसूलपुर में श्री वाहिद पुत्र मुस्तफा की भूमिधरी है, जिसमें केवल इन्हीं का मकान है, जो 1980–81 में अधिक वर्षा एवं बाढ़ से लेश मात्र भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, अतएव गृह अनुदान वितरण का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में भूखण्ड संख्या 787 में तथा उसके बाद तहसील के अभिलेखों में दर्ज नाम के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र तथा उस पर कृत कार्यवाही

88—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में भूखण्ड संख्या 787 वर्तमान 1130 बन्दोबस्त सोयम से साल 1356 फ0 तक तथा उसके बाद तहसील के अभिलेखों में किसके-किसके नाम दर्ज हैं ? क्या इस बारे में कोई शिकायती-पत्र अभिलेखों में उलट-फेर करने के सम्बन्ध में तारीख 3–10–81 तक शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में भूखण्ड संख्या 787 वर्तमान 1130 पर सन् 1955 के चकबन्दी बन्दोबस्त में तथा खतौनी 1356 फसली में शेर बहादुर खां, मुनीर खां पेसरान रहीम खां व उसमान खां, इन्द्रीस खां, पेसरान मनबब खां व अब्दुल रऊफ खां व मु0 आबिद खां पेसरान महावत खां साकिन देह दर्ज है। उक्त भूखण्ड संख्या 1130 पर इस समय सर्वश्री समीउल्लाह, हबीबउल्लाह, वसी-उल्ला व हमीदउल्ला बालिग व हारून नाबालिग आयु 14 साल संरक्षक पिता शेर बहादुर

व मुनीर खां पुत्र रहीम खां व उसमान खां पुत्र मनसब खां व आबिद खां पुत्र महावत खां व सिराज अहमद बालिग व रियाज अहमद नाबालिग उम्र 17 साल संरक्षक व पिता इदरीस खां, ग्रामवासी का नाम अंकित है। बन्दोबस्त सोयम 1337 फसली यानी 1929 में हुआ था। सन् 1955 में चकबन्दी बन्दोबस्त हुआ। चकबन्दी बन्दोबस्त के पूर्व इस भूखण्ड का पुराना नम्बर 787 था जिसका नवीन नम्बर 1130 हुआ। पुरानी व नवीन नम्बरान का क्षेत्र बराबर बराबर अर्थात् 1 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी है। इसकी नवैयत पहले भी बाग थी और वर्तमान समय में भी बाग ही है।

जहां तक इस बारे में कोई शिकायती-पत्र अभिलेखों में उलट-फेर करने के सम्बन्ध में तारीख 3-10-81 तक शासन को प्राप्त होने और उस पर की गयी कार्यवाही का प्रश्न है,, यह निवेदन है कि कागज में उलट-फेर के बारे में अब्दुल वाहिद खां पुत्र मु0 मुस्तफा खां निवासी रसूलपुर का एक आवेदन-पत्र दिनांक 26-6-80 जो श्रीमान माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ को सम्बोधित था, जिले में प्राप्त हुआ था और उस पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा जांचोपरान्त आख्या श्री हीरा लाल निजी सचिव अध्यक्ष विधान सभा को भेजी थी और श्री अब्दुल वाहिद खां शिकायतकर्त्ता को उनके उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26 जून, 1980 के सन्दर्भ में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 को सूचित कर दिया था कि जोत चकबन्दी अधिनयम के अन्तर्गत धारा-9 के प्रकाशन के पश्चात् कागजात में जो भी त्रुटियां शिकायतकर्ता को मिली हैं उसके सम्बन्ध में नियमानुसार 21 दिन के अन्दर आपत्ति की जाय तब तक ग्राम रसूलपुर में पड़ताल नहीं हुई थी और आशा की जाती थी कि 2, 3 माह में पड़ताल सम्भव होगी। ग्राम रसूलपुर का तरमीम शजरा कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया था। परन्तु अब शिकायतकर्त्ता यदि ग्राम के अभिलेख के वर्तमान इन्द्राज से असन्तुष्ट है तो अपनी आपत्ति नियमानुसार चकबन्दी क्रियाओं में धारा-9 जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग्राम रसूलपुर जिला सुल्तानपुर में आराजी संख्या 1153 श्री गुलाम मोहम्मद को पट्टे पर दी गयी भूमि

89—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में आराजी नं0 1153 खतौनी नं0 246, जो ग्राम समाज की आराजी थी और अब कब्रिस्तान है, को ग्राम समाज द्वारा श्री गुलाम मोहम्मद पुत्र दोस्त मोहम्मद को पट्टे पर दे दिया गया है? क्या यह सही है कि श्री गुलाम मुहम्मद पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के पास ग्राम महोना पश्चिम में आराजी नं0 72 व 113 भूमिधरी में इसके नाम है तथा वह लकड़ी का कारोबार करता है? यदि हां, तो क्या श्री गुलाम मुहम्मद भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार पट्टे को निरस्त करने के आदेश देने की कृपा करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर में गांव समाज की आराजी संख्या 1153 खतौनी संख्या 246, जिसमें कोई कब्रिस्तान नहीं है, ग्राम समाज द्वारा श्री गुलाम मोहम्मद पुत्र दोस्त मोहम्मद को, जो भूमिहीन की श्रेणी में आते थे, जून, 1970 में पट्टे पर दी गई थी। श्री गुलाम मोहम्मद के नाम ग्राम महोना पश्चिम में आराजी संख्या 72 व 113 की भूमिधरी नहीं है और उक्त पट्टा करते समय वे लकड़ी का कोई कारोबार नहीं करते थे। उनके नाम पर किया गया उक्त पट्टा नियमानुसार ही किया गया था। अतः उसे निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम मगरोरा, जिला सुल्तानपुर में खतौनी संख्या–51 में दर्ज नाम तथा व्यवस्था एवं प्रबन्ध हेतु जिला अधिकारी रायबरेली को निर्देश

90—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में मोहल्ला जहानाबाद निकट रंगमहल, दो पक्के मकानात व एक प्लाट जिसमें एक मकान का नम्बर 534 है, वह जिला सुल्तानपुर के ग्राम मंगरोरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना में खतौनी नं0 51 कब से किसके नाम है और वह किस प्रकार अर्जित किया गया है और क्या यह सत्य है कि उपरोक्त जमीन एवं मकानात एक विदेशी नागरिक के हैं और ऐनेमी प्रापर्टी है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । रायबरेली जनपद में मोहल्ला जहानाबाद निकट रंगमहल में स्थित दो पक्के मकानात संख्या 514 व 517 और मकान संख्या 514 से मिला हुआ दक्षिण तरफ एक खण्डहर श्री मकबूल हसन का था जिनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती अहमदी बेगम अपने तीन पुत्रों और एक पुत्री के साथ पाकिस्तान चली गयीं और उनके पाकिस्तान चले जाने के फलस्वरूप यह दोनों मकान और उससे मिला हुआ खण्डहर शत्रु सम्पत्ति हो गया और इसी प्रकार ग्राम मंगरोरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित खाता खतौनी संख्या–51 में पाक राष्ट्रिक श्रीमती अहमदी बेगम, सह-खातेदारिया का भाग भी शत्रु सम्पत्ति है जिनकी व्यवस्था, प्रबन्ध आदि के लिए जिलाधिकारी, सुल्तानपुर व रायबरेली को स्पष्ट निदेश भेजे जा चुके हैं ।

91—श्री राम आसरे वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम रसूलपुर जिला सुल्तानपुर में वारिसों के नाम भूमि का दाखिल खारिज

92—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व जन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में 1–4–81 से 15–4–81 के मध्य कितने भू-स्वामियों का देहान्त हुआ और उनके भू-खण्डों का दाखिल खारिज उनके वारिसों के नाम नहीं किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र 15–10–81 तक शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

दिनांक 1–4–81 से 15–4–1981 के मध्य ग्राम रसूलपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में श्रीमती लिहाजन पत्नी श्री अब्दुल वाहिद खां की मत्यु हुई । इनकी भूमि का दाखिल खारिज उनके वारिसों के नाम इस कारण नहीं हो सका क्योंकि ग्राम में चकबन्दी कराने हेतु चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 15–6–69 को प्रकाशित हुई । दाखिल-खारिज के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री जी को सम्बोधित श्री अब्दुल वाहिद खां का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5–10–81 जिला अधिकारी, सुल्तानपुर को राजस्व परिषद् के माध्यम से भेजा गया था । चकबन्दी अधिनियम की धारा–9 के प्रकाशन होने के पश्चात् ही इस मामले में दाखिल-खारिज की कार्यवाही करना सम्भव होगा ।

लेखपालों का अपने ग्राम में सार्वजनिक स्थान पर रहने के शासनादेश

93—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचलों में लेखपाल अपने क्षेत्रों में प्रायः नहीं रहते हैं जिसके कारण अभिलेखों आदि की नकलें लेने में अत्याधिक कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि लेखपाल प्रति सप्ताह निश्चित तिथि पर अपने विकास खण्डों के मुख्यालय पर उपलब्ध रहें जिससे नकलें प्राप्त करने की सुविधा हो ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील---

जी नहीं। ग्रामीण जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए लेखपालों का अपने हल्के के मुख्य ग्राम में किसी सार्वजनिक स्थान (जैसे पंचायतघर) पर प्रत्येक वृहस्पतिवार 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे सायंकाल तक उपस्थित रहने के शासनादेश दिनांक 11-4-79 को जारी किए गये थे। यह भी आदेश दिए गये थे कि यदि वृहस्पतिवार को सार्वजनिक छुट्टी हो अथवा लेखपाल किसी कारणवश अवकाश पर रहे तो अगले कार्य दिवस पर उक्त सार्वजनिक स्थान पर लेखपाल उपस्थित रहेगा।

इन आदेशों के कड़ाई से पालन करने हतु परिषद् द्वारा परगनाधिकारी तथा तहसीलदार को निर्देशित करने के आदेश जिलाधिकारियों को दे दिए गये हैं। ऐसी स्थिति में विकास खण्डों के मुख्यालयों पर लेखपालों के उपलब्ध रहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

लखनऊ मण्डल में पंजीकृत ईंट के भट्ठे

94---श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में कितने ईंट के भट्टे बिक्री-कर के अन्तर्गत पंजीकृत हैं? मन्त्री जी कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में ईंट के भट्ठों की बिक्री करके (असेसमेंट) में कितने प्रतिशत भट्ठों वालों के प्रस्तुत हिसाब अस्वीकृत किए गए और उनके अस्वीकृत करने का आधार क्या था?

श्री ब्रह्मदत्त---

लखनऊ मण्डल में 129 ईंट के भट्ठे बिक्री-कर के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। वर्ष 1979-80 में ईंट के भट्ठों की बिक्री-कर के एसेसमेंट में लगभग 62 प्रतिशत भट्ठे वालों द्वारा प्रस्तुत हिसाब अस्वीकृत किए गये, अस्वीकृत करने के आधार निम्नवत् हैं:

(1) वादों की सुनवाई के समय किताबों के रखरखावों में अनियमितताओं का पाया जाना।

(2) सालाना नक्शों में दिखाई गयी बिक्री तथा त्रैमासिक/मासिक विवरण पत्रों में दिखाई गयी बिक्री में अन्तर पाया जाना और उसका सन्तोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध न होना।

(3) बिक्री-कर अधिनियम की धारा-12 (2) के अन्तर्गत निर्माण उत्पादन के रजिस्टर का न रखा जाना।

(4) सर्वेक्षण के समय स्टाक का भौतिक सत्यापन न कराया जाना तथा लेखा-पुस्तकों में दिखाए गये स्टाक तथा सर्वेक्षण के समय पाए गये स्टाक में अन्तर पाया जाना।

(5) प्राप्त सूचनाओं में लेखा पुस्तिकों की प्रविष्टियों का मिलान न होना।

मोहम्मद फारुक बनाम हरीनाथ ग्राम जमालपुर, परगना निजामाबाद के न्यायालय में खारिज निर्णय

95---श्री हरिवंश सहाय---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ को दिनांक 4-5-81 को सुकई आदि ग्राम जमालपुर (आजमगढ़) ने इस आशय का पत्र दिया कि मु0नं0 707 मु0 फारुख आदि बनाम हरिनाथ आदि अन्तर्गत धारा 229 बी ऐक्ट नं0 1 सन् 1951 तारीख फैसला 23-4-79 बाबत ग्राम जमालपुर भेलसरा, परगना निजामाबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ से सम्बन्धित मिसिल बन्द रजिस्टर व पत्रावली में किए गए फर्जी कार्यवाही से सम्बन्धित है? यदि हां, तो आरोप क्या है तथा किस अधिकारी से जांच कराई गयी और जांच रिपोर्ट क्या है? तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री बैजनाथ कुरील---

प्रश्न का प्रथम भाग---जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग---श्री सुखई आदि के सम्बन्धित शिकायती-पत्र में मूल आरोप यह है कि मुकदमा नं0 707, अन्तर्गत धारा 229 बी, जमीन्दारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, मो0 फारूख बनाम हरिनाथ, आदि ग्राम जमालपुर परगना निजामाबाद, अतिरिक्त अधिकारी-11 के न्यायालय से जो दिनांक 23-4-79 को निर्णित हुआ था वह खारिज हो गया परन्तु जब अपीलकर्त्ता न्यायालय में गया तो उसे मालूम हुआ कि दावा वादी डिक्री किया गया है।

प्रश्न का अन्तिम भाग---मामला न्यायालय आयुक्त, गोरखपुर में की गयी अपील के अन्तर्गत विचाराधीन है। मूल पत्रावली भी उक्त अदालत में दाखिल है। अतः मामले में जांच या अन्य कार्यवाही सम्भव नहीं है।

चकिया फार्म की सीलिंग की भूमि का श्री दसई हरिजन को आवंटन

96---श्री हरिवंश सहाय---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत चकिया फार्म की सीलिंग की भूमि के खसरा नम्बर 14 मि0 से 2-71 एकड़ भूमि श्री देसाई हरिजन को दिनांक 16-8-81 को आवंटित की गयी ? यदि हां, तो उसे कब्जा दखल अब तक न कराने का कारण क्या है तथा यह भूमि अब तक किसके कब्जे में रही है ? क्या उससे जुर्माना हर्जाना वसूला जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील---

यह सही है कि चकिया फार्म की सीलिंग भूमि के खसरा नम्बर 14 मि0 से 2-71 एकड़ भूमि दिनांक 16-8-78 को श्री दसई हरिजन को आवंटित की गयी तथा कब्जा दखल भी दे दिया गया परन्तु कब्जा दिलाओ अभियान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवंटित भूमि पर नन्द किशोर आदि ने अनधिकृत कब्जा कर लिया था। उसी दौरान अनधिकृत कब्जा हटाकर आवंटी को दिनांक 22-6-81 को पुनः कब्जा दिला दिया गया है और आवंटित भूमि पर श्री नन्द किशोर आदि द्वारा अनधिकृत जोत सीमा आरोपण अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत बाद में जिला जज के स्थगन के कारण अग्रिम कार्यवाही नियत प्राधिकारी के न्यायालय में रुकी हुई है। दोषी व्यक्तियों से नियमानुसार हर्जाना वसूला जायगा तथा उसमें से उचित अंश आवंटी को भी दिया जायगा।

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमों का फैसला

97---श्री हरिवंश सहाय---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1981 के बीच कितने मुकदमें किन-किन दफाओं में चले तथा इस अवधि में कितने मुकदमों में बहस सुनी गयी तथा कितने का फैसला गुण-दोष के आधार पर किया गया ? फैसले की मासिक औसत क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील---

परगना मजिस्ट्रेट, सलेमपुर, जिला देवरिया के न्यायालय में 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1981 की अवधि में माल के 719 तथा फौजदारी के 989 वाद चले जिनका विवरण संलग्न है। इस अवधि में माल के 376 तथा फौजदारी के 393 वादों में बहस सुनी गयी। माल के 183 वाद एवं फौजदारी के 75 वाद गुण-दोष के आधार पर फैसला किए गये। फैसले का मासिक औसत 41.6 रहा।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 781 पर)

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर में भूमिहीनों को आवंटित पट्टे

98---श्री हरिवंश सहाय---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में 30 जून, 1981 तक कितने पट्टे भूमिहीनों को आवंटित किए गये तथा कितने आवंटित पट्टों की जांच कर कब्जा दखल दिलाया गया तथा कितने पट्टे ऐसे हैं जिनका अभी

कब्जा दखल नहीं कराया गया है ? उसका कारण क्या है ? जन प्रतिनिधियों के साथ कब-कब पट्टे का निरीक्षण किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर में 30 जून, 1981 तक ग्राम सभा भूमि के 2512 तथा सीलिंग भूमि के 236 पट्टे क्रमशः 520-204 हेक्टयर एवं 181-026 हेक्टेयर के किए गये। कब्जे सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में की गयी जांच के समय ग्राम सभा भूमि के 2198 पट्टेदार तथा सीलिंग भूमि के 236 पट्टेदार क्रमशः 467-832 हेक्टेयर तथा 181-026 हेक्टेयर भूमि पर काबिज पाए गये। ग्राम सभा भूमि के शेष 314 पट्टेदारों के पट्टे की जांच कर 52-372 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा सुव्यवस्थित करा दिया गया। कोई आवंटी ऐसा नहीं है जिसे कब्जा दिलाना अवशेष रह गया हो।

जन-प्रतिनिधियों के साथ पट्टे के निरीक्षण का कोई अवसर अब तक नहीं आया।

श्री राम सागर, ग्राम धरमनपुर, ब्लाक पिंडरा में विद्युत कनेक्शन हेतु जमा की गयी धनराशि तथा ट्रांसफार्मर उपलब्ध न होने से कनेक्शन में विलम्ब

99—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामसागर पुत्र काली चरन ग्राम धरमनपुर, पोस्ट रमई पट्टी, ब्लाक पिंडरा को 5 हार्स पावर के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु 18-6-80 को रसीद संख्या 124703 के द्वारा 391 रु0 जमा कराया गया और वी0एल0 फार्म भी 30-9-80 को जमा हो गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

100—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि उसको कनेक्शन अब तक नहीं दिया गया और जू0इ0 नवरंग यादव ने अपने पत्रांक 114, दिनांक 27-3-81 के द्वारा सूचित किया है कि प्राक्कलन में 25 के0वी0ए0 से 50 के0वी0ए0 33/0-4 के0वी0 ट्रांसफार्मर का प्राविधान किया गया है ? क्या उक्त ट्रांसफार्मर स्टाक में उपलब्ध नहीं है, उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर ही कनेक्शन दिया जायगा ? यदि हां, तो 24-4-80 के स्टीमेट द्वारा 16-6-80 को रुपया जमा हुआ और 27-3-81 से लेकर अब तक ट्रांसफार्मर उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया ? इस सम्बन्ध में किसका दोष है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, यह सही है कि श्री राम सागर ग्राम धरमनपुर को अब तक कनेक्शन नहीं दिया जा सका है। धरमनपुर में लगे 33/0-4 के0वी0 सब स्टेशन (जिसकी क्षमता बढ़ानी है) से ही उपभोक्ता के कनेक्शन लेने के अनुरोध पर उसे आंकलन यह शर्त बता कर दिया गया था कि ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर ही कनेक्शन दिया जायगा तथा जू0इ0 श्री नवरंग यादव ने अपने पत्र संख्या 114 दिनांक 23-3-81 द्वारा उक्त उपभोक्ता को यह सूचित किया है कि उनके प्राक्कलन में 25 के0वी0ए0 से 50 के0वी0ए0 33/0-4 ट्रांसफार्मर का प्राविधान है जो कि स्टाक में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि विद्युत परिषद ने 33/0-4 के0वी0 के ट्रांसफार्मर की खरीद बन्द कर दिया है तथा 33 के0वी0 की सभी लाइनों को 11 के0वी0 परिवर्तन करने की विभाग द्वारा कार्यवाही हो रही है जिसके पूर्ण होने पर अथवा उपयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रबन्ध करके मार्च, 1982 तक कनेक्शन दे दिया जायगा।

101—श्री ऊदल—

क्या यह भी सही है कि जू0इ0 ने एक पत्र 27-3-81 को स0अ0वि0 वि0 उपखंड चतुर्थ निर्माण वाराणसी को भी भेजा है कि ट्रांसफार्मर के अभाव में वरीयता के आधार पर कनेक्शन देना सम्भव नहीं है ? क्या यह सत्य है कि खंभा गाड़ कर तार भी खींच दिया गया है तो 25 या 63 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर अब तक क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, यह भी सही है कि जू0इ0 ने दिनांक 27-3-81 को श्री राम सागर ग्राम धरमनपुर को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, चतुर्थ (निर्माण) को इस आशय से दिया है कि उक्त काश्तकार का कनेक्शन ट्रांसफार्मर के अभाव में वरीयताक्रम से देना सम्भव नहीं है। यह सत्य है कि काश्तकार के नलकूप पर लाईन देने हेतु खंभे गाड़ दिए गये हैं तथा लाइन में प्रयुक्त होने के लिए तार भी वहां रखा है परन्तु प्रश्न संख्या 100 के सम्बन्धमें स्पष्ट की गयी स्थिति के कारण अभी कनेक्शन देना सम्भव नहीं हो पाया।

प्रधान ग्राम पंचायत, सांझामऊ, जिला उन्नाव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

102—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान ग्राम पंचायत सांझामऊ, विकास खण्ड सुमेरपुर, जिला उन्नाव के विरुद्ध ग्राम पंचायत सांझामऊ के सदस्यों और ग्रामवासियों के हस्ताक्षरों का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 14-7-1980 को परगनाधिकारी, पुरवा, उन्नाव तथा प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 3-3-1981 को राजस्व मन्त्री को दिया गया है? यदि हां, तो इस शिकायती-पत्र की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं? और इन शिकायती-पत्र की जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत अनुरक्षण मण्डल, गोरखपुर में स्थित काष्ठ ससाधन सयत्र के सत्यापन में कम पाई गई बल्लियां तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

103—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1972 के मार्च में विद्युत् अनुरक्षण मंडल, गोरखपुर के काष्ठ संसाधन संयंत्र के प्रत्यक्ष सत्यापन में वहां 3.90 लाख रुपए की बल्लियां कम पाई गयीं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

विद्युत अनुरक्षण मण्डल, गोरखपुर के अधीन गोरखपुर में स्थित काष्ठ संसाधन संयन्त्र का प्रत्यक्ष् सत्यापन अप्रैल, 1972 में किया गया था तथा अभिलेखों के आधार पर उक्त संयन्त्र में लगभग रु0 3.88 लाख की कीमत की बल्लियां कम पाई गयीं। बल्लियों की कमी की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने तथा अनियमितता के लिए जिम्मेदारी के निर्धारण हेतु जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी।

जनपद गोरखपुर, ग्राम अमतहां खास में रजक वर्ग (धोबी) के लोगों को आवासीय भूमि का आवंटन

104—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ग्राम अमतहां खास से सम्बन्धित रजक वर्ग (धोबी) के लगभग 50 घरों के लोगों को आवासीय भूमि हेतु आबादी की छूटी भूमि में जमीन नहीं दी गयी? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी को यह भी मालूम है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 9 मार्च, 81 मिलने के बाद उन्होंने इस दिशा में क्या कार्यवाही की?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं। ग्राम अमतहां खास में रजक वर्ग (धोबी) के लोगों को सम्मिलित करते हुए पाए गये व्यक्तियों को आवासीय भूमि आवंटित कर दी गयी है तथा उन्हें कब्जा दखल भी दिला दिया गया है।

प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल नहीं उठता।

गोपालपुर फार्म के विरुद्ध नियत प्राधिकारी, वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन वाद तथा उक्त फार्म पर सीलिंग ऐक्ट न लागू करने का कारण

105—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मंगल देव विशारद कमेटी ने भूमि चुराने वालों की लिस्ट में गोपालपुर फार्म जिला मिर्जापुर को भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है ? यदि हां, तो क्या उक्त फार्म पर सीलिंग ऐक्ट लागू किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

गोपालपुर फार्म के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम; 1960 के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी वाराणसी के न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

106—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि गोपालपुर फार्म पर सीलिंग ऐक्ट न लागू करने का कारण क्या है ? उसकी कितने एकड़ जमीन है और किन-किन लोगों के नाम है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

गोपालपुर फार्म के विरुद्ध सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। उक्त फार्म की दो ग्रामों में स्थित कुल भूमि का क्षेत्रफल 4532.85 एकड़ है। जिन खातेदारों के नाम भूमि अंकित है उसकी सूची मेरे कक्ष में रखी है।

गोपालपुर फार्म मिर्जापुर में लैन्ड रेवन्यू तथा दूसरे किस्म के बकाया देय की वसूली हेतु जिम्मेदार अधिकारी

107—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपालपुर फार्म मिर्जापुर में स्वास्थ्य मन्त्री लोकपति त्रिपाठी के नाम तथा इनके परिवार के नाम है या रहा है ? इसके कितनी लैण्ड रेवेन्यू तथा दूसरे किस्म के देय बकाया रहे हैं ? क्या यह भी सत्य है कि सन् 80 के पूर्व बकाए की वसूली नहीं की गयी उसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

गोपालपुर फार्म, जिला मिर्जापुर में दोनों गांवों में (गोपालपुर तथा बेदोली) श्री लोकपति त्रिपाठी का नाम, श्री अभयकुमार आदि के नाम के साथ-साथ बतौर सह खातेदार अंकित है। अन्य खातेदारों के नाम मेरे कक्ष में रखी हुई सूची में दिया गया है। गोपालपुर फार्म पर खरीफ 1388 फसली तक राजस्व कर आदि कुल मिलाकर 1,92,045.06 रु0 (एक लाख बान्नवे हजार पैंतालिस रुपए तथा छः पैसे) अवशेष था। उसमें से मालगुजारी विकास कर व नहर कर का बकाया सन् 1378 फसली से तथा अन्य बकाया सन् 1385 फसली से है। अवशेष बकायों की वसूली हेतु फार्म के नीलाम की कार्यवाही 1979 में की गयी थी लेकिन नीलाम अन्तिम नहीं हो सका है। मामला न्यायालय में चल रहा है।

दुद्धी तहसील में भूमिहीनों को भूमि आवंटन में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही

108—श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-9-81 द्वारा दुद्धी तहसील में भूमिहीनों को भमि आवंटन में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में तथा दिनांक 3 अक्तूबर, 1980, 15 जनवरी, 13 फरवरी, 1 अप्रैल, 4 व 5 मई, 17 जून, 28 जुलाई, 1981 के पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

दुद्धी तहसील में हरिजन बस्ती विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण

109—श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी तहसील में अब तक हरिजन बस्ती विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितनी बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया और दुद्धी तहसील में कितनी हरिजन बस्ती हैं ? क्या बाकी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए कोई योजना है अगर है, तो वह कब से लागू होगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनगणना 1971 के अनुसार दुद्धी तहसील में कुल 281 हरिजन बस्तियां हैं। जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत छः तथा सामान्य योजना के अन्तर्गत एक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जा चुका है। दुद्धी तहसील के लिए स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत कुल 218 गांवों के विद्युतीकरण के साथ उनकी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का प्राविधान है। यह योजनाएं चल रही हैं तथा इनके अन्तर्गत छः गांवों व सम्बन्धित हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया भी जा चुका है।

ग्राम मलदेवा, जाबर-खजुरी और बीडर में विद्युतीकरण तथा लाभान्वित हरिजन परिवारों की संख्या

110—श्री विजय सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मलदेवा, जाबर-खजुरी और बीडर में जो विद्युतीकरण हुआ है क्या वह हरिजन बस्ती विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत हुआ है ? यदि हां, तो उक्त चारों बस्तियों में कितने हरिजन परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं ? क्या प्रत्येक गांव के लाभान्वित परिवारों की संख्या अलग-अलग बतायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं। इन गांवों का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत किया गया है। प्रश्नगत गांवों के सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किये जाने के साथ हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण को सम्मिलित नहीं किया गया था। तत्पश्चात् केवल जाबर ग्राम की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत पृथक से किया गया।

जाबर ग्राम में हरिजन परिवारों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है परन्तु सभी हरिजन परिवार लाभान्वित हुये हैं।

मिर्जापुर जिले के दुद्धी तहसील में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गांवों का विद्युतीकरण

111—श्री विजय सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के दुद्धी तहसील के ब्लाक दुद्धी में 67 गांव व म्योरपुर और बभनी ब्लाक में 151 गांव को विद्युतीकरण के लिए क्रमशः 31.05 लाख और 78.55 लाख रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सन् 1978 में ही स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। ब्लाक दुद्धी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सात तथा ब्लाक म्योरपुर और बभनी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चार गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

112—श्री मोती लाल देहलवी—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

113—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा जिले के अन्तर्गत बाढ़ व जल प्लावन से गांवों को क्षतिपूर्ति

114—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 1981 के वर्षा काल में गोंडा जिले के अन्तर्गत विभिन्न तहसीलों में बाढ़ व जलप्लावन से कौन-कौन से गांव प्रभावित हुए और कितने एकड़ खेतों को नुकसान पहुंचा है और इस हानि का तखमीना कितना है ? उक्त बाढ़ व जलप्लावन में किस ब्लाक में कितनी प्रकार की तत्कालीन सहायता पहुंचाई गई, उसका पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गोण्डा में वर्ष 1981 में बाढ़ तथा जलप्वावन से 1638 ग्राम तथा 707451 एकड़ कृषि क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। हानि का अनुमानित मूल्य 31.58 करोड़ है। बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई गई तात्कालिक सहायता का ब्लाकवार विवरण संलग्न है। प्रभावित गांवों की सूची भी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 782–783 पर)

देवीपुर तहसील, जिला गोरखपुर के कतिपय ग्राम सभाओं की कृषि योग्य भूमि का भूमिहीनों को वितरण

115—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रामपुर, गोपालपुर, परमेश्वर पुर, महाराजगंज, ठाकुर पुल नं0 1, ठाकुर पुल नं0 2 तथा देवीपुर तहसील व जिला गोरखपुर में ग्राम समाज की कितनी कृषि योग्य भमि उपलब्ध है ? उसको भूमिहीनों में अभी तक वितरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत ग्रामों में ग्राम समाज की कृषि योग्य कोई भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। जो कृषि योग्य भूमि उपलब्ध थी वह सब आवंटित की जा चुकी है। अतः भूमि के वितरण हेतु व्यवस्था करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम लालगंज, जिला बस्ती के बुनकरों की अधिगृहीत की गयी भूमि का मुआवजा दिलाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

116—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लालगंज, जिला बस्ती के बुनकरों के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1981 उनको प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त ग्राम के बुनकरों की अधिगृहीत की गयी भूमि का मुआविजा दिलाने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। माननीय प्रश्नकर्ता विधायक के कथित पत्र में मुआविजा दिलाने का जिक्र नहीं है किन्तु बुनकरों के प्रार्थना-पत्र में उसका उल्लेख है। जिलाधिकारी को जाँच एवं आख्या हेतु निर्देश दिया गया था। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार सम्बधिन्त भूस्वामियों को मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस दी गयी थी, उन लोगों ने नोटिस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया तथा मुआविजा लेने नहीं आए जिसके कारण मुआविजा वितरित नहीं किया जा सका। मुआवजे की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कर दी गयी है।

श्री गंगा राम आदि, निवासी रूपपुर तहसील पुरवा को आवंटित भूमि पर कब्जा

117—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गंगाराम तथा अन्य चार व्यक्ति निवासी रूपपुर, तहसील पुरवा ने दिनांक 21–7–80 को परगनाधिकारी पुरवा, जनपद उन्नाव को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि ग्राम समाज रूपपुर ने उनको मकान बनाने हेतु जमीन के पट्टे किए थे, जिसकी स्वीकृति परगना अधिकारी पुरवा द्वारा 16–4–81 को दी गयी थी और पट्टे इन लोगों को दे दिए गये थे? क्या यह सही है कि इनके पट्टों की जमीन पर राम औतार सिंह, उप प्रधान तथा उनके आदमियों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो गृहीताओं को कब्जा दिलाने की क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री गंगा राम तथा अन्य चार व्यक्तियों का कथित प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी पुरवा के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु उक्त प्रार्थीगणों को मकान बनाने हेतु जमीन के पट्टे किए गये थे जो परगनाधिकारी द्वारा 16–4–80 को अनुमोदित हुआ। जांचोपरान्त ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए कि पट्टों की जमीन पर उप प्रधान या अन्य ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया हो। बल्कि समस्त आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जा चुका है।

जनपद उन्नाव में हुलसी खेड़ा-गौरिया मार्ग पर पतेली खेड़ा के पुल के बिजली के तार द्वारा दो हाथियों की मृत्यु तथा कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही

118—श्री भीखा लाल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 81 में उन्नाव जनपद में हुलसी खेड़ा-गौरिया मार्ग पर स्थित पतेली खेड़ा के पुल के बिजली के तार इतने ढीले और नीचे थे कि वह नीचे से गुजरने वाले एक हाथी के शरीर से छू गये और हाथी उसमें चिपक गया तथा एक अन्य हाथी उसको छुड़ाने के प्रयास में उससे चिपक गया और दोनों हाथियों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी? यदि हां, तो लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और हाथियों के मालिकों को शासन से क्या मुआविजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी में मैनेजर पद के लिए साक्षात्कार

119—श्री भीखा लाल—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी में मैनेजर के 50 पदों के लिए फरवरी, 1981 में लिखित परीक्षा तथा अप्रैल, 1981 में साक्षात्कार हुआ था? उक्त पदों के लिए कितने पद हरिजनों के लिए सुरक्षित थे? कितने अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हुए और कितने लिए गये और यदि वांछित कोटा पूरा नहीं हुआ तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त—

काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी की ओर से मैनेजर का कोई पद विज्ञापित नहीं किया गया था। अधिकारी वर्ग के 50 पद हेतु 31–12–80 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गये थे, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/भूतपूर्व सैनिक के लिए सरकार के नियमानुसार स्थान सुरक्षित थे। अनु० जाति/जनजाति के 17 अभ्यर्थियों ने अधिकारी पद हेतु आवेदन किया, उनमें से 10 नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट, बम्बई द्वारा मार्च, 81

में आयोजित परीक्षा में बैठे और 3 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किए गये। अप्रैल, 81 में आयोजित साक्षात्कार में उपरोक्त अभ्यर्थियों में से दो ने भाग लिया और उनमें से एक अन्ततः अधिकारी पद हेतु चुना गया। विज्ञापित उपरोक्त 50 पदों के समक्ष अनु0 जाति/जनजाति के एक अभ्यर्थी सहित कुल 26 अभ्यर्थी अधिकारी के रूप में चुने गये।

सुरक्षित कोटा के रिक्त पदों के भरने के लिए ग्रामीण बैंक द्वारा एक विशेष विज्ञापन निकाले जाने पर विचार किया जा रहा है।

सत्य प्रकाश बनाम मनोहर लाल की गायब मिसिल पर कृत कार्यवाही

120---श्री भोखा लाल---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या 5/6/8 धारा 176 जेड0 ए0 ऐक्ट सत्य प्रकाश बनाम मनोहर लाल आदि निर्णित 20-8-77 की मिसिल अभिलेखागार माल, बहराइच से गायब है जिसके सम्बन्ध में जगन्नाथ बख्श सिंह संरक्षक अभिलेखाकार माल ने रमेश कुमार निगम, अहलमद माल आदि के विरुद्ध अपराध संख्या 55 धारा 409 आई0पी0सी0 का 19-2-81 को पुलिस में दर्ज कराया है? यदि हां तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बैजनाथ कुरील---

जी हां, अभिलेखागार से मिसिल गायब है। इस सम्बन्ध में जगन्नाथ बख्श सिंह, संरक्षक अभिलेखागार माल द्वारा रमेश कुमार निगम भूतपूर्व अहलमद (माल) न्यायालय एस0डी0ओ0 आदि के विरुद्ध अपराध संख्या 55/81 पर मुकदमा भारतीय दन्ड विधान की धारा 409 के अन्तर्गत 19 फरवरी, 1981 को पंजीकृत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अग्रेतर कानूनी कार्यवाही की जा रही है तथा जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

121---श्री भोखा लाल---

[6ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर श्री राम नवल लाल के विरुद्ध शिकायतों पर कृत कार्यवाही तथा सर्वे कानूनगो द्वारा दिया गया प्रतिवेदन

122---श्री हरिवंश सहाय---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-7-81 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील---

सूचना एकत्र की जा रही है।

123---श्री हरिवंश सहाय---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर (रामनवल लाल) के विरुद्ध जिलाधिकारी, गोरखपुर ने 15-11-80 को शासन को लिखा था? यदि हां, तो उसमें क्या लिखा गया था तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील---

सूचना एकत्र की जा रही है।

124---श्री हरिवंश सहाय---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर (राम नवल लाल) के विरुद्ध विभाग के सर्वे कानूनगो ने 20-7-81 को अपना प्रतिवेदन शासन को दिया है? यदि हां, तो उनमें क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में बाढ़ एवं वर्षा से गिरे मकानों को गृह अनुदान

125—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत सलेमपुर तहसील में बाढ़ एवं वर्षा से गिरे मकानों की क्षतिपूर्ति 1–7–80 से 20–5–81 के बीच किन-किन लोगों को कितनी-कितनी दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर में प्रश्नगत अवधि में 13,567 व्यक्तियों को कुल 13,02,900रु.0 गृह अनुदान स्वरूप वितरित किए गये। शासन द्वारा दैवी आपदाओं से क्षतिग्रस्त भवनों के सहायतार्थ गृह अनुदान दिया जाता है, क्षतिपूर्ण का कोई नियम नहीं है। जहां तक इन व्यक्तियों को वितरित अलग-अलग धनराशि के वितरण का प्रश्न है सदस्य पूर्व सूचना के पश्चात् इसे मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में बाढ़ से बचाव हेतु नावों की व्यवस्था तथा नाविकों का नाम व पता तथा भुगतान की गयी मजदूरी

126—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में 1 जून, 1980 से 30 सितम्बर, 1980 के बीच किन-किन नदियों एवं नालों पर बाढ़ से बचाने हेतु कितनी नावों की व्यवस्था की गयी ? नाविकों का नाम व पता क्या है तथा कितनी मजदूरी तथा भाड़ा प्रत्येक नाविक को दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

बाढ़ से बचाने हेतु तहसील सलेमपुर में 1–6–80 से 30–9–80 के बीच घाघरा, राप्ती, छोटी गंडक नदियों तथा जमुवार, कसिली व खनुआ नालों पर कुल 136 नावों की व्यवस्था की गयी थी। नाविकों का नाम व पता, भुगतान की गयी मजदूरी तथा नाव के भाड़े का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

परगनाधिकारी सलेमपुर, जिला देवरिया के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें

127—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी, सलेमपुर, जिला देवरिया के न्यायालय में कितने मुकदमें 30–4–81 तक किन-किन दफाओं के विचाराधीन हैं ? तथा मेरिट के आधार पर फैसले का मासिक औसत मुकदमा वर्ष 1980 का कितना रहा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

परगनाधिकारी सलेमपुर, जिला देवरिया के न्यायालय में दिनांक 30–4–81 तक माल के 306 व फौजदारी के 340 वाद विचाराधीन थे जिनका विवरण संलग्नक में दिया हुआ है।

मेरिट के आधार पर माल व फौजदारी वादों के निस्तारण का मासिक औसत वर्ष 1980 में 0.98 प्रति दिन रहा।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 784 पर)

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में विविध देयों की मदों में वसूली

128—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में 1-4-80 से 31-3-81 के बीच कितने रुपए की वसूली हुई तथा कितना धन शेष है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

तहसील सलेमपुर में 1-4-80 से 31-3-81 तक कुल रु0 34,47,574.91 की देय धनराशि के विरुद्ध मुख्य देयों तथा विविध देयों की मदों में कुल 34,39,310.91 रुपए की वसूली हुई थी तथा 8,264 रुपए की वसूली अवशेष रही।

129—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

130—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

131—श्री अम्बिका सिंह—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद गोरखपुर, ग्राम भरकछा में प्रारम्भ चकबन्दी प्रक्रियाएं

132—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर, तहसील सदर के ग्राम भरकछा से सम्बन्धित दिनांक 18-9-81 के अता0 प्र0सं0 196 के उत्तर में बताया गया है कि ग्राम भरकछा भी नदी के किनारे है तथा पहले के मापदण्ड के अनुसार चकबन्दी योग्य न होने के कारण छोड़ दिए गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस ग्राम में काफी हरिजन व भूमिहीन व्यक्ति रहते हैं जिनके लिए आवासीय जमीन की आवश्यकता के साथ-साथ इस गांव के किसानों एवं अन्य को सीलिंग से मिली भूमि काफी दूरी पर छोटे-छोटे टुकड़ों में है जिनके कारण चकबन्दी प्रक्रिया में लेना अत्यन्त आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या अन्य निकट के गांव में हो रही चकबन्दी की प्रक्रिया के साथ इस गांव को भी जोड़कर चकबन्दी प्रक्रिया जारी करा दी जायगी ? यदि नहीं, तो इस गांव को इस प्रक्रिया में न लेने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। विस्तृत सर्वेक्षण पुनः कराया गया है। नवीन मापदण्ड के अनुसार उक्त ग्राम्य अब चकबन्दी योग्य है।

उक्त ग्राम में भूमि अभिलेख्य प्रक्रियाएं राजस्व परिषद् के अधीन चल रही हैं। अतः भू-अभिलेख प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य पूरा होने तथा उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा 48 के प्रभाव से मुक्त किए जाने पर ही उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियाएं प्रारम्भ कराई जा सकती हैं।

जनपद बांदा के कतिपय विकास क्षेत्र तथा ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण

133—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के बड़ोखर, महुआ तथा बिसन्डा ब्लाक में कौन-कौन सी ऐसी ग्राम सभायें हैं जिनमें 30 सितम्बर, 1981 तक विद्युत नहीं पहुंची है ? क्या सरकार विद्युतीकरण शीघ्र कराने पर विचार कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

दिनांक 30-9-81 की स्थिति में बांदा जनपद के बड़ोखर, महुआ तथा बिसन्डा

विकास क्षेत्र में क्रमशः 41 (इकतालिस), 43 (तैंतालिस) तथा 84 (चौरासी) ग्राम सभायें ऐसी थीं जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया था। (सूची संग्लन) इन ग्रामों के विद्युतीकरण कराने पर विचार किया जा रहा है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 785–789 पर)

झांसी में हो रही तापीय थर्मल परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच

134—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29–8–81 की उन्हें परीक्षा तापीय (थर्मल) झांसी में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में मिली ? यदि हां, तो उस पर अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। कथित शिकायती पत्र दिनांक 29 अगस्त, 1981 में उल्लिखित मामलों की जांच हेतु परिषद् की सतर्कता इकाई को सौंप दिया गया है। सतर्कता इकाई की रिपोर्ट प्रतीक्षित है और उसके प्राप्त होने के पश्चात ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

टाउन एरिया पुखरायां, जिला कानपुर में देहात की फर्मों व दुकानदारों पर बकाया पेशा-कर

135—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1969–70 से सन् 1971–72 के तीन वर्षों के पेशा-कर का बकाया टाउन एरिया पुखरायां, जिला कानपुर देहात की किन-किन फर्मों व दुकानदारों पर है और उसकी वसूलयाबी में किन-किन को गिरफ्तार करके सिविल हवालात भेजा गया है और उनसे कितना रुपया वसूल हुआ तथा कौन-कौन बकायादार ऐसे हैं जिनके खिलाफ अब तक उक्त कार्यवाही करके वसूलयाबी नहीं की गयी है और क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

वर्ष 1969–70 से 1971–72 तक तीन वर्षों के पेशा-कर (वृत्ति कर) के टाउन एरिया पुखरायां जिला कानपुर देहात में इस समय 57 बाकीदार हैं जिनकी सूची संलग्न है।

उक्त 57 बाकीदारों में से 41 बाकीदार ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल रहा है और और न ही उनकी चल या अचल सम्पत्ति बताई जाती है।

शेष 16 बाकीदारों में से किसी को गिरफ्तार करके बन्द हवालात नहीं किया गया है। इनसे वसूली के लिए प्रयास जारी है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 790–791 पर)

136—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

137—श्री बदन सिंह—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सक्तेशगढ़ पम्प नहर से नदी के किनारे स्थित गांवों का विद्युतीकरण

138—श्री राम चरण सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने सक्तेशगढ़ पम्प कैनाल, जनपद मिर्जापुर से नदी के किनारे-किनारे बिजली लगाने के सम्बन्ध में दिनांक 22 जून, 1981 को उन्हें पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री---
जी हां ।

सक्तेशगढ़ पम्प नहर से नदी के किनारे-किनारे स्थित गांवों के विद्युतीकरण का प्राविधान आर0एम0एन0पी0 योजना में कर लिया गया है तथा विद्युतीकरण हेतु आवश्यक स्टोर सामग्री का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के ग्रामों में विचाराधीन चकबन्दी

139--श्री राम चरण सिंह--
क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत क्षेत्र सुकृत, तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर के कुछ गांवों में चकबन्दी कराए जाने हेतु मैंने एक पत्र दिनांक 15-3-81 को लिखा था ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--
जी हां। सन्दर्भित पत्र दिनांक 15-3-81 का नहीं वरन् 16-3-81 का है।
जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार के 9 ग्राम जिसमें ग्राम सुकृत भी है, को चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्रख्यापन हेतु संस्तुति प्राप्त हुई है जो विचाराधीन है।

शीत लहरी के सम्बन्ध में जिला देवरिया में आंवटित धनराशि

140--श्री हरिवंश सहाय--
क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में ठण्डक से बचने के लिए वर्ष 1980-81 में कितनी धनराशि शासन से मिली थी, उसका वितरण किन-किन तहसीलों में कितना-कितना किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--
शीत लहरी के सम्बन्ध में जिला देवरिया को वित्तीय वर्ष 1980-81 में शासन द्वारा 15,000 रु0 उपलब्ध कराया गया था जिसके अन्तर्गत जिला स्तर पर तहसीलवार आवंटन एवं वितरण निम्न प्रकार किया गया था :---

नाम तहसील	आवंटित धनराशि रु0 में	वितरित की गई धनराशि रु0 में
1	2	3
1--देवरिया	3,900	3,030
2--सलेमपुर	1,000	1,000
3--हाटा	3,788	3,787.70
4--पडरौना	1,000	1,000

तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर में पट्टे की भूमि

141--श्री राम चरण सिंह--
क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा मुन्तल, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर में आवंटित बंधे का पट्टा निरस्त करने विषयक प्रश्नकर्ता के मन्त्री जी को सम्बोधित पत्र 20 फरवरी, 1981 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र दिनांक 20 फरवरी, 1981 का उत्तर उनको 17-3-81 को दे दिया गया था। जांचोपरान्त यह ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि अब खेत की शक्ल में है, जिसका पट्टा 15 अनुसूचित जाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दिया गया है। अतः पट्टों को नियमानुसार निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बरेली में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा स्थापित लकड़ी के खंभों का केमिकल ट्रीटमेंट प्लान्ट

142--श्रीमती गौरी देवी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विद्युत खम्भों के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी बल्लियों के केमिकल्स ट्रीटमेंट हेतु बरेली जनपद में स्थापित टी0 टी0 प्लान्ट कितने वर्ष से खराब हैं और बरेली जनपद से टी0टी0 प्लान्ट खराब होने के कारण लकड़ी के खम्भे गोरखपुर के टी0टी0 प्लान्ट पर केमिकल्स ट्रीटमेंट के लिए लाए जाने और केमिकल्स ट्रीटमेंट के पश्चात बरेली व अन्य जगहों को वापस जाते हैं? यदि हां, तो लकड़ी की इन विद्युत खम्भे को लाने और ले जाने में ढुलाई खर्च विगत 5 वर्षों में कितना व्यय हुआ है?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद बरेली में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा स्थापित लकड़ी के खम्भों का केमिकल ट्रीटमेन्ट करने का प्लान्ट खराब नहीं है। यह चालू हालत में है।

प्रश्न नहीं उठता। बरेली मण्डल तथा उसके आसपास के इलाके के लकड़ी के खंभों का ट्रीटमेंट बरेली स्थित केमिकल्स ट्रीटमेंट प्लान्ट पर ही होता है तथा कोई भी खम्भा बरेली से गोरखपुर नहीं जाता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में स्थित स्टीम पावर हाउस मोहद्दीपुर में अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण

143--श्रीमती गौरी देवी--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में स्थित स्टीम पावर हाउस मोहद्दीपुर में अवर अभियन्ता 12 वर्षों से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों और उसका कारण क्या है?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां, गोरखपुर में स्थित स्टीम पावर हाउस, मोहद्दीपुर में 4 अवर अभियन्ता 12 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं। इसका कारण यह है कि ये अवर अभियन्ता डिप्लोमाधारी या आई0टी0आई0 सर्टीफिकेट पास नहीं हैं तथा ये सभी इसी पावर हाउस में बहुत समय से निम्न पदों पर कार्य करते हुए अवर अभियन्तापद पर प्रोन्नति पाए हैं और उन्हें इस पावर हाउस को चलाने का बहुत अच्छा अनुभव है तथा पावर हाउस के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर उन्हें वहां से अब तक स्थानान्तरित नहीं किया जा सका था। अब इनके स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिए गये हैं और इन्हें अप्रैल, 1982 के बाद रिलीव कर दिया जायगा।

जनपद आगरा, विकास खण्ड फतेहपुर में राजकीय नलकूपों का विद्युतीकरण

144--श्री बदन सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम सामरा व दाउदपुर के सन् 1978 में छिद्रित सफल राजकीय नलकूपों का विद्युतीकरण करने हेतु दिनांक 29-1-81 को प्रश्नकर्ता के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश उन्होंने दिया था? यदि हां, तो उक्त राजकीय नलकूपों को अभी तक बिजली नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री---

आगरा जनपद के विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी के सेमरा व दाउदपुर में तीन राजकीय नलकूप वर्ष 1978 में सफल हुए थे जिनके ऊर्जीकरण हेतु वांछित कुल 5,08,766 रु0 की धनराशि के विपरीत नलकूप विभाग ने अभी तक केवल रु0 3,81,244 दिनांक 20 जून, 1981 को प्राप्त कराये हैं। फिर भी उपरोक्त कार्य हेतु आवश्यक सामान की व्यवस्था करके कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा आशा की जाती है कि प्रश्नगत तीनों राजकीय नलकूपों को 1982 के अन्त तक ऊर्जित कर दिया जायगा।

श्री शिव कुमार ठेकेदार द्वारा दिए गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

145---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता विद्युत् प्रसारण क्षेत्र, मेरठ को शिव कुमार ठेकेदार ने 10-6-81 को शिकायती-पत्र लिखा जिस के निस्तारण हेतु 23-7-81 को अधीक्षण अभियन्ता, वि0प्र0 मण्डल, मेरठ को भेजा ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री---

जी हां, शिकायती-पत्र पर जांच कराई गयी तथा यह निष्कर्ष निकला कि श्री शिव कुमार, ठेकेदार की शिकायत निराधार थी। अतः उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के ब्लाक सेवापुरी में उपलवृष्टि से प्रभावित ग्राम

146---श्री प्रभु नारायण सिंह---

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत मार्च, 81 में उपल-वृष्टि से वाराणसी जनपद के सेवापुरी ब्लाक के कौन-कौन से गांव आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए थे ? उपल-वृष्टि से प्रभावित इन कृषकों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन कृषकों को विशेष सुविधाएं प्रदान करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील---

जनपद वाराणसी के ब्लाक सेवापुरी में गत मार्च, 1981 में उपलवृष्टि से प्रभावित ग्राम एवं उनमें हुई क्षति का प्रतिशत संलग्न तालिका में दिया जा रहा है। इन ग्रामों के कुल 1822 कृषकों को रु0 100 प्रति व्यक्ति की दर से कुल रु0 1,82,200 अहेतुक सहायता के रूप में तथा 153 निःसहायों को प्रति निःसहाय 15 किलोग्राम प्रति माह की दर से माह अप्रैल 81 से माह अगस्त, 1981 तक गेहूं वितरित किया गया जिसका मूल्य रु0 99,498 था। इसके अतिरिक्त 29 प्रभावित व्यक्तियों को रु0 100 प्रति व्यक्ति की दर से भवनों की मरम्मत हेतु रु0 2,900 गृह अनुदान वितरित किया गया और कुल 556 कृषकों में रु0 2,23,600 तकावी ऋण के रूप में वितरित किया गया।

(देखिए लग्नक 'झ' आगे पृष्ठ 793-795 पर)

जालौन जनपद के ग्राम दहेलखण्ड के सरकारी नलकूप पर बिजली के तारों से चिपक कर बैल की मृत्यु

147---श्री शंकर सिंह---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सच है कि दिनांक 9-10-81 को जालौन जनपद के ग्राम दहेल खण्ड के सरकारी नलकूप पर शिवनाथ नामक किसान का एक बैल बिजली के तारों से चिपक कर मर गया था तथा क्या यह भी सच है कि बिजली के तार जिनमें करेंट थी कई दिनों से नलकूप के पास पड़े हुए थे जिसकी ग्रामवासियों ने शिकायत भी की थी ? परन्तु फिर भी बिजली के तारों के करेंट नहीं काटी गयी, न तार ठीक से बांधे गये ? सरकार यह भी बतायेगी कि जिस किसान का बैल मर गया है उसको बिजली विभाग द्वारा कितना मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गंगादीन हरिजन जिला उन्नाव की बिजली की करेन्ट से मृत्यु तथा उसकी विधवा को आर्थिक सहायता देने का निर्णय

148--**श्री भीखा लाल**--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 12-6-81 श्री गंगादीन, हरिजन निवासी कस्बा न्योतनी जिला उन्नाव जिसकी मृत्यु बिजली के टूटे हुए तार से टकरा जाने के कारण हुई थी, उसकी विधवा के प्रार्थना-पत्र के साथ उनको प्राप्त हुआ है ? जिसमें उसके बच्चों के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया और कोई आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कृष्ण प्रसाद, भू०पू० संग्रह अमीन, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी की सेवा समाप्ति तथा बकाया धनराशि का भुगतान एवं पुनर्नियुक्ति

149--**श्री गजेन्द्र सिंह**--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भू0पू0 संग्रह अमीन, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी (श्री कृष्ण प्रसाद) जिनकी सेवा 1975 में समाप्त कर दी गयी थी, को 12 जुलाई, 1971 से 21 मई, 1972 तक का वेतन, वेतन वृद्धि तथा भत्ते की बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं। इस सम्बन्ध में कागजात की जांच की जा रही है ।

150--**श्री गजेन्द्र सिंह**--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उनकी पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में उनके दिनांक 20-9-78, 20-8-79, 26-9-80, 6-2-81 तथा 8-4-81 के प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी एवं राजस्व मन्त्री को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम समाज जरहिला कलां, जिला जौनपुर के अन्तर्गत गाटा सख्या-256 में अंकित नाम

151--**श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय**--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज जरहिला कलां, परगना बयालसी, जिला जौनपुर की नवीन परती भूमि नं0 256 के 12 डिसमिल रकबे में से 10 डिसमिल रकबा किसी विशेष व्यक्ति के खाता नं0 83 में मिनजुमिला 256 के 10 डिसमिल दर्ज हो गया है ? यदि हां, तो कब से, किसकी आज्ञा से, किस आधार पर ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वस्तु स्थिति यह है कि ग्राम सभा जरहिला कलां के अन्तर्गत गाटा सं0 256 का केवल 2 डिसमिल रकबा ही नवीन परती में अंकित है व उसका शेष भाग 10 डिसमिल एक, श्री विश्वनाथ के नाम खाता सं0 83 में श्रेणी-1 में अंकित है। यह इन्द्राज बाद संख्या 5460 में चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-6-73 के आधार पर 1385 फसली के अन्तर्गत तैयार खतौनी में अंकित है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में गांवों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

152—श्री राम असरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 31-10-81 तक किन-किन हरिजन गांवों में विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न हो चुका है तथा किन-किन ग्रामों का प्रस्तावित है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में दिनांक 31-10-1981 तक 22 गांवों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका था (सूची संलग्न-1)। इस क्षेत्र में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चतुर्थ के अन्तर्गत 42 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्राविधान है तथा उक्त ग्रामों के साथ-साथ हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण किया जाना है (संलग्नक-1)।

(देखिए नत्थी में आगे पृष्ठ 796-797 पर)

153—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम रोटी गांव में क्षतिग्रस्त मकान

154—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1980-81 की भीषण वर्षा में जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम रोटी गांव के कितने और किन-किन हरिजनों और भूमिहीनों के मकान क्षतिग्रस्त हो गये और उनमें से कितने लोगों को गृह अनुदान वितरित किया गया और क्या यह भी सही है कि उक्त गांव के गृह अनुदान के वितरण में होने वाली धांधली के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, बाराबंकी को उस अवधि में कोई पत्र श्रीमती मोहसिना किदवाई, एम०पी० ने लिखा था ? यदि हां, तो वह पत्र क्या था और उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1980-81 की भीषण वर्षा से तहसील फतेहपुर में स्थित ग्राम रोटी गांव के 233 मकान क्षतिग्रस्त हुए। जिसमें 93 मकान हरिजनों के तथा 140 मकान अन्य व्यक्तियों के थे। वहां के व्यक्तियों को गृह अनुदान वितरण नहीं हुआ है। जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण देने और उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए कहा गया है। श्रीमती मोहसिना किदवाई, एम०पी० द्वारा भेजा गया कोई कथित पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

गोरखपुर जनपद के बैकुन्डपुर (महाराजगंज) विद्युत् उपकेन्द्र में आग लगने से क्षति तथा जांच

155—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में बैकुण्डपुर (महाराजगंज तहसील में) का पावर स्टेशन विगत माह अप्रैल, 1981 में जल गया जिसमें लगभग 30 लाख की क्षति हुई है और सुचारु न होने की स्थिति में लाइट, फैन व किसानों की फसल का पावर थ्रेसर से मड़ाई के अभाव में रुक पड़ा है ? यदि हां, तो इस पावर स्टेशन के क्षतिग्रस्त होने के पीछे क्या कारण है और इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

यह सत्य है कि गोरखपुर जनपद के बैकुण्डपुर (महाराजगंज) स्थित 132 के०वी० विद्युत् उपकेन्द्र के 11 के०वी० स्विच गीयर्स में अचानक दिनांक 14 अप्रैल, 1981 को लगभग 11.20 बजे आग लग गयी थी। उक्त अग्निकाण्ड में अनुमानतः रु० 3.35 लाख की क्षति हुई।

जी नहीं। उपरोक्त विद्युत उपकेन्द्र से निकलने वाली 11 के0 वी0 लाइनों की विद्युत आपूर्ति दिनांक 23 अप्रैल, 1981 को सामान्य कर दी गयी थी।

उपरोक्त घटना एक 11 के0वी0 फीडर के 'आउट डोर' केबिल बाक्स के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हुई।

विद्युत उपकेन्द्र पर हुए अग्निकाण्ड की विस्तृत जांच दो अवीक्षण अभियन्ताओं की समिति द्वारा कराई गयी है तथा जांच समिति ने उक्त अग्निकाण्ड के लिए किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया है।

जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर व डिवाई में भट्ठों के लिए ली गयी ग्राम समाज की भूमि

156—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले के ब्लाक डिवाई व दानपुर के अन्तर्गत कितने प्रधानों ने 1970 से अब तक ग्राम समाज की जमीन भट्ठों के लिए उठाई? यदि हां, तो किस रेट पर उठाई है? उनका भुगतान ठेकेदारों से क्यों नहीं लिया गया है और मियाद गुजरने पर ग्राम समाज ने कब्जा क्यों नहीं लिया? क्या दोषी व्यक्ति के साथ कानूनी कार्यवाही की जायेगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर व डिवाई में ग्राम सभा भूमि पर वर्ष 1970 से 1980 के बीच केवल श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी द्वारा ग्राम शेरपुर में एक भट्टा चलाया गया था। बदले में श्री चतुर्वेदी ग्राम समाज को 7,000 ईंटें प्रतिवर्ष देते रहे। यह भट्टा 1976 तक चलाया गया। उसके उपरान्त समय समाप्त होने पर ग्राम सभा ने कब्जा ले लिया। अतः किसी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में नया विद्युत उत्पादन गृह निर्माण करने की योजना

157—श्री विजय सिंह राना—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा के विद्युत उत्पादन गृह के समाप्त कर देने से आगरा की विद्युत आपूर्ति के लिए क्या स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था सोची है? क्या सरकार आगरा में कोई नया विद्युत् उत्पादन गृह निर्माण करने की किसी योजना पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

आगरा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए समुचित व्यवस्था की जा चुकी है 220 के0 वी0 विद्युत उपगृह आगरा चालू कर दिया गया है। इसे हरदुआगंज उत्पादन केन्द्र से सीधे बिजली मिल रही है। इसके अतिरिक्त 132 के0वी0 पर बिजली की आपूर्ति पहले से ही हो रही है। आगरा शहर की विद्युत सप्लाई की आवश्यकता आगरा के भूतपूर्व दोनों विद्युत गृहों की क्षमता से अधिक थी इसलिए 132 के0वी0 लाइन से पहिले ही ग्रिड से बिजली दी जा रही थी। साथ ही साथ अब 220 के0वी0 की एक लाइन सीधे हरदुआगंज से आगरा शहर की विद्युत की पूरी आवश्यकता के लिए बनाई गयी है। अतः यहां नया बिजली घर बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है?

158-159—श्री मोती लाल देहलवी—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 90-91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

160—श्री ऊदल—

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पिंडरा विद्युत उपकेन्द्र, जिला वाराणसी में विद्युत आपूर्ति

161—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा सब-स्टेशन (विद्युत) बिजली वाराणसी में ता0 12, 13 अक्तूबर, 1981 को दो-दो घंटे तथा 14, 15 को दिन-रात बिजली नहीं मिल पाई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं। पिंडरा विद्युत उपकेन्द्र (जिला वाराणसी) से निकलने वाली 11 के0 वी0 फीडरों पर दिनांक 12-10-1981, 13-10-1981 व 15-10-1981 प्रत्येक तिथि पर पांच-पांच घंटे विद्युत आपूर्ति की गयी। केवल दिनांक 14-10-1981 को इन फीडरों पर विद्युत आपूर्ति बिल्कुल नहीं की जा सकी जिसका कारण उक्त तिथि पर पिंडरा विद्युत उपकेन्द्र पर ही मुख्य विद्युत सप्लाई उपलब्ध न होना था।

पिंडरा विद्युत उपकेन्द्र, वाराणसी में क्षतिग्रस्त इनकमिंग स्विचगीयर

162—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सब विद्युत स्टेशन, पिण्डरा, वाराणसी का इन-कमिंग जल गया था और 1 सितम्बर, 1981 तक नहीं ठीक किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

यह सत्य है कि पिण्डरा विद्युत उपकेन्द्र (जिला वाराणसी) पर लगे दो 11 के0वी0 इन-कमिंग स्विचगीयर में से एक दिनांक 9 जुलाई, 1981 को क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे आवश्यक मरम्मत के पश्चात दिनांक 2 दिसम्बर, 1981 को पुनः चालू किया गया। क्षतिग्रस्त इन-कमिंग स्विचगीयर को पुनः चालू करने में लगने वाले समय के लिए कोई दोषी नहीं पाया गया।

बुलन्दशहर के किसानों को व्यक्तिगत नलकूपों हेतु विद्युत कनेक्शन

163—श्री किरन पाल सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग द्वारा बुलन्दशहर के किसानों को अपने व्यक्तिगत नलकूपों के विद्युत कनेक्शन राजकीय नलकूपों के ट्रांसफार्मरों से नहीं दिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

शासन के निर्णयानुसार राजकीय नलकूपों के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाये गए हैं, उनसे राजकीय नलकूपों के अतिरिक्त कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है।

164—श्री किरन पाल सिंह—

[18-9-81 को तारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित]

तहसील बीसलपुर के नायब तहसीलदार (श्री बुद्धसेन गंगवार) के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

165—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर के नायब तहसीलदार (श्री बुद्धसेन गंगवार) के विरुद्ध भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें जुलाई, 1981 को परमेश्वरी दयाल व विनोद कुमार, निवासी ग्राम भदेरी ने जिलाधिकारी, पीलीभीत, एस0डी0एम0 बीसलपुर आदि को की है ? यदि हां, तो वह आरोप क्या हैं और अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। श्री विनोद कुमार तथा अन्य निवासी एवं सदस्यगण, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा मदेरी, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत ने श्री बुद्धसेन गंगवार नायब तहसीलदार के विरुद्ध यह शिकायत की है कि ग्राम समाज भूमि पर एक नीम का पेड़ जो आंधी में गिर गया था, को श्री राम दास पुत्र श्री धनश्याम उक्त नायब तहसीलदार की अनियमित एवं अवैधानिक कार्यवाही तथा उनकी साजिश से उठा ले गए हैं। मामले की जांच में यह मामला चोरी से सम्बन्धित पाया गया है तथा धारा 380 भा० द० वि० के अन्तर्गत चोरी का मुकदमा कायम कर दिया गया है। पुलिस द्वारा जांचोपरान्त सक्षम न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उक्त नायब तहसीलदार के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया।

ग्राम पिंगरी पिंगरा, जनपद शाहजहांपुर में चकबन्दी में अनियमिततायें

166--श्री सत्यपाल सिंह-

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह सितम्बर, 1981 में ग्राम पिंगरी पिंगरा, परगना जमौर, तहसील सदर जिला शाहजहांपुर के निवासी शिवनाथ सिंह आदि ने कोई शिकायती-प्रार्थना पत्र जिसमें चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं, राजस्व मन्त्री आदि को दी है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और जांच कौन अधिकारी कर रहा है और कब तक जांच पूरी करा दी जायेगी?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम पिंगरी पिंगरा, परगना जमौर तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर में चकबन्दी में भारी अनियमितताएं करने एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी श्री शिवनाथ सिंह आदि का कथित शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है जिसकी जांच बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, सीतापुर से कराई जा रही है। जांच शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

देवरिया जिलान्तर्गत तहसील सलेमपुर में बाढ़ वर्षा से गिरे मकानों की क्षतिपूर्ति, तथा तकावी एवं सीमेंट के वितरण में गड़बड़ी की जांच

167--श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत तहसील सलेमपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध बाढ़, वर्षा से गिरे मकानों की क्षतिपूर्ति, तकावी एवं सीमेंट वितरण आदि में गड़बड़ी करने से सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-5-81 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायत की जांच किस अधिकारी से कराई जा रही है तथा कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। शिकायत-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) देवरिया से कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत चकिया फार्म की सीलिंग की जमीन से सबंधित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

168--श्री हरिवंश सहाय-

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत चकिया फार्म की 3 1/2 एकड़ सीलिंग की जमीन पर से पट्टाधारी शंकर चमार का नाम खारिज कर मकसूदन दीक्षित का नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 28-4-81 जिलाधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्य कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील---

जी हां ।

माननीय सदस्य का शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, देवरिया को दिनांक 30-4-81 को प्राप्त हुआ। शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोप सही पाए गये। बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) देवरिया ने अपने निर्णय दिनांक 14-7-81 द्वारा मकसूदन दीक्षित आदि का नाम खारिज कर शंकर का नाम अभिलेखों में पूर्ववत् दर्ज करने का आदेश पारित किया है। इस प्रकरण के लिए सहायक चकबन्दी अधिकारी, भवानी छापर, जिला देवरिया को निलम्बित कर दिया गया है। इस मामले की और जांच हो रही है उसमें जो भी दोषी मिलेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

169---श्री किरन पाल सिंह---

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

170---श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

आगरा जनपद में विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध कराने पर कार्यवाही

171---श्री विजय सिंह राना---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में वर्ष 1980-81 में कितने विद्युत कनेक्शन मांगे गये और इस आवश्यकता के अनुरूप कितने ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं और कितनों की आवश्यकता है? यह आवश्यकता कब तक पूरी कर दी जायेगी?

श्री सुनील शास्त्री---

आगरा जनपद में 1980-81 में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से 5438 व्यक्तियों ने कनेक्शन प्राप्त करने हेतु समस्त औपचारिकताएं पूरी कर दी थीं जिनमें से 4969 व्यक्तियों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बचे हुए 469 व्यक्तियों को कनेक्शन देने के लिए कुल 57 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है जिसके विपरीत 6 ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं। शेष 51 ट्रांसफार्मर अगले लगभग छः माह की अवधि के दौरान उपलब्ध करा दिए जाने की आशा है।

आगरा नगर में विद्युत् विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं के सृजित पद एवं कार्यरत अभियन्ताओं की संख्या

172---श्री विजय सिंह राना---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर विद्युत् विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं के कितने पद सृजित हैं और इनके संवर्ग में यहां कितने अधिशासी अभियन्ता कार्यरत हैं? क्या आगरा नगर में अधिशासी अभियन्ता के रूप में कोई ऐसा भी अधिकारी कार्यरत है जिसका पद कहीं अन्यत्र सृजित है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री सुनील शास्त्री---

आगरा नगर विद्युत् विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं के 12 पद सृजित हैं। इनके संवर्ग में यहां 13 अधिशासी अभियन्ता कार्यरत हैं। श्री ए0एन0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता अन्यत्र सृजित पद पर कार्यरत हैं जिनकी नियुक्ति विद्युत् प्रदेय उपक्रम, आगरा में परिषदीय कार्य के हित में की गयी है।

173---श्री मोती लाल देहलवी---

[18-9-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 186 द्वारा उत्तरित।]

174---श्री सत्यपाल सिंह---

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

175—श्री मोती लाल देहलवी—
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

संस्थागत वित्त निदेशालय में सहायक निदेशक के पद तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण

176—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संस्थागत वित्त निदेशालय में वर्तमान समय में सहायक निदेशक के कितने पद हैं क्या उनमें से कोई पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हेतु आरक्षित है ? यदि हां, तो क्या संस्थागत वित्त निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर कोई अनुसूचित जाति का कर्मचारी नियुक्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

संस्थागत वित्त निदेशालय में वर्तमान समय में सहायक निदेशक के 6 पद हैं जिनमें नियमानुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए एक पद आरक्षित है। इस पद पर अभी तक किसी अनुसूचित जाति के किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं है। कुछ वर्षों पूर्व जब संस्थागत वित्त निदेशालय स्थापित हुआ था तो व्यवसायिक बैंकों से सम्बन्धित विशेष प्रकृति के कार्य में अभिरुचि रखने वाले सरकारी संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाकर सेवा नियमावली के अभाव में, तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया। उक्त पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली प्रख्यापित होने को है और उस आधार पर नियमित चयन होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

177—श्री मोती लाल देहलवी—
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मण्डलीय लेखपाल प्रशिक्षण केन्द्र, पयागपुर बहराइच में प्रशिक्षण में ट्रेनीज एवं उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की संख्या

178—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मण्डलीय लेखपाल प्रशिक्षण केन्द्र, पयागपुर, बहराइच का वर्ष 1979–80 का परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? प्रशिक्षण में कुल कितने ट्रेनीज थे, उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण की संख्या और प्रतिशत क्या है ? इनका परीक्षाफल न घोषित किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं। मण्डलीय लेखपाल प्रशिक्षण केन्द्र, पयागपुर बहराइच का वर्ष 1979–80 का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है। प्रशिक्षण में कुल 350 ट्रेनीज थे। 346 प्रशिक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। 4 प्रशिक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 338 प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 7 अनुत्तीर्ण रहे।

परीक्षाफल 98 प्रतिशत है। एक अभ्यर्थी का परीक्षाफल शिकायत पर जांच होने तक रोका गया है।

आगरा नगर में विद्युत विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण पर विचार

179—श्री विजय सिंह राना—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में विद्युत विभाग के अन्तर्गत कितने अधिशासी अभियन्ता ऐसे हैं जो गत 6 वर्ष से अधिक अवधि से वहीं कार्यरत हैं ? क्या शासन अब उनके स्थानान्तरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

आगरा नगर में विद्युत् विभाग के अन्तर्गत केवल तीन अधिशासी अभियन्ता परिषदीय कार्य के हित में 6 वर्ष से अधिक अवधि से वहीं कार्यरत हैं। अब आगामी वित्तीय वर्ष 1982-83 में ही उनके स्थानान्तरण पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

जिला जालौन के ग्राम बम्बई में बिजली के तार से मृत्युएं

180--श्री शंकर सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, जालौन को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र ग्राम बम्बई में बिजली तार नीचे आ जाने के फलस्वरूप दिनांक 25-7-81 को पांच गायें मर जाने तथा नथू बसोर नामक हरिजन के बिजली से बुरी तरह जल जाने के सम्बन्ध में दिनांक 3-8-81 प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो जिन व्यक्तियों की गायें मर गयी थीं उनको विभाग द्वारा कितना मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? तथा जो हरिजन बुरी तरह जल गया उसको मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री खेदू तिवारी को ग्राम समाज की भूमि को दिये गये पट्टा की वैधता के सम्बन्ध में जांच

181--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री कृष्ण कुमार संग्रह अमीन, निवासी ग्राम बक्चुना, परगना खंडासा, तहसील बीकापुर, फैजाबाद ने अपने पिता के नाम गांव समाज की भूमि लगभग 20 एकड़ का पट्टा करा लिया है जबकि इनके पिता श्री खेदू तिवारी के पिता के नाम 20 एकड़ का चक है? यदि हां, तो इनको गांव समाज की भूमि का पट्टा किए जाने का क्या कारण है? इसके कौन-कौन लोग दोषी हैं? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं।

श्री खेदू तिवारी को पट्टा 7 1/2 बीघा का वर्ष 1954 में दिया गया था जबकि अमीन 1969 में सेवा में आया। पट्टे की वैधता के सम्बन्ध में परगनाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

विकास खण्ड देसही देवरिया, रामपुर का कारखाना तथा देवरिया सदर में चकबन्दी के दौरान छोड़ी गयी जमीनों का हरिजनों में वितरण

182--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड देसही, देवरिया रामपुर का कारखाना व देवरिया सदर (जिला देवरिया) में चकबन्दी के दौरान हरिजनों के लिए छोड़ी गयी आबादी की जमीनों का वितरण उनमें कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इस कार्य को पूरा कर दिया जावेगा? उपरोक्त प्रश्न के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि हरिजन आबादी पाने के कौन-कौन लोग पात्र हैं?

श्री बैजनाथ कुरील--

विकास खण्ड देसही देवरिया, रामपुर कारखाना तथा देवरिया सदर जनपद देवरिया में आने वाले 407 ग्रामों में हरिजन आबादी के आवंटन का कार्य चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है। अब तक 283 ग्रामों में आवंटन हो चुका है, शेष में यह कार्य किया जा रहा है।

नियमानुसार ग्राम में निवास करने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, कोई अन्य खेतिहर मजदूर, गांव का

कारीगर अथवा गांव में निवास करने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो, आबादी हेतु भूमि पाने के पात्र है।

बदायूं में पावर स्टेशन बनाने की योजना

183—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर बदायूं के लिए एक अलग से पावर स्टेशन बनाने की योजना अभी हाल में स्वीकृत की गयी है? यदि हां, तो अब तक नगर बदायूं में इसकी स्थापना किस कारण रुकी हुई है?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं। बदायूं में पावर स्टेशन बनाने की कोई योजना नहीं है। किन्तु इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए बदायूं में एक 132 के0वी0 के विद्युत उप-गृह की स्थापना हो रही है। जिसे इस वर्ष चालू किए जाने की आशा है।

जनपद बहराइच, ग्राम मधवापुर के श्री इकबाल हसन खां के सपरिवार पकिस्तान चले जाने से उनकी समस्त भूमि को ग्राम समाज की भूमि घोषित किए जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

184—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच तहसील नानपारा के ग्राम मधवापुर के इकबाल हसन पुत्र अली हसन आदि के 25-30 साल पूर्व पाकिस्तान चले जाने के कारण उनकी कृषि भूमि को ग्राम समाज भूमि घोषित किए जाने के आशय युक्त ग्राम प्रधान, मधवापुर श्री बाबू राम का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ 12 जनवरी, 81 अथवा उसके आस-पास एवं तदविषयक मा0 मुख्य मन्त्री को सम्बोधित प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 81 के उत्तर में श्री बदरी नारायण उप सचिव, राजस्व अनुभाग-2 पत्रांक अर्ध0शा0प0सं0 427/1-2/81, दिनांकित 22 मई, 81 द्वारा प्रश्न-कर्त्ता को सूचित सन्दर्भित शासन के निदेश जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुए? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद बहराइच, तहसील नानपारा के ग्राम मधवापुर के श्री इकबाल हसन खां पुत्र श्री अली हसन खां अपनी दो पुत्रियों, श्रीमती कुंजन बीबी श्रीमती जिया बेगम और अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी बीबी और अपने परिवार के एक अन्य सदस्य, श्री इकबाल मोहम्मद खां के साथ वर्ष 1965 से पूर्व पाकिस्तान चले गये थे और उपरोक्त समस्त व्यक्तियों के नाम अंकित उपरोक्त ग्राम में स्थित कुल 71-07 एकड़ भूमि, जो चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत भी उपरोक्त व्यक्तियों के नाम अलग-अलग अंकित हो गई थी, शत्रु सम्पत्ति हो गयी और अभिरक्षक, शत्रु सम्पत्ति, बम्बई, में निहित हो गयी और इस सम्पत्ति के प्रबन्ध आदि के लिए विस्तृत आदेश जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच को भेजे जा चुके हैं। माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1981 के साथ श्री बाबूराम, प्रधान मधवापुर का प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था और उपरोक्त प्रधान का प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र मूल रूप में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही और कृत कार्यवाही की सूचना माननीय सदस्य को दिए जाने हेतु जिलाधिकारी, बहराइच को भेज दिया गया था और शासन के पत्र संख्या 427/1-2/81, दिनांक 22 मई, 1981 द्वारा तदनुसार माननीय सदस्य को अवगत करा दिया गया था जैसा कि प्रश्न में भी स्वीकार किया गया है परन्तु प्रश्नगत सम्पत्ति चूंकि शत्रु सम्पत्ति है और अभिरक्षक शत्रु सम्पत्ति भारत सरकार, बम्बई में निहित है, अतः इसके ग्राम समाज भूमि घोषित किए जाने या इसके ग्राम समाज में निहित किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जिला बाराबंकी के विकास खण्ड रामनगर में बिजली दिए जाने हेतु स्वीकृति

185—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम किन्तूर, विकास खण्ड, रामनगर, जिला बाराबंकी के 17 व्यक्तियों को घरेलू बिजली दिए जाने हेतु सन् 1979 में स्वीकृति दी जा चुकी थी ? यदि हां, तो उन्हें अब तक बिजली कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

186—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के अन्तर्गत चकबन्दी कार्य

187—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के अन्तर्गत कितने गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी का काम दस वर्ष से अधिक समय से प्रारम्भ है और अब तक धारा 52 का प्रकाशन होकर यह कार्य समाप्त नहीं हुआ है ? क्या सरकार इन गांवों में शीघ्र चकबन्दी का कार्य पूरा करा लेगी? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

27 ग्रामों में । 4 ग्रामों में इस वित्तीय वर्ष में तथा शेष 23 ग्रामों का आगामी वर्षों में चकबन्दी धारा 52(1) के अन्तर्गत प्रख्यापन कराने की सम्भावना है ।

श्री चन्द्र भूषण मिश्रा, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, सेमरा की बिजली का तार छू जाने से मृत्यु तथा आश्रितों को आर्थिक सहायता

188—श्री मित्रसेन—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चन्द्रभूषण मिश्रा, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, सेमरा, निवासी ग्राम अहरन सुवन्स, विकास खण्ड, हरटनगंज, थाना इनायत नगर, जनपद फैजाबाद की दिनांक 20 जून, 81 को बिजली का तार छू जाने से मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो उनके आश्रित परिवारों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? और इस घटना के कौन-कौन दोषी हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? और नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टांडा थर्मल प्रोजेक्ट में श्री वाई०वी० सक्सेना को दिया गया परियोजना का सिविल सम्बन्धी कार्य

189—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा थर्मल प्रोजेक्ट, में श्री वाई०वी० सक्सेना, जूनियर इंजीनियर जो डिप्लोमा होल्डर नहीं हैं को (जू०इं०) सिविल पद पर रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ? क्या यह सही है कि परियोजना में क्वालीफाइड जू०इं० के होते हुए भी परियोजना का सिविल सम्बन्धी अधिकांश काम श्री सक्सेना को ही दिया जाता है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । श्री वाई०वी० सक्सेना को परिषद् की सेवाओं में वर्कचार्ज अधिष्ठान में नियुक्त किया गया था । 3 वर्षों की निरन्तर सेवा पूरी करने पर, इन्हें अवर अभियन्ता

(एवस कैडर) अस्थायी रूप में समायोजित किया गया था। यह सही नहीं है कि परियोजना में अन्य क्वालीफाइड जूनियर इंजीनियर के होते हुए भी परियोजना का सिविल सम्बन्धी अधिकांश कार्य श्री सक्सेना को ही दिया जाता है। स्थिति यह है कि श्री सक्सेना को परियोजना में उनके सिविल कार्य के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पहले बाउन्ड्री वाल के निर्माण का कार्य दिया गया था तथा बाद में उनको सड़कों के निर्माण का भी कुछ कार्य दिया गया है।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति

190—श्री रियासत हुसैन—

क्या ऊर्जा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 1 नवम्बर, 1981 को केन्द्रीय सरकार का जो निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था कि किसान को 12 घंटे से कम बिजली दी जाय, उसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

विद्युत् की कम उपलब्धता के कारण किसानों को 12 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करना सम्भव नहीं था। किसानों को विद्युत उपलब्धता के आधार पर 5 घंटे से बढ़ाकर विद्युत् आपूर्ति की अवधि 1 नवम्बर, 1981 के पूर्व से ही 6 घंटे से 8 घंटे तक कर दी गयी थी, जो अब भी लागू है।

टाउन बिजली घर खतौली, मुजफ्फरनगर पर नियुक्त टेलीफोन अटेंडेंट द्वारा फर्जी यात्रा बिल के विरुद्ध कृत कार्यवाही

191—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि टाउन बिजली घर खतौली, मुजफ्फरनगर पर नियुक्त टेलीफोन अटेंडेंट के फर्जी यात्रा-भत्ता बिल श्री ओम प्रकाश शर्मा, उप खण्ड अधिकारी, विद्युत् ने बिना जांच किए सत्यापित किए हैं, जिसके सम्बन्ध में लिखित शिकायत सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, मुजफ्फरनगर को 6-7-81 को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही से मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्री ओम प्रकाश, उप खण्ड अधिकारी ने टाउन एरिया बिजली घर खतौली मुजफ्फरनगर पर नियुक्त टेलीफोन अटेंडेंट के यात्रा बिलों में से फर्जी यात्राओं को जांचोपरान्त रद्द करके सही यात्राओं को ही सत्यापित किया है। इस विषय में 6-7-81 को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को प्राप्त लिखित शिकायत की जांच की जा रही है तथा जांच निष्कर्ष निकलने तक सम्बन्धित यात्रा बिलों का भुगतान रोक दिया गया है।

जनपद देवरिया के ग्रामों के कृषकों द्वारा चक नं० 161 पर बसने हेतु शासन को दिया गया पत्र

192—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम श्रीपति खाण्ड तथा मकुआ, परगना सिधुवा जोबना, जनपद देवरिया के 5 कृषकों ने जो चकबन्दी में छोड़ी गयी आवासीय चक नं0 161 पर बसने हेतु पत्र शासन को दिया है, वह प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14-9-81 के साथ संलग्न है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय उन 5 कृषकों को निर्विवाद आवासी भूमि नं0 161 पर बसाने हेतु कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां।

कथित चक नं0 161 पर प्रश्नगत 5 कृषकों को उक्त भूमि पर बसाना सम्भव नहीं है क्योंकि सम्बन्धित भूभाग निर्विवाद नहीं है।

193---श्री यदुनाथ सिंह---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की डिवीजन बेंच के निर्णय को मान्यता देते हुए जारी किए गये आवश्यक आदेश

194---श्री यदुनाथ सिंह---

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि ता0 3-2-81 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की डिवीजन बेंच ने निर्णय दिया है कि बिक्री-कर कानून की धारा 29 (3) की मदद उन्हीं वादों में ली जा सकती है जहां पर टैक्स कानूनन लागू होता है और जहां पर टैक्स कानूनन लागू नहीं होता, वहां पर जमा की गयी धनराशि को धारा 29 (3) के अन्तर्गत रोका नहीं जा सकता है ? यदि हां, तो मा0 मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या निर्णय को मान्यता देते हुए आवश्यक आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को जारी कर दिए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त---

जी हां ।

उच्च न्यायालय के निर्णय स्वतः ही मान्य होते हैं, विशिष्ट रूप से आदेश सामान्यतः जारी नहीं किया जाता है ।

बिक्री-कर बकाया राशि के ऊपर ब्याज का प्राविधान

195---श्री यदुनाथ सिंह---

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि बिक्री-कर में बकाया राशि के ऊपर ब्याज का प्राविधान 1-2-1964 से है ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरलीकरण समिति की रिपोर्ट क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त---

जी हां ।

सरलीकरण समिति ने पुरानी बकाया की वसूली सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विचार व्यक्त किया था कि यदि विभाग किसी निश्चित तिथि के पूर्व की बकाया धनराशि के सम्बन्ध में उन मामलों को छोड़कर जहां व्यापारियों ने बिक्री-कर वसूला तो है किन्तु जमा नहीं किया, ब्याज से छूट देने को सहमत हो तो पुरानी बकाया की वसूली में सहायता मिल सकेगी ।

जनपद हरदोई में बिजली की चोरी में प्रतिष्ठान पर पेनाल्टी के रूप में असेसमेन्ट तथा उनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग की कार्यवाही

196---श्री हरी शंकर ---

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 22-12-77 को बिजली चोरी के सम्बन्ध में जनपद हरदोई में पकड़े गए प्रतिष्ठान पर पेनाल्टी के रूप में कितना असेसमेंन्ट किया गया ? क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री---

22-12-77 को बिजली की चोरी के सम्बन्ध में जनपद हरदोई में निम्नलिखित तीन अधिष्ठानों पर पेनाल्टी के रूप में निम्नलिखित एसेसमेंट तथा पेनाल्टी किये गये ---

1---श्री मन्सूर हसन पुत्र श्री अन्जुम हसन, निवासी बिलग्राम, हरदोई पर रु0 174.24 असेसमेंट तथा रु0 500.00 पेनाल्टी ।

2---श्री राकेश कपूर पुत्र श्री प्रकाश नारायण कपूर मैसर्स प्रकाश आटोमोबाइल बिलग्राम हरदोई पर 1475.52 एसेसमेंट तथा रु0 500.00 पेनाल्टी ।

3—मेसर्स शंकर कोल्ड स्टोरेज, साण्डी हरदोई पर अनाधिकृत रूप में बत्ती व पंखा की बिजली चलाने पर 522–72 असेसमेंट तथा रु0 500–00 पेनाल्टी।

इन तीनों उपभोक्ताओं ने उक्त असेसमेंट तथा पेनाल्टी का भुगतान नहीं किया है। उनके विरुद्ध क्रमशः मुकदमा संख्या 359,358 तथा 355 सन् 1977 धारा 379 आई0 पी0सी0 तथा 39/40 आई0ई0ए0 के अन्तर्गत दायर किए गए जो न्यायालय के विचाराधीन हैं।

197—श्री मोती लाल देहलवी—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर के अन्तर्गत मेला, मकनपुर स्मारिका के लिए विज्ञापन की रसीद बहियां छपवाने हेतु कोष से ली गयी धनराशि तथा रिकार्ड को सील कराकर जांच के आदेश व स्मारिका के सम्पादकों के नाम

198—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मन्त्री प्रश्नकर्त्ता द्वारा उन्हें प्रेषित पत्र दिनांकित 24 मार्च, 81 के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1980–81 में जनपद कानपुर के अन्तर्गत मेला कमेटी, मकनपुर स्मारिका छपवाने के लिए चन्दा की रसीद बहियां छपवाने के नाम पर मेला मकनपुर कमेटी के कोष से धन लिया गया था? यदि हां, तो कितना व उस धन से किस प्रेस द्वारा चन्दा की कितनी रसीद बहियां छपवाई गयीं और उससे कितना चन्दा वसूल कर कितनी स्मारिकाएं छपवाई गयीं तथा शेष कितना धन मेला कमेटी, मकनपुर के कोष में जमा किया गया?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1980–81 में जनपद कानपुर के अन्तर्गत मेला मकनपुर स्मारिका के लिए विज्ञापन की रसीद बहियां छपवाने हेतु मेला मकनपुर कोष से 40 रु0 की धनराशि ली गयी थी। कानपुर के शेरवाली प्रिन्टर्स से 40 रसीद बहियां (प्रत्येक में 25 रसीदें) छपवायी गयीं और उनसे 1900 रु0 की रसीदें काटी गयीं जो स्मारिका में दिये गये विज्ञापनों से सम्बन्धित थीं। इस 1900 रु0 की धनराशि का भुगतान स्मारिका छपाने हेतु कानपुर के टिप-टाप प्रिन्टर्स को दिनांक 19–3–81 को किया गया। विज्ञापन हेतु 500 रु0 की धनराशि यू0पी0 हैण्डलूम से अभी प्राप्त होना शेष है। वसूल की गयी धनराशि का अवशेष न होने के कारण कोई धनराशि जमा नहीं की गयी। स्मारिका की 200 प्रतियां छपवाई गयी थीं जिनका वितरण स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों में निःशुल्क किया गया। इसलिए स्मारिका के वितरण से कोई आय नहीं हुई।

199—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मन्त्री प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें प्रेषित पत्र दिनांकित 24 मार्च, 81 के उल्लिखित पैरा 1(ख) में किये गये अनुरोध के अनुसार क्या उन्होंने मेला कमेटी मकनपुर, जनपद कानपुर के वर्ष 1980–81 के रिकार्ड को सील कराकर जांच आदेश किया था? यदि हां, तो रिकार्ड को सील किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

200—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परगनाधिकारी, बिल्हौर की अध्यक्षता वाले मेला मकनपुर, जनपद कानपुर की जो स्मारिका वर्ष, 81 में प्रकाशित हुई है, क्या सरकार उससे विज्ञ है? यदि हां, तो उसके सम्पादक कौन हैं?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

भूतपूर्व सदस्य श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

मान्यवर, 27 दिसम्बर, 1981 को 87 वर्ष की अवस्था में हम लोगों के बीच से द्वारिका प्रसाद पाण्डेय जी, जो इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे और महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे, उठ गये। श्री द्वारिका प्रसाद जी उन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों में से थे, जिन्होंने चौरी-चौरा में भाग लिया था और उसमें भाग लेने के कारण उनको मौत की सजा दी गयी थी। मौत से भी जूझते हुए इस वीर सेनानी ने जो कीर्तिमान रखा है, वह हम लोगों का सदैव मार्ग-दर्शन करेगा। मदन मोहन मालवीय के बीच में पड़ने के कारण उनकी मौत की सजा 16 वर्ष की कैद की सजा में बदल गयी थी और 16 वर्ष तक उन्होंने जेल की यातनायें सही। सन् 1942 के आन्दोलन में वे 2 1/2 वर्ष जेल में रहे थे। वे देश के लिए जेल की यातनायें सहते रहे। उनका सम्बन्ध श्रमिक आन्दोलन और श्रमिक वर्ग से रहा। हरिजनों और समाज के और गरीब और उत्पीड़ित लोगों से उनका सम्बन्ध रहा है। सन् 1953, फिर 1957 और 1962 में वे इस सदन के सदस्य रहे। उनके चले जाने से एक महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सेवी हम लोगों के बीच से उठ गया है। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके सन्तप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद पाण्डेय जी के निधन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो संवेदना के भाव व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद जी देश की गिनी-चुनी हस्तियों में से एक थे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना सर्वस्व न्योछावर किया। जैसा कि अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि सन् 1942 के चौरी-चौरा के आन्दोलन में उनको मौत की सजा हुई थी, लेकिन स्वर्गीय मालवीय जी की अपील पर वह सजा 16 वर्ष के कारावास में परिवर्तित हो गयी थी और 16 वर्ष की काले पानी की सजा काटने के उपरान्त जब वे मुक्त होकर आए उसी लगन से जिससे उन्होंने देश को आजाद कराया, वे 1942 के आन्दोलन में कूद पड़े सजा काटने के उपरान्त 3 बार इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। वे अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा एवं इस प्रदेश और देश के लोगों की सेवा में कार्य करते थे और उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की। प्रदेश ने एक ऐसा महान सेनानी, जिनके बलिदानों ने हमें आजादी दिलाई, किसानों और मजदूरों का नेता खोया है। मैं अपनी भाव-भीनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करता हूं और अपनी एवं अपने दल की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे इन भावों को उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद पाण्डेय जी गोरखपुर जिले के रहने वाले थे। आजादी के पहले भी उनके कार्य-कलाप ऐसे थे जिनपर भारत माता को बड़ा घमण्ड हो सकता है। आज भी आजादी दिलाने वाली और आजादी पाने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करने की कुंठित भावना को लेकर जिस उत्साह और साहस के साथ इस मातृभूमि की सेवा की, आजादी के पूर्व और बाद भी, उसकी मिसाल उत्तर प्रदेश में बहुत कम मिलेगी। वे ऐसे व्यक्तियों में से थे कि फांसी की सजा होने के बाद जब उनके घर वालों से सम्पर्क किया गया तो ऐसा मालूम देता था कि उनको इस बात की बड़ी भारी खुशी थी और वे कहते थे कि देश के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए इससे बड़ी और क्या कुर्बानी हो सकती है। वे एसेम्बली में भी 3 बार सदस्य रहे और उस समय यहां पर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। वे हमेशा दलित लोगों के हिमायती रहे, इस विधान सभा के सदस्य होने के कारण उन्होंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि जो भी यहां पर कानून बने उससे कम से कम इस वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार हो। ऐसे व्यक्ति के निधन से प्रदेश और देश को बड़ी क्षति हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल की इन भावनाओं को उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय जी के निधन के सम्बन्ध में जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा विरोधी दल के अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किए हैं उनके साथ मैं अपने और अपने दल को भी सम्बद्ध करता हूं। श्री पाण्डेय जी एक कर्मठ देश-भक्त थे और उनकी प्रखर देशभक्ति लोगों के लिए एक प्रेरणा की श्रोत थी। उनका विचार था कि आदमी केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही पैदा नहीं होता है, इससे भी ऊपर उसके अन्दर देश-भक्ति की भावना होनी चाहिए, पहले उसे आजादी मिलनी चाहिए, उसके बाद और चीजें मिलनी चाहिए। ऐसी थी उनकी देश-भक्ति की भावना। वे प्राथमिकता आजादी को देते थे और आजादी मिलने के बाद जो समाज सेवा उन्होंने की, वह हम सभी के लिए अनुकरणीय है। विधान सभा में भी वे आए और यहां आकर भी सदा उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग को ही ऊपर उठाने का प्रयास किया। यह बड़े ही दुःख की बात है कि आज संकट के समय में, देश की युवा पीढ़ी को, जिन लोगों से प्रेरणा मिल सकती थी, वे उठते चले जा रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें ऐसी शक्ति दे जिससे हम ऐसे लोगों के बताए हुए मार्ग पर चल सकें। इन शब्दों के साथ, मैं चाहूंगा कि हमारी संवेदनाएं आप उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद पाण्डेय जी के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को भी सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप हमारी संवेदनाएं उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। स्वर्गीय श्री पाण्डेय जी महान देश भक्तों में से थे। उनके मन में जो क्रांतिकारी भावना भरी थी उससे हजारों लोग प्रेरित हुए थे। जब वे विधान सभा के सदस्य थे उस समय जो लोग भी उनके निकट थे या जो भी उनके सम्पर्क में आते थे उनको वे सदा यही प्रेरणा देते थे कि कभी अन्याय के आगे झुको नहीं। वे कभी अन्याय के आगे झुके नहीं थे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी संवेदना आप उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री भीखा लाल--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय जी के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने प्रकट किये हैं उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी संवेदना आप उनके शोक सन्तप्त परिवार तक भिजवाने की कृपा करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय जी के निधन के सम्बन्ध में जो विचार अभी माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---]

नेताओं ने व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और यह अनुरोध करूंगा कि आप हमारी संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। स्वर्गीय पांडेय जी न केवल गोरखपुर के, बल्कि पूरे पूर्वांचल के एक प्रेरणा-स्रोत थे और आजादी की लड़ाई में उन्होंने एक नई दिशा दिखाई थी और चौरी-चौरा काण्ड उसका एक नमूना था। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपना अनशन शुरू कर दिया था। काश, अगर हम पाण्डेय जी के नक्शे-कदम पर चले होते और महात्मा गांधी जी हमारी बीच में न आए होते तो आजादी हमें बहुत पहले मिल गयी होती। स्वर्गीय पाण्डेय जी से सदा हम लोगों को प्रेरणा मिली है और जो गुण हमें उनमें देखने को मिले वे बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं। हम अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी संवेदना उनके दुखी परिवार तक भिजवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने स्वर्गीय पाण्डेय जी के निधन के सम्बन्ध में जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय पाण्डेय जी के साथ मुझको सन् 62 से 67 तक इस विधान सभा में रहने का अवसर मिला है। पाण्डेय जी जितने साहसी, जितने साफ हृदय और जितने स्पष्टवादी थे, जाहिर है कि वह अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहते थे। यह एक विशेषता उनमें थी। हम उनके विछोह से, हम उनके आदर्शों से भी बिछुड़ते जा रहे हैं। मैं अपनी और सदन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपकी भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप दो मिनट तक मौन खड़े होकर मृतात्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

कल दिनांक 21 जनवरी, 1982 को सदन में मुख्य मन्त्री की पत्नी पर लगाए गये आरोप के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का स्पष्टीकरण

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

माननीय अध्यक्ष जी, कल यहां पर सदन के अन्दर श्री मोहन सिंह ने मेरी पत्नी के सम्बन्ध में एक यह आरोप लगाया .....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री खड़े हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न मुख्य मंत्री के खड़े होने के सम्बन्ध में ही है। कल विगत दिवस में यह बात आई थी कि इस सदन का कार्य भारतीय संविधान और नियमावली के तहत होगा। नियमावली में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि मंत्री के विविध वक्तव्य नियम 315 के तहत होगा। नियमावली का नियम 315 जो है...

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)---

अध्यक्ष जी, क्या आपने माननीय मुख्य मंत्री को बैठने का आदेश दे दिया ?

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं उसी संविधान के तहत कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, आप भी बैठ जायं।

माननीय मुख्य मंत्री खड़े हुए, इस बीच एक माननीय सदस्य खड़े हुए कि मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री को बैठने के लिए कहा, तब उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

श्री काशीनाथ मिश्र--

किसी भी समय पर माननीय मुख्य मंत्री खड़े होकर बयान दे सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि यह जो एजेंडा है, नियम 315 देखने की कृपा करें। उसमें क्रम दिया हुआ है। 315 के अधीन एजेंडा तैयार किया जाता है। 315 के आइटम 16 पर दिया हुआ है कि मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य। तो विविध वक्तव्य मान्यवर अगर कोई होना है, तो वह एजेंडा में मुद्रित होना चाहिए। मान्यवर, आपके द्वारा समय समय पर जो निर्देश दिये गये है, करण में भी यह है कि अगर कोई माननीय मंत्री इस 315 के तहत अपना वक्तव्य देना चाहता है, तो उस वक्तव्य की एक प्रतिलिपि आपके पास भेजेगा। वह इसलिए भेजेगा कि आपको देखने की आवश्यकता है कि वह नियम के तहत वक्तव्य है कि नहीं। उनका वक्तव्य विश्रृंखलतापूर्ण तो नहीं है। उस वक्तव्य की प्रति हम लोगों को भी वितरित होती है, उसके बाद माननीय मंत्री वक्तव्य देंगे। मैंने कार्यसूची को देखा इसमें निधन के निर्देशों के बाद सदस्यों की गिरफ्तारी यदि कोई हो। मैं इसके आगे आपके श्रीमुख से सुनना चाहता था आगे का कार्यक्रम। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी खड़े हुए इसलिये मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मुख्य मंत्री जी यदि कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो वह आपकी अनुमति से दे सकते हैं। बिना आपकी अनुमति के खड़े होकर कोई वक्तव्य नहीं दे सकते हैं।

श्री मोहन सिंह--

इस सम्बन्ध में मैं व्यवस्था का प्रश्न दे चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी नेता सदन है और नेता सदन यहां खड़े हुए। जब खड़े हुये तो मैंने बोलने के लिये कहा। वह क्या कहना चाहते थे, क्या नहीं कहना चाहते थे, इसके पहले आपने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। अगर यह वक्तव्य देते तो जसा नियम है मैं निर्देशित करता। वह क्या कहना चाहेंगे, नेता सदन खड़े हैं मैंने आज्ञा दिया, ऐसा कभी-कभी नेता सदन, नेता विरोधी दल जब खड़े होते हैं तो मैं बुलवाता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने कहा कि मुख्य मंत्री वक्तव्य देंगे। वक्तव्य का स्वर जब मेरे कानों में पड़ा तो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

***श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्तव्य नहीं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं और चूंकि मेरे परिवार के सम्बन्ध में चर्चा आई . . . . .

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

हर काम नियमावली के तहत होगा। अगर कोई सदस्य कोई काम....

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रेकार्ड देख लें यह प्रोसीडिंग में है, मोहन सिंह ने कहा है कि मुख्य मंत्री इसका प्रतिवाद करें। इसलिये मैंने अनुरोध किया कि प्रतिवाद करूं, मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप स्पष्टीकरण दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

कल माननीय मोहन सिंह ने यह आरोप लगाया कि मेरी पत्नी ने निर्णय को प्रभावित किया है। जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल का....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने भी यह कहा कि राग द्वेष से एक संस्था का पट्टा निरस्त करके दूसरी शिक्षा संस्था को दिया गया है, इस तरह की बात आई। जहां तक पत्नियों के प्रभाव का प्रश्न है हम सभी प्रभावित होंगे। मोहन सिंह कितने प्रभावित हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मान्यवर, जहां तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासनिक निर्णयों का सवाल है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मुझे जिस पद पर इस सदन ने रखा है, उसकी गरिमा को रखते हुये मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कभी कोई प्रशासनिक निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह....

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, जो तथ्य है उनको मैं माननीय सदन और माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं कि गत वर्ष मैं इस शिक्षा संस्थान "जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल" के वार्षिक उत्सव में गया था।

श्री मोहन सिंह---

यह कहें कि सपत्नीक गया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

हां, सपत्नीक गया था। लेकिन कहां-कहां श्री मोहन सिंह सपत्नीक जाते हैं और कहां-कहां बिना पत्नी के जाते हैं, यह विवाद का विषय यदि उठा दिया जाय तो न मालूम इसके क्या-क्या परिणाम निकलेंगे ?

मान्यवर, इस संस्था को देखने का अवसर गत वर्ष मिला। तो वहां के विद्यार्थियों ने बहुत सुन्दर कार्यक्रम अपने प्रांगण में दिखाया। उसके अन्दर बिल्डिंग बनी थी, जिसका उद्घाटन किया और जो भूमि थी उसका पूरा उपयोग हो चुका था। उन्होंने उस बिल्डिंग से लगी हुई भूमि को भी दिखाया, जो खाली पड़ी थी, और कूड़ा करकट उसमें दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने अनुरोध किया कि यह भूमि यदि मिल जाय तो हम स्कूल का और विस्तार करके स्कूल को और सुन्दर ढंग से चला सकते हैं। मान्यवर, एक परीक्षण किया गया। एक सुबह टेलीफोन द्वारा डी0एम0 देवरिया से जानकारी की गयी कि यह एक रजिस्टर्ड संस्था है, मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा और यह संस्था उस जिले की सेवा करती है और दूसरी ओर एक दूसरी संस्था जिसको दो साल में काम करना था लेकिन वह काम नहीं किया और उसको 7 साल तक पट्टा रहा और कूड़ा करकट में उसकी भूमि रही। इन दोनों में कैबिनेट स्तर पर निर्णय लिया गया है और फिर एक माइनरिटी द्वारा चलाई जाने वाली संस्था को यदि हम लोगों ने वहां की सेवा और

शिक्षा के लिये एक निर्णय लिया तो वह निर्णय जनहित में मैं समझता हूं कि हुआ है। मान्यवर, शिक्षा के लिये करोड़ों रुपये का बजट रखा जाता है और भूमि की व्यवस्था इसमें की गयी तो इसमें कुछ दिया गया है, लिया नहीं गया है।

मान्यवर, आपके सामने कल भी प्रश्न यह उठा देंगे कि सहारनपुर में हमारे माइनरटीज का एक विद्यालय है, जो 3 मंजिला चला गया है, उसके पास स्थान नहीं है लेकिन उस विद्यालय के बगल में भूमि है जिसके लिये, कभी कोई प्रस्ताव ले आता है, कभी कोई दुकान के लिये प्रस्ताव ले आता है तो उसके लिये भी, निर्णय लिया गया है कि उसको माइनरटीज स्कूल को दे दिया जाय। इसलिये जो माइनरटीज की संस्थायें चल रही है, उनके लिये कुछ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो इस तरह का प्रस्ताव लाना श्री मोहन सिंह को शोभा नहीं देता है।

मान्यवर, तकलीफ की बात है कि जहां एक ओर आरोप लगाया जाता है कि संबंधी का प्रशासन में संबंध रहा है वहीं श्री मोहन सिंह का पत्र लिखा हुआ मौजूद है, और एक नहीं अनेक बार, अपने संबंधी कहकर कि हमारे संबंधी राम आसरे कोतवाल गोंडा में रहे, उनको सी0 आई0 डी0 में किया गया तो कहा गया कि सीतापुर में कोतवाल कर दिया जाय। इस पर शासन ने कहा कि सी0 आई0 डी0 से कोतवाल में क्यों चाहते हैं चूंकि आज तक यह किसी सेल में नहीं गये हैं और नियम है कि सेल में जायं। इसलिये जो शासन ने निर्णय लिया कि सेल में जायं तो उन्होंने हमसे क्यों कई बार कहा ? श्री मोहन सिंह का यह पत्र† है जो मैं अध्यक्ष महोदय आपको दे रहा हूं और इसका उत्तर श्री मोहन सिंह दें, जो वह शासन को प्रभावित करते रहे हैं।

(पत्र मुख्य मंत्री ने अध्यक्ष महोदय को भिजवाया)†

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, अब मुझे दो बातें कहने का स्वतः अवसर प्राप्त हो गया है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं।

(शोर)

कृपया आप बैठ जायं। कृपया आप शांत हो जायं।

एक सदस्य--

यह दलबदलू बहुत बोल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्टीकरण के लिये खड़े हुये थे और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण किया। संयोगवश उन्होंने एक बात ऐसी कही जो आरोपात्मक हो गयी। मैं इस संबंध में माननीय मोहन सिंह को केवल आरोप का स्पष्टीकरण देने के लिये अवसर देता हूं।

श्री मोहन सिंह--

इस घटना के संबंध में मुझको सुना जाय।

(शोर)

मैं फिर अपने आरोप पर कायम हूं।

---

† छापा नहीं गया।

एक सदस्य---
ऐसा पत्र लिखा है कि नहीं लिखा है इसका जवाब दें।
(शोर)

श्री अध्यक्ष---
आप शांत हो जायं।

श्री खैरुल बशर---
[× × ×]

एक सदस्य---
[× × ×]

श्री सुरेन्द्र कपिल---
[× × ×]
(शोर)

श्री मुईद अहमद---
[× × ×]

एक सदस्य---
[× × ×]

श्री अध्यक्ष---
यह कुछ नहीं लिखा जायगा।

एक सदस्य---
[× × ×]

श्री सुरेन्द्र कपिल---
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

एक सदस्य---
इनको खूटे से बंधवा दीजिये। यह चापलूस हैं, खूंटे से बंधवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष---
मैं माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि वह अपने-अपने दल के लोगों को शांत करें।

*श्री राजेन्द्र सिंह---
अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी परम्परा है कि अगर किसी सदस्य या माननीय नेता सदन या नेता विरोधी दल के बारे में कोई लांछन या एलीगेशन लगा है तो उसके स्पष्टीकरण का मौका दिया जाय। लेकिन जिस प्रकार से हमने शांति से सुना उसी तरह से सत्ता पक्ष भी मोहन सिंह के जवाब को उतनी शांति से सुने। निर्णय तो इस प्रदेश की जनता करेगी, हम और आप नहीं करेंगे।

*श्री मोहन सिंह---
मुझे यहां रह कर अपने दायित्वों का निर्वाह करना है और सत्ता पक्ष में इतना फोर्स नहीं है कि संख्या के बल पर वह मेरी बात दबा दे। मान्यवर, इनका विश्वास तो उठ चुका है, सदन की कार्य प्रणाली चलाने में एक अजीब स्थिति पैदा हो जायेगी। मान्यवर, कल प्रश्न के दौरान मैंने कुछ आरोप लगाये थे और मैं आज भी पुनः उन आरोपों पर दृढ़ता से कायम हूं। मैंने एक प्रस्ताव दिया है नियम 103 के अन्तर्गत जो जीवन

नोट---(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा

मार्ग कानवेन्ट स्कूल से संबंधित घटना से है, जिसमें सत्ता का दुरुपयोग खूब खुलकर किया गया है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि अगर मेरी इस बात में सत्यता को आंकना है, तो इस मामले की छानबीन के लिए सदन की एक सर्वदलीय समिति बनायी जाए। (शोर) माननीय मुख्य मंत्री जी अगर ईमानदार हैं तो हमारे इस आरोप के प्रति एक सर्वदलीय समिति बनाने की कृपा करें, अगर (शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

एक आरोप कल लगाया गया था सदन में, उसके स्पष्टीकरण के लिए आपने आज मा0 मुख्य मंत्री जी को समय दिया, उसी दरम्यान एक आरोप मा0 मोहन सिंह जी पर आया, अगर यह उसको गलत बताते है, तो उसका स्पष्टीकरण दें, दूसरी बातों को कह कर समय सदन का क्यों नष्ट कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जी जब खड़े ही हुए थे, तभी मैंने उनसे कहा था कि आप पर जो आरोप अभी आया है, उसका यदि उत्तर आप देना चाहें, तो दे सकते हैं।

श्री मोहन सिंह--

लेकिन जिन बातों से संबंधित मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपनी सफाई पेश की है, मान्यवर, उस संबंध में मैं पुनः इसी बात को दोहराऊंगा कि वह इधर-उधर की बात कहकर उस मामले की सत्यता को दबाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

नियमों के अनुसार जो हो सकता, उसे कराने के लिए मैं तैयार हूं। अपना वैयक्तिक स्पष्टीकरण किसी भी सदस्य को देने का अधिकार है और अगर बात केवल स्पष्टीकरण तक ही सीमित रहती तो कोई बात नहीं थी लेकिन चूंकि उसी स्पष्टीकरण के दौरान एक आरोप भी आया है, अगर इस आरोप का आप जवाब देना चाहते हों तो दे सकते हैं। यदि कोई बात इस संबंध में पुनः उठाना चाहते हैं, तो उसको अलग से किसी नियम के तहत उठावें।

श्री मोहन सिंह--

मैंने पहले भी जिस बात को कहा है, उसी पर अब भी कायम हूं।

श्री भीखालाल--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल जब मा0 मुख्य मंत्री पर कुछ आरोप लगाये गये तो आपने आज उनको स्पष्टीकरण का मौका दे दिया, यह सही है, लेकिन साथ ही क्या यह भी उचित है कि उस स्पष्टीकरण के दौरान ही किसी नये आरोप को मा0 मुख्य मंत्री को लगाने का किस नियम के तहत अधिकार है, इसकी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी को केवल स्पष्टीकरण का मौका दिया था और चूंकि स्पष्टीकरण के दौरान एक आरोप भी आ गया, तो मैंने उसके लिए मा0 मोहन सिंह को भी अवसर दिया कि वह भी अपने आरोप के प्रति जो कहना चाहते हों, कहें।

एक सदस्य--

अगर यह इस पत्र का जवाब नहीं देते कि उन्होंने लिखा था या नहीं, तो बात सही मानी जायेगी।

श्री मोहन सिंह--

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री महोदय के परिवार का हुक्म चल रहा है (शोर) यह राजाओं और सामन्तों की हुकूमत नहीं है। इस देश की हुकूमत रूल आफ ला में है, यदि रूल आफ ला नहीं होता तो मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री

[श्री मोहन सिंह]--

की शान में धब्बा लगाने का प्रयत्न न करता और यह जीवन मार्ग कावेन्ट स्कूल का जो मामला है, वह परिवार वालों को खुश करने के लिए किया गया है, इसमें (शोर)

श्री मुईद अहमद--

उस पत्र के संबंध में बतावें, तो बात इससे स्पष्ट हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मोहन सिंह, केवल आरोप के बारे में कहिए।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मोहन सिंह जी केवल पत्र के बारे में बतावें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप इस कार्यवाही में रुचि नहीं ले रहे हैं। कृपया शान्त रहें और आगे कार्यवाही बढ़ने दें।

माननीय मोहन सिंह जी ! मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने आरोप तक सीमित रहें।

(व्यवधान)

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को स्पष्टीकरण के लिये कहा था.....

श्री मित्रसेन--

लेकिन उन्होंने आरोप लगाया।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायें।

माननीय मुख्य मंत्री जी को मैंने केवल स्पष्टीकरण के लिये कहा था, उन्होंने एक आरोप लगाया। यह अच्छा होता कि वह केवल स्पष्टीकरण देते और आरोप न लगाते लेकिन अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह बात दोहरायी नहीं जानी चाहिये।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, हम विरोध में हैं, हमारा मूल आरोप समाप्त नहीं हो जायगा।

जहां तक राम आसरे सिंह, इन्सपेक्टर का सवाल है, वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनका कार्य सदैव सराहनीय रहा है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री से यह कहा कि जब अधिकांश ऐसे लोग हैं, जो अभी सी0 आई0 डी0 में नहीं गये हैं और उनको सिविल में रखा है, स्वयं मुख्य मंत्री ने हुकुम देकर कि अमुक आदमी यहां रहेगा पहले इन्सपेक्टर की जो तैनाती होती थी वह किसी रेंज में हो जाया करती थी। पहली बार गृह मंत्री ने एक इन्सपेक्टर का तबादला किया, दूसरे ने वहां आकर ज्वाइन किया। एक आदमी जिसने 3 महीने सी0 आई0 डी0 को एवाइड किया, उसके लिये गृह मंत्री ने आदेश दिया कि कैसरबाग कोतवाली में ही पोस्ट होगा। तो मैंने यह उचित समझा कि जो मुझसे सम्बन्धित व्यक्ति थे, उनके बारे में भी एक संस्तुति पत्र लिखकर दूं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठ जायं। उन्होंने अपना स्पष्टी करण दे दिया है। अब नियम 301 की सूचनायें ली जायेंगी।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री राम गोबिन्द——

नहीं मान्यवर, पहले मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष——

आप बैठ जायं।

श्री राम गोविन्द——

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष——

यह जो माननीय राम गोविन्द जी कह रहे हैं, लिखा नहीं जायगा।

दि किसान कोआपरेटिव सहकारी चीनी मिल्स, अनूपशहर (बुलन्दशहर) के सम्पर्क मार्ग पर धरना दे रहे गन्ना किसानों पर मेटाडोर चढ़ा देने से कतिपय व्यक्तियों को चोट आने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 1 बजकर 5 मिनट)

***श्री छतर सिंह**——

महोदय, दिनांक 9 जनवरी, 1982 की प्रातः 7 बजे दि किसान कोआपरेटिव सहकारी चीनी मिल्स अनूपशहर, बुलन्दशहर के सम्पर्क मार्ग के बीचोबीच धरना दे रहे आग से तपते किसानों पर, गन्ना हड़ताल को तुड़वाने के उद्देश्य से वहां के मैनेजर, सी0सी0ओ0 तथा मिल सुरक्षा अधिकारी ने एक मेटाडोर के ड्राइवर को 15,000रु0 देकर किसानों पर चढ़वा दिया। जिसके कारण 7 आदमी को गम्भीर चोटें आई तथा अर्जुन सिंह जाटव की मृत्यु जिला अस्पताल बुलन्दशहर में 5-30 बजे सायं को हो गयी तथा एक व्यक्ति की हालत अभी भी गम्भीर है तथा 4 व्यक्तियों को फ्रैक्चर हुए हैं। आग पर चढ़ने के कारण मिनी बस तो वहीं जल गयी। इस बस काण्ड की रिपोर्ट उसी दिन थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर में की गयी तथा मेटाडोर के ड्राईवर का बयान एस0डी0एम0 अनूपशहर के समक्ष हुए जिसमें उसने कहा कि मुझे मिल अधिकारियों ने 15,000 रुपये दिये हैं। इस सब काण्ड में जिला प्रशासन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है तथा न ही मिल अधिकारियों में से किसी को गिरफ्तार किया गया है। इस सब जघन्य काण्ड के कारण जिला प्रशासन की शिथिलता को देखते हुए स्थानीय जनता में बड़ा रोष है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके दंडित किया जाय जिससे न्याय को बल मिल सके और क्षेत्रीय जनता को राहत मिले।

श्री कुबेर भण्डारी——

मान्यवर, यह सदन है या सिनेमाहाल ? सामने सदस्य लोग कैसा शोर गुल कर रहे हैं ? क्या मुख्य मंत्री सिनेमा देखने गये हैं जो सब उनके पीछे-पीछे खड़े हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष——

कृपया आप लोग शान्त हो कर बैठ जायं, यह शोभा नहीं देता।

आजमगढ़ में मऊनाथ भंजन के पूरब में टोंस नदी पर बनाए जा रहे बन्धे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री खैरुल बशर——

मान्यवर, जिला आजमगढ़ में मऊनाथ भंजन के पूरब टोंस नदी के उत्तरी किनारे पर दो गांव राधो पट्टी और जयसिंहपुर को बाढ़ की विभीषिका से रक्षा करने के लिये 9.5 कि0 मी0 लम्बा बन्धा बनवाया जा रहा है। ठीक बन्धे के सामने नदी के दक्षिणी किनारे पर बसे बाहर गांव भिट्टी, मुसरदह, नसीपुर, उमापुर, वजीर पट्टी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खैरूल बशर]

भाठे, भवनाथपुर, सवां, बमहनीय कोल और रणवीरपुर बसे हुए हैं। जो बाढ़ में हर साल तबाह होते रहते हैं, लेकिन यह गांव नदी के इतने निकट हैं कि किसी भी हालत में इस ओर बन्धा नहीं बन सकता। नदी के उत्तरी किनारे पर बन्धे से दो गांव बच सकेंगे, यह सन्देहात्मक है, लेकिन दक्षिण किनारे के सारे गांव बाढ़ की विभीषिका से जो बन्धे के निर्माण से और भयावह हो जायेगी और सारे गांव तबाह हो जायेंगे तथा कुछ गांव का तो आस्तित्व ही मिट जायेगा। अगर सरकार ने इस बन्धे को फौरन न रोका तो तेजी से असन्तोष बढ़ेगा जो खतरनाक मोड़ ले सकता है। उत्तरी दो गांव की रक्षा के कई विकल्प निकाले जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में बन्धे का निर्माण रोक कर एक उच्च स्तरीय टेकनीशियन्स का दल भेज कर एक विकल्प के रूप में नया मार्ग निकाला जा सकता है और बारह गावों को तबाही से बचाया जा सकता है। इसलिये श्रीमान की आज्ञा से, इस सदन के माध्यम से, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि कोई प्रभावकारी कदम उठाया जा सके।

एस०एम० अस्पताल, आगरा के डाक्टर अशोक कुमार गंगवार द्वारा कोकीन की बिक्री के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राना---

माननीय अध्यक्ष, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आगरा एस0 एम0 अस्पताल में हुए एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें एक डाक्टर ने कुछ अन्य संबंधित निर्दोष व्यक्तियों को कागजी कार्यवाही में सम्मिलित कर हजारों रुपये का गोलमाल किया है।

एस0 एम0 अस्पताल आगरा को सन् 1945 में एक बड़ी मात्रा में कोकीन की आपूर्ति की गई थी जो अभी तक यथास्थिति में वहां पड़ी रही। किन्तु अभी कुछ दिनों पूर्व यह सम्पूर्ण कोकीन बाजार में बिक्री कर दी गई है और इस प्रकार इस कोकीन की बिक्री से डाक्टर अशोक कुमार गंगवार (आर0 डी0 एम0 ओ0) ने हजारों रुपये कमाये हैं। किन्तु उन्होंने अपनी चतुराई से इस मामले में फार्मेसी के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को इस प्रकार बांध लिया है कि यदि विभागीय स्तर पर कोई कार्यवाही की जाती है तो डा0 गंगवार के साथ-साथ ये निर्दोष लोग भी मामले से पृथक नहीं हो सकते। इस लिए विभागीय स्तर पर जनपद में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी, क्योंकि निर्दोष लोगों को कोई फंसाना नहीं चाहता है। इसलिए यह मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है।

अतः आवश्यकता यह है कि मामले की सही और तथ्यपूर्ण जांच सी0 आई0 डी0 विभाग से करायी जाय ताकि दोषी व्यक्ति बच न सके और निर्दोष व्यक्ति दंडित न होने पायें।

ईसी का पुरा, थाना सराय इनायत, जनपद इलाहाबाद निवासी श्री जवाहर लाल को पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाने तथा पांच हजार रुपए ले लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक अन्यत्त लोक महत्व के विषय की तरफ आकर्षित करता हूं। दिनांक 6 जनवरी, 1982 को एक व्यक्ति श्री जवाहर लाल निवासी ईसी का पुरा, थाना सराय इनायत, जनपद इलाहाबाद को उनके घर से दिनांक 6-1-82

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को पुलिस के लोग रात्रि के 11 बजे पकड़ कर यह कह कर कि बड़े दरोगा जी थाने पर बुला रहे हैं, ले गये। दूसरे दिन उनके घर वाले जब थाने पर जाते हैं तो उनको यह बताया कि जवाहर यहां नहीं बुलाया गया। तब उसके घर वाले बहुत परेशान हुए और मुझको भी उसकी सूचना दिनांक 8-1-82 को दिया। मैंने उसी समय स्थानीय जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तार द्वारा सूचित कर दिया था तथा बाद में एस0 एस0पी0 तथा एस0पी0 आर0ए0 से इस संबंध में बातें भी किया था। अब वह आज 14 दिनों बाद जिस किसी प्रकार से उनके पंजों से छूट कर लखनऊ आ गया है। उससे 5000 रुपये लिया गया और यह भी कहा गया है कि वह यहां से कहीं भाग जाय वरना मार दिया जायेगा। पुलिसवालों में से एक सब इन्सपेक्टर को पहचानता है और उसका नाम राम अशीश है।

मेरी मांग है कि उसकी जांच करायी जाय तथा उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करायी जाये।

पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर बस्ती जनपद में हो रहे हरे वृक्षों की कटान पर रोक लगाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद के उत्तरांचल में आज कल फलदार वृक्षों जैसे आम आदि हरे वृक्षों को व्यापक पैमाने पर प्राइवेट लोगों द्वारा काट कर उसे मशीनों द्वारा चीर कर अवैध ढंग से बम्बई के रास्ते खाड़ी के देशों में भेजा जा रहा है। पूरा उत्तरांचल वीरान होता जा रहा है।

मान्यवर, यह क्षेत्र बाढ़ से सदियों से पीड़ित रहने वाला है तथा हिमालय की तराई से निकली हुई अनेक नदियां इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। जिससे बाढ़ के दिनों में इन बागों से क्षेत्र के लोगों को राहत मिल जाया करती थी। परन्तु इस व्यापक कटान से तथा अवैध ढंग से वृक्षों का निपातन करके तस्करी आधार पर हो रहे इस कार्य से जनता में व्यापक रोष व्याप्त हो गया है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बस्ती जनपद तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में हो रहे व्यापक हरे वृक्षों के कटान को रोकने का काम करने का कष्ट करें।

कतिपय सदस्यों द्वारा अपनी नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिए जाने की मांग

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं एक हरिजन के मामले को तीन दिनों से उठा रहा हूं, वह मारा गया, उसमें एक अल्पसंख्यक की गवाही है। कल 21 तारीख को जब वह गवाही देने . . .

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें। पुनः दे दें। मैं उसको देख लूंगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

आज तीन दिन से लगातार.....

श्री अध्यक्ष--

पांच स्वीकार हो सकते थे, उनको मैंने कर दिया है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

आज 4 दिन के लिए असेम्बली बंद हो रही है. . . .

श्री गोपीनाथ वर्मा---

हमारे जनपद फैजाबाद में 14 स्कूल ऐसे हैं जहां 6 मास से तन्खाह नहीं दी गई है. . . . . .

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा---

बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मान्यवर, उसको स्वीकार करना चाहिए था, फैजाबाद जनपद की मान्यवर उपेक्षा हो रही है।

श्री अध्यक्ष---

आप सब लोग बैठें ।

विधान सभा सदस्य, श्री किरनपाल सिंह व श्री छत्तर सिंह की रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष---

जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ने अपने पत्र एवं वायरलेस सन्देश, दिनांक 20 जनवरी, 1982, जो 21 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुए, में यह सूचित किया है कि सर्वश्री किरनपाल सिंह तथा छत्तर सिंह सदस्यगण, विधान सभा (बुलन्दशहर) जो दिनांक 19 जनवरी, 1982 को गिरफ्तार किए गये थे, दिनांक 20 जनवरी, 1982 को 2-10 बजे अपराह्न जिला कारागार बुलन्दशहर से रिहा कर दिए गये। उक्त माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा उन्हें कारावासित किए जाने की सूचना सदन में दिनांक 20 जनवरी, 1982 के उपवेशन में दी जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन, जो उक्त समिति का कार्य-काल समाप्त होने से पूर्व माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

स्वास्थ्य मन्त्री, श्री लोकपति के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---

यह एक निर्णय है, मा0 श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को मा0 स्वास्थ्य मन्त्री, श्री लोकपति त्रिपाठी के विरुद्ध माननीय सदस्यों एवं सदन के अवमान के प्रश्न की एक सूचना दी थी। इसमें उनका कहना है कि 17-9-81 को तारांकित प्रश्न संख्या-11 के सम्बन्ध में श्री श्याम लाल बाजपेयी द्वारा पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मा0 स्वास्थ्य मन्त्री ने सदन में कहा कि "मैं कालीदास के शब्दों में कहना चाहता हूं।" श्री ऊदल का कहना है कि मा0 स्वास्थ्य मन्त्री कालीदास को महामूर्ख

---

†छापा नहीं गया ।

समझते हैं और श्री बाजपेई को भी वही बात कह रहे थे और कहा कि कालीदास की भाषा में कहने की इजाजत है। श्री ऊदल की शिकायत के अनुसार दिनांक 18-9-81 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 के सम्बन्ध में उनके द्वारा यह पूछे जाने पर कि जब हमारे देश में ही चार इंस्टीट्यूट हैं तो विदेश भेजने की क्या जरूरत है, मा0 मन्त्री उत्तेजित होकर बोले कि "मैं कालीदास की तरह बात नहीं करना चाहता।" और इसका आशय, श्री ऊदल के कथनानुसार यह है कि मा0 मन्त्री श्री लोकपति त्रिपाठी अपने को बहुत योग्य और विद्वान और अन्य सदस्यों को महामूर्ख समझते हैं, जोकि म0 सदस्यों एवं इस सदन की अवमानना है।

मैंने सदन की दिनांक 17 व 18 सितम्बर की सम्बन्धित कार्यवाहियों को देखा है। 17 सितम्बर, 1981 की कार्यवाही के अनुसार श्री श्याम लाल बाजपेयी द्वारा यह पूछे जाने पर कि डा0 बी0 के0 श्रीवास्तव जो कीट विशेषज्ञ बताए गए, क्या कीट का नमूना बता सकते हैं, मा0 स्वास्थ्य मन्त्री ने उत्तर में यह कहा था कि "मैं आपकी आज्ञा से कालीदास की कहानी रखना चाहता हूं। जब हमारे मा0 सदस्य रोग के विशेषज्ञ हो सकते हैं तो वह व्यक्ति जो मेडिकल आप्टोमोलोजी का एक्सपर्ट है, जिसका कार्य है मलेरिया व कीट, उत्तर प्रदेश में 1977 में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप हुआ और आज तक यह फैसला नहीं हो सका कि मस्तिष्क ज्वर वायरेस है या बैक्टेरियस। हमारे एक्सपर्टों ने इसके एक बिन्दु को लेकर शोध किया और इसमें श्रीवास्तव का भी योगदान है।" 18 सितम्बर, 1981 की कार्यवाही के अनुसार म0 स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा कालीदास के नाम का प्रयोग करते हुए केवल यह कहा गया कि "मैं कालीदास की बात नहीं कहना चाहता हूं।"

मा0 स्वास्थ्य मन्त्री, श्री लोकपति त्रिपाठी ने उक्त सूचना के सन्दर्भ में अपने 28 सितम्बर, 1981 के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि सम्भवतः श्री ऊदल ने कालीदास की कथा का गलत अर्थ लगाया। इस पत्र में स्वास्थ्य मन्त्री का कहना है कि कालीदास की विद्वता साहित्य जगत में विख्यात है और यदि कोई कभी कालीदास को विज्ञान सम्बन्धी प्रश्न करता तो सम्भवतः वह स्पष्ट कह देते कि इसका उनकी जानकारी नहीं है और किसी विषय की जानकारी का न होना मूर्खता नहीं है। दिनांक 17 व 18 सितम्बर, 1981 की कार्यवाहियों और मा0 श्री लोकपति त्रिपाठी के स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरान्त मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री मोहन सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न हमने लिखकर दिया था, मान्यवर उसको आप कब करेंगे।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1982†

पंचायती राज मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, नियम 123 के अन्तर्गत इस पर आपत्ति उठाता हूं।

(व्यवधान)

---

†दिनांक 27 जनवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष---

अभी तो पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा ही मांगी जा रही है।

श्री बलवीर सिंह---

नियम के अनुसार पुरःस्थापित करते समय ही किसी सदस्य को आपत्ति उठाने का हक है। इस पर निर्णय होने के बाद ही फिर विवाद हो सकता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा यह निश्चित मत है कि इस संशोधन के द्वारा इस ऐक्ट को ही बदल कर इसकी विधायिनी क्षमता को ही बदला जा रहा है। जम्हूरियत के तहत पहले क्षेत्र समिति के सदस्यों को ही जो चुने हुए थे अनुमेलन करने का अधिकार था। चूंकि वे इस वक्त उनसे सहमत नहीं हो रहे थे इसलिए उनको जानकारी नहीं दी गयी, जबकि नाम-निर्देशन का अधिकार उनको प्राप्त था। यह संशोधन जो दिया गया है कि अनुमेलन का अधिकार उन को जम्हूरियत के तहत प्राप्त था. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप पहले इनकी बात सुन तो लें, यह ओरिजिनल और कोई बात कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, किसी ऐक्ट के मूल कैरेक्टर को बदलने का अधिकार नहीं है। इस संशोधन से स्पष्ट यह बू आ रही है कि इस ऐक्ट के मूल कैरेक्टर को बदल दिया गया है, क्योंकि जम्हूरियत के तहत क्षेत्र समिति के सदस्यों को अनुमेलन करने का अधिकार था। जो क्षेत्र समिति के सदस्य थे वे ग्राम पंचायतों के चुने हुए नुमाइन्दे थे और उसके तहत उनको नाम-निर्देशन करने का अधिकार था। इस सम्बन्ध में एक रिट हाईकोर्ट में दयार हो चुकी है और वहां पेंडिंग है। तो मेरा यह निश्चित मत है कि यह संशोधन करना अनडेमी-क्रेटिक है और इसलिए यह अवैध है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ---

अभी तो केवल अनुज्ञा दिए जाने का प्रश्न है।

(श्री राम स्वरूप वर्मा के खड़े होने पर)

माननीय रामस्वरूप जी, विवाद के समय आपको इस पर कुछ कहने का अवसर होगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

विवाद तो पेश होने के बाद हो सकता है। मेरा कहना है कि यह पेश ही नहीं हो सकता है। मान्यवर, हमारा निवेदन यह है, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब विधेयक पेश होता है. . .

सूचना राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

(व्यवधान)

नियम 123 के अन्तर्गत एक आदमी के बाद दूसरे को मौका नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने उठाया है

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें. . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें। माननीय मन्त्री जी ने अनुज्ञा के लिए विधेयक पेश किया। आपको उस पर आपत्ति करने का अधिकार है। आप व्यवस्था के नाम पर प्रश्न उठाना चाहते हैं अन्यथा आपत्ति तो हो चुकी है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

व्यवस्था यह चाहता हूं कि जब अनुज्ञा सदन दे देगा तो यह पुरःस्थापित हो जायगा और इस पर बहस होगी। फिर तो बहस को नहीं रोक सकते। मेरा कहना यह है कि अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि इस विषय पर रिट हाईकोर्ट में हो गयी है, ऐक्ट की वैधानिकता पर और उस पर कोई उत्तर देने से इंकार कर दिया। इसलिए मान्यवर, आपके सामने कठिनाई हो जायगी जब अनुज्ञा पेश करने की आप आज्ञा दे देंगे और पेश हो जाने के बाद इस पर बहस होगी किन्तु बहस नहीं हो सकती क्योंकि कोई मामला हाईकोर्ट में निर्णय के लिए हो तो उस पर बहस नहीं कर सकते। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि इसको किसी तरह से पेश करने की इजाजत न दें, जब तक कि हाईकोर्ट का फैसला न हो जाय। जब फैसला हो जाय तब पेश करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम स्वरूप वर्मा जी आपको तो अवश्य ज्ञात होना चाहिए, किसी नये सदस्य को ज्ञात न हो, कि अनेकों बार निर्णय हो चुके हैं कि न्यायालयों की कार्यवाही से यहां की कार्यवाही बाधित नहीं होगी। मैं पुनः प्रश्न उपस्थित किए देता हूं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर हाथ उठाकर विभाजन होने पर, निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ: —

पक्ष में—79
विपक्ष में—41)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, विभाजन पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। एक निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

इस समय नहीं। माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री आप प्रस्ताव करें।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं नम्रतापूर्वक आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए आपकी व्यवस्था चाहता हूं। अभी आपने व्यवस्था दी कि न्यायालय की कार्यवाही हमारी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बाधित नहीं करेगी कहा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक ही बात हुई। आपने जो कहा उसे मैं चैलेंज नहीं करता। मान्यवर, पिछले 10 वर्षों में जो संकलन हैं, उसमें एक बार नहीं दो बार नहीं सैकड़ों बार पीठ से व्यवस्था हुई कि जो न्यायालय में विचाराधीन प्रश्न हैं उन पर चर्चा नहीं करेंगे। मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें उसके बाद हमें आदेशित करें।

श्री अध्यक्ष---

जहां तक पुरःस्थापित करने के लिए अनुज्ञा का प्रश्न है आपने उस विधेयक को पुरःस्थापित करने के सम्बन्ध में आपत्ति की थी। मैंने कहा था न्यायालय में कोई कार्यवाही चल रही हो, उससे विधायी कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता। मैंने किसी विधेयक या विधायी कार्य के लिए व्यवस्था दी है। मैं पुनः समझता हूं कि यह ठीक है ऐसे निर्णय पहले भी हो चुके हैं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना को लिए जाने की मांग

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, एजेंडा में जो छठां आइटम विशेषाधिकार का है उसको आपने छोड़ दिया। मेरा इतना महत्वपूर्ण विषय है मैंने लिख कर भी नियमानुसर आज प्रातः दिया है, आप अब उसे लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार छोड़ नहीं दिया। विशेषाधिकार के सम्बन्ध में मैंने निर्णय भी सुनाया। आपकी कोई सूचना आई नहीं होगी। आपने मुझको बताया भी कि मेरी सूचना है। मैंने आपसे कहा कि कल देखी जायगी। आप पुनः उठा रहे हैं फिर कहने की क्या आवश्यकता थी, अगर उठाना ही था तो उठाते।

कालविन स्कूल, देवरिया को दी गयी भूमि के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री बलवीर सिंह---

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

दो औचित्य के प्रश्न आये हैं एक माननीय बलवीर सिंह का है और दूसरा मोहन सिंह जी का है। बलवीर सिंह का औचित्य का प्रश्न इस प्रकार है कि---"मैं शून्य प्रहर के बाद निम्नलिखित प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कल आदरणीय सदन में स्वायत्त शासन मन्त्री ने यह जानकारी दी कि देवरिया में कालविन स्कूल को दी गयी भूमि नजूल की थी। परन्तु वस्तुस्थिति इससे बिलकुल भिन्न है। वास्तविकता है कि उक्त जमीन कृषि योग्य थी। काश्तकारों से कचहरी बनवाने हेतु अधिग्रहीत की गयी थी।" यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। आप इसको किसी अन्य ढंग से उठायें।

श्री बलवीर सिंह---

उनकी घोषणा भ्रम में डालने वाली है .....

श्री अध्यक्ष---

और भी नियम हैं, उसके अन्तर्गत उस तरह से पूछिए।

जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल को दी गयी भूमि के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप का स्पष्टीकरण मुख्य मन्त्री द्वारा सदन में न देकर पत्रकार सम्मेलन में देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मोहन सिंह---

कल ही प्रश्नोत्तरकाल में जो घटनाएं घटीं, उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मेरा प्रश्न यह है कि जब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कल चल रहा था, जीवन मार्ग स्कूल को जो जमीन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र से छीनकर दी गयी उसके बारे में। उस जमीन के आवंटन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बारे में उठाया था और उसमें कुछ आक्षेप भी किये थे। जीवन मार्ग स्कूल की जो प्रधानाचार्या सिस्टर मारिया हैं, उन्होंने मुख्य मन्त्री जी की धर्मपत्नी को जब वह अजमेर में सोफिया कालेज में छात्रा थीं, तब वहां पढ़ाया था। उनके प्रभाव में आकर मुख्य मन्त्री ने वहां के तीन-तीन जिलाधिकारियों को बदला है। उनमें से एक पदम सिंह थे, जिनको बदला था। जब मैंने यह आरोप लगाया था और उन पर आज भी कायम हूं, तो क्या मुख्य मन्त्री को या किसी को भी इस बात का अधिकार है कि प्रश्नोत्तर काल के अतिरिक्त जब विधान सभा चल भी रही हो, तो अन्यत्र किसी तरह से उसका वह उत्तर दें।

जब आप स्वीकार करते हैं तो शासन को जानकारी हो जाती है और एक वैकल्पिक एजेंडा भी हो जाता है, जिसमें प्रश्नों की सूची जाती है, वह दो-तीन घंटे पहले आती है और इस सदन में मुख्य मन्त्री जी सब प्रश्नों के लिए जिम्मेदार हैं, वह अन्य मन्त्रियों से अधिक और उनके प्रश्नों के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसलिए हमें सदन में सही उत्तर मिले इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुख्य मन्त्री की है, नेता सदन होने के नाते। कल नगर विकास मन्त्री श्री गोयल जी जब पूरा उत्तर नहीं दे सके, मैंने पूरे उत्तर की अपेक्षा कल ही की थी। इसलिए मैंने नियम 49 में भी आधे घंटे की चर्चा की मांग की थी कि आधे घंटे की चर्चा उस पर करा दी जाय। आपने भी एक तरह से उत्तर दिया कि आप इस तरह की सूचना भेजें तो गौर किया जायगा। मैंने उसको भी भेजा है, आपके यहां पहुंच जायगी। बावजूद इसके मुख्य मंत्री ने अलग से एक पत्रकार सम्मेलन बुलाकर उसके बीच में अलग से अपनी सफाई दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा अधिकार किसी भी मन्त्री या मुख्य मन्त्री को आप देंगे कि जो प्रश्न यहां आये, उसका सदन में उत्तर न देकर, जब सदन चल रहा हो, दूसरे दिन फिर बैठने वाला हो और लगातार बैठने वाला हो, उस की प्रतीक्षा किये बिना अलग से पत्रकार सम्मेलन बुलाकर उसका उत्तर दे सकें। क्या यह प्रक्रिया हमारे विधान सभा के कार्य संचालन नियमावली के अनुकूल है? और उन्होंने कहा है कि वह इस बात के लिए तैयार हैं कि इस सम्बन्ध में सदन की एक समिति बना दी जाय।

इसलिए मैंने अलग से प्रस्ताव दिया था, आप नियम 103 में अलग से इस पर विवाद करा दीजिए और सारे तथ्य हम सामने रख दें और सारे तथ्य वह भी सामने रख दें। उसके लिए सर्वदलीय समिति बना दी जाय। इसमें साफ घोर भ्रष्टाचार किया गया है, नियमों और कानूनों की अवज्ञा की गयी है। नियमानुकूल उसकी सूचना न देकर पत्रकार सम्मेलन में उसकी सूचना दी जाय यह कहां तक उचित है?

*नगर विकास मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने जो बातें सदन में रखीं, कल जितने भी अनुपूरक प्रश्न किये गये थे, उन सब के उत्तर दे दिये थे। आप कृपया कार्यवाही देख लें, एक-एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था।

(व्यवधान)

मान्यवर, इसमें किसी घोटाले का प्रश्न नहीं। सब स्पष्ट उत्तर दिये गये थे।

(घोर व्यवधान)

श्री खैरुल बशर—

माननीय मन्त्री जी ने दो प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये थे।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, मैंने एक-एक बात का उत्तर दिया कि किस प्रकार से वह जमीन कितने किराये पर दी गयी। जितनी भी बातें पूछी गयीं, उन सबके उत्तर दिये। खामख्वाह में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

'घोटाला' शब्द रख दिया। इसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ। यह माय-नारिटीज का स्कूल है, जो देवरिया की जनता की सेवा कर रहा है और उसको शासन ने नियमित रूप से पट्टा दिया। चूंकि इसमें कोई अवैधानिक कार्य नहीं हुआ है, अतः किसी चर्चा का प्रश्न नहीं है।

(श्री काशी नाथ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, जो उत्तर दिया गया उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं। जिनको मैंने बुलाया है, उनको सुनने दें। औचित्य का प्रश्न केवल यह है कि जो प्रश्न यहां पर किया जाता है उससे सम्बद्ध उत्तर बाद में प्रेस कांफ्रेंस में कहा जा सकता है। इस पर आपत्ति हो रही है।

*सूचना राज्य मन्त्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

मान्यवर, जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है कि कल जितने भी प्रश्न माननीय मोहन सिंह जी ने किये थे, उन सबके उत्तर हमारे माननीय गोयल साहब ने दिये थे, सदन की कार्य-वाही से यह मालूम हो सकता है।

जहां तक माननीय मुख्य मन्त्री का प्रेस कांफ्रेंस में कुछ कहने का प्रश्न है, पत्रकार कोई भी सवाल किसी भी समय किसी भी नेता से इस आदरणीय सदन के बारे में पूछ सकता है। केवल नीति के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री बाध्य हैं कि यदि सदन चल रहा हो तो उन्हें सदन में कहना चाहिए। यह व्यवस्था का प्रश्न किसी भी प्रकार से कतई नहीं बन सकता है क्योंकि यह नीति विषयक प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

प्रेस कांफ्रेंस में जो बात कही है, पहले उस पर सदन में पूरी तरह से चर्चा हो चुकी है और उत्तरों में पूरा विवरण दिया जा चुका है। उसके बाद यह प्रेस कांफ्रेंस हुई है।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, कल माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या जिस संस्था को पट्टा दिया गया है वह पंजीकृत है, उसके बारे में माननीय मन्त्री जी नहीं बता सके थे। आज माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में कल के प्रश्न का कुछ उत्तर दिया, लेकिन एक हिस्से का शेष स्पष्टीकरण रह गया है। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कल जिस प्रश्न का उत्तर माननीय मन्त्री जी नहीं दे पाये थे, तो आज कैसे मुख्य मन्त्री जी कल के प्रश्न का कुछ उत्तर दे पाये थे और कुछ का नहीं ? तो इसका आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय अग्निहोत्री जी औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता था। दूसरे आपके प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्टीकरण के समय दे दिया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कल जो उत्तर दिया गया वह अधूरा था उसका उत्तर नहीं मिला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

कल अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में जो प्रश्न किये गये थे और उनके जो उत्तर दिये गये थे वे कार्यवाही में है। यह सही है कि एक प्रश्न का, इस बात का, कि वह संस्था पंजीकृत है या नहीं है इसका समुचित उत्तर उस वक्त नहीं आया था, कि वह है या नहीं है। जो आरोप आपने माननीय मुख्य मंत्री जी पर लगाया था उसका प्रतिवाद उस समय किया गया था, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी द्वारा। चूंकि यह कहा गया था, माननीय मुख्य मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से उसका प्रतिवाद करें, इसलिये उनको आज स्पष्टीकरण का मौका दिया गया। उसका प्रतिवाद हो चुका है। अब अगर प्रेस वाले जहां और बहुत सी बातें पूछते हैं और उसमें कोई इससे संबंधित बात भी उन्होंने पूछ ली तो उसका वे उत्तर दे सकते हैं, इसलिये औचित्य का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(समय 1 बज कर 52 मिनट)

आगरा जिले के निबोहरा थानान्तर्गत ग्राम पलवुआ में डाकुओं द्वारा कतिपय व्यक्तियों के मारे जाने के सम्बन्ध में तथा अन्य कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन की एक सूचना है। आगरा जिले के निबोहरा थानान्तर्गत ग्राम पलवुआ में 6 व्यक्तियों के मारे जाने के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने दी है। इसी विषय पर एक सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, जटा शंकर, नन्दराम, दुर्गाप्रसाद मिश्र तथा राम आसरे वर्मा की है। दूसरी इसी विषय की सर्वश्री मोहन सिंह, विजय सिंह राना, किरनपाल सिंह और शंकर सिंह की है। इसी विषय की एक सूचना श्री मित्रसेन यादव की है। इसी विषय की एक सूचना सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री हरी किशन श्रीवास्तव, और डा० शिवानन्द नौटियाल ने दी है। इसी विषय की पांचवीं सूचना सर्वश्री हरगोविन्द वर्मा और फिरंगी प्रसाद विशारद की है। इसी पर छठीं सूचना सर्वश्री हरिवंश सहाय और नन्द किशोर सिंह की है। 7वीं सूचना इसी पर श्री नरेन्द्र सिंह की है। 8वीं सूचना सर्वश्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री नन्दराम और श्री थम्मन सिंह की है जो आगरा एवं बांदा जनपद में डकैतों द्वारा आठ व्यक्तियों की हत्या के संबंध में है। 9वीं सूचना श्री धनीराम वर्मा की है जो लोकदल के बंदी नेता श्री यदुनाथ सिंह के जेल में यातनायें देने के संबंध में है। 10वीं सूचना सर्वश्री दलगंजन सिंह तथा चौधरी शंकर सिंह की है जनपद जालौन के 80 प्रतिशत नलकूपों के खराब होने से किसानों को हुई क्षति के संबंध में और 11वीं सूचना सर्वश्री कुबेर भंडारी तथा नन्दकिशोर सिंह की है थानाध्यक्ष गौरीबाजार जिला देवरिया द्वारा कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसानों आदि को पीटे जाने के संबध में। जो सूचनायें नं० 8 से 11 तक की हैं इनके बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय कहा जा सकता है। यह अस्वीकृत हैं। जहां तक नं० 1 से नं० 7 तक जो एक ही विषय पर की सूचनायें है, उनके बारे में, जिन माननीय सदस्यों ने उसको दिया है, इसकी ग्राह्यता के बारे में मैं उनको सुनना चाहूंगा। उस पर निर्णय देने से पहले बहुत संक्षेप में आप कृपया कहें, कम से कम समय लें और मैं यह चाहूंगा कि एक सूचना पर जहां कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, उनमें से यदि एक ही बोलें तो अच्छा रहेगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आगरा में जो एक दुस्साहसिक घटना हो गयी, वह इस डाकू उन्मूलन योजना का पर्दाफास करती है। हम सभी माननीय सदस्यों को लिखित रूप में सूचित किया गया था कि अगर हमने इस समस्या का समाधान नहीं किया, तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

साढ़ुपुर की घटना हो गयी, देवली की घटना हो गयी और फिर आगरा में यह घटना हो गयी है। इससे गम्भीर मामला नहीं आने वाला है। अगर जरा सा भी जनतंत्र पर अपने विश्वास का तकाजा है, तो माननीय मुख्य मंत्री को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिये था। मान्यवर, रात का मामला है, बेचारे निरीह लोग सो रहे थे, महिलाओं की जबान काट ली गयीं। मान्यवर, जिन 6 लोगों को मार दिया गया, उनमें तीन महिलायें हैं। इस से यह साबित है कि आज प्रदेश का जन-जीवन असुरक्षित है। मान्यवर, सरकार की सभी योजनाएं बेकार हो गयी हैं। इसलिये मान्यवर, परिस्थिति इतनी गंभीर है, एक बात मेरे खिलाफ कही जा सकती है कि अभी माननीय राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया जायगा। मान्यवर, नजीरें हैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा रही है और अगर ऐसी घटना हो गयी है, तो ऐसे विषय पर अलग से चर्चा हुई है। मान्यवर, मैं इस पर बल देना चाहता हूं, अगर आप व्यवस्था दें दें कि इस पर सरकार का वक्तव्य आ जाय, तो सरकार का वक्तव्य आ जाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव का एक महत्व है आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें। हम बहुत से तथ्यों को रखना चाहते हैं। इस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने का मौका दे दें और मैं मांग करता हूं कि सरकार को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिये। अब दूसरा कोई चारा उनके पास नहीं रह गया है।

*श्री विजय सिंह रना—

अध्यक्ष महोदय, यह घटना मेरे जिले के ग्राम पलवुआ, थाना निबोहरा की है। इस घटना से पहले दो डकैतियां, एक नगला शबला, थाना डौकी में 13-14 की रात में पड़ी जिसको पुलिस ने चोरी में दर्ज किया। मैंने एस0 पी0 आर0 ए0 से शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। बाद में एस0 एस0 पी0 से कहा तब उन्होंने जांच कराया और कार्यवाही की। इसके बाद 15 तारीख को इसी थाना ही थाना ताजगंज के अन्दर एक दूसरा गांव है करमना, यहां पर डकैती पड़ी। यहां पर नगला शबला वाला गैंग ही पहुंचा था। करमना से पहले नगलातलफी पर पुलिस गई ने डकैतों से मोर्चा लिया और उसकी सूचना थाना ताजगंज को दी गयी। थाना ताजगंज से एक दरोगा बृजपाल सिंह चौहान अपने 13 अन्य साथियों के साथ जीप लेकर घटना की ओर गये। करमने के पहले करमने के नगले पर अपनी गाड़ी रोक दी, क्योंकि डकैतों को मालूम पड़ गया तो पूरे पुलिस दल को भून देंगे। अतः गाड़ी को खड़ी करके उन्होंने पैदल चलने का इरादा किया। इसमें से थाने के 4 सिपाही तो घटना स्थल की ओर चले गये, किन्तु दरोगा जी स्वयं और पी0 ए0 सी0 के लोग घटना स्थल की ओर नहीं गये। इनमें से एक जीप ड्राइवर और एक सिपाही दरबसिंह के ट्यूबवेल पर जाकर सो गये। दरोगा जी और 4 सिपाही जब करमने पर पहुंचे, तो करमने में डकैती पड़ रही थी। दरोगा और पी0 ए0 सी0 वालों ने न डकैतों पर कोई गोली चलाई और न गांव की रक्षा के लिए कोई प्रयास किया। यही नहीं उन्होंने आगे चलने वाले थाने के सिपाहियों की भी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे गांव वालों को आशंका हो गयी कि डकैतों में पी0 ए0 सी0 से मिली हुई थी। मौके पर एक बटन भी मिली। वह दरोगा जी और 5 सिपाही पी0 ए0 सी0 के न तो 4 सिपाहियों के साथ गये और न वहां रहे वह आगे गांव में पहुंच गये। उस समय गांव में डकैती पड़ चुकी थी, यह लोग गांव को पार कर चले गये, गांव वाले समझे कि यही लोग डकैती डाले। मैं दूसरे दिन जब गांव पहुंचा तो वहां पर गांव वालों का कहना था कि यह डकैती पुलिस वालों ने डाली है।

श्री अध्यक्ष—

विस्तार में क्यों बता रहे हैं। आप ग्राह्यता पर कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह--

दोनों लिंक है

श्री विजय सिंह राना--

उसी गांव में शाम को खेत में एक पी0ए0सी0 के आदमी की श्री इन्द्रदेव यादव की की नेम प्लेट पड़ी हुई थी, जिसको मैंने नेता विरोधी दल को दे दिया। यह घटना 15 तारीख की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गैंग 10 दिन के अन्दर 3-4 वारदातें कर चुका है और पुलिस के संज्ञान में यह सारी बातें थीं। मैं कहना चाहता हूं कि निबोहरा की पुलिस को इसकी जानकारी थी। मान्यवर, आप समाचार पत्र को मंगाकर देख लें, जिला अध्यक्ष लोक दल ने यह कहा था कि निबोहरा की पुलिस उस गैंग के साथ बैठ कर शराब पीती है और जुआं खेलती है और उन्होंने यह भी कहा था कि एस0 एस0पी0 चाहें तो मैं उनको दिखला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री विजय सिंह राना-

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह घटना निबोहरा पुलिस की जानकारी में हुई है, क्योंकि वह गैंग उनसे मिला हुआ है। पुलिस से मिलकर यह सारा काम हुआ है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

सभी इस पर कहेंगे। आप बैठ जायं।

*श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इस प्रकार की गम्भीर घटना से कोई आश्चर्य नहीं रह गया है क्योंकि इससे भी बड़ी-बड़ी घटनायें घट चुकी हैं। जब इस प्रकार की घटनायें होती हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री के पास भागते हैं। मुख्य मंत्री जी ने डकैतों को चुनौती दी और डकैतों ने मुख्य मंत्री जी को चुनौती दी, चुनौती में कौन विफल हो रहा है, यह स्पष्ट हो गया है। मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा देने के लिये कोई दूसरा आधार चाहिये। आप हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव कब स्वीकार करेंगे? 25, 50, 200, डेढ़ सौ आदमी की हत्या होगी तब स्वीकार होगा, आप यह बता दें कि कितनी हत्याओं के बाद कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा। इतनी बड़ी हत्या के बाद यह कार्यस्थगन स्वीकार न तो.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। हत्याओं के बाद कार्यस्थगन को स्वीकार करना, इस स्वर में आपको नहीं कहना चाहिये। कार्यस्थगन नियमानुसार मैं स्वीकार करता हूं। आप करते हैं। हत्याओं के बाद यह कल्पना और मापदण्ड किसी और का होगा, मेरा नहीं।

(व्यवधान)

डा0 बृजकिशोर मिश्र-

कितनी हत्यायें कराकर आप मुख्य मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे।

*श्री कुंवर सिंह नेगी-

मान्यवर, इतने कम समय में आगरा और मैनपुरी में जहां डकैती उन्मूलन अभियान चल रहा है, पुलिस इतनी मुस्तैदी से तैनात है, वहां पर इतने कम अन्तराल में इतनी घटनायें असुरक्षा और भय को बल देती हैं। मान्यवर, वहां पर अनुसूचित जाति के लोग मारे गये, अब मल्लाह लोग मारे गये हैं, यह लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जो पिछड़े वर्ग के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर सिंह नेगी]

लोग हैं उनमें अधिक भय पैदा हो गया है। सरकार कह रही है कि पुलिस को हमने चुस्त कर दिया है। घटना की रिपोर्ट गांव वालों ने थाने में दर्ज कराई लेकिन पुलिस दो दिन बाद पहुंचती है। तो यह इस सरकार की बहुत ही कर्मण्यता और कमजोरी की द्योतक है। इसलिये इस सरकार को गद्दी में रहने का अधिकार नहीं है।

*श्री हर गोविन्द वर्मा---

मान्यवर, मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव के ग्राह्यता के ऊपर अपने विचार रख रहा हूं। ग्राह्यता इसलिये आवश्यक है कि क्योंकि इस घटना में जो कल आगरा में घटी है उसमें कुछ विशेष परिस्थितियां देखी गयी हैं। डकैतों ने वहां जाकर पहले 3 महिलाओं की जीव को काटने का काम किया है। अभी तक प्रदेश में जो घटनायें घटीं उससे लोगों के दिमाग में था कि या तो हम मारे जायेंगे या लूटे जायेंगे लेकिन अब लूटने और मारने के पहले हमारी दुर्गति की जायेगी यह लोगों की धारणा बन गयी है। आज ऐसा शासन प्रदेश में स्थापित है। इसलिये इसमें चर्चा चलाने की आवश्यकता है और सारे कामों को रोक कर चूंकि अगर जनता इस प्रदेश की सरकार के बारे में आश्वस्त नहीं होगी, तो जनता सरकार को उखाड़ फेकेगी। आज ऐसा लगता है कि हर इंसान अपनी कमजोरी को छिपा रहा है चूंकि कोई सख्ती नहीं है और यहां तक कि शहर में भी सुरक्षा नहीं है, इसलिये काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करायी जाय और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जन आन्दोलन छिड़ जायेगा और जैसा कि कल कहा था कि मुख्य मंत्री लखनऊ में ही बैठे रहेंगे लेकिन जनता आकर मुख्य मंत्री को घसीट कर चौराहे पर फेंक देगी।

श्री अध्यक्ष---

क्या आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं? आप बैठ जायं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

अध्यक्ष जी, आगरा की घटित घटना पर 2-4 शब्द ग्राह्यता के संबंध में कहना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है जिससे हरिजन, अल्प संख्यक और पिछड़े वर्ग के लोग अपने को असहाय पा रहे हैं। आज मुख्य मंत्री 11 करोड़ की जनता का भार लिये हुये बैठे हैं? उनके हाथों में ऐसी और क्या चीज दे दी जाय जिससे जो डकैत अपनी गतिविधियों को फैलाते जा रहे हैं उन पर मुख्य मंत्री सफलता पा सकें चूंकि डकैतों की गतिविधियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और उनमें मुख्य मंत्री कंट्रोल करने में असफल हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री अपने पद से त्यागपत्र दें।

*श्री किरन पाल सिंह---

मान्यवर, आगरा में घटित घटना पर ग्राह्यता के संबंध में मैं कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप ग्राह्यता को स्वीकार करेंगे। मान्यवर, जो आगरा में घटना घटी है और डकैतों ने 6-7 आदमियों और महिलाओं को मारा है, जो प्रदेश में पहली घटना नहीं है बल्कि यह तो लम्बी घटनाओं में एक और कड़ी जुड़ गयी है। इस तरह की घटना प्रदेश में बराबर घटती जा रही है। इन घटनाओं को मान्यवर देखें तो पहली घटना में अपहरण, उसके बाद डकैती, हत्यायें, महिलाओं की हत्या, महिलाओं की गोद में बच्चों की हत्या और अब जीभ काटने की घटना घटी है और इस सरकार ने तमाम वहां पुलिस, पी0 ए0 सी0 एस0 पी0 आदि लगायें। मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और पुलिस महानिरीक्षक वहां इन तीन, चार जिलों में पड़े रहे लेकिन वहां पर इस प्रकार घटनायें होनी रुकी नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिये।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, जहां राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने डकैतों का सफाया कर दिया है और उसी से आश्वस्त होकर अपने को इस्तीफा देने से हटा लिया है। अगर देखा जाय तो यह पता चलेगा कि जाति के दायरे में यह डकैतियां नहीं हो रही हैं। बेहमई, अइमई, साढ़ूपुर, देवली कांड हुये लेकिन यह जो कांड हुआ है, आगरे में यह जाति के दायरे में नहीं हुआ है। सारे प्रदेश की जनता अपने को असुरक्षित समझ रही है। मुख्य मंत्री और सरकारी पक्ष आश्वस्त हो गया है कि उन्होंने डकैतों का सफाया कर दिया है लेकिन जनता आज बेचैन है। उसके साथ घृणित से घृणित और बरबरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आज प्रदेश की जनता में यह भावना पैदा करना बहुत आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो सकेगी। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, चूंकि जल्दी ही यह घटना घटी है इसलिये इस पर कार्य रोक कर विचार करना अनिवार्य और आवश्यक है। क्योंकि प्रदेश को सुरक्षा की गारंटी देना इस सदन का दायित्व है अतः इस पर चर्चा अवश्य करायें।

श्री नरेन्द्र सिंह---

मान्यवर, बेहमई कांड के बाद हर महीने एक सामूहिक कत्ले आम इस प्रदेश में हो रहा है। देवली में सामूहिक कत्ले आम हुआ और अभी साढ़ूपुर में कत्ले आम हुआ। आगरे में यह जो घटना घटी है यह भयानक है। माननीय मुख्य मंत्री ने दावा किया और एक प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दिया कि 24 दिसम्बर तक सारा दस्यु उन्मूलन कर देंगे लेकिन जो बड़े बड़े गिरोह हैं, जैसे छविराम, महाबीरा, लालाराम, श्रीराम उनमें एक भी कोई बड़ा डकैत नहीं मारा गया। सारे प्रदेश में अशांति और बैचेनी है। इससे और अधिक भयानक घटना कोई और नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि यह राज्यपाल के अभिभाषण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस पर एक दिन की बहस करायी जाय।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मुख्य मंत्री ने देवली कांड के बाद प्रचार करवाया था कि अगर यह समस्या समाप्त नहीं कर पाता हूं तो इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

यह तो हो चुका, ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री शंकर सिंह--

देवली, साढ़पुर की घटनायें होती हैं और उसमें हरिजनों की नृशंस हत्या होती हैं लेकिन यह ऐसी घटनाओं को रोकने में असफल रहे हैं और पूरा दोषारोपण विरोध पक्ष पर डाल रहे हैं यह घटनायें राजनीति से प्रेरित हैं। अपनी असफलता को छिपाने के लिये। आगरे में यह घटना होती है, यहां पर सबेरे मुख्य मंत्री आये थे तो हम लोग यह समझे थे, यह मुंह दिखाने लायक नहीं है, इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जो आज इस बात की बहुत आवश्यकता है, कि सदन में आप चर्चा करायें और इस सरकार को बर्खास्त करें, वरना इसी प्रकार के कांड होते रहेंगे। 3, 4 महिलाओं की जबान काटी गयी है इसके लिये कौन जिम्मेदार है। एक महिला है जिसकी बड़ी जबान चलती है अगर उस महिला की जबान काट दी जाय तो किसी महिला की जबान नहीं काटी जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 ब्रज किशोर मिश्र---

गृह मंत्री से अनुरोध किया जाय कि कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व हैं उनका भी यह जरूर सफाया करायें ।

*श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मैं इसकी ग्राह्यता पर दो मुद्दों पर कहूंगा । एक तो यह कि इनका दस्यु उन्मूलन अभियान जो है यह घटना उस पर एक करारा तमाचा है। 19-20 तारीख की रात को यह घटना हुयी और पुलिस 21 तारीख को मौके पर पहुंची है । पुलिस को घटना घट जाने के इतने लम्बे समय बाद वहां जाने का क्या औचित्य है, यह निश्चित ही प्रशासकीय विफलता का द्योतक है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिये और दूसरी जब 19 तारीख को सारे देश के मजदूरों ने अपने अधिकारों के संबंध में बंद का आह्वान किया था, उस दिन सारे प्रदेश की पुलिस को इन गरीब मजदूरों की आवाज को बंद करने के लिए सारे शहरों में भेज दिया, इनको यह होश नहीं रहा कि अभी दस्यु उन्मूलन पूरी तरह से नहीं हो सका है, पुलिस दल को देहाती क्षेत्रों से बिल्कुल खाली कर दिया, जिस के नतीजे में डाकुओं को पूरा अवसर मिला और उन्होंने खूब खुलकर कत्लेआम मचाया, तीन औरतों की जबानें काट लीं, लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा और खूब लूट पाट हुयी। इसलिये यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दिनांक 19-20 तारीख को पुलिस प्रशासक का रवैया इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं कोई फेल्योरमेन्ट जरूर है । इसलिए इस मसले पर चर्चा का किया जाना बहुत आवश्यक है ।

*सूचना राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)---

जितने भी माननीय सदस्यों को मैंने सुना विरोध पक्ष के, सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि इस मामले पर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार कर चर्चा कराई जाये । लेकिन यह बात यहां उचित भी है कि कोई ऐसी घटना घट जाये तो सदन में उसकी चर्चा होनी चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक घटना 15, 16, 18 और 19 को जो हुई, वह इत्तिफाक की बात कही जा सकती है। वैसे जब मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बात का एलान किया था कि डाकुओं का समापन किया जायेगा, उस दौरान 42 दिनों तक कोई भी घटना नहीं घटी, यही प्रशासन की चुस्ती को देखकर हमारे विरोधी भाई परेशान हो गये और उनके पैरों तले से जमीन खिसकने लगी और यह साढ़ूपुर की घटना जो घटी है, वह निश्चित ही राजनीति प्रेरित घटना थी और आज आप जिस घटना के बारे में सूचना दे रहे हैं, उस संबंध में कहना चाहूंगा कि इसमें 2 व्यक्ति पकड़ लिये गये हैं और माल भी बरामद हुआ है, अब इन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और प्रशासन इस मामले में पूर्णतया चुस्त है, इसलिए इस मसले पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य नहीं है और मैं इसका पूरा विरोध करता हूं ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

मैंने सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया था और इधर के शासन पक्ष को भी सुना । यह 19-20 की, जैसा मा0 मोहन सिंह जी ने बताया, घटना है । इसमें कोई शक नहीं है कि यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें यह बताया गया, जो मुख्य बात है इस मामले की, कि घटना होती है 19-20 तारीख को और पुलिस वहां पहुंचती है 21 तारीख को। वैसे अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, लेकिन इस घटना के संबंध में भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पुलिस घटना के काफी देर बाद 21 तारीख को पहुंची है । इसलिये मैं मा0 गृह मंत्री को यह निर्देशित करता हूं कि वह इस पर अपना वक्तव्य दें ।

(मेजें थपथपायी गयीं)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसलिये आज ही चर्चा हो जाए तो बेहतर है और यदि आज नहीं हो सकती है, तो इसका समय निश्चित कर दें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

मान्यवर, 27 तारीख को वक्तव्य दे देंगे।

(कुछ सदस्यों द्वारा पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष--

27 तारीख सबसे नजदीक की तारीख है और मन्त्री जी कह रहे हैं 27 तारीख को वक्तव्य दे देंगे। अब आप लोग बैठ जायं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरी भी एक नोटिस थी। आपने अभी मुझे सूचित किया कि मैंने जो नोटिस दी है, वह आपको मिली नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप इसको पुनः रख दीजिएगा। मैंने यह नहीं कहा कि वह मिली नहीं, लेकिन मैंने यह कहा है कि सूचना आई होगी, मैंने उसे देखा नहीं है।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, इस समय हमारी विधान सभा के दो माननीय सदस्य दफा 51 में जेल में हैं--श्री मुख्तार अनीस और श्री प्रदीप कुमार यादव, जिसके कारण वे अपने कर्तव्य के पालन से वंचित हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, मेरे जिले में...

श्री अध्यक्ष--

आपके जिले में जो था, उसे ले लिया गया है।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, मेरा भी एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष--

अन्य कार्य-स्थगन की सूचनाओं पर पहले ही निर्णय हो चुके हैं। अब मद संख्या-12 लेंगे।

(व्यवधान)

(श्री दलगंजन सिंह सीट पर खड़े हो गए तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री बोलते रहे)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, अगर आप मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं हैं, तो मैं खड़ा रहूंगा।

श्री दलगंजन सिंह--

मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष--

1 से 11 तक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये थे। उसके बाद मैंने कहा था कि 8, 9, 10 और 11 अस्वीकार किए जाते हैं तथा 1 से 7 पर सुनकर निर्णय लूंगा उन पर मैंने सुनकर निर्णय लिया। आपका मैं पहले ही निर्णीत कर चुका था। इसमें कौन सी ऐसी बात है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। आज मैं जिस क्षेत्र से विधायक चुनकर आया हूं, वहां हर स्थान पर भयंकर डकैतियां पड़ रही हैं। डाकू अपने आपको सम्राट के रूप म कायम कर रहे हैं। उन्होंने समानान्तर सरकार बना ली है।

श्री अध्यक्ष

आप पहले यह बतावें कि कौन सी ऐसी घटना घटी है, जिस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, यहां पर जो घटना घटी है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपने सदस्यों को नियंत्रित कर लें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

फिर ऐसा कीजिए कि हम सदन छोड़कर चले जायं ।

श्री दलगंजन सिंह---

अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर बोलने का समय नहीं द रहे हैं इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री दलगंजन सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981†

***ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)**--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट ऐक्ट, 1981 के अन्तर्गत प्रधानाचार्यों के लिए, अध्यापकों के लिए उनके चयन के लिए एक चयन समिति का निर्माण किया गया था और उसके अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि उनका चयन चयन समिति के माध्यम से हो। परन्तु इस चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में लगातार शिकायतें मिलती रहीं कि या तो योग्य व्यक्तियों का चयन नहीं किया गया है । योग्य शिक्षकों को अध्यापन का कार्य नहीं मिल पा रहा है या फिर चयन में कहीं-कहीं पक्षपात हो रहा है। चयन समिति जिला स्तर पर होती थी जोकि पूरे प्रदेश में एक साथ अध्यापकों का चयन कर उनकी नियुक्ति करती थी।

(इस समय 2 बज कर 26 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

इन शिकायतों के मिलने पर यह निर्णय हुआ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड का गठन किया जाय। जिससे कि एक तरफ तो हम पूरे प्रदेश में योग्य व्यक्तियों को शिक्षक के पदों पर नियुक्ति दे सकें। जो योग्य हों, जो शिक्षा देने में समर्थ हों, इस पर विचार करने के बाद इस तरह के आयोग की बात को शासन ने तय किया। जिसमें यह निश्चय हुआ कि एक तरफ जहां शिक्षकों की योग्यता के आधार पर नियुक्तियां हों वहीं दूसरी तरफ सी0टी0, एस0टी0सी0 तथा बी0टी0सी0 अध्यापकों के चयन के लिए विभिन्न 6 खण्डों में चयन बोर्ड का गठन किया जाय ।

इसके सम्बन्ध में शासन की कल्पना है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए गुरुजन जो कि विद्वान हों, चरित्रवान हों वे चयन बोर्ड के माध्यम से चुनकर आयें। इसलिए इस बिल को मान्यवर, मैं इस सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

---

†दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैंने यह विधेयक पढ़ने की चेष्टा की और बड़े ध्यान के साथ अभी भार-साधक मन्त्री जी के भाषण को सुनने की कोशिश की। जहां तक इस चयन बोर्ड का शिक्षा के विधेयक के माध्यम से गठित किए जाने का प्रश्न है, इसमें दो चयन बोर्ड गठित किए जाने का प्रश्न निहित है। जहां तक चयन बोर्ड के गठन किए जाने की भावना का सवाल है, उस से मैं सहमत हूं लेकिन जिन परिस्थितियों में चयन बोर्ड का गठन किए जाने की बात हो रही है, उससे शिक्षा का समाधान निकलने वाला नहीं है। शिक्षा का समाधान तो एक है कि सरकार ने जो वायदे किए हैं उस आधार पर वह माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करे।

मान्यवर,आप शिक्षा बोर्ड को देखने की कृपा करें। आज तक राष्ट्रीयकरण, सरकारीकरण का नाम सुना था लेकिन आज शिक्षा के माध्यम से दलीयकरण का नाम नहीं हो सका। यह शिक्षा के माध्यम से सत्तारूढ़ दल का एक इरादा केवल यही है कि शिक्षा को अपने चुंगल से अपने वाचस्व से दाब दिया जाय।

मान्यवर, धारा 3 देखने की कृपा करें। मान्यवर, यह जो चयन बोर्ड गठित होने जा रहा है इसमें 6 से लेकर 8 तक सदस्य मनोनीत होंगे और मण्डल स्तर पर भी बोर्ड बनाने का विचार है। इसमें लिखा हुआ है कि आयोग में राज्य सरकार द्वारा एक अध्यक्ष और कम से कम 6 और अधिक से अधिक 8 सदस्य होंगे जो न्यायिक शिक्षा सेवा और उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के आचार्य हों। तो मान्यवर, 4 की तो व्यवस्था हो गयी और 5 कौन होंगे, उनकी क्या क्वालीफिकेशन होगी, इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अध्यक्ष कैसा होगा, इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। जब यह अधिनियम बन जायगा तो अध्यक्ष की परिभाषा क्या हो, उसकी क्वालीफिकेशन क्या हो, उसको बांधने की चेष्टा नहीं की गयी है। वर्तमान सरकार के चरित्र को अभी तक देखने से पता चलता है कि बोर्ड में ऐसे व्यक्तियों को नामित किया जायेगा, जिनके पास कोई डिग्री न हो, शैक्षिक योग्यता न हो। अध्यक्ष के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, न यह कि उसका अध्यापन का अनुभव इतना हो, न यह कि वह स्नातक हो, इसका कुछ भी नहीं है। इसलिए अध्यक्ष अपने दल के ऐसे लोगों को जिनको आप रोजी-रोटी देना चाहते हैं, जैसे श्याम लाल बाजपेयी ने कहा था कि बेरोजगार राजनीतिक लोगों को इम्प्लायमेंट देना है, तो ये पूर्ण कालिक होंगे और उनका वेतन होगा, भत्ते होंगे, इसलिए राजनीति में जिन को जनता ने ठुकरा दिया है, ऐसे राजनीतिक लोगों को. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपके शब्द को थोड़ा भारी कर दूं, जब राजनीतिक लोगों को रोजी-रोटी देने की बात का जिक्र आया था तो अध्यक्ष पीठ से आप को आश्वासन दिया गया था कि उनको मुझे दरख्वास्त देनी पड़ेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

अगर इसका भी प्राविधान कर दिया गया होता तो मुझे . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

अगर राजनीतिज्ञ हैं तो जरूर उनको दरख्वास्त मेरे माध्यम से देनी होगी।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

चयन कर लिया जाय और उसके बाद व्यवस्था यह की गयी है कि केवल वह प्रबन्ध-तन्त्र को सिफारिश कर दें कि आप इनकी नियुक्ति कर दें और स्वयं शिक्षा मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि जो प्रबन्धतन्त्र है, उनका चरित्र कैसा है। आपके बगल के, कानपुर जिले में सी0ओ0डी0 कालेज है। आप जानते हैं वहां प्रबन्धतन्त्र ने विद्यालय बन्द कर दिया,

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

आपने आदेश दिया, खोला जाये, वह नहीं खोल रहे हैं, वेतन जा रहा है, न पढ़ाई हो रही है, न खुल रहा है। आपके आदेश तक नियुक्ति पत्र भेज देंगे, इसमें आपकी भावना पूरी नहीं होगी क्योंकि आपने इसमें मात्र सिफारिश की बात की है। और अगर आपका निर्देश नहीं मानेंगे तो हम दंडित करेंगे। इसमें भी पक्षपात की बात आ रही है। इसमें भी जूरिस्प्रूडेंस की कोई बात नहीं की गयी है। उसका भी एक नियम होता है। इसीलिए मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति का प्रस्ताव इसीलिए रखा है कि इस को आप भेज दें और विधायकों की जो समिति होगी इस पर संगठित रूप से विचार करेगी और उसके बाद कोई रास्ता निकालेंगे। इसमें आगे लिखा है कि किसी अध्यापक की नियुक्ति 10 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात प्रबन्धतन्त्र द्वारा केवल आयोग की सिफारिश पर की जायेगी। आपने आर्डिनेंस जारी किया था, समझा यह था कि यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। अध्यादेश हुआ लेकिन विधान मण्डल को विश्वास में नहीं लिया गया। डेढ़ वर्ष हो गया लेकिन अभी तक आयोग नहीं गठित हुआ।

उसके बाद नियुक्तियों पर रोक लग गयी। लेकिन अब फिर धड़ाधड़ नियुक्तियां हो रही हैं और उसमें से प्रोन्नतियां हो रही हैं। मुकदमें हो रहे हैं लेकिन एक साल तक आपने कुछ काम नहीं किया। एक बात और कहना चाहता हूं जोकि बड़ा गम्भीर विषय है, यह सब बनाने के बाद जिसके बारे में मा0 मन्त्री जी ने कहा कि प्रबन्धतन्त्र की समितियों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। यहां पर यह व्यवस्था कर दी गयी जब इस विधेयक को बनाया गया कि इस अध्यादेश की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी। यहां मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मैं स्वयं और मेरी पार्टी इस बात के पक्षधर हैं कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के विद्यालय चलाने का अधिकार होना चाहिए लेकिन जो उस विद्यालय के कर्मचारी हैं क्या उनको भगवान के भरोसे छोड़ देंगे आप? क्या उनकी सुरक्षा की गारन्टी सरकार नहीं लेगी? इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी यह प्रश्न उठाया था तो मा0 अम्मार रिजवी साहब ने मेरी भावनाओं से सहमति व्यक्त करते हुए यह बात कही थी कि उन कर्मचारियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो आपको यह देखना चाहिए कि उन पर अन्याय न हो, अत्याचार न हो। आपने उनको मौत के रास्ते पर छोड़ दिया। इस सम्बन्ध में कई बार यह कहा जायेगा कि यह संविधान का मामला है तो इस सम्बन्ध में न्यायालय का एक निर्णय आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं कि यह कोई बन्धन नहीं है। भारतीय संविधान उनको अपनी रुचि के विद्यालय चलाने की आजादी देता है लेकिन हमारा संविधान कुप्रबन्ध की आजादी नहीं देता है। उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यह है.....

एक्सट्रैक्ट्स फ्राम दि डिसिजन आफ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेड इन लिली कुरीन वर्सेस एस0आर0 लेविना (1978 केरल, ला टाइम्स)

इट इज कण्डक्टेड आन बिहाफ आफ दि एपेलन्ट दैट दी राइट टु ऐडमिनिस्टर गारन्टीड बाई आर्टिकिल 30(1) आफ दि कान्स्टीट्यूशन इज नाट कैरी विथ इट आल राइट टु माल-एडमिनिस्टर. इट इज आर्ग्युड दैट हवाइल आटोनामी इन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स राइट टू एडमिनिस्टर इफेक्टिवली एण्ड टू मैनेज एण्ड कण्डक्ट दि अफेयर्स आफ दि इन्स्टीच्यूशन, दि यूनिवर्सिटी विल आल्वेज हैव ए राइट टु सी दैट देयर इज नो माल-एडमिनिस्ट्रेशन. इफ देयर इज ए माल एडमिनिस्ट्रेशन दि यूनिवर्सिटी मस्ट टेक स्टेप्स टु क्योर दि सेम, दि राइट टु एडमिनिस्टर इज, देयरफोर, टु बी टेम्पर्ड विथ रेगुलेटरी मेजर्स टु फैसिलीटेट स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन.

इसीमें आगे यह है कि—

रेगुलेशन इन दि इन्टरेस्ट आफ इफिशिएन्सी आफ टीचर्स डिसिप्लिन एण्ड फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन फार नेससरी आर प्रीजर्विंग हारमोनी एमंग एफीलिएटेड इन्स्टीट्यूशन्स. इट इज गुड दैट इफ दि स्टेट हैज एनी रोल टु प्ले इन दि सिस्टम आफ जनरल एजूकेशन, इट्स पावर कैन नाट बी कन्फाइन्ड मेयरली टु दि लेइंग डाउन आफ ए प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड आफ एजूकेशन फार माइनारिटी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स बट शुड अलसो एक्सटेण्ड टु आल नेसेसरी मेजर्स टु सेक्योर ऐन आर्डरली, इफीशिएन्ट एण्ड साउण्ड एडमिनिस्ट्रेशन आफ सच इन्स्टीट्यूशन्स

अर्थात् जहां पर विद्यार्थियों के डिसिप्लिन का सवाल है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का सवाल है वहां संविधान का अनुच्छेद 29 यह कहता है कि जहां पर आजादी होती है विद्यालय खोलने की, वहीं पर शिक्षा में भेदभाव बरतने की आजादी नहीं होगी। पहले इसी आदरणीय सदन में चर्चा जब हो रही थी तो मैंने कहा था लामार्टीनियर स्कूल के एक अध्यापक के बारे में। मा0 ग्राइस साहब इस समय है नहीं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक पी0 के0 धर, जो साइन्स कालेज में थे, 5 साल तक पढ़ाते रहे। आश्वासन दिया गया कि उसकी जांच होगी और शिक्षा विभाग के अधिकारी का पत्र आया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद पाया गया कि उनके खिलाफ जो नोटिस दी गयी वह गलत है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। श्री पी0 के0 धर, अध्यापक सेंट फ्रांसिस कालेज, लखनऊ की अनियमित रूप से सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा मन्त्री जी को सम्बोधित एक पत्र दिनांक 23 अक्तूबर, 1980 का अवलोकन करें—"इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उक्त प्रकरण पर जांच कराके आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु शिक्षा निदेशक को निर्देशित कर दिया गया है।"

मान्यवर, शिक्षा निदेशक से मैं स्वयं मिला लेकिन आज तक क्या कार्यवाही की गयी उसकी जानकारी नहीं दी गयी। मैं शाहजहांपुर के एक मिशन स्कूल के बारे में जानता हूं वहां एक चतुर्वेदी जी की नियुक्ति गलत ढंग से की गयी लेकिन सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। एक आवेदन-पत्र राष्ट्रपति और शिक्षा मन्त्री को भी दिया गया है। मसूरी, देहरादून आदि कई प्रमुख स्कूलों के अध्यापकों के साथ अनेकों तरह के अन्याय हो रहे हैं और हुए हैं जिनमें से अनेकों के आवेदन-पत्र मेरे पास मौजूद हैं। और जो समय-समय पर शासन को भेजे गये हैं। ऐसी संस्थाएं जिनको आपने अपनी रुचि के विद्यालय के चलाने का मौका दिया है, अपने मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए वहां कार्य करने वाले अध्यापकों की सुरक्षा होनी चाहिए। अपने स्कूलों को जिस तरह से वे चलावें इससे किसी को विरोध नहीं है लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारियों और अध्यापकों का शोषण जो उनके द्वारा किया जा रहा है, वहां की नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के लिए इस आयोग की तहत कोई सुझाव नहीं है। इसलिए मैंने ये चन्द दो-तीन सुझाव जो इसके अन्दर दिए हैं उन पर आप पुनः विचार करें और इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेज दें, जहां पर विचार करके शासन उस पर निर्णय ले तो वह उचित होगा।

शिक्षा विभाग में जितना भ्रष्टाचार है और जिस तरह से गलत ढंग से नियुक्तियां आदि की जाती हैं उसे सभी जानते हैं। उसके बाद भी होचपोच तरीके से कोई कानून बनाना सही नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इसका राष्ट्रीयकरण करें। सिद्धान्ततः राष्ट्रीयकरण करने की बात तो आप कई बार स्वीकार कर चुके हैं लेकिन अब इसे कर ही दें तो ठीक होगा। आयोग में जो अध्यक्ष होगा, जो सदस्य होगा उसकी क्वालिफिकेशन भी आप तय कर दें और साथ ही राष्ट्रीयकरण के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने का अधिकार भी आयोग को ही होना चाहिए। इससे सिफारिश नहीं चल सकेगी कोई पक्षपात की बात नहीं हो सकेगी। उनका मानक भी आप तय कर दें। भगवान के

[श्री राजेन्द्र कुमार गप्त]

नाम पर अल्प संख्यक विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की सुरक्षा के लिए उसका समय-समय पर नियमन किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, इस माध्यमिक शिक्षा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक का इस विधान सभा में लाया जाना एक क्रान्तिकारी कदम है, शिक्षा के क्षेत्र में। मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। अभी हमारे माननीय मित्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी प्रबन्ध समितियों पर अंकुश लगाने की बात कर रहे थे। वह अंकुश अगर हम शिक्षा में लगाना चाहते हैं तो वह इस आयोग के द्वारा लगा सकते हैं वरना इस प्रदेश के पीड़ित अध्यापकों की हालत नहीं सुधार सकती। मैं खुद उस वश में रहा हूं। प्रबन्धतन्त्र चाहे प्रधानाचार्य हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे सी0टी0 ग्रेड के अध्यापक हों सभी की हालत खराब करता है। ऐसे मौके पर इस विधेयक का लाया जाना स्वागत योग्य है। मैं यह बड़े दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सत्तर, पचहत्तर हजार अध्यापकों ने इस का स्वागत किया है। माननीय गुप्ताजी बड़े हमदर्द हैं अल्पसंख्यकों के, माइनारिटीज इंस्टीट्यूशन्स के और शायद अच्छे माइनारिटीज इंस्टीट्यूशन्स के। मैं तो मेरठ में देखता हूं चाहे क्रिश्चियन का हो चाहे मुस्लिम का हो उनकी सेवा शर्तें भी उसी तरह हो जो माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में है। मेरा निश्चित विश्वास है कि माइनरिटीज इंस्टीट्यूशन के अध्यापकों की भी सेवा इसी से सुरक्षित रहेगी।

गुप्ता जी हम और आप चाहे विधान सभा के सदस्य भी हों लेकिन एक या दो कालेज के मैनेजर जरूर होंगे। आप ठंडे दिल से सोचकर देखें क्या वाकई उन संस्थाओं में भ्रष्टाचार है या नहीं। प्रबन्ध समिति द्वारा चलाए जा रहे इंस्टीट्यूशन में इतना भ्रष्टाचार है कि जब चाहो अध्यापकों को निकाल दीजिए और जब चाहो उनका चयन कर लीजिए। आधे प्रबन्ध समिति में ऐसे लोग हैं जिन को ए, बी, सी, डी, नहीं आती। आप इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की बात करते हैं। आपको इसे 100 प्रतिशत समर्थन देना चाहिए क्योंकि इससे प्रदेश के 70 हजार अध्यापकों पर नहीं उन लोगों पर कुठाराघात हुआ है जो 10-12 इंस्टीट्यूशन को अपने जेब में रखे बैठे हैं। इसी वजह से आपको इसका घोर समर्थन करना चाहिए। मुझे बड़े दुःख और खेद के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षा जो किसी देश के आने वाले भावी नागरिकों को बनाती है उस शिक्षा जगत में जात बिरादरी वकत का बोलबाला है। मैं कह सकता हूं कि इस कदर जात बिरादरी, मजहब, इंस्टीट्यूशन्स में है चाहे वह मेरठ का हो, आगरे का हो, हर विद्यालय में जात बिरादरी फैला हुआ है। विशेष वर्ग के प्रबन्ध समिति के लोग विशेष वर्ग के आदमी को ही वहां पर रखेंगे, दूसरे वर्ग के आदमी को प्रधानाचार्य नहीं रखा जायगा। इतना ही नहीं मेरी यह निश्चित जानकारी है कि मेरे ही गांव में डिग्री कालेज है जहां मैंने पढ़ा और वहां लेक्चरर भी रहा, आज भी ज्यों का त्यों वहां पर वही प्रबन्ध की व्यवस्था है। वही सेक्रेटरी हैं। कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। अध्यापक जब चाहे निकाले जायें। कोई मदद नहीं करता। मैंने खुद उनकी मदद की। हाईकोर्ट तक मदद की लेकिन शिक्षा विभाग के किसी आदमी ने कोई मदद नहीं की। तो मेरा इस आयोग का समर्थन इसलिए है कि इस आयोग से कम से कम जो अध्यापक, प्रधानाचार्य का जब मौका आये निकाल दिए जाते हैं उनके लिए यह अवसर तो न आये कि हम भूख हड़ताल करें और डी0आई0ओ0एस0 के यहां धरना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दें। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं इस आयोग का समर्थन करते हुए माननीय गुप्ता जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के सरदार शहर के एक बड़े पूंजीपति ने अपनी सारी जमीन एक ट्रेनिंग कालेज को दान दे दी। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग शिक्षा को व्यपार की तरफ ले जा रहे हैं और जो लोग शिक्षा जगत से पैसा कमा रहे हैं उनके हाथों से इसको छुड़ाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक की क्यों आवश्यकता पड़ी। आज प्रदेश के अन्दर ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोला हो और उसे वे विद्यालय के रूप में चलाना चाहते हों। शिक्षा जगत में आज ऐसा माहौल ही हो गया है। मैं प्रूफ दे सकता हूं कि आज जितने भी कालेजेज में अप्वाइन्टमेन्ट होते हैं चाहे वे सी0टी0 ग्रेड के हों या लेक्चरर ग्रेड के हों, चाहें वे सहारनपुर में हों या मेरठ में हों, 10–10 और 15–15–हजार रुपया प्रबन्ध समितियों ने उनके अप्वाइन्टमेंट के लिए तय किया था और तब नियुक्तियां होती थीं।

मैं आभारी हूं, माननीय मन्त्री जी का कि वे ऐसे विधेयक को लाए हैं जिससे कि जो अध्यापक क्वालीफाइड भी हैं और अपना एप्वाइन्टमेंट चाहता है तो वह 15 हजार देने से बच जायगा। इसलिए मैं अपने माननीय गुप्ता जी से कह रहा हूं कि यह एक क्रान्तिकारी विधेयक है और अध्यापकों की रोजी-रोटी का इसमें प्रश्न है जोकि कालेजों में पढ़ाते हैं उनके लिए यह एक नया जीवन है, नया मोड़ है। इतना ही नहीं, जो लोग यह कहते हैं कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आ जायगी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वे अपने दिल और दिमाग को साफ कर लें। मेरा निश्चित विश्वास है कि प्राइमरी स्कूल की शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा तक प्रदेश के अन्दर 5 या 6 हजार मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल होंगे और उनमें भी जो ट्रेंड अध्यापक हैं जो और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को रिकगनिशन दी जाती है उनके लिए भी जो प्रावीजन किया गया है कि उनकी प्रोन्नति करके जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाचार्य बनाया जाय, और उनको भी एड कर लिया जाय। जो 8 वां पास करके आता है और रख लिया जाता है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की भी पदोन्नति हो और उसे भी हायर सेकेन्डरी स्कूल का प्रधानाध्यापक बनना चाहिए। इतना ही नहीं जो गर्ल्स स्कूल हैं उनमें भी यह नियम लागू किया जाय जिससे कि प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा में उन की प्रोन्नति करके नियुक्त किया जाय जिससे कि उनको भी राहत और सन्तोष मिल सके। मैं इस विधेयक का जोरदार समर्थन करता हूं और इसे एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माध्यमिक शिक्षा विधेयक जो प्रस्तुत हुआ है, अगर मन्त्री जी की नीति और नीयत सही है और ठीक है तो निश्चित ही इसका स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी नीति और नीयत दोनों ही बंद हैं।

मान्यवर, दुर्भाग्य यह है कि अभी तक यह शासन तय नहीं कर पाया है कि शिक्षा की दिशा क्या हो, प्रबन्ध तन्त्र के अन्दर रहे या राष्ट्रीयकरण किया जाय या नियमीकरण किया जाय, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। शिक्षा की दुर्दशा का यही कारण है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षा सेवा आयोग ने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और वह अमुक व्यक्ति मान लें देहरादून का रहने वाला है और उसकी नियुक्ति देवरिया में कर दी। प्रबन्धक देवरिया नहीं चाहता है कि उसकी नियुक्ति हो लेकिन शिक्षा सेवा आयोग ने नियुक्ति कर दी तो उसी समय से संघर्ष शुरू हो जायगा। उसी दिन से वह अध्यापक सेवा करने के बजाय झंझट में पड़ जायगा। देवरिया में प्रबन्धक बैठा हुआ है, जिसका वहां घर है, वहां स्कूल है, तो वह अध्यापक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

वहा एक दिन भी टिक नहीं सकता। तो इस तरह से अव्यवस्था और अनुशासनहीनता का क्रम चलता रहेगा। इसी सम्बन्ध में मैं इशारा करूंगा कि जब वैकल्पिक अध्यापकों का प्रश्न आया तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने देखा कि अमुक विद्यालय में स्थान रिक्त है और उसने अमुक आदमी को भेज दिया लेकिन प्रबन्धक नहीं चाहते कि वह वहां आये। प्रबन्धक कहते हैं कि यह व्यक्ति यहां की भाषा नहीं समझता है, कुछ जानता नहीं है इसलिए हम नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो यही स्थिति यहां पर भी पैदा होगी।

इस सन्दर्भ में माननीय गुप्ता जी ने जो राजनीतिक बेईमानी की बात कही उस सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है। इस सरकार का राजनीतिक जीवन का भ्रष्टाचार मूल अंग बन गया है। आज हर डिमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन में सरकार का दखल हो रहा है इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। फिर उसीकी पुनरावृत्ति इसमें भी होने वाली है कि वही सफेद टोपी वाले शिक्षा सेवा आयोग में बैठा करेंगे। माननीय त्रिवेणी राय जी अपनी राय दे रहे थे। यह विडम्बना है कि जब शिक्षा सेवा आयोग बनेगा, उसमें मनोनयन का अधिकार शासक दल को होगा और जब शासक दल उसका उपयोग अपने हित में करेगा, तो शिक्षा की वही हालत होगी जो दूसरे डिमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स की हो रही है। वह झगड़ रहे हैं तो शिक्षा जगत का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो पायेगा। इसलिए हमारे यहां एक शब्द है भोजपुरी में लबड़ धौं-धौं वही इसमें हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हिम्मत के साथ घोषणा करें कि वह क्या चाहते हैं शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो या शिक्षा व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरण के अन्तर्गत रहेगी। वह घोषणा करें कि इस प्रकार का आयोग बनेगा और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अगर वह हिम्मत नहीं है, मैं जानता हूं, नहीं है। जिस आदमी को यह काम दे रहे हैं, प्रबन्धक के हाथ में यह काम छोड़ रहे हैं वह इससे खूब लूट रहा है। यहां पर दो तरह की बात कहना कि यह भी सही वह भी सही यह भी गलत और वह भी गलत यह ठीक नहीं है। कम से कम शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आप इस मामले को प्रवर समिति को सौंप दें जो यह शिक्षा सेवा आयोग विधेयक है उस पर वहां बहस होगा, हम लोगों की भी राय होगी। आप इस संबंध में अपना दिमाग साफ कर लीजिये और यह सरकार भी दिमाग साफ कर लें। हर वर्ष इस सदन में मांग आती है आप भी राष्ट्रीयकरण का नारा लगाते हैं लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है। यह शिक्षा सेवा आयोग साल डेढ़ साल चलेगा उसके बाद जैसा शर्मा जी ने कहा 15 हजार नियुक्ति के लिए देना पड़ता है फिर इसमें 25 हजार हो जायेगा। जब एक बार नियुक्ति हो गयी तो फिर हटा नहीं सकेंगे। इसलिए आप इस आदरणीय सदन को कांफिडेंस में लीजिये इसे प्रवर समिति में जाने दीजिये और वहां वह अन्तिम निणय ले लें जो जो मैं समझता हूं कि शिक्षा जगत के लिए अच्छा होगा।

श्री ए० सी० ग्राइस—

आप कांस्टीट्यूशन बदलवा दीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

वह काम तो माता जी दिल्ली में करेंगी, संविधान यहां से नहीं बदलेगा। लेकिन संविधान इस बात की इजाजत नहीं देगा कि कोई व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने संकुचित विचार के लिए समाज का शोषण करे, अध्यापकों को शोषण करे और जो मासूम बच्चे हैं उनको अपने ढंग से बोलने और उन्हें चूसने का काम करे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप प्रवर समिति के हवाले कीजिए और आपकी नीयत यदि साफ है, मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से आपकी नियत शायद साफ भी है लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है और जब तक दोनों की नीयत साफ नहीं हो जाती, इस तरह के आयोग बनते रहेंगे, किन्तु उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी और शिक्षा जगत में

व्याप्त अव्यवस्था और बढ़ती चली जाएगी। अभी तक तो यह था कि वहां के मुकामी अध्यापक और प्रबन्धक रहते थे, अब तो यह एक छोर से दूसरे छोर को चला जाएगा। इसलिए कृपा करके शिक्षा संस्थाओं को उस दिशा में आप न ले जाइये। ऐसे ही शिक्षा जगत के सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह लगे हुये हैं कि छात्र पढ़ना नहीं चाहते हैं और शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं तथा प्रबन्धक यह चाहता है कि विद्यालय की आखिरी ईंट तक बेंचकर अपनी तिजोरी में रख लें। यदि आपको प्रबन्धक को रोकना है तो हिम्मत के साथ रोकिये, खुलकर रोकिये। आज उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर उसे 6 (3) को नोटिस अस्थायी रूप से भंग करने के लिए देता है तो वह नोटिस का जबाव न भेजकर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां से जाकर स्टे ले जाता है और आपका डायरेक्टर प्रबन्ध समिति को भंग करने की नोटिस जब 16-डी0 में देता है तो वह हाईकोर्ट में चला जाता है और स्टे लेकर आ जाता है और आप असहाय से बैठ सब सालों देखते रह जाते हैं। अपनी ग्रान्ट से जिला विद्यालय निरीक्षक वेतन देता है, लेकिन वह विद्यालय का मुंह तक नहीं देखने पाता है। कैसे वह आपके नियंत्रण में रहेगा। आप या तो उसको भंग कर दीजिए या उसके अधिकार छीन लीजिए। इसलिये मेरी राय है कि आप छोटे-मोटे और राजनीतिक कारणों से ऊपर उठकर, इसको प्रवर समिति में भेज दें, वहां पर एक निर्णय होगा और मैं समझता हूं कि वह प्रदेश के हित में होगा।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, म उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 का स्वागत करता हूं। सरकार ने इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत करके अपनी नीति और नीयत दोनों को साफ करके अच्छी तरह से सामने रख दिया है। लेकिन चूंकि विरोध पक्ष की कोई दिशा नहीं है, इसलिये मान्यवर, उनको सोचना भी हमेशा दिशाहीन रहेगा। शासन ने, जैसा गुप्ता जी और ओझा जी ने कहा, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। इसीलिए विधान मंडल का बजट सत्र होता है, तो सदन के प्रत्येक सत्र में कोई न कोई विधेयक हमारी सरकार द्वारा लाया जाता है, जो शिक्षा क्षेत्र में एक प्रगतिशील कदम होता है। इस सन्दर्भ में सबसे पहले वह विधेयक आया था, जिसमें इस बात का प्राविधान किया गया था कि प्रबन्ध समितियों में किसी व्यक्ति, किसी जाति या किसी सम्प्रदाय का एकाधिकार नहीं होगा। यह निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम है। यह जो विधेयक अब लाया गया है वह भी शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है। प्रदेश के विभिन्न वर्गों और मुख्य रूप से उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से निरन्तर लम्बे अर्से से इस बात की मांग की जा रही थी कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, देश की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा देने के लिए निष्पक्ष चयन की व्यवस्था हो। अगर पक्षपात के आधार पर चयन होगा या भ्रष्टाचार के आधार पर चयन होगा तो ऐसे लोग शिक्षा क्षेत्र में आयेंगे, जिनसे अच्छी शिक्षा की कदापि अपेक्षा नहीं की जा सकती है, जिस प्रकार की शिक्षा आज हम नवयुवकों को देना चाहते हैं। मान्यवर, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली अस्त्र है। यदि हम इस प्रदेश में जनतंत्र और धर्म निरपेक्षता कायम रखना चाहते हैं तो हमारी राष्ट्रीय लक्ष्य है तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में से जात बिरादरी को मिटाना होगा। हमारी जो प्रबन्ध समितियां हैं, जिनसे ये अधिकार छीने जा रहे हैं। उसके लिए दोनों ओर से जैसे माननीय गुप्त जी और ओझा जी ने सरकार को बधाई दी और मैं भी अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि उसने वास्तव में शिक्षा जगत में एक प्रगतिशील कदम उठाया है जिससे प्रबन्ध समितियों द्वारा जो जात बिरादरी और भ्रष्टाचार के आधार पर चयन हो रहा था वह समाप्त होगा। यदि जात बिरादरी के आधार पर अध्यापक चुने जायेंगे तो कैसे आप सही शिक्षा की अपेक्षा कर सकते हैं। माननीय गुप्ता जी और माननीय ओझा जी ने इसका स्वागत तो किया है लेकिन जो उनके हृदय में विचार है उनको वे अन्त में कह ही गये। वे इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजकर यह चाहते हैं कि प्रबन्ध समितियों के अधिकार

[श्री पंचानन राय]

बने रहें और भ्रष्टाचार का उन्मूलन न हो। माननीय गुप्ता जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और उनके भाषण को मैंने गम्भीरतापूर्वक सुना है उनको संदेह है कि जो सदस्य आयोग के चुने जायेंगे, वे कांग्रेस कमेटी पार्टी के मेम्बर्स होंगे। लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह पहला ही विधेयक है जो इस सदन में आया जिसमें आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित हो रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी यह बात नहीं है। इस विधेयक में हर सदस्य की योग्यता निर्धारित की गयी है। जब इसमें सरकार ने सदस्यों की योग्यता निर्धारित की है तो निश्चित रूप से अध्यक्ष की योग्यता तो सदस्य की योग्यता से ज्यादा होगी ही। यदि माननीय गुप्ता जी ने न पढ़ा हो तो फिर से पढ़ लें। इसमें दिया हुआ है कि एक सदस्य वह होगा जो न्यायिक सेवा में उत्कृष्ट होगा, 2 सदस्य ऐसे होंगे जो शिक्षा सेवा के होंगे, एक सदस्य प्रशासनिक सेवा का होगा शेष सदस्य किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कम से कम 10 वर्ष की अवधि तक रहे हों या इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी संस्था के प्राचार्य रूप में कम से कम 15 वर्ष की अवधि का अनुभव रखने वाले होंगे। यह पहला विधेयक आया है जिसमें सदस्यों की योग्यता और उनका स्ट्रेचर रखा गया है। यह पहले कभी नहीं था।

जहां तक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात कही गयी है, मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार ने इसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है, और उसकी दिशा में यह एक कदम उठाया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे साथी वैकल्पिक अध्यापकों की चर्चा करने लगे। छटनी की बात करने लगे। मैं जानना चाहता हूं कि छटनी इस प्रदेश में कब आयी थी। एक खास राजनीतिक विचारधारा के लोगों से जब वे इधर बैठे थे इस प्रदेश में अध्यापकों को नियुक्त करना चाहते थे। लेकिन 20-22 हजार शिक्षक संस्थाओं से बाहर निकले और उन्होंने इसका प्रतिरोध किया। आज वे वैकल्पिक अध्यापक इनके दिल में नहीं निकल रहे हैं। जब छटनी के द्वारा उनको वैकल्पिक अध्यापक के रूप में रखा गया तो इस प्रदेश के अध्यापकों ने संघर्ष किया छटनी के खिलाफ। उस समय माननीय प्रधान मंत्री ने गुजरात में कहा था कि एमर्जेन्सी में जिसने जो खोया, वह उसको मिलेगा। तो प्रबन्धकों को नियुक्ति एवं वेतन वितरण का अधिकार वापस दिया जा रहा था। किसी प्रबन्धक ने उस समय उनको विद्यालयों में घुसने तक नहीं दिया। लखनऊ में ही सड़कों पर बालिकाओं ने लाठियां खाकर ऐसे वैकल्पिक अध्यापकों को स्कूलों में घुसने नहीं दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष के पास अगर कोई रचनात्मक सुझाव हों तो वे उन्हें दें। खाली सरकार पर आरोप लगाने से शिक्षा का भला होने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, दो मिनट और दे दें। एक बात अल्पसंख्यक विद्यालयों के बारे में कही गयी। उस पर यह सरकार बराबर विचार करती आ रही है कि किसी को भी किसी सम्प्रदाय के नाम पर स्कूल चलाने की इजाजत नहीं मिल सकती। यह नहीं हो सकता कि किसी के साथ अन्याय या दुर्व्यवहार किया जाय। अपनी संस्थायें चलाने का अल्पसंख्यकों को भी पूरा अधिकार है और वह अधिकार उनको हमारे संविधान ने दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी सरकार ने अनेक प्रगतिशील कदम उठाये हैं और उस कदम का सबको हृदय से स्वागत करना चाहिये। पिछले दिनों बहुत से ऐसे विद्यालय अल्पसंख्यक घोषित कर दिये गये उनका अल्पसंख्यक करेक्टर ही नहीं था। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी को विचार करना चाहिये। यह विरोध पक्ष वाले जब सरकार में थे तो इन्होंने हजारों विद्यालय अल्पसंख्यक घोषित कर दिये। उनकी जांच होनी चाहिये। मेरा विश्वास है कि हमारी यह सरकार निकट भविष्य में शिक्षा जगत में व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था को खत्म करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत और सम्मान करता हूं।

यह विधेयक लाकर सरकार ने शिक्षा जगत में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है जिसके लिये मैं हृदय से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री राम गोविन्द—

मैं, मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, यह जो विधेयक यहां लाया गया है यह शिक्षा जगत में एक भ्रम पैदा करने वाला विधेयक है। प्रबन्ध समितियां ज्यू की त्यूं ही बनी रहेंगी। तब फिर अलग से यह विधेयक लाकर कौन से शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा? श्रीमन, प्रबन्ध समिति और इन्सपेक्टर आफ स्कूल के बीच जब नियुक्तियों की बात आती है, तो माननीय पंचानन राय जी ने यहां जो अपनी राय प्रकट की, हमको भी यह अच्छी तरह से मालूम है कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल के माध्यम से कितना भ्रष्टाचार स्कूल के लिए किया जाता है। मान्यवर, एक-एक क्लर्क शिक्षक से घूस लेकर उनका प्रार्थनापत्र आगे बढ़ाने का काम करता है और प्रबन्ध समिति उस पर अपना अलग से धन कमाने का काम करती है। हम लोग यह समझते थे कि इस बार ऐसा विधेयक आयेगा कि पूरी प्रबन्ध समिति को समाप्त करके शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के संबंध में विधेयक प्रस्तुत होगा। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। प्रबन्ध समिति के लोगों की तरफ से भी इनकी मंशा है कि उनकी भी हम हमदर्दी हासिल किये रहें और अलग से शिक्षा प्रसार का काम भी चलता रहे।

मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ये स्पष्ट रूप से शिक्षा को राष्ट्रीयकरण करने का विधेयक लायें। इस आयोग का गठन जो सरकार करने जा रही है, इसमें बहुत सी कमियां रह गयी हैं, सरकारी स्कूलों की अलग व्यवस्था है, गैर सरकारी स्कूलों के लिए अलग व्यवस्था है, जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए इसलिये भी आवश्यक है कि यदि सरकारी और गैर सरकारी में जो भेद रखा गया है उसके लिये, प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिये आयोग का गठन होना चाहिए। लेकिन इसमें केवल गैर सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा आयोग का गठन हो रहा है, इसलिये इसको प्रवर समिति में जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो उम्र दी गयी है सदस्यों की, मान लीजिए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या न्यायालय में काम करने वाला व्यक्ति जो रिटायर होगा, उसकी उम्र 58 से अधिक होगी, तो इस प्रकार से ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, जो न्यायपालिका से रिटायर होकर इनके यहां पर कार्य करने के लिए योग्य होंगे। तो इनको इसमें उम्र को भी बढ़ाने का प्राविधान रखना पड़ेगा कि अगर कोई न्यायपालिका से रिटायर होकर आता है, तो उसकी कम से कम 65 वर्ष आयु रखनी होगी। इसलिए मान्यवर, इसे अवश्य ही प्रवर समिति में रखना चाहिए।

मान्यवर, चौथी बात यह है कि मान लीजिए कि आयोग ने मास्टर को नियुक्त कर दिया कि हम अमुक टीचर को, अमुक जगह नियुक्त करते हैं और प्रबन्ध समिति उसका विरोध करती है या लिख देती है कि अमुक व्यक्ति हमारे यहां पर पढ़ाना ही नहीं चाहता है और यह भी वह लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल में अमुक टीचर समय से नहीं आते हैं और इनकी समझ में वहां की भाषा ही नहीं आती है। तो मान्यवर, वह झगड़ा तो रह ही गया। तो वह झगड़ा तो ज्यों का त्यों ही बना रहा। प्रबन्ध समिति का झगड़ा तो बना ही रहेगा। तो क्यों नहीं प्रवर समिति में इसको ले आते हैं? प्राइमरी से लेकर इन्टरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा का एक विधेयक लाते, तब तो प्रदेश की जनता के साथ न्याय होता। मान्यवर, यहां पर बिल्कुल अनपढ़ लोग अधिक संख्या में देहातों में बस रहे हैं और लोकतंत्र को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश का हर नागरिक शिक्षित हो। वह देश के विषय में, प्रदेश के विषय में

[श्री राम गोविन्द]

जानकारी कर सकें। पढ़ सकें, लिख सकें, जान सकें कि देश में क्या हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार यह विधेयक लाती कि प्राइमरी स्कूल से लेकर इण्टरमीडिएट स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। हम उस विधेयक का स्वागत करते और प्रदेश की जनता उस विधेयक का स्वागत करती। लेकिन जिसकी आवश्यकता है उसको तो यह लायें नहीं जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको लाये हैं। मान्यवर, यह दोनों तरफ से भ्रष्टाचार, एक प्रबन्ध समिति से करायें और दूसरी तरफ आयोग गठित करके भ्रष्टाचार उससे करायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी यह आप टीचर्स, अध्यापक के लिये आसान काम नहीं कर रहे हैं बल्कि एक भ्रष्टाचार का दूसरा अड्डा कायम कर रहे हैं। जो प्रदेश की जनता को अपने पद पर बैठकर लूट रहे हैं दुबारा उन्हीं को आप टीचर्स का शोषण करने का मौका आयोग में देने जा रहे हैं। इसलिये इस कमी को दूर करने के लिये आवश्यक है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और पुनः शिक्षा मंत्री जी आप इसकी जगह पर प्राइमरी स्कूल और इण्टरमीडिएट तक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का अध्यादेश लावें उसका हम स्वागत करेंगे और पुनः मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री खान गुफरान जाहिदी--

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मुझे आपने शिक्षा सेवा आयोग विधेयक जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है उस पर बोलने का अवसर दिया। मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। और जो तरमीम की बातें करके, गुप्ता जी ने बातें की है मैं उसकी मज्जमत करता हूं। मैंने अपने माननीय साथियों को इधर के और उधर के भी साथियों को सुना। मैं समझता हूं कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने खुद मान लिया कि इसकी भावना बहुत अच्छी है और हमारे दूसरे साथी भी इसकी भावना की तरफ इशारा किया और पसन्द किया। कुछ ख्याल जो हमेशा भ्रम का रहता है, अपोजीशन का, अपनी शिकायत के लिये कहते रहते हैं। मैं कहता हूं कि यह शिक्षा सेवा विधेयक क्रान्तिकारी विधेयक है मैं इसकी मुसल्लसल ताईद करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने 3 बातों का जिक्र किया है। एक चीज उन्होंने कहा, नियत की और दूसरी कहा कि सिफारिश रखी गई है। कोई भी कमीशन बनता है तो नियुक्त कहीं होती है लेकिन कमीशन सिफारिश तक ही सीमित रहता है। उन्होंने तीसरी चीज, स्थल के बारे में जिक्र किया कि स्थल का जिक्र नहीं किया। जो बराबर प्रबंधक कमेटियां अपने यहां जातिवाद और दूसरी बुनियादों पर लोगों को रखा जाता है और बासहालियत नहीं रखा जाता है, तो यदि मैरिट का ख्याल छोड़ दिया गया तो जातिवाद फैलेगा, इसलिये यह आयोग का गठन जरूरी था। मैं मान्यवर, इस सिलसिले में दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे एक निकट संबंधी जो 10 जगह इंटरव्यू में गये और वह पी0 एच0 डी0 फिजिक्स से हैं उन्होंने बताया कि मैं जहां-जहां गया वहां नीचे के सेलेक्शन बोर्ड ने सेलेक्ट कर लिया लेकिन ऊपर से वह नहीं लिये गये और उनकी हालत है कि वह पागल हो चुका है। इसलिये इस तरह की जहां बात हो तो वहां शिक्षा के स्तर को उठाने के लिये, एकरूपता लाने के लिये, यदि यह बात नहीं की गयी तो स्टैण्डर्ड शिक्षा का गिरेगा और तालीम ठीक नहीं होगी। इसलिये एक स्तर को लाने के लिये शिक्षा जगत में जाति पांति का सिलसिला समाप्त करने के लिये और इस तरह की खामियां दूर करने के लिये शिक्षा सेवा आयोग जरूरी है और जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्तियों के बारे में सिफारिश करता है उसी तरह यह भी सिफारिश करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, दूसरी बात अल्पसंख्यकों के बारे में कहना चाहता हूं कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने इसको सेंसेटिव मामला कहकर यहां उठाया है। उनकी इनायत हमेशा अकलियत और हरिजनों पर होती है। वह बड़ी खूबसूरती से कहने वाले व्यक्ति हैं। तो आपको कभी मौका आया तो उस कांस्टीट्यूशन को जो डा0 अम्बेदकर ने बनाया, जो समझदार लोगों ने तैयार किया, और उसमें जो दफा 30–31 रखी, अकलियतों के लिए कहा, उसमें आप ओवर-रूल करना चाहते हैं। तो कांस्टीट्यूशन के परे कोई चीज नहीं होती है और कांस्टीट्यूशन को बदलने का हक पार्लियामेंट को है और वे भी मुल्क की दफाओं के हिसाब से। इसलिए आपकी इनायत का शुक्रिया।

लेकिन श्री पंचानन राय की एक चीज से सहमत हूं कि जो उनको अधिकार दिया गया लेकिन वहां पर जो सेलेक्शन में उस चीज से बचा जा रहा है उससे सेलेक्शन ठीक हो जायगा। प्रबन्ध में कोई भ्रष्टाचार हो या दखल हो तो शिक्षा में ऐक्ट मौजूद है कि कोई न कोई कदम उसमें उठा सकते हैं हालांकि वह चैलेंजेबिल है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो सेलेक्शन वाली बात कही है कि सेलेक्शन आयोग के मेम्बर बनाए जायेंगे, जैसा कि श्री पंचानन राय ने कहा है कि चाहे वह अकलियत या अफसरियत द्वारा हो, सेवाओं में उनके साथ किसी तरह की ज्यादती न हो, उनकी देखरेख का हक मिलना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होगा तो हम पूरी तरह काबू नहीं पा सकेंगे।

मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले समय में जिसकी कोशिश की गयी है और जिसकी वजह से स्ट्राइक हुई और आप लोगों ने अपने गलत ढंग से पेश किया जिसकी छानबीन की बात श्री पंचानन राय ने कही है उसमें मैं जरूर समझता हूं।

एक चीज मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि, जो लोग उस जमाने में सख्ती हुई हो, उस वजह से या किसी वजह से अकलियत का इरादा नहीं बना सके हैं उनको मौका मिलेगा बनाने का और जो गलत लोग हैं उनको पकड़े जाने की मन्त्री जी व्यवस्था करें। मैं माननीय मन्त्री जी का खैर-मकदम करता हूं, इसे एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है मैं इसका स्वागत करता हूं और माननीय राजेन्द्र जी ने जो तजवीज का प्रस्ताव पेश किया है उसकी निन्दा भी करता हूं और नामंजूर करने की अपील करता हूं।

[समय 3 बजकर 30 मिनट]

*श्री सत्यपाल सिंह—

उपाध्यक्ष जी, यह जो संशोधन विधेयक रखा गया है, इसके समर्थन में मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तरफ तो प्रबन्ध समिति है, जो विद्यालय के सारे प्रबन्ध को देखेगी और दूसरी तरफ आयोग है। चुने हुए जो अध्यापक इण्टरमीडिएट कालेजों में होंगे उनमें कहीं कहीं पर ऐसी गलती पैदा हो जायगी कि कोई अध्यापक जिसको प्रबन्ध समिति नहीं चाहती है, प्रबन्ध समिति के मुताबिक कार्य करना कोई अध्यापक नहीं चाहता है या मैनेजर यह नहीं चाहता है कि अमुक अध्यापक विद्यालय में रहे तो इस विषय में गतिरोध होगा और उसके लिए केवल यह प्राविधान किया गया है कि उसको हटाया जा सकता है, आयोग की पूर्व अनुमति लेकर। लेकिन उसके बीच का कोई रास्ता नहीं है और जहां कहीं ऐसा होगा उस विद्यालय में विद्यार्थियों का अहित होगा और उनकी पढ़ाई सुचारु रूप से नहीं चल सकेगी। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर मन्त्री जी के लिए यह मुनासिब होता कि वह कोई बीच की प्रक्रिया रखते कि जब कोई ऐसा गतिरोध आता और सच्चाई पायी जाती कि अमुक अध्यापक की गलती है या प्रबन्ध समिति की गलती है या किसी के कारण इतना असन्तोष है कि वह उस विद्यालय में कार्य नहीं कर सकता, तो ऐसे अध्यापक के लिए उनकी राय से तथा प्रबन्ध समिति के आदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यपाल सिंह]

पर स्थानान्तरित करने का भी प्राविधान होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि यह शिक्षा जगत के लिए अत्यन्त आवश्यक था। मान्यवर, जहां आप यह विधेयक लाए हैं तो इसके द्वारा आपने आधा घोड़ा और आधा गधा वाला इक्जामपिल कायम किया है। एक कदम आपने राष्ट्रीयकरण की तरफ उठाया है और दूसरी तरफ पूरे तरीके से प्रबन्ध समिति जो है, वह भी हावी रहेगी। आपने एक कदम आगे बढ़ाया है और एक कदम पीछे बढ़ाया है।

जो आपने आयोग बनाया है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपनी शंकाएं जाहिर की हैं कि शायद आप अपने दल के लोगों के लिए मनोनयन करेंगे। कुछ योग्यता, क्वालीफिकेशन्स रखी गयी हैं लेकिन मान्यवर, सरकार जो आज मनोनयन करने जा रही है ब्लाक प्रमुखों के लिए, उसके लिए 15, 15 लोगों का नाम रखा जा रहा है। उन्होंने परिभाषा तो घोषित कर दी कि उसमें महिलायें होंगी, हरिजन होंगे, जागरूक किसान होंगे लेकिन विपक्ष की तरफ से एक भी व्यक्ति का मनोनयन नहीं होने जा रहा है। तो इसी से साबित होता है कि आपकी नियत साफ नहीं है। आपने शब्दों के जाल से एक परिभाषा रखी है, आप ऐसे लोगों को रखेंगे जिनको आप चाहेंगे। मैं जो आयु रखी गयी है उस सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। जब अन्य नौकरियों में 58 साल की आयु रखी गयी है तो 64 वर्ष की आयु इसमें रखना मुनासिब नहीं है। इसमें भी आयु की सीमा होनी चाहिए थी और 58 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। जहां तक आयोग के सदस्य, अध्यक्ष और सचिव के कार्यकाल का सवाल है आपने अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 6 साल तक के लिए रखा है लेकिन सचिव के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है। मैं समझता हूं कि आयोग के दूसरे जो मेम्बर हैं उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए या फिर सचिव का कार्यकाल एक वर्ष कम नहीं होना चाहिए। दो तरह का कार्यकाल रखना मुनासिब नहीं है। आपने 8 सदस्यों के मनोनयन के बारे में बताया है। इसमें भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें भी अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के एक-एक सदस्य आवश्यक रूप से होने चाहिए। इसलिए इस बात का इसमें संशोधन हेतु इस अध्यादेश को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा, जो इससे अपनी असहमति व्यक्त करेगा। इसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है और मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि जो भी चयन हो, वह मेरिट पर हो, गुण और दोष के आधार पर हो।

(व्यवधान)

वास्तव में हम अपनी अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही अपने इंस्टीट्यूशन्स को, अपनी संस्थाओं को और लोकतन्त्र को मजबूत करना चाहते हैं और अच्छी शिक्षा का आज सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कर्त्तव्य राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार का है। और शिक्षा के ही माध्यम से कोई व्यक्ति और कोई स्टुडेण्ट अपनी नेशनल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज को जानता है और उसी आधार पर वह कामयाब भी हो सकती है, इसलिए अच्छी शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए फिर अच्छे अध्यापकों और प्रधानाचार्यों का होना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए कोई भी सेवा हो, चाहे शिक्षक की जगह हो, या कोई भी सेलेक्शन हो, अगर वह मेरिट के आधार पर होगा तो फिर न तो किसी भी फैमिली का सम्बन्ध रहेगा, और न किसी दौलतमन्दों का सम्बन्ध होगा और किसी भी छोटे-बड़े का सम्बन्ध उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं रहेगा। फिर वह जो भी चुनकर आयेगा, वह क्लास आफ टेलेन्टेड अरिस्टोक्रेट होगा, बुद्ध-जीवी होगा और इसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ी नहीं होगी और न ही यहां पर कोई भेदभाव का प्रश्न सामने आयेगा इसलिए इसमें जो यह बात रखी गयी है, वह बहुत ही उचित है। और हमारे माननीय गुप्ता जी ने जो इस पर विरोध किया, वह कुछ उचित नहीं है ।

मैं दो बातों पर अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया के इतिहास में कभी कोई ऐसा मौका नहीं रहा है कि वह समय केवल विद्यार्थियों का ही रहा हो, नवजवानों का ही रहा हो और ना ही कोई जमाना ऐसा रहा होगा, जो केवल अधेड़ों या बुजुर्गों का रहा हो। यह दोनों की हमेशा मिलकर जमाना रहा है। यह मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों में और नव जवानों में जोश है, खरोश है, आदर्श किसी भी कार्य को कर डालनें का एक उमंग है, लेकिन दूसरी ओर बजुर्गों के पास तजुर्बा है, इक्सपीरियेंस है और बुद्धि है। यह दोनों के सहयोग से ही हमारे देश का इतिहास बना है, इसलिए आज भी दोनों का सहयोग अपेक्षित है। लेकिन आज हमारे नवजवान, और विद्यार्थी कुछ ज्यादा ही उग्र हो रहे हैं और अक्सर सुनने में यह बात आती रहती है कि अनुशासनहीनता बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि आज हमारे विद्यार्थीगण मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और वह कोई क्रिएटिव जाबकरना नहीं चाहते हैं इसलिए आज उग्रता ज्यादा बढ़ती जा रही है और यह देखकर कभी-कभी तो मुझे यह सन्देह होने लगता है कि क्या अच्छा होने की सम्भावना है

उधर बहुत निगाह दौड़ाने की जरूरत है। विद्यार्थी वर्ग 15 अगस्त, 1947 से लेकर आज तक, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इतने आन्दोलन और इतनी तोड़-फोड़ में लगा रहा है और इतनी क्षति हुई है कि मैं कह नहीं सकता कि दुनियां के और भी विद्यार्थी इसी तरह करते हैं, जैसा भारतीय विद्यार्थियों ने किया है और इनका शोषण राजनीतिक दलों ने किया है। आज तक उनका शोषण हो रहा है। मैं विद्यार्थी समाज से निवेदन करूंगा कि इस मकड़ी के जाल से वह निकलें और सोचें कि उन का हित किसमें है, किस में देश का हित है, किस में समाज का हित है। वह कुछ पा भी नहीं सके। लेकिन यह देखता हूं कि एक यूनिवर्सिटी खड़ी हुई और चार्टर्ड विमान तैयार है। सोशलिस्टों ने इस इंस्टीट्यूशन्स को और भी बरबाद किया है। एक कहावत है कि अगर एक वर्ष की योजना बनानी हो तो फसल बोइये, 10 वर्ष की योजना बनानी हो तो पेड़ लगाइये और यदि 100 वर्ष की योजना बनानी हो तो आदमी पैदा कीजिये, अच्छे आदमी पैदा कीजिये। शिक्षा जगत में किसी तरह की दखलन्दाजी नहीं होनी चाहिये। आप लोगों ने राष्ट्रीयकरण की बात कही। मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी हूं, । मैं चाहता हूं कि स्वतन्त्रतापूर्वक संस्थायें चलें और पूरी स्वतन्त्रता के साथ अपना विचार-विमर्श करें। मैंने जो लिटरेचर, जो साहित्य पढ़ा है, अन्य देशों में रूस आदि में किस तरह सरकार उन पर लदी हुई है, यह दिखाई देता है, पाठ्य-पुस्तकों पर ,सलेबस सब पर सरकार के जरिए कन्ट्रोल होता है, क्रियेटिव फैसेलिटी खत्म हो जाती है। राष्ट्रीयकरण का उत्तर मैंने अपनी भावना से दिया है। क्रियेटिव आबजेक्टिविटी और फेटिलिटी को खत्म न करना हो तो आप राष्ट्रीयकरण न करें। इस पर मुझे प्रोफेसर लास्की की चन्द लाइनें याद आती हैं--

एटीचर इज वन, हू टीचेज विथ फुल माइन्ड एन्ड फुल हार्ट

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया इसका हिन्दी अनुवाद भी कर दें ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

एक अच्छा टीचर वही है जो पूरे हृदय और मस्तिष्क से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है। यह एक टीचर का कर्तव्य है। आज हमारे टीचर्स इस रास्ते से अलग हो गये हैं। जितना टीचर्स ने 15 अगस्त, 1947 से इस सरकार को परेशान किया है, शायद ही किसी समुदाय ने परेशान किया हो ।

[श्री लाल प्रताप सिंह]

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो प्राइमरी स्कूल के टीचरों की शिकायत मिलती है 50 प्रतिशत टीचर पढ़ाने नहीं जाते, समय से नहीं जाते, इसकी शिकायत आम है। शिक्षक संघ एक भी प्रस्ताव पास नहीं कर सका। हमारे क्षेत्र में बहुत से गांवों में लोगों ने प्राइवेट नर्सरी स्कूल खोल दिए हैं। वे कहते हैं कि मैं आपके प्राइमरी स्कूलों में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी संस्था खोल ली है। इस प्रकार की राजनीति स्कूल और टीचर्स में पैदा हो गयी है। यही एक्सक्लूसिव कारण है कि आज सारे स्कूल अस्त-व्यस्त होते जा रहे हैं और टीचर्स उसमें परेशान हैं।

मैं तो कहूंगा कि एक शिक्षा विधेयक लाया जाय कि टीचर को राजनीति में किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहिए जब तक कि वह शिक्षक के पद पर है। मेरी यह भावना है कि डिसिपलिन, अनुशासन को इन्फोर्स करना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, मेरा यह अनुभव है कि कोई भी शिक्षक संगठन हो, उसमें कोई काम नहीं होता सिवाय शिकायतों के, उसके पास कुछ है ही नहीं। यह शिकायतें इसलिए सिर्फ आ रही हैं कि आज एक संगठन उन्होंने कायम कर लिया है जिसका यह दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

जब कोई सदस्य बोल रहे हों तो उसके बीच में दूसरे को नहीं सुना जायगा।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

यदि व्यवस्था है, तो फिर कहिए।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में शिक्षक संघ के ऊपर आक्षेपात्मक बात कही। मान्यवर, यदि किसी सदस्य को किसी बात की जानकारी न हो, तो सदन में भाषण करते समय उसकी बात नहीं करनी चाहिए। शिक्षक संघ एक उत्तरदायी संगठन है, उसके कार्यकलाप हैं, उसकी नीति है, उसके सम्मेलन होते हैं, उसमें प्रस्ताव आते हैं। आज जब विचार हो रहा है माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग पर तब उदाहरण दिया गया प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का और आक्षेप किया गया माध्यमिक शिक्षक संघ पर। इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने स्वयं ही व्यवस्था दे दी अपनी बात कह कर कि जब किसी को किसी बात की जानकारी न हो तो वह सदन में ऐसी बात न करे। आप जिस विषय को नहीं जानते हैं वह अव्यवस्था है, सम्भवतः आपने वही किया।

श्री लाल प्रताप सिंह---

मान्यवर, मैं अपना एक विचार प्रकट कर रहा था यदि आपकी समझ में नहीं आया तो आप उसे एप्रीशिएट न करें। बहुत से अच्छे टीचर भी हैं, यह एक दूसरी बात है। मान्यवर, एक चीज यहां कही गयी कि जैसे उस आयोग में आकर दूसरे लोगों को रखाया जाय वैसे अनुसूचित जाति को तथा अल्पसंख्यक या कमजोर वर्ग के लोगों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, इस पर मैं यही कहता हूं कि यह सरकार जैसा उचित समझे, करे। वह जो चीज लाती है, जिसको वहां पर रखना चाहती है, रखे। इस सम्बन्ध में एक निग्रो लीडर ने एक बात कही उसको मैं यहां दोहराना चाहता हूं कि "इस लिए नहीं चूंकि मेरा रंग काला है, मैं काले रंग का हूं इसलिए मुझे किसी स्थान पर बैठा दिया जाय या किसी उच्च

पद पर बैठा दिया जाय। परन्तु इसके माने यह भी नहीं कि चूंकि मेरा रंग काला है तो मैं किसी उच्च पद पर न बैठाया जाऊं।"

मान्यवर, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार का जातिवाद नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी संवर्ग का हो, उसे योग्यता के अनुसार उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए इससे समाज में बराबरी रहेगी, वहां पर सोशल ट्रांसफारमेशन होगा और तब्दीली होगी। आल मेन आर इक्वीलेन्ट। आल दोज आर सेटिल, एवरीथिंग सेटिल।

अन्त में एक बात और कहूंगा कि इंगलैन्ड में और अमेरिका में एक पैटर्न पर एजूकेशन होती है, वही एक पैटर्न पर यहां भी तालीम होनी चाहिए। जब एजूकेशन में भिन्नता हो जायेगी तो वहां के समाज में भिन्नता पैदा हो जायगी। इसके माने यह नहीं कि कोई इंस्टीट्यूशन, बहुत से प्राइवेट लोगों ने एजूकेशन के प्रसार और प्रचार में योगदान दिया है लेकिन पैटर्न नहीं बदलना चाहिए वरना वही टूनेशन थ्योरी, थ्री नेशन थ्योरी वाली बात हो जायगी। इसलिए पैटर्न एक होना चाहिए। पढ़ाई-लिखाई का सिलेबस एक होना चाहिए और उसके साथ जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है उसकी पूर्ति उसी के माध्यम से होनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जो विधेयक लाया गया है, उससे कोई असहमति नहीं है, हर विधेयक अच्छा होता है लेकिन इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। बहुत से विधेयकों में केवल इम्प्लीमेन्टेशन में डिफेक्ट पैदा होता है और उसी की रक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और यह भी निवेदन करता हूं कि जो बात पंचानन राय जी ने रखी, तो मैं एक मिसाल दे रहा था शिक्षक संगठन का, शिक्षा का स्तर दिन-प्रति-दिन गिरता जा रहा है। इसका क्या कारण है, इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर स्तर गिरता ही जायगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छे टीचरों का होना, उनकी नियुक्ति बिना किसी भेदभाव के होना आवश्यक है जिससे हम राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिन माननीय सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार एवं सुझाव दिए हैं उन सबका मैं आभारी हूं। इस चयन आयोग के गठन की भावना से किसी को परहेज है नहीं और मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्यों ने, राय साहब को छोड़कर, इस पर भी मतभेद नहीं किया कि आज जो प्रबन्धतन्त्र है, वह समयातीत हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यह विधेयक या आयोग जिस रूप में गठित होने जा रहा है, क्या वर्तमान स्वरूप में स्वागत योग्य हो सकता है। मैं समझता हूं प्रत्येक माननीय सदस्य ने सहमति व्यक्त की है। राय साहब, शिक्षा जगत के एक जाने-माने नेता हैं और जिस सत्तारूढ़ दल के वे माननीय सदस्य हैं मैं उनको बता दूं, आज शिक्षक संघ आपस में चाहे लड़ रहे हैं परन्तु इस पर सभी सहमत हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जाहिदी साहब के भाषण को मैंने सुना। मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि जिनकी लेखनी का प्रभाव सब जगह पड़ता है, वे ही बिना इस अधिनियम को पढ़े बोल कैसे गये। उनके मुंह से मैंने सुना कि जो नियम हैं उसी का अधिनियम बना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिनियम शिक्षक की गारन्टी देते हैं। मैं सभी की जानकारी के लिए कह रहा हूं कि इस्लामिया कालेज, लखनऊ, अहमदिया कालेज फैजाबाद, आगरा अहमदिया कालेज, तमाम न जाने कितने इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनके मामले मैंने शिक्षा विभाग को दिए हैं, अध्यापक हो गये हैं सहमत हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मा0 जाहिदी साहब द्वारा संविधान संशोधन की बात उठाई गयी तो फिर सुनकर आश्चर्य हुआ। जिस समय संविधान बना तब से कालान्तर में 30-35 साल हो गये, केवल टीचर्स ही नहीं, आप मजदूरों की बात को ही ले लें। उनकी ही सुरक्षा के बारे में आपने कितने ऐक्ट बनाये, कितने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

नियम बनाए। 1950 में जब संविधान बना उस समय से आज तक जो परिवर्तन हुआ है उसमें अनुच्छेद 20 (1) में यह संशोधन किसी रूप में करने की क्या आवश्यकता नहीं है कि हम टीचर्स की सुरक्षा के बारे में परिवर्तन कर दें? मैं फिर इस बात पर बल देता हूं कि यह सबसे बड़ा तर्क है और इसका कई साथियों ने समर्थन किया है। हो सकता है कि हमारी नियत पर शंका की गयी है, हो सकता है कि हम शंका के लायक हों लेकिन जो इस आयोग का अध्यक्ष होगा उसकी यह योग्यताएं होंगी, वह शिक्षाविद होगा, उसका इतना अनुभव होगा यह लिखने में दिक्कत क्या है? अगर हमारा मन साफ है, हमारी भावना साफ है, अगर हमारी यह भावना है कि हम उसमें कोई राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहते हैं तो इसको लिख देने में क्या दिक्कत है? आयोग बनाने की बात कही गयी लेकिन इतना समय व्यतीत हो गया परन्तु आज तक आयोग नहीं बना। कई मा0 सदस्यों ने राय साहब ने, पंचानन राय जी ने और जाहिदी साहब ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए और जो भावनाएं मा0 सदस्यों ने प्रकट की हैं, उसको अगर आप कर सकें तो अच्छा है। छटनी के बारे में मा0 सदस्य ने कहा तो उस समय भी यह था कि अध्यापकों के साथ दमन की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। मा0 जाहिदी साहब यदि आपको याद होगा तो उस समय मैंने ही यह मांग की थी कि इनको वेतन दिलाया जाय, इनको फिर से नौकरी दी जाय।

श्री पंचानन राय--

नौकरी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दी गयी। 3700 स्कूलों में फिर से भर्ती की गयी। आपकी सरकार ने तो उन्हें बाहर निकाल ही दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं इस प्रश्न को उठाना नहीं चाहता। यह आपस की बहस हो जायगी। जहां मा0 सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये वहां मैं इतना और कहना चाहूंगा कि प्रबन्धतन्त्र के शासन से मुक्त होने के लिए, शिक्षा को अच्छा और स्वतत्र अस्तित्व देने के लिए ताकि हम शिक्षा को अच्छी दिशा दे सकें मैं यह मांग करता हूं कि इस चयन आयोग को सुन्दर रूप में बनाकर लाया जाय और इसीलिए मैंने इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कही है। जहां इतनी देर हुई है वहां 15 दिन में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। शिक्षा मन्त्री जी, जिनको स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अनुभव है हालांकि यह बात दूसरी है कि वह कहते हैं कि वह प्रबन्धकों के प्रतिनिधि हैं लेकिन उसके बाद भी वह मेरे बड़े भाई हैं मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं जानता हूं कि वह इसको सही रूप देने में कोई भी अन्याय नहीं करेंगे, कोई पक्षपात करेंगे ऐसी मैं कोई शंका नहीं व्यक्त कर रहा हूं उनके प्रति और इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसको आप प्रवर समिति को भेज दें। 15 दिन में जब यह आ जाय तो इसको एक अच्छे रूप में प्रस्तुत करें। अपनी इसी मांग के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, जब इस विधेयक को प्रस्तुत करने की बात थी, उसके पूर्व एक विचार . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह बात सही है कि मन्त्रि मण्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है और आप कह सकते हैं कि कोई भी मन्त्री इस पर बोल सकता है। यह बात अपनी जगह पर ठीक है लेकिन हमारे यहां का नियम है और समय-समय पर इस पर सदन में व्यवस्था हुई है कि जब कोई उस विभाग से सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हो, तो मान्यवर, वही मन्त्री उसका उत्तर दे। इसमें शिष्टाचार की कोई बात नहीं है. . .

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपका ख्याल है कि बाजपेयी जी उस विभाग के मन्त्री नहीं हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बाजपेयी जी उस विभाग के मन्त्री हैं और एक जिम्मेदार मन्त्री हैं। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब सदन में कैबिनेट स्तर के मन्त्री मौजूद हैं जो कैबिनेट में बैठते हैं और शासन की नीतियों पर वहां विचार में भाग लेते हैं, उनके रहते हुए किसी दूसरे मन्त्री का जवाब देना इस आदरणीय सदन का अवमान है। इसमें कम से कम मैं अपना अवमान तो समझता ही हूं। साथ ही मुझे इस पर सोचना पड़ेगा कि जब बाजपेयी जी बोलें तो मैं उनकी सुनूं या न सुनूं। जब कैबिनेट स्तर के मन्त्री श्री नौनिहाल सिंह जी यहां मौजूद हैं और बोलना भी जानते हैं और उनकी वाणी भी ठीक है, उनका गला कोई खराब भी नहीं है तो यहां की पिछली परम्पराओं को देखते हुए यह उचित ही है कि कैबिनेट स्तर के मन्त्री ही बोलें। आप कह सकते हैं कि संयुक्त उत्तरदायित्व मन्त्रि मण्डल का होता है और कोई भी मन्त्री बोल सकता है, मैं समझता हूं कि यह बात आपके लिए शोभनीय भी न होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बात तो समझ में आई, आप पहुंचे स्टेशन पर अवश्य, लेकिन ट्रेन खुल जाने के बाद। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ही आप यह बात कह दिए होते तो वह अच्छा रहा होता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जब वे खड़े हुए तब मैंने कहा। जब राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की बात है तो उसे कैबिनेट स्तर का मन्त्री ही कर सकता है। यह नीति सम्बन्धी बात है जो कैबिनेट में तय होती है। उस समय वे सदन में बैठे हुए नहीं थे इसलिए मैंने उनके लिए नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मौजूद थे, मैंने स्वयं देखा है।

*श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व एक विचार मन में उठा था कि शिक्षा के उन्नयन की दिशा में यह एक क्रांतिदर्शी कदम है और स्वाभाविक है कि इस क्रान्तिदर्शी विधेयक की सराहना इस सदन में हो। माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों चाहे दूसरे पक्ष के हों सभी इसकी सराहना कर सकते हैं। मेरे मन में एक शंका थी और अब वह साफ भी हुई। दो प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उठाए। एक है अल्पसंख्यकों के विद्यालयों के सम्बन्ध में और दूसरा कहने को तो इन्नोसेन्ट दिखलाई पड़ता है, राष्ट्रीयकरण का है। लेकिन यदि हम उन सारे तथ्यों को गहराई से देखें तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयकरण तो क्या राष्ट्रीयकरण की आड़ में वे इस सदन को भी कुंठित करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। यदि यह सदन माननीय गुप्ता जी के प्रस्ताव को मान ले तो इसका अर्थ यह होगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिससे विलम्ब होने की दिशा में और आगे बढ़ना है।

अब हम अल्पसंख्यकों के स्कूलों की चर्चा करें। बहुत थोड़े विद्यालय उनके हैं। वहां जो शिक्षक व अन्य कर्मचारी हैं उनके लिए अपने संविधान के अन्तर्गत हम क्या कर सकते हैं यह एक संवैधानिक प्रश्न है, जिस पर विस्तार से चिन्तन करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, विद्वता का कायल रहा हूं मैं माननीय गुप्ता जी का। मेरी धारणा थी कि उन्होंने उस विधेयक को पढ़ा होगा। उन्होंने शंका उठाई कि यदि आयोग द्वारा किसी अध्यापक का चयन होता है, उसकी सिफारिश की जाती है और उसकी नियुक्ति प्रबन्ध-तन्त्र नहीं करता है तो क्या होगा, कैसे होगा? इस विधेयक के पृष्ठ 6 पर "निदेशक द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सच्चिदानन्द]

जांच' के अन्तर्गत स्पष्ट यह लिखा है कि "-(3)ऐसे अध्यापक को देय वेतन की धनराशि, यदि कोई हो, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गये प्रमाण-पत्र पर कलेक्टर द्वारा संस्था को चलाने वाली सोसाइटी या निकाय की या उसमें निहित सम्पत्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।" स्पष्ट है कि इस तरह से जो भी सिफारिश की जायगी इस आयोग के माध्यम से निश्चित रूप से प्रबंध तंत्र के लोगों को उसे मानना होगा ।

एक शंका माननीय सदस्यों ने यह उठाई कि यदि किसी एक जिले के अध्यापक को दूसरे जिले में जाना पड़े तो कैसे जायगा ? एक तरफ राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं कि पूरा प्रदेश और देश एक है। उस स्थिति में इस तरह की शंका का उठाना कुछ संकोच में डालता है। मान्यवर, लखनऊ के व्यक्ति को गोरखपुर, गोरखपुर के व्यक्ति को बलिया, बलिया के व्यक्ति को दूसरे जिले में जाना पड़ सकता है, इसमें शंका क्या है ? दूसरी ओर हमारे राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज हैं, उनमें पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्तियां हो रही हैं, उनमें भी अध्यापक दूर-दूर जाते हैं और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं ।

एक आश्चर्य जरूर है माननीय ओझा जी को जब मैंने सुना। मेरी कल्पना उनके बारे में एक समाजवादी व्यक्तित्व की रही है और मेरी निश्चित धारणा थी कि राष्ट्रीयकरण की दिशा में उठाए गये इस कदम की वह निश्चित रूप से सराहना करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे कि इस तरह के कदम को उठा रहे हैं।

माननीय राम गोबिंद चौधरी जी ने एक बात कही कि भ्रष्टाचार है इसमें और बड़ी गड़बड़ है इन्सपेक्टर आफ स्कूल आफिस और प्रबन्धतन्त्र में। मान्यवर, इसीलिए तो यह कदम उठा रहे हैं। इस तरह के आयोग की स्थापना हो और आयोग और बोर्ड के माध्यम से अच्छे, योग्य, अनुभवी अध्यापकों की नियुक्ति हो ।

माननीय सत्यपाल जी की चर्चा और उनके भाषण को भी मैंने बड़े ध्यान से सुना और उससे ऐसा लगा कि वह प्रबन्ध-तन्त्र को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। मान्यवर, एक तरफ स्पष्ट रूप से माननीय गुप्ता जी ने बधाई दी लेकिन अन्तरमन से क्या है इसे गहराई से समझना शायद मेरे लिए मुश्किल है। या हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से वह सहमत हों और ऐसा समझते हों कि यह कदम बहुत अच्छा है लेकिन जो राजनीतिक दल है उस से सम्बन्द्ध होने के कारण प्रबन्ध-तन्त्र को वरीयता और अल्पसंख्यकों के प्रति उदासीनता करना उनके दिमाग से न निकल पाया हो ।

इन सारे तथ्यों को देखने के बाद निश्चित रूप से यह सदन महसूस करेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जा रहा है। जहां तक राष्ट्रीयकरण की बात है, राष्ट्रीयकरण की बात जो उठाई है माननीय पंचानन राय जी ने, इस सम्बन्ध में विस्तार से पिछली बार मन्त्री परिषद में विचार भी हुआ और 18-1-81 को यह विचार मन्त्रि परिषद् के सामने रखा गया कि राष्ट्रीयकरण किया जाय कि निगमीकरण किया जाय या केन्द्रीयकरण किया जाय। इन सारी बातों का अध्ययन करने पर शासन इस नतीजे पर पहुंचा है कि शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाय और शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से हमारे अध्यापकों को नियुक्त किया जाय जिससे एक अच्छी दिशा में हम शिक्षा को ले जा सकें और प्रदेश की शिक्षा का भविष्य हम उज्ज्वल कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा अपने माननीय सदस्यों से, कि वे प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव लाए हैं उसे वापस लेंगे और इस एक अच्छे अधिनियम को सर्व-सम्मति से स्वीकार कर इसे पारित करेंगे।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विधेयक यहां पर प्रस्तुत है और पूरा विरोधी दल गायब है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गुप्त जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं वापस लेने पर विचार कर सकता था यदि इसके अध्यक्ष के बारे में, उस की योग्यता के बारे में, इसकी राष्ट्रीय नीति के बारे में, अल्पसंख्यक अध्यापकों की शिक्षा शर्तों के बारे में आश्वासन दिया गया होता जैसाकि अम्बार रिजवी ने आश्वासन दिया था तब तो मैं वापस लेने पर विचार कर सकता था। अब ऐसी स्थिति में मैं वापस लेने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 15 तक

2—इस अधिनियम में— परिभाषाएं

(क) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन स्थापित माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से है;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से है;

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत अपर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश भी है;

(ङ) "संस्था" का तात्पर्य इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी इण्टरमीडिएट कालेज या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हायर सेकेन्डरी स्कूल) या हाई स्कूल से है और "संस्था" के अन्तर्गत किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित संस्था भी है किन्तु राज्य सरकार द्वारा पोषित कोई संस्था नहीं है ;

(च) "प्रबन्ध-तन्त्र" का तात्पर्य किसी संस्था के सम्बन्ध में ऐसी प्रबन्ध समिति या ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी से है जिसमें उस संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन करने की शक्ति निहित हो;

(छ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और "सदस्य" के अन्तर्गत आयोग का अध्यक्ष भी है ;

(ज) "सभापति" का तात्पर्य बोर्ड के सभापति से है और "सभापति" के अन्तर्गत सभापति की अनुपस्थिति में तत्समय सभापति के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है ;

[श्री उपाध्यक्ष]

(झ) "विनियम" का तात्पर्य धारा 34 के अधीन बनाए गये किसी विनियम से है;

(ञ) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी संस्था में शिक्षण के लिए सेवा-योजित व्यक्ति से है और "अध्यापक" के अन्तर्गत प्राचार्य या प्रधान अध्यापक भी हैं ।

अध्याय—दो

आयोग की स्थापना और कृत्य

आयोग की स्थापना

3—(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक आयोग स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग कहलायेगा ।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा । यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में शक्ति का प्रयोग करेगा, और इसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित किया जाय ।

आयोग की संरचना

4—(1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और कम से कम छः और अधिक से अधिक आठ अन्य सदस्य होंगे ।

(2) सदस्यों में से,—

(क) एक ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार की राय में न्यायिक सेवा में उत्कृष्ट स्तर का हो या रहा हो;

(ख) दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो राज्य सरकार की राय में, राज्य शिक्षा सेवा में उत्कृष्ट स्तर के हों या रहे हों;

(ग) अन्य व्यक्ति (एक) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में या (दो) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष की अवधि के (तीन) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921, के अधीन मान्यता प्राप्त किसी संस्था के प्राचार्य के रूप में कम से कम पन्द्रह वर्ष की अवधि के अध्यापन का अनुभव रखने वाले होंगे ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय ।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य छः वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति निरन्तर दो पदावधि से अधिक के लिए आयोग का सदस्य नहीं होगा ।

(3) आयोग का कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय ।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा, निदेशित करे ।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, न तो आयोग का सदस्य नियुक्त किया जायगा और न इस रूप में बना रहेगा।

सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6—(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है यदि वह—

(क) दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक सेवायोजन में कार्य करे; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो जाय।

स्पष्टीकरण—जहां कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, किसी प्रकार से सम्बद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके लाभ में या उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में किसी प्रकार से सदस्य से भिन्न रूप में सम्मिलित हो, वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायगा।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

सहयुक्त करने की शक्ति

7—आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो धारा 34 के अधीन बनाए गये विनियमों द्वारा अवधारित किए जायें, किसी, ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए लेना चाहे।

आयोग के कर्मचारी वर्ग

8—(1) आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायगा, और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे।

(2) ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे आयोग ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक समझे, और सेवा के ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें आयोग उचित समझे, नियुक्त कर सकता है।

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

9—आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात—

(क) ऐसी श्रेणियों के अध्यापकों की, जैसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, भर्ती और पदोन्नति की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना,

(ख) ऐसे अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए जहां आवश्यक समझा जाय, परीक्षाएं, संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) चयन किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति और उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापकों की पदच्युति, हटाए जाने या पंक्तिच्युति से सम्बन्धित विषयों में प्रबन्ध-तन्त्र को सलाह देना;

(च) अध्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, पद से हटाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति के सम्बन्ध में नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनायें संस्थाओं से प्राप्त करना;

(छ) विशेषज्ञों और परीक्षकों की उपलब्धियों और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना;

(ज) आयोग में निहित निधि का प्रबन्ध करना;

(झ) धारा 12 के अधीन स्थापित बोर्ड को नीति के ऐसे विषयों पर, जिन्हें आयोग उचित समझे, सलाह देना;

(ञ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जायें या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों या विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आनुसंगिक या सहायक हों ।

अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया

10—(1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ प्रबन्ध-तन्त्र रिक्ति की सूचना आयोग को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से, जैसा विहित किया जाय, देगा।

(2) ऐसे अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय;

परन्तु आयोग प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करने की दृष्टि से उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों का राज्य में व्यापक प्रचार करेगा।

आयोग द्वारा चयन किए गये अभ्यर्थियों का पैनल

11—(1) आयोग, धारा 10 के अधीन रिक्ति को अधिसूचित करने के पश्चात यथाशक्ति अभ्यर्थियों का (परीक्षा, सहित या रहित) साक्षात्कार करेगा और जो नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाए जायं, उनका पैनल तैयार करेगा।

(2) आयोग उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल की धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय अग्रसारित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने पर सम्बद्ध अधिकारी या प्राधिकारी उस संस्था के जिसके सम्बन्ध में धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिक्ति अधिसूचित की गयी थी, प्रबन्ध-तन्त्र को अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए चयन किए गये अभ्यर्थियों के नाम सूचित करेगा और इस प्रयोजन के लिए वह अधिकारी या प्राधिकारी उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाय ।

(4) प्रबन्ध-तन्त्र, ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर उस अभ्यर्थी को जिसके नाम की सूचना उपधारा (3) के अधीन दी गयी हो, नियुक्ति पत्र जारी करेगा ।

(5) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी उस संस्था में इस समय के भीतर, जिसकी अनुमति नियुक्ति-पत्र में दी गयी है, या जिसे प्रबन्ध-तन्त्र के द्वारा इस निमित्त बढ़ाया जाय, अध्यापक के पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या जहां ऐसा अभ्यर्थी ऐसे अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं है, वहां सम्बद्ध अधिकारी या प्राधिकारी प्रबन्ध-तन्त्र के अनुरोध पर आयोग द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल से नए नाम, विहित रीति में सूचित करेगा।

अध्याय—तीन

माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन और कृत्य

सम्भागीय चयन बोर्डों की स्थापना

12(1) ऐसे दिनांक या दिनांकों से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, छः या इससे अधिक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड स्थापित किए जायेंगे जिनकी अधिकारिता ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर होगी जिसे राज्य सरकार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें।

(2) प्रत्येक ऐसा बोर्ड एक निगमित निकाय होगा और उसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(3) प्रत्येक ऐसे बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात—

(क) एक पूर्णकालिक सभापति जो राज्य सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा,

(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें बोर्ड उपधारा (1) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, कार्यरत सम्भागीय उपशिक्षा निदेशकों में से एक जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक से उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(5) धारा 5 और 6 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित बोर्ड के सभापति पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे आयोग के अध्यक्ष पर लागू होते हैं।

बोर्ड का कर्मचारी वर्ग

13—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के लिए प्रत्येक बोर्ड में ऐसा कर्मचारिवर्ग होगा जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कर्मचारिवर्ग के सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेंगी।

बोर्ड की शक्ति, कर्तव्य और कृत्य

14—(1) प्रत्येक बोर्ड ऐसे स्थानीय क्षेत्र के, जिसमें बोर्ड अधिकारिता का प्रयोग करता है, भीतर स्थित किसी संस्था में (अनुसूचित में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न) अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने की शक्ति होगी।

(2) बोर्ड को जूनियर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त अध्यापकों या बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त अध्यापकों को सर्टिफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड में पदोन्नति के मामलों के पुनर्विलोकन की भी शक्ति होगी जहां ऐसी पदोन्नति 10 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात की जाय।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड को निम्नलिखित शक्ति होगी--

(क) परीक्षाएं जहां आवश्यक समझा जाय, संचालित करना या अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना ;

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना,

(ग) विशेषज्ञों और परीक्षकों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना;

(घ) बोर्ड में निहित निधि का प्रबन्ध करना;

(ङ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना और ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जायं, या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों या विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हो ।

धारा 10 और 11 का बोर्ड पर लागू होना

15--धारा 10 और 11 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित (अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न) किसी अध्यापक के चयन और नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अध्यापक के चयन और नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए आयोग पर लागू होते हैं।

(व्यवधान)

(श्रीमती महारानी दोहरे का नाम पुकारे जाने तथा श्री पंचानन राय के खड़े होने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, महारानी दोहरे सदन में मौजूद हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं नाम ही ले सकता हूं, पकड़ कर खड़ा नहीं कर सकता हूं । वह खड़ी नहीं हुई तो पंचानन जी खड़े हो गये ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 में वर्तमान उपखंड (ञ) को उसके उपखंड (ट) के रूप में पुनर्संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपखंड (ट) के पहले निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय--

"(ञ) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची से है,"

शिक्षा मंत्री (रचोधी नौनिहाल सिंह)--

मान्यवर, यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 में वर्तमान उपखंड (ञ) को उसके उपखंड (ट) के रूप में पुनर्संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपखंड (ट) के पहले निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय--

"(ञ) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची से है,"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 और खन्ड 3 से 15 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 16 तथा 17 अध्याय-चार

चयन किये गये अध्यापकों की नियुक्ति

आयोग या बोर्ड की सिफारिश पर ही नियुक्तियाँ की जायंगी

16--(1) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उसके अधीन बनाये गये विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किन्तु धारा 18 और 33-क उपबन्धों के अधीन रहते हुए---

(क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अध्यापक की नियुक्ति 10 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात प्रबन्धतंत्र द्वारा केवल आयोग की सिफारिश पर की जायगी।

(ख) (अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न) किसी अध्यापक की नियुक्ति, 10 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात प्रबन्धतंत्र द्वारा केवल बोर्ड की सिफारिश पर की जायगी।

(2) किसी अध्यापक की नियुक्ति जिसमें उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, शून्य होगी।

निदेशक द्वारा जांच

17--(1) जहां कोई व्यक्ति, यथास्थिति, अध्याय दो या अध्याय तीन के अनुसार किसी संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्ति पाने का हकदार है, किन्तु इसके लिये उपबन्धित समय के भीतर प्रबन्धतंत्र द्वारा इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है, वहां वह निदेशक को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उपधारा (2) के अधीन निदेश के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जांच कर सकता है, और यदि उसका समाधान हो जायं कि प्रबन्धतंत्र इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके आवेदक को अध्यापक के रूप में नियुक्त करने में विफल रहा है तो वह आदेश द्वारा---

(क) प्रबन्धतंत्र को अध्यापकों के रूप में आवेदक को तुरन्त नियुक्त करने और आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उसे वेतन का भुगतान करने का, और

(ख) संबद्ध संस्था के प्रधान को उससे अध्यापक के रूप में कार्य लेने का निदेश दे सकता है।

(3) ऐसे अध्यापक को देय वेतन की धनराशि, यदि कोई हो, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र पर कलेक्टर द्वारा संस्था को चलाने वाली सोसाइटी या निकाय की या उसमें निहित सम्पत्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 16 के उप खण्ड (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय---

"परन्तु छटनी किये गये कर्मचारियों के संबंध में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16-ङ ङ के उपबन्ध इस संशोधन के साथ लागू होंगे कि उक्त धारा की उपधारा (2) में शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे"।

चौधरी नौनिहाल सिंह---

मान्यवर, मुझे मान्य है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 के उपखण्ड (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय---

"परन्तु छटनी किये गये कर्मचारियों के संबंध में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16--ङङ के उपबन्ध इस संशोधन के साथ लागू होंगे कि उक्त धारा की उपधारा (2) में शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 16 और खण्ड 17 इस विधेयक के अंग माने जायं,"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 18, 19, तथा 20

तदर्थ अध्यापक

18---(1) यहां प्रबन्धतंत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आयोग को किसी रिक्ति की सूचना देता है और---

(क) आयोग ऐसी सूचना के दिनांक से छः मास के भीतर अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये किसी उपयुक्त अभ्यर्थी के नाम की सिफारिश करने में विफल रहता है, या

(ख) ऐसे अध्यापक का पद दो माह से अधिक अवधि के लिए वास्तव में रिक्त रहता है,

यहां प्रबन्धतंत्र इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अधीन विहित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों में से किसी को सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा पूर्णतया तदर्थ आधार पर अध्यापक नियुक्त कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध पद 'आयोग' के स्थान पर पद "बोर्ड" को प्रतिस्थापित करते हुए (अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न) किसी अध्यापक की तदर्थ आधार पर नियुक्ति के लिए लागू होंगे ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन तदर्थ अध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति दिनांकों में से सर्वप्रथम दिनांक से प्रभावहीन हो जायेगी, अर्थात्:---

(क) जब वह अभ्यर्थी जिसकी सिफारिश यथास्थिति आयोग या बोर्ड के द्वारा की गयी हो, कार्यभार ग्रहण करता है,

(ख) जब धारा 1. की उपधारा (4) निर्दिष्ट में एक मास की अवधि समाप्त हो जाती है,

(ग) ऐसे तदर्थ नियुक्ति के दिनांक के बाद पड़ने वाला 30 जून ।

सूचना आदि मांगने की शक्ति

19---आयोग या बोर्ड किसी संस्था के प्रबन्धतंत्र से, यथास्थिति, धारा 9 या धारा 14 में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह उचित समझे, और प्रबन्धतंत्र उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

20—प्रबन्धतंत्र के कब्जे में विद्यमान प्रत्येक अभिलेखा रजिस्टर या दस्तावेज पर आयोग के सचिव या आयोग या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की पहुंच होगी और वह किसी युक्तियुक्त समय पर किसी परिसर में जहां उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा अभिलेखा रजिस्टर या दस्तावेज है, प्रवेश कर सकता है, और सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उनकी प्रतिलिपियां ले सकता है। अभिलेखा रजिस्टर आदि का निरीक्षण करने की शक्ति

श्री पंचानन राय—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 18 में:—

(1) उप खन्ड (1) में, प्रारम्भ में शब्द "वहां" के स्थान पर शब्द "जहां" रख दिया जाए और शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायें,

(2) उप खण्ड (3) में, प्रथम पंक्ति में शब्द "तदर्थ अध्यापक को प्रत्येक नियुक्ति के स्थान पर शब्द "तदर्थ अध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति निम्नलिखित" रख दिये जायं और पांचवीं पंक्ति में शब्द "निर्दिष्ट में" के स्थान पर शब्द "में निर्दिष्ट" रख दिये जायें, ।

चौधरी नौनिहाल सिंह—

मान्यवर, मुझे मान्य है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 18 में—

(1) उप खण्ड (1) में, प्रारम्भ में शब्द "वहां" के स्थान पर शब्द "जहां" रख दिया जाए और शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायं,

(2) उप खण्ड (3) में, प्रथम पंक्ति में शब्द "तदर्थ अध्यापक को प्रत्येक नियुक्ति" के स्थान पर शब्द "तदर्थ अध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति निम्नलिखित" रख दिये जायं और पांचवीं पंक्ति में शब्द "निर्दिष्ट में" के स्थान पर शब्द "में निर्दिष्ट" रख दिये जायें, ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 18, खण्ड 19 और खण्ड 20 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 21 से 35 तक

21—(1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अध्यापक को प्रबन्धतंत्र द्वारा आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना न तो पदच्युत किया जायगा, न सेवा से हटाया जायगा और न पंक्तिच्युत किया जायगा। अध्यापकों को पदच्युत करने, पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने पर निबंधन

(2) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न किसी अध्यापक को प्रबन्धतंत्र द्वारा बोर्ड का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना न तो पदच्युत किया जायगा, न सेवा से हटाया जायगा और न पंक्तिच्युत किया जायगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी अध्यापक की पदच्युति या उसे सेवा से हटाये जाने या पंक्तिच्युत करने का प्रत्येक आदेश शून्य होगा।

अध्याय-पांच

शास्ति

अध्यादेश के उपबन्धों का उल्लंघन करके अध्यापकों की नियुक्ति के लिए दण्ड

22--कोई व्यक्ति जो, यथास्थिति, आयोग या बोर्ड की सिफारिशों का अनुपालन करने में विफल रहे या धारा 17 के अधीन निदेशक के आदेश या निदेश का अनुपालन करने में विफल रहे या इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक की नियुक्ति करे, दोषसिद्धि होने पर, ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा ।

सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहने या जान-बूझ कर बाधा पहुंचाने के लिए दण्ड

23--यदि कोई व्यक्ति---

(क) जानबूझकर आयोग या बोर्ड द्वारा विधिपूर्वक अपेक्षित कोई विवरणी या सूचना रोक रखता है या उसके लिए स्वीकृत समय के भीतर उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या

(ख) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध को सम्यक् रूप से कार्यान्वित करने में जानबूझकर बाधा पहुंचाता है, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा ।

सोसाइटी द्वारा अपराध

24--(1) यदि धारा 22 या धारा 23 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो तो सोसाइटी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए सोसाइटी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस धारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए पूरी तौर पर सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाता है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध उस सोसाइटी के किसी सदस्य की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या ऐसा अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, वहां ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

अभियोजन का वर्जन

25--इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये कोई अभियोजन निदेशक या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट करे, पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायगा ।

अध्याय—छः

प्रकीर्ण

कतिपय कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी

26—आयोग या बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायगी कि—

(क) आयोग या बोर्ड के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका तत्वतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

आदेशों का अधि-प्रमाणीकरण

27—(1) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय धारा 8 के अधीन नियुक्ति सचिव, या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

(2) बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय सभापति या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन 1980 के अध्याय चार के उपबन्धों का लागू होना

28—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के अध्याय चार के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के अधीन स्थापित आयोग या बोर्ड पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से उस अधिनियम के अधीन स्थापित आयोग पर लागू होते हैं ।

प्रत्यायोजन

29—आयोग धारा 34 के अधीन बनाये गये विनियम द्वारा अपने अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य या अधिकारी को आयोग द्वारा या आयोग में किये गये कार्य के सामान्य अवीक्षण और उनके सम्बन्ध में निदेश देने की अपनी शक्ति, जिसके अन्तर्गत कार्यालय के अनुरक्षण और आयोग के आन्तरिक प्रशासन के संबंध में किये गये व्यय से संबंधित शक्ति भी है प्रत्यायोजित कर सकता है ।

अल्पसंख्यक संस्थाओं क छूट

30—इस अधिनियम की कोई बात "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्प-संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी ?

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

31—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, सन 1921 का लागू किया जाना

32—इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्धों से असंगत न हों किसी अध्यापक का चयन करने, उसकी नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युत करने, उसे पद से हटाने, उसकी सेवा समाप्त करने या उसे पंक्तिच्युक्त करने के प्रयोजनार्थ प्रवृत्त बने रहेंगे ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

33--(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये किसी अधिसूचित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तर, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

विनियम बनाने की शक्ति

34--(1) आयोग चयन करने के लिये परीक्षाओं का जहां आवश्यक हो संचालन करने के लिये या साक्षात्कार करने के लिये फीस विहित करने हेतु और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बना सकता है या उन्हें संशोधित कर सकता है;

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम--

(क) इस अधिनियम या धारा 35 के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे, और

(ख) उनका अनुसरण बोर्ड द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करने के लिये यथासम्भव किया जायेगा ।

नियम बनाने की शक्ति

35--राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 21 के उप खंड (1) में निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय--

"और न ही उसकी परिलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा ।"

खण्ड 21 के उप खंड (2) के अन्त में निम्न वाक्यांश जोड़ दिया जाय--

"और न ही उसकी परिलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा ।"

खण्ड 21 के उप खंड (3) के शब्द "पंक्तिच्युत" के उपरान्त तथा शब्द "करने" के पूर्व निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय--

"या सेवा समाप्ति या परिलब्धियों में कमी ।"

चौधरी नौनिहाल सिंह--

मान्यवर, यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 21 के उपखंड (1) में निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय—

"और न ही उसकी परिलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवाएं समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 21 के उप खंड (2) के अन्त में निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय—

"और न ही उसकी परिलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 21 के उप खंड (3) के शब्द "पंक्तिच्युत" के उपरान्त तथा शब्द "करने" के पूर्व निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय—

"या सेवा समाप्ति या परिलब्धियों में कमी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 21 और खण्ड 22 से खण्ड 35 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 36, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

निरसन और अपवांद

36—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। **उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, सन् 1981**

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत थे।

अनुसूची

(धारा 9 देखिये)

क्रम-संख्या	अध्यापकों की श्रेणी
1	इण्टरमीडिएट कालेज का प्राचार्य
2	इण्टरमीडिएट कालेज का प्रवक्ता
3	हाई स्कूल का प्रधान अध्यापक
4	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड स्थापित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: —

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1981 कहा जायगा ।

(2) यह 14 जुलाई, 1981 को प्रवृत्त समझा जायगा सिवाय धारा 21 के जो ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खण्ड 36 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय—

निरसन और अपवाद

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 23 सन् 1981

"36—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या—8 सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अध्यादेश, 1981, के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

चौधरी नौनिहाल सिंह,

मान्यवर, स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड 36 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय—

निरसन और अपवाद

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 23 सन् 1981

"36—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 8 सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अध्यादेश, 1981 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 36, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड, 1981, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(समय 4 बज कर 25 मिनट)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर संशोधन) विधेयक, 1981 †

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्द अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 को जो हमारे सामने विचाराधीन है उसको प्रवर समिति में जो भेजने का प्रस्ताव किया है उसके 2-3 मुद्दे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि इस बात को माननीय भार साधक मंत्री जी ने जिक्र किया है कि यह विधेयक अध्यादेश के जरिए जारी हुआ है और अब मूल विधेयक के रुप में आया हुआ है। तो क्या जिनसे पैसा लेना होगा चाहे वह फीस के रुप में हो, या टैक्स के रुप में हो तो ये टैक्सेशन मैजर्स क्या अध्यादेश के जरिए से लगाये जायेंगे, यह एक सैद्धान्तिक सवाल है। अध्यादेश जारी करने की ताकत माननीय राज्यपाल या राष्ट्रपति को है और जब अपरिहार्य स्थिति पैदा हो, विधान मंडल सत्र में न हो और कोई ऐसी विशेष चीज होने जा रही हो, तो उस पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है और विधान मंडल बाद में अपनी सहमति या असहमति प्रकट करें। मैं समझता हूं कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी, जिसका हवाला इसमें दिया हुआ है, की रिपोर्ट आज तो आपको नहीं मिली है, इसको प्राप्त हुए बहुत दिन हो गये होंगे, हमें इसमें भी आपत्ति (एतराज) नहीं है कि सरकार अपने संसाधनों को बढ़ाना चाहती है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किस की जेब में हाथ डाला जा रहा है। अगर वह ऐसे व्यक्ति पर पड़ रहा है जिस पर इसका बुरा असर पड़ेगा तो उसका विरोध करना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई ऐसा तरीका हो टैक्सेशन मैजर्स को बढ़ाने का कि आमदनी के बढ़ने के बजाय घटने लग जाय तो हमें इस बिल को देखने की आवश्यकता है। आज जैसा सत्तारूढ़ दल है, जैसी उसकी नियत है संसदीय लोकतंत्र में तो जानबूझकर इस प्रकार के अध्यादेश जारी किए जाते हैं और उसके बाद भी अगर यह आवश्यक समझते है कि विधान मंडल को विश्वास में लिया जाय तो सदन की तत्काल बैठक होती लेकिन इतनी अवधि होने पर अध्यादेश व्ययगत हुआ और दुबारा अध्यादेश जारी करना पड़ा और जब आज दूसरा अध्यादेश निकाला गया तो इसके निरसन का भी प्रस्ताव आना चाहिए था। एक तो मैं इसका इस मुद्दे पर विरोध करता हूं कि मनोरंजन कर बढ़ाने से हमारे प्रदेश की जो बढ़ती हुयी इन्डस्ट्री है उस पर इसका असर पड़ेगा। यह दूसरी बात है कि सिनेमा का हम भी किसी मुद्दे पर विरोध करते हैं लेकिन यह तो सैन्सर बोर्ड का काम है वह इस बात को देखे कि सैक्स और वायलेन्स के जो दृश्य हमारे सामने आते है, जिससे हमारे नवयुवकों के अच्छे संस्कार नहीं पड़ते हैं लेकिन अगर इस माध्यम को सही रास्ते से अपनाया जा सके तो बड़ी ही लोक-

---

†दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

प्रिय चीज है। आज हमारे प्रदेश में मनोरंजन का इससे सस्ता साधन भी नहीं है। लेकिन आप उसको महंगा बनाये जा रहे हैं। आप कहेंगे कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया है, अधिकार को इसमें जोड़ दिया है। आप कहेंगे कि हमने 50 पैसे वालों पर कोई वृद्धि नहीं की। नये शैड्यूल में शायद वह 1 रुपये है जिस पर आपने वृद्धि नहीं की है, मगर सिनेमा देखने वालों में उनका प्रतिशत है कितना ? 90 प्रतिशत सिनेमा देखने वाले वे लोग है जो एक रुपये से अधिक का टिकट लेते हैं। उन पर इस टैक्स का भार पड़ेगा। मैं यह आंकड़े जानना चाहूंगा कि इस टैक्स के बढ़ने से आमदनी कितनी बढ़ी है ? उसमें कितना इजाफा हुआ है ? और जो आमदनी इससे आप उम्मीद करते थे वह कितनी थी ? उतनी आमदनी हुई या नहीं हुई ? गरीब आदमी के लिये सस्ता और सुलभ मनोरंजन इन्हीं सिनेमा द्वारा ही सुलभ है। उसे ही आपने महंगा करने की कोशिश की है, जब कि मैं समझता हूं कि आमदनी आपकी उतनी बढ़ी नहीं है जितनी कि आप उम्मीद करते थे। फिर इसका समर्थन किया जा सकता था यदि इसके साथ साथ आप कुछ सुविधायें भी बढ़ाने की तरफ ध्यान देते। आज भी सिनेमाओं में वही टूटी फूटी कुर्सियां मिलेगी, चारों तरफ गंदगी मिलेगी।

मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश में 1979 के आंकड़ों के हिसाब से 5 करोड़ की आबादी पर 1799 सिनेमाघर है और हमारे उत्तर प्रदेश में 683 है। बिहार को छोड़कर हर प्रदेश से हमारे यहां कम है। जबकि आबादी सबसे ज्यादा है। टी0 वी0 के कारण भी सिनेमा देखने वालों की तादाद में कुछ कमी आयी होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसे महंगा कर देंगे तो सिनेमा देखने वालों की संख्या में कमी आयेगी और उस कारण से टोटल आमदनी आपकी बढ़ नहीं पायेगी। फिर और कई चीजें है जिन पर टैक्स बढ़ा कर आमदनी सरकार की बढ़ाई जा सकती है। इन सब बातों पर ही विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय जहां इस पर विचार हो सके। माननीय मंत्री जी तो विरोध पक्ष के नेता रह चुके है, उन्होंने कई प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने के रखे होंगे, वे उसके महत्व को जानते हैं। इसलिये उनको इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इससे सरकार की इच्छा भी पूरी हो जायेगी और एक अच्छा सा विधेयक भी बन कर आ जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री राम गोविन्द----

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा, अमीर और गरीब सभी सिनेमा देखते हैं। अगर अमीर के ऊपर टैक्स बढ़ गये तो उस पर कोई अन्तर नहीं पड़ता, लेकिन गरीब पर अगर टैक्स बढ़ता है तो उसकी कमर टूट जाती है। एक गरीब जो दिन भर मेहनत करने के बाद, अपने दिमाग को शान्ति देने के लिये, कुछ मनोरंजन करने के उद्देश्य से सिनेमा देखने जायेगा उसे कर अधिक देना पड़ेगा, इसलिये यह विधेयक हानिकारक है गरीबों के लिये। इसके अलावा यह विधेयक हानिकर है सिनेमा उद्योग के लिये भी। इसलिए कि हमेशा टैक्स बड़े लोगों पर न लग कर, उसका प्रभाव गरीब लोगों पर ही पड़ता है और इसका भी गरीब लोगों पर ही पड़ता है। सिनेमा पर जो टैक्स लगायेंगे, गरीबों पर ही ज्यादा पड़ेगा। तो कम से कम सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो टैक्स लगाने जा रहे हैं, वह किसके ऊपर यह टैक्स अधिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ेगा ? इसलिये यह जो विधेयक आ रहा है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। 15 दिन का समय कोई ज्यादा नहीं है।

*श्री धरम पाल--

मान्यवर, गुप्ता जी ने एक बहुत ही ठोस बात बताई कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। शायद माननीय मंत्री जी मान भी जाते, लेकिन गुप्ता जी की पुरानी नोक-झोंक इनसे चली आ रही है, उसको वह नहीं मानेंगे। प्रदेश के अन्दर 11 करोड़ में से मुश्किल से 5 करोड़ ऐसे होंगे जो कि केबरे आदि से उपलब्ध साधनों से फुरसत पाते हों, सिनेमा तो केवल ठेला वाले, रिक्शा वाले, खोंचे वाले जो हैं, इनके पास एकमात्र मनोरंजन का साधन सिनेमा ही है। आखिर एक गरीब आदमी जो महीने में एकाध फिल्म के लिए पैसा जोड़कर रखता है, तो उसको भी इन्टरटेनमेन्ट के लिए आप इस विधेयक के माध्यम से बाधा पहुंचा रहे हैं। मान्यवर, 1 रुपया का कहीं पर भी टिकट नहीं होता है, अगर होता है तो वह आगे की सीटें होती हैं, तो यह कहना कि हम बड़े लोगों से टैक्स ले रहे हैं, तो वह सही नहीं है, क्योंकि वह तो सिनेमा बड़े लोगों की चीज नहीं है। बड़े लोगों की चीज है केबरे, उस पर टैक्स लगा दीजिए। इसके अलावा नित्य प्रति रविन्द्रालय में प्रोग्राम होते रहते है, उस पर आप टैक्स नहीं लगायेंगे, क्योंकि उसको देखने वाले बड़े-बड़े आई० ए० एस० अधिकारी या मंत्री लोग हैं। साधरण जनता के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं ? समाजवाद की बात आप सोच नहीं सकते हैं। कर बढ़ा रहे हैं। कर आपको मिलेगा नहीं, इसको तो ले लेगा सिनेमा हाल का मालिक और इन्टरटेनमेन्ट इन्सपेक्टर। प्रदेश की जनता से पैसा लेकर इन्टरटेनमेन्ट इन्सपेक्टर और उनके कर्मचारी, सिनेमा हाल के मालिक की जेब में वह पैसा चला जायगा। आप हिसाब जोड़ेंगे, तो शायद एक लाख आपको मिल जायेगा। आप टैक्स म्युजिकल प्रोग्राम, केबरे आदि पर लगाइये या 200 प्रतिशत कर कर दीजिये, लेकिन बालकनी के ऊपर। मैंने केवल थोड़े ही शब्द कहा, शायद माननीय मंत्री जी हमारी बात को मान जायेंगे।

*श्री बलबीर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने संशोधन विधेयक पेश किया है, वह उन्होंने केवल गरीबों की जेब से पैसा निकालने का पेश किया है। बहादुरी होती कि इसके बजाय कारों के ऊपर टैक्स बढ़ा देते। बहादुरी होती तब इनकी, जब ये जैसे, जितने भी अन्य साधन इन्होंने बना रखे हैं, चाहे वह व्हिस्की हो, चाहे वह बियर हो, इनकी और भी जो नशीली चीजें हैं, खूब कीमत बढ़ायें। लेकिन छोटा सा इन्टरटेनमेन्ट का साधन, गरीबों से भी छीनने की इन लोगों ने सोच ली। जैसा मेरे भाई धरमपाल ने सुझाव दिया कि बालकनी पर दो सौ प्रतिशत कर दें। मैं कहता हूं कि 3 सौ प्रतिशत कर दें लेकिन थर्ड और सेकेन्ड क्लास पर घटा दें उनको मुक्त कर दें। बड़े दर्जों पर 5 सौ प्रतिशत कर दें ताकि उनको पता चले कि बड़े आदमियों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं जिनका आमदनी का जरिया है। बीड़ी पर यह सरकार टैक्स लगायेगी लेकिन चुरट पर नहीं लगायेगी क्योंकि बीड़ी गरीब पीता है और गरीबों की जेब से पैसा खींचना है, गरीबों का खून खींचना कांग्रेस सरकार की नीति है। मैंने सुझाव दिया था कि आप बड़े लोगों पर टैक्स लगाएं लेकिन मंत्रिगण विचार नहीं करते। कैबिनेट में सचिवों ने जो बनाकर पेश कर दिया उसको पास कर दिया। यह तो मस्त हैं शराबों में मस्त है रंगरेलियों में। इनके पास गरीबों की हालत पर विचार करने का समय नहीं है। मंत्री जी से मिलने जाइये तो पता चलेगा कि वह तो हेलीकैप्टर से घूम रहे हैं। मंत्री जी कार का पेट्रोल इतना फालतू है कि वह कारों से चलते हैं, रेल से नहीं चलते हैं। सरकारी अधिकारी कोठी बनाने से फुरसत नहीं पाता है, भत्ता बनाने से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवीर सिंह]

फुरसत नहीं पाता है। जाते है दावतों में और दूसरों के यहां खाना खाते हैं और बनाते हैं भत्ता। जनता सरकार ने यह तय किया था कि किसी के घर दावत नहीं खायेंगे। अपना खाना साथ लायेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का जिसका जीवन स्तर गिरता जा रहा है। आज गरीबों पर टैक्स और अत्याचार किये जा रहे हैं इस पर आप सोचिये। सिनेमा मालिकों से कुछ तय किया उसके उपरान्त यह विधेयक पेश कर दिया। जैसा गुप्ता जी ने सुझाव दिया है जो संशोधन दिया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय यह बहुत अच्छा होगा और मैं इसका समर्थन करता हूं। इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये क्योंकि मंत्रिमंडल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं जो बातें कहीं गई। मुझे प्रसन्नता होती अगर माननीय सदस्यों ने इस विधेयक की भावना को समझ कर अपना विचार प्रकट किया होता, तो यह बहुत अच्छा होता। एक बात कही गई कि गरीबों पर टैक्स लगाया जा रहा है। चौधरी साहब ने भी इस पर एतराज किया। मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीब है वह 50 पैसे का टिकट खरीदता है तथा उसको 75 कर का मिलाकर 1 रुपए 75पैसे देना पड़ता था और जो एक रुपया देता था उसको सवा 2 रुपया देगा। जो टैक्स वह देता था उतना ही उसको देना पड़ेगा। जो टैक्स बढ़ाया गया है वह बड़े आदमियों पर बढ़ाया गया है। दूसरी चीज कही गई कि इससे इन्टरटेनमेन्ट टैक्स नहीं बढ़ेगा। मेरा यह प्रयास रहा है कि टैक्स की प्रणाली को तर्कसंगत बनाया जाय जिससे गरीबों पर भार कम पड़े। ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल 33 करोड़ रुपया इन्टरटेनमेन्ट टैक्स का आया था और अगर सकुशल इस साल चलता रहा और माननीय सदस्यों का सहयोग रहा तो इस साल 40 करोड़ रुपया मिलेगा। एक बात और कही गई कि सिनेमा मालिकों से बात हुई जिससे यह फैसला किया गया। बात तो हम सब से करते है और सब की बात सुनते हैं लेकिन जो सिनेमा मालिक चाहते थे वह हमने नहीं किया। जो बात वह चाहते थे वह उधर से सुनने को मिली। जो माननीय सदस्य का कहना है कि नीचे के दर्जे का टैक्स घटाया जाय वही इस विधेयक में किया गया है। मान्यवर, जो मनोरंजन के साधन का सवाल है तो उसके लिये छोटे-छोटे कस्बों में चल चित्र निगम द्वारा इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। यह छोटा सा विषय है। इस लिये गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि चूंकि गरीबों के ऊपर से हमने भार हटाया ही है इसलिये वह अपने प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यान के साथ मंत्री जी के भाषण को सुना। मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने सुझाव मेरे प्रस्ताव के संबंध में व्यक्त किये हैं। मान्यवर, मैंने यह पहले भी बल दिया था कि जहां तक संसाधन बढ़ाने का सवाल है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो मंत्री जी ने सिनेमा के ऊपर और नीचे की बात कहा है उसका तात्पर्य, जिसकी चर्चा आज कर रहे है, वह तो थोड़े लोग जाते है, मिडिल क्लास की 80 फीसदी सीटें रहती है, इसलिये मैंने और माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि सबसे ऊपर की सीटों पर बढ़ा दें लेकिन यहां सवाल इस बात का है कि पूरे टैक्स स्ट्रक्चर पर विचार करने की जरूरत है। मान्यवर, सेना में जो पिक्चर दिखाई जाती है जवानों पर टैक्स माफ कर दिया है वह ठीक है लेकिन क्या वहां अधिकारी नहीं जाते है और दूसरे लोग नहीं जाते है जिससे टैक्स की चोरी होती है। इसलिये दूसरे टैक्स के जरिये आय हो सकती है लेकिन मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर इसका भार पड़ता है। इसलिये इसको प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता है।

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, प्रवर समिति को देने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं वापस नहीं ले रहा हूं और आप वोट करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड—2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन 1979 की धारा 3 का संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "एक सौ दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "एक सौ पचास प्रतिशत" रख दिये जायेंगे:

(ख) स्पष्टीकरण सहित उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) की कोई बात राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के लिए या विभिन्न वर्गों के आमोद के लिए या आमोद में प्रवेश के लिए विभिन्न भुगतान के लिए आमोद-कर की विभिन्न दरें अधिसूचित करने से प्रवारित नहीं करेंगी ।"

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "किसी आमोद में प्रवेश के लिये भुगतान और कर" के पश्चात् आये हुये शब्द और कोष्ठक " (जिसके अन्तर्गत अधिभार, यदि कोई हो, भी है)" और शब्द "आमोद में प्रवेश के लिए ऐसे भुगतान और कर का" के पश्चात् आये हुए शब्द और कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत अधिभार भी है)" निकाल दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, सन् 1981

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सार भूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंसीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

(2) यह 21 जुलाई, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 के वर्तमान खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय—

निरसन और अपवाद

"3—(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पण कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा, यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

निरसन और अपवाद

"3—(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतदद्वारा निरसित किया जाता है। उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 15 सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश, द्वारा, यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 3, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981†

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का जो प्रस्ताव है, उसके दो तीन मुद्दे हैं, यही बात इससे पहले भी जो इन्टरटेनमेन्ट टैक्स के विधेयक पर बात आयी थी, उस पर भी मैंने उठाया था अगर माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे दिये होते, तो शायद यह बात दुबारा मुझे नहीं कहनी पड़ती कि सिद्धान्तिक रूप से यह कराधान की व्यवस्था अध्यादेश के माध्यम से नहीं आनी चाहिए थी। यही चीज इन्टरटेनमेन्ट टैक्स में भी थी और इसमें भी यही बात सामने आयी है। इस संबंध में इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में जो बातें कही गयी हैं वह बात भी समझ में आने वाली नहीं है। यह ठीक है कि राज्यपाल को विधायी अधिकार तो मिले हुए हैं, लेकिन उनको इन अधिकारों का प्रयोग यहां न करना चाहिए और यह कहा जाए कि ऐसी परिपाटी है कि अध्यादेश के जरिये इसको लाया जाय, तो यह बात बिल्कुल गलत है और दूसरी बात मान्यवर, जो बहुत ही गम्भीर है और जहां तक मेरी जानकारी में है वह यह कि माननीय उच्च न्यायालय में भी यह फैसला कहीं भी नहीं दिया गया है कि टैक्स पूर्वगामी दर से (रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट) लगाया जा सकता है और जैसा कि आपने मसाले, अचार, और सूखा मेवा से संबंधित प्रविष्टि में कतिपय मसालों और सूखा मेवा यथा सूखी मेथी, हींग, सोंठ, राई, चिरौंजी, मखाना आदि को पूर्वगामी रूप में करादेय करना घोषित किया है, यह नहीं होना चाहिये। सूखे मेवे की तो बात कहीं तक चल सकती है, इससे मैं सहमत हूं लेकिन सूखी मेथी वगैरह पर यह लगाना उचित इसलिए नहीं होगा कि मान लीजिए कोई आदमी अपना सामान बेचने आता है और बेंच कर चला भी जाता है, लेकिन उसको मालूम है कि उसको इस चीज पर टैक्स देना है, पूर्वगामी दर से और अगर वह चला गया तो आप किस प्रकार से पर्वगामी टैक्स उस पर लगायेंगे। अगर ऐसे नियमों को आप जन्म देंगे तो साथ ही भ्रष्टाचार भी उभरेगा, फिर चाहे यह भ्रष्टाचार व्यापारियों के हाथों से हो या कर्मचारियों या अधिकारियों के हाथों से हो, लेकिन भ्रष्टाचार पनपेगा जरूर यदि पूर्वगामी स्टेज से टैक्सेशन लागू किया गया और दूसरा मान्यवर, जो मुद्दा वह यह कि जो धारा 10 में यह उपबन्ध लागू किया जा रहा है कि बिक्री-कर अधिकरण में उच्च न्यायालय का कोई भूतपूर्व न्यायाधीश न हो किन्तु यदि एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हों जो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य हों या रहे हों तो ऐसे सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा। यह भी मान्यवर, यदि ऐसा किया गया तो उचित नहीं होगा और योग्य व्यक्ति आपको नहीं मिल सकेगा, ऐसे महत्वपूर्ण सेवा पद के लिए। जबकि इससे पहले की प्रथा तो यहां रही है कि जो न्यायाधीश हाईकोर्ट रिटायर्ड रहा हो या किसी एडवोकेट ने जिसने 10 वर्ष की अवधि तक प्रैक्टिस की हो, उसी को अध्यक्ष बनया जाता रहा है, लेकिन अब आप यह जो करने जा रहे हैं कि उच्च न्यायिक सेवा का केवल सदस्य रहा हो या ऐसा कोई एडवोकेट जिसकी सेवा की कोई अवधि ही निश्चित नहीं है, अथवा कोई भी इस अध्यक्ष पर रखा जा सकता है, यह कदापि नहीं होनी चाहिये, अगर आप यह कह देते कि 10 वर्ष

---

†दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

की प्रैक्टिस होना जरूरी है तो किसी हद तक उचित भी था, लेकिन ऐसे सदस्य को इसमें लाना चाहिए जिसका बिक्री-कर से ताल्लुक रहा हो। उसको ठीक करने की जरूरत है, जहां तक बिक्री-कर का सम्बन्ध है। भ्रष्टाचार के मामले आते रहते है, लेकिन यह भ्रष्टाचार क्यों है। इसका कारण है कि एक नियम बनता है, वकील और व्यापारी जब तक उसको समझ नहो पाते, दूसरा पहुंच जाता है। यह ला इतना कम्पलीकेटेड हो रहा है, इसी से भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। आपने भी जिस समय आप जनता के सामने वोट मांगने गये थे, आपने कहा था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, बिक्री-कर को समाप्त करने का प्रयास जरूर करेंगे। इस स्तर पर हम सरकार के मुख से यह जानना चाहते है कि बिक्री-कर को समाप्त करके, रेवेन्यू तो आयेगा ही, चाहे वह बिक्री-कर के रूप में ही या किसी और रूप में हो, लेकिन इसके कानून को सरल करके चाहे इसे एक सूत्री करें या कुछ और करें जिस से आमदनी भी हमारे पास हो जाय और व्यापारी को भी परेशानी न हो और बिक्री-कर समाप्त हो जाय, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

अभी समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि आचार संहिता बनी, व्यापारियों के लिये भी उसमें बातें दी हुई हैं और अधिकारियों के लिये बातें दी हुई हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारी उस आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर दण्ड क्या होगा, उसके खिलाफ दण्ड का कौन सा प्राविधान है। इसलिये आपकी आचार संहिता देखने में कितनी ही लुभावनी मालूम हो लेकिन उसके ऊपर कोई लाभ होने की बात है, ऐसा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि बिक्री-कर के द्वारा सरकार की आमदनी भी हो और शोषण भी न हो। सामान्य आवश्यकता की वस्तुओं को बिक्री-कर की सीमा से मुक्त कर दें।

48 की जो सीमा आपने निर्धारित की है, उसके मुकाबले में आज मंहगाई कितनी बढ़ गयी है। यह ठीक है कि बिक्री-कर से छूट की बात आपने लिखी है, एक निश्चित सीमा की। आज हम 82 में बात कर रहे है। उसके हिसाब से छूट दिया जाना चाहिये। इसके ऊपर प्राविधान आपने नहीं किया है। इन दो-चार बिन्दुओं तक अपनी बात सीमित रखकर माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इस मामले को प्रवर समिति में भेज दें। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने के आपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री राम गोविन्द---

जो प्रस्ताव माननीय गुप्ता जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो ये बिक्री-कर आदेश लाये हैं, उसमें ऐसी चीजों को भी लाये हैं, जो गरीबों से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने पालिश पर भी टैक्स लगाया है। हरिजनों की हमदर्द यह सरकार अपने को कहती है। दूसरी तरफ पालिश वाली डिबियों पर इन्होंने टैक्स लगा दिया है। जनता पार्टी की जब सरकार थी, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती थीं कि जनता पार्टी की सरकार में औरतों के मगलसूत्र की रक्षा नहीं हो रही है, लेकिन इस ने औरतों के सिन्दूर पर भी बिक्री-कर लगाने का इन्तजाम किया है। श्रीमती इन्दिरा गांधी तो औरत हैं और औरतों के सिन्दूर पर बिक्री-कर क्यों लगा रही हैं?

(इस समय 5 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जो भी छोटी-छोटी गरीबों के उपयोग की चीजें है उस पर मंत्री जी ने बिक्री-कर लगाया है जैसे दियासलाई की डिबिया पर बिक्री-कर लगाया है। प्लास्टिक के बर्तनों पर जिसको कि गरीब अपने प्रयोग में लाता है और अपना काम चलाता है उस पर इन्होंने बिक्री-कर लगाया है। अरे, ऐशो आराम की चीजों पर बिक्री-कर लगाते तो बात कुछ समझ में आती परन्तु आपने तो गरीबों के उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया। कम से कम गरीबों के उपयोग की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वस्तुओं को तो आप कर से मुक्त रखते। पालिश पर, सिन्दूर पर, फाउन्टेनपेन पर, दियासलाई की तीली पर तथा प्लास्टिक के बर्तनों पर आपने टैक्स लगाया जिसे कि साधारण वर्ग का व्यक्ति उपयोग करता है इन्हीं तमाम चीजों पर आपने टैक्स लगाया है या बिक्री कर लगाने का प्रयास किया है। यह गरीबों के हित में नहीं है, इसलिये मैं इस उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की सिफारिश करता हूं।

*श्री धरम पाल—

मान्यवर, बिक्री कर के संबंध में जो गुप्ता जी का सुझाव है वह एक कांक्रीट सुझाव है। हमारे वित्त मंत्री जी समाजवाद की बहुत दुहाई देते हैं परन्तु यह देखने में आ रहा है कि मंत्री जी समाज वाद के कितने हमदर्द हैं, यह इस बिक्री कर के लाने से स्पष्ट है कि जो गरीबों के इस्तेमाल की वस्तुयें हैं जैसे छोटी छोटी कंघी उस पर ये बिक्री-कर ले रहे हैं। साधारण रिफिल जो बालपेन की होती है उसपर ये बिक्री-कर ला रहे हैं बालपेन पर बिक्री-कर ला रहे हैं। दियासलाई की तीली पर बिक्री कर ला रहे हैं प्लास्टिक के बर्तनों पर जो कि गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर ये बिक्री-कर ला रहे हैं। घरों में जलाया जाने वाला मिट्टी का तेल उस पर ये बिक्री-कर ला रहे हैं। श्रीमन्, इससे जाहिर है कि आप गरीबों के मसीहा हैं। और आगे देखिये कि इनके विभाग की बुद्धिमानी कि जो नकली आरनामेन्ट्स हैं उन पर हीरे, जवाहरात के समान टैक्स रखा गया है। नकली आरनामेन्टस पर रेट आफ टैक्सेशन हीरे जवाहरात के आरनामेन्टस की तरह सेम है जबकि उनकी वैल्यूएशन सेम नहीं है परन्तु रेट आफ टैक्स सेम है। प्लास्टिक के वर्तनों पर, साबुनदानी पर जिसे कि साधारण व्यक्ति इस्तेमाल करता है उस पर बिक्री-कर लगाया जा रहा है।

इसके अलावा गरीब आदमी की साईकिल पर टैक्स, उसके अलावा उस साईकिल के दोनों ट्यूब और टायरों पर कर। यह कैसी व्यवस्था आप कर रहे हैं। मेरा प्रस्ताव है कि इसको समाप्त किया जाय और पूरे बिक्री-कर विभाग को नये सिरे से देखा जाय तथा गरीबों के उपयोग की वस्तुओं को कर-मुक्त किया जाय।

आप माल बनाने वाली फैक्टरी पर टैक्स लगाते तो बात समझ में आती कि रा-मैटिरियल पर टैक्स लगाते हैं। आप वित्त मंत्री हैं, अपने को आप समाजवादी कहते हैं और आप काम करते हैं पूंजीवादी का। वास्तविकता से मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा। और तो और गरीबों के झोपड़ों में लगने वाली ब्रिक्स नं0 4 पर भी टैक्स लगा दिया। जब कोई सरकारी इमारत बनती है या पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा निर्माण होता है तो उस इमारत पर आप टैक्स नहीं लगाते। जनता की झोपड़ी बन गयी तो टैक्स लगा दिया, यह आपकी दोहरी व्यवस्था है। दो नम्बर के आप मंत्री है, दोहरी व्यवस्था करते हैं, दो नम्बर को व्यवस्था...

श्री अध्यक्ष—

माननीय धरमपाल जी, इधर मुंह करके, इधर बात करें। यह सामान्य चर्चा नहीं है।

श्री धरमपाल—

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बलबीर सिंह—

आपकी आज्ञा से वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो गरीबों का खून चूसने की दुबारा चेष्टा की गई है विधेयक पेश करके, इसमें छोटे से छोटे, गरीब से गरीब, नीचे से नीचे स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों के इस्तेमाल में आने वाली चीजों पर भी टैक्स लगाया गया है। कांच की चूड़ियां, जो बहनें पहनती हैं, उसका भी नहीं छोड़ा। इन्होंने बेशक फार्म 31 बना दिया, यू0 पी0 से बाहर से आने वाले समान पर, टैक्स की चौकियां बना दीं, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलबीर सिंह]

भ्रष्टाचार का अड्डा हो गयीं। हमारे व्यापारी भाइयों ने प्रोडक्शन टैक्स के प्राविधान के लिए आपके सम्मुख रखा, उसके लिये आन्दोलन किया, हड़तालें की परन्तु उनके कान पर जूं नहीं रेंगी। सत्ता के नशे में आकर गरीबों का दम्भ भरने वाले ये नये राजा, नवाब, जिनको ऐशो इशरत से फुरसत नहीं, सोचने का वक्त नहीं है, और दम्भ भरते है, गरीबों का.....

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम से व्यवस्था चाहूंगा आपकी बिक्री कर की चर्चा हो और व्यक्तिगत राजा और नवाबों का डिसकशन हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। माननीय सदस्य अगर नये आये हों तो बता दें और अगर पुराने हैं तो जानकारी करा दें।

श्री अध्यक्ष—

बलबीर सिंह जी, त्रिवेणी राय जी ने जो बात कही है उसका आप ध्यान रखें।

श्री बलबीर सिंह—

ध्यान रखूंगा मान्यवर, लेकिन उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, इसको कैसे सहन करूं।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, माननीय सदस्य असंसदीय शब्द कह रहे हैं "मति भ्रष्ट"। यह असेम्बली है कोई बनिया की दूकान नहीं है।

श्री बलबीर सिंह—

जो सरकार सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों पर आधारित हो जाती है, अपने विवेक से कुछ काम नहीं करती, उसका नतीजा यही होता है, उसी को यह कहा जायेगा कि मति भ्रष्ट हो गई है। मेरा सुझाव है कि बिक्री-कर बिल्कुल खतम कर दिया जाय और उसके बजाय उत्पादन कर लगाना चाहिए भले ही केन्द्रीय सरकार के माध्यम से लगाया जाय उत्तर प्रदेश के बाहर से आये हुए सामान पर और केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी स्वीकृति दे दे। कई-कई दिन की हड़ताल की, अनशन किया गया, प्रोटेस्ट किया लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगी। अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जैसा कि गुप्ता जी ने कहा है।

श्री अध्यक्ष—

गुप्ता जी, आप अपना अन्तिम भाषण कह दें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन मा० सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया और मुझे खुशी है कि सभी साथियों ने एक मत से यह मांग की है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय इस पर जनहित में विचार करना अत्यन्त आवश्यक है इसलिये मा० मंत्री जी भी सहमत होंगे कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय क्योंकि जहां तक यह बात उठाई गई है कि हम संसाधन जुटा रहे हैं तो इसमें शासन भी सहमत है तो अच्छा होगा कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय। उसमें यह स्पष्ट हो जायेगा कि हम अर्थ व्यवस्था पर कड़ी नजर कैसे रखें तो इन सब बातों के लिए आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्मदत्त—

मा0 सदस्य यदि कुछ बोलने से पहले यदि पढ़ लिया करें तो बहुत अच्छा होगा। जब यह सरकार बनी तब से बिक्री-कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और यह देखा जाता है कि जो गरीब है, जो साधारण व्यापारी हैं उसको भी हम सहूलियतें देते हैं। इसको 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। जो कुछ भी व्यवस्था की गई है वह बिक्री कर सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है। बिक्री-कर की समितियां भी राज्य स्तर पर, मंडलीय स्तर पर बनाई गई हैं। इनके माध्यम से जो भी सिफारिशें या संशोधन किये जाते हैं उनको समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित भी कर दिया जाता है। मसालों पर पहले से ही कर लगाने का विरोध किया गया लेकिन अगर हम यह संशोधन न लायें तो मसालों के ऊपर 8 प्रतिशत कर लगता अब 6 परसेंट ही कर लगेगा। कई बातें कही गईं कि गरीबों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, मामूली चीजों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो अर्थ व्यवस्था के लिये और संसाधन बनाने के लिये यह चलता चला आ रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बजट पेश करना है और जब बजट पेश होगा तो उस पर मा0 सदस्यों के विचार सुनने का मौका मिलेगा। अर्थ यवस्था की बात सुनने को मिली तो दो तरह के टैक्स होते हैं एक तो क्रय शक्ति के ऊपर टैक्स होता है और दूसरा उपभोग की क्षमता के ऊपर होता है। जहां क्षमता कम होती है वहां बिक्री कर कम लगता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को न्यायपूर्ण मानता हूं लेकिन उससे जो कठिनाइयां है, चाहे वह गरीब कि हो, व्यापारियों की हो, चाहे जनता की हो, उसको हम दूर करने का प्रयन्न कर रहे हैं। आज की अर्थ व्यवस्था में प्रदेश के विकास के लिए यह बहुत आवश्यक हो गया है और यह कहना बहुत आसान है कि यह टैक्स न लगाया जाय लेकिन यदि यह प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को खराब करने वाला होगा और हैसियत से ज्यादा होगा तो उसको नहीं लगायेंगे लेकिन इसके जरिये प्रदेश के विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं इसलिए इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं समझता इसलिए मा0 गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वह इसे वापस ले लें।

श्री कुबेर भंडारी—

मुझे एक शब्द बोलने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। बीच में आप कैसे बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—

गुप्ता जी, क्या आप इसको वापस ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 23 तक

उ0प्र0 ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 3—कख, धारा 3—कक" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(2) कोई व्यापारी, धारा 18 में की गई अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था के सिवाय; उपधारा (1) के अधीन कर का देनदार न होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान उसके—

(क) धारा 3—घ के अधीन विज्ञापित माल के क्रय-धन का,

(ख) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर देय क्रय-धन का,

(ग) धारा 3—घ के अधीन कर देय बिक्री के विक्रय-धन का,

(घ) सभी माल की (धारा 3—घ के अधीन विज्ञापित माल को छोड़कर) बिक्री के विक्रयधन का, चाहे ऐसी बिक्री व्यापारी द्वारा सीधे या अपनी शाखा, डिपो या अभिकर्त्ता के माध्यम से राज्य के भीतर, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या राज्य के बाहर की जाय,

कुल योग निर्माता की स्थिति में पचास हजार रुपये और अन्य व्यापारियों की स्थिति में एक लाख रुपये से, या ऐसी अधिक धनराशि से जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा, या तो किसी माल के सभी व्यापारियों के संबंध में अथवा किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में, तदर्थ निर्दिष्ट करें, कम हों।"; और

(ग) उपधारा (3) में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक "या उपधारा (2-क)" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3-क का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 3—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"3—क—कर की दर—(1) धारा 3—घ में यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी द्वारा देय कर—

(क) "घोषित माल" के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर ऐसे एकल स्थल पर और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 में तत्समय विनिर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक ऐसी दर पर, जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, घोषित करे, लगाया जायेगा;

(ख) किसी होटल या जलपान गृह या उसके भाग में कैबरे या मंच प्रदर्शन (फ्लोर शो) की व्यवस्था के साथ उपभोग के लिए प्रस्तुत किसी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ के संबंध में विक्रय-धन पर चालीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, घोषित करे, लगाया जायेगा;

(ग) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसमें मेथाइल अल्कोहल सम्मिलित है, किन्तु देशी शराब सम्मिलित नहीं है, और जिसमें संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री करावान अधिनियम, 1939 में यथा परिभाषित अल्कोहल भी नहीं है, के विक्रय-धन पर निर्माता या आयातकर्त्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर, बीस प्रतिशत की दर पर या छब्बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, घोषित करे, लगाया जायगा;

(घ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में विक्रय-धन पर, ऐसे स्थल पर और पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक एसी दर पर जिसे राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, घोषित करे, लगाया जायेगा और उक्त अनुसूची की किसी प्रविष्टि में समाविष्ट भिन्न-भिन्न माल के संबंध में भिन्न-भिन्न स्थलों और भिन्न-भिन्न दरों की घोषणा की जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, अनुसूची में से किसी माल से संबंधित कोई प्रविष्ट निकाल सकती है, और इस प्रकार निकाली गयी किसी प्रविष्टि को इसी तरह पूर्ववत् रख सकती है, और किसी प्रविष्टि को निकालने या पूर्ववत् रखने की किसी ऐसी विज्ञप्ति के जारी किये जाने पर उक्त अनुसूची, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदनुसार संशोधित समझी जायगी।

(ङ) खण्ड (क) (ख) (ग) और (घ) में निर्दिष्ट माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा, बिक्री के स्थल पर आठ प्रतिशत की दर से लगाया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, समय-समय पर, विज्ञप्ति द्वारा, किसी ऐसे माल के संबंध में, ऐसे दिनांक से, जिसे उस निमित्त विज्ञापित किया जाय, विक्रय-धन पर कर की दर या कर के स्थल में इस प्रकार परिष्कार कर सकती है कि दर आठ प्रतिशत से अधिक न हो।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखी जायगी और, जब तक कोई बाद का दिनांक, निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, प्रभावी होगी किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध विज्ञप्ति के अधीन पहले की गयी किसी बात का वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या शास्ति का आरोपण निर्धारण, लगाया जाना या वसूल किया जाना उक्त परिष्कार या अभिशून्यन के अधीन होगा।"

धारा 3–कख और 3–ककक का निकाला जाना

4––मूल अधिनियम की धारा 3–कख और 3–ककक निकाल दी जायेंगी।

धारा 3–ख का संशोधन

5––मूल अधिनियम की धारा 3–ख में,––

(क) जहां-जहां भी शब्द "व्यापारी" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "व्यक्ति", और

(ख) शब्द "अन्य व्यापारी से किये गये क्रय या उसको किये गये विक्रय" के स्थान पर शब्द "अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किये गये क्रय या विक्रय"।

रख दिये जायेंगे और पहली अप्रैल, 1974 को रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 3–घ का संशोधन

6––मूल अधिनियम की धारा 3घ में,––

(क) उपधारा (1) में––

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्––

"(क) अफीम के प्रथम क्रय के संबंध में ऐसी दर से जो छब्बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; ";

(दो) स्पष्टीकरण (1) में शब्द, "खण्ड (ख) के अधीन" के स्थान पर शब्द "इस उपधारा के अधीन" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "अथवा, यथास्थिति, प्रथम क्रयकर्ता" निकाल दिये जायेंगे; और

(ग) उपधारा (7) में, खण्ड (क) में, शब्द "खण्ड (ख) के" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3–च का निकाला जाना

7––मूल अधिनियम की धारा 3–च निकाल दी जायगी।

धारा 4–ख का संशोधन

8––मूल अधिनियम की धारा 4–ख में, उपधारा (1) में,––

(क) अंक और अक्षर "3–कक" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द "यथास्थिति, क्रय या प्रथम क्रय के क्रयधन" के स्थान पर शब्द "प्रथम क्रय के क्रयधन" रख दिये जायेंगे।

धारा 7–घ का संशोधन

9––मूल अधिनियम की धारा 7 में,––

(क) उपधारा (1–ख) में, शब्द "प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए ऐसे निक्षेप पर दो प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "ऐसे निक्षेप पर दो प्रतिशत प्रतिमास" रख दिये जायेंगे और 4 दिसम्बर, 1979 को रखे गये समझे जायेंगे, और

(ख) उपधारा (1–घ) में, शब्द "बेचा गया" के स्थान पर शब्द "विक्रय या क्रय किया गया" रख दिये जायेंगे और जहां-जहां भी शब्द "विक्रय" आया हो, उसके पश्चात शब्द "या क्रय" बढ़ा दिये जायेंगे, और पहली नवम्बर, 1978 को रखे और बढ़ाए गये समझे जायेंगे।

10—मूल अधिनियम की धारा 8—क में, — धारा 8—क का संशोधन

(1) उपधारा (1) में, खण्ड (ग) और खण्ड (घ) में,—

(क) शब्द और अंक "30,000 रु0" के स्थान पर शब्द "निर्माता की स्थिति में पचास हजार रुपये और अन्य व्यापारियों की स्थिति में एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे; और

(ख) शब्द और अंक "यथास्थिति, धारा 3 की उपधारा (2) के या धारा 3—घ की उपधारा (3—क)" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 3 की उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे और पहली नवम्बर, 1978 को रखे गये समझे जायेंगे।

(2) उपधारा (1—ख) में, शब्द "यदि व्यापारी व्यापार करना बन्द कर दे" के स्थान पर शब्द "यदि व्यापारी व्यापार करना बन्द कर दे या उसका रजिस्ट्रीकरण कराने का दायित्व न रह जाय" रख दिये जायेंगे।

(3) उपधारा (4) में, खण्ड (क) में, जहां-जहां भी शब्द "पचास हजार रुपये" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "निर्माताओं की स्थिति में पचास हजार रुपये और अन्य व्यापारियों की स्थिति में एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

11—मूल अधिनियम की धारा 8—ख में,— धारा 8—ख का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द "तीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (5) में, शब्द और अंक "धारा 3—घ की उपधारा (3—क)" निकाल दिये जायेंगे और पहली नवम्बर, 1978 को निकाले गये समझे जायेंगे; और

(ग) उपधारा (6) में, शब्द और अंक "या धारा 3—कक" निकाल दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1980

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1979

12—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1980 की धारा 12 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 10 में उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:— धारा 10 का संशोधन

"(1—क) यदि अधिकरण में खण्ड (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति न हो किन्तु एक या अधिक ऐसे व्यक्ति हों जो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य हों या रहे हों तो उसे या उनमें से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा;"

13—मूल अधिनियम की धारा 10—क में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:— धारा 10—क का संशोधन

"(ख) धारा 13 या धारा 13—क की उपधारा (1) या उपधारा (1—क) या धारा 28—क की उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही।"

धारा 13-ख का संशोधन

14---मूल अधिनियम की धारा 13-ख में, शब्द और अंक "धारा 28-क या धारा 28-ग" के स्थान पर शब्द और अंक "या धारा 28-क" रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

15---मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) और उपधारा (2) में, शब्द और अंक "50,000 रुपया" के स्थान पर शब्द "निर्माताओं की स्थिति में पचास हजार रुपया या अन्य व्यापारियों की स्थिति में एक लाख रुपया" रख दिये जायेंगे।

धारा 21 का संशोधन

16---मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी और पहली नवम्बर, 1978 को रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्---

"(2) इस धारा में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर-निर्धारण या पुन: कर निर्धारण का कोई आदेश ऐसे वर्ष के अन्त से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के लिये कर-निर्धारण या पुन: कर निर्धारण 31 मार्च 1982 तक किया जा सकता है।

(3) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिये, उपधारा (1) के अधीन नोटिस उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर तामील कर दी गई हो तो उसके अनुसरण में कर-निर्धारण या पुन: कर-निर्धारण का आदेश ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात, छ: मास के भीतर दिया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नोटिस 1 अप्रैल, 1978 के पूर्व तामील हुई हो तो ऐसा आदेश उपधारा (2) में निर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष के भीतर दिया जा सकता है।"

धारा 25 का संशोधन

17---मूल अधिनियम की धारा 25 में, शब्द और अंक "या धारा 3-कक" निकाल दिये जायेंगे।

प्रथम अनुसूची का प्रति स्थापन

18---मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्---

अनुसूची

क्रम-संख्या	माल का विवरण
1	2
1	सभी आयुध जिसके अन्तर्गत राइफल, रिवाल्वर, पिस्तौल, खुखरी, भाला, छुरा और तलवार और उनके लिए गोला-बारूद और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान भी है।
2	सभी प्रकार की दीवाल-घड़ियां, टाइमपीस और घड़ियां, विद्युत-टाइम स्विच, मेकेनिकल टाइमर्स, टाइम-रिकार्डर और स्टापवाच और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान जिसके अन्तर्गत घड़ियों का फीता और चैन भी हैं।

1	2
3	बिजली के सभी सामान, यन्त्र, उपकरण, साधित्र और ऐसी सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग विद्युत् शक्ति के बिना नहीं हो सकता है, जिसके अन्तर्गत पंखा, प्रतिदीप्त ट्यूब (जिसके अन्तर्गत इनके स्टार्टर, चोकफिक्सचर, फिटिंग्स और सहायक सामान भी हैं), बिजली के मृत्तिका पात्र और पोर्सलिन, विद्युत् शक्ति के जनन, वितरण और पारेषण के लिए अपेक्षित बिजली की सज्जा, संयन्त्र और उनके सहायक सामान, विद्युत् चालित मोटर और उसका पुर्जा, और समस्त अन्य सहायक सामान और संघटक भाग, चाहे उसे पूर्णतः या पुर्जों में बेचा जाता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत टार्च, टार्च सेल, ड्राइसेल बैट्री, टार्च बल्ब और फिलामेंट लाइटिंग बल्ब नहीं है।
4	कांच के बने समस्त सामान और बर्तन, किन्तु इसके अन्तर्गत सादा कांच फलक, चश्मों के शीशे, हरीकेन लालटेन की चिमनी, बोतल और शीशी, कांच की गुरियां, क्लिनिकल सिरिंज, थर्मामीटर और कांच के बने वैज्ञानिक उपकरण और यन्त्र नहीं हैं।
5	चेहरा, त्वचा, बाल नाखून, नेत्र या भौंह की शोभा या देखभाल के लिए सभी प्रकार की सौन्दर्यवर्धक और प्रसाधन सामग्री किन्तु इसके अन्तर्गत साबुन, सेफ्टीरेजर, ब्लेड, कंघी/कंघा, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और अन्य मंजन, टूथब्रश और कुमकुम नहीं हैं।
6	सभी प्रकार के स्नेहक।
7	पूर्णतः या मुख्यतः स्टेनलेस स्टील से निर्मित वस्तुएं और बर्तन, सिवाय शल्योपकरण के।
8	सभी प्रकार का पट्टा (बेल्टिंग)।
9	भांग, गांजा और चरस।
10	बाईसिकिल, ट्राइसिकिल, टैंडेम साइकिल, रिक्शा और साइकिल कम्बिनेशन और उनके टायर, ट्यूब, संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान।
11	बाइनाक्यूलर, टेलिस्कोप, और ओपेरा ग्लास और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान।
12	विट्यूमिन, रोड टार और उनके ऐसे सम्मिश्रण और उत्पाद जिनका प्रयोग सामान्यतया डामर बिछाने और जलसह बनाने के लिए किया जाता है।
13	ब्लाक ग्लास।
14	ईंट, तापसह ईंट (फायर ब्रिक), ईंट के टुकड़े और ईंट की रोड़ी।
15	बुलडोजर, क्रेन और तत्सदृश अन्य गाड़ियां या मशीन और (टायर और ट्यूब से भिन्न) उनके पुर्जे और सहायक सामान जो इस अनुसूची की किसी अन्य मद में सम्मिलित नहीं हैं।
16	बटन।
17	दफ्ती, (कार्ड बोर्ड) और गत्ता (स्ट्रा बोर्ड)।
18	कास्टिक सोडा और सोडा ऐश।

1	2
19	सूती कालीन और पाइल दरियों को छोड़ कर सभी प्रकार के कालीन जिसके अन्तर्गत नमदा भी है।
20	सीमेंट जिसके अन्तर्गत सफेद सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट भी है। सीमेंट की चद्दरें (सादी या नालीदार), सीमेंट की जालियां और सीमेंट जलरोधन संयोग (वाटर प्रूफिंग कम्पाउन्ड)।
21	सभी प्रकार का रसायन जिसके अन्तर्गत ईंधन की गैस भी है।
22	सिगरेट केस और लाइटर।
23	सिनेमाटोग्राफी-सज्जा जिसके अन्तर्गत कैमरा, प्रोजेक्टर और ध्वनि आलेखन और पुनरुत्पादन सम्बन्धी सामान, लेंस, फिल्म और फिल्म स्ट्रिप और उनके साथ प्रयुक्त किए जाने के लिए अपेक्षित सिनेमा कार्बन, संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान और सिनेमा स्लाइड और रा-फिल्म भी हैं।
24	काफी, कोको और चिकारी।
25	कार्नफ्लेक, ह्वीट फ्लेक और कस्टर्ड।
26	क्राकरी, छुरी-कांटा, चीनी मिट्टी के बर्तन, स्टोन ग्लेज्ड बर्तन और पोर्सिलेन के बर्तन।
27	रंजक और रंग और उनके मिश्रण जिसके अन्तर्गत ईंगुर और सिंदूर, असली और नकली, दोनों ही हैं।
28	आतिशबाजी जिसके अन्तर्गत आतिशबाजी के रूप में प्रयुक्त रंगीन दियासलाइयां और अन्य पदार्थ भी हैं।
29	फाउन्टेन पेन, बालपाइंट पेन, स्टाइलोग्राफ पेन और प्रोपेलिंग पेंसिल और ऐसे पेन और पेंसिल के साथ प्रयोग के लिए उनके सहायक भाग, पुर्जा और सहायक सामान और रिफिल।
30	इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट फर्नीचर से भिन्न फर्नीचर।
31	फर और फर से निर्मित वस्तुएं।
32	गैस लैन्टर्न, पेट्रोमैक्स और स्टोव और उनका पुर्जा, सहायक सामान और संघटक भाग।
33	कांच की चूड़ियां।
34	हार्ड बोर्ड जिसके अन्तर्गत फाइबर शीट भी है, लेदर बोर्ड, प्लाईवुड और सजावट के पत्तर।
35	सभी प्रकार के अभिनाल (होजेज) —रबर, प्लास्टिक या कैनवास के।
36	हाथी दान्त का सामान।
37	मिट्टी का तेल।
38	मशीन और मशीन के फालतू पुर्जे (जिसके अन्तर्गत वाटर पम्प और पम्पिंग सेट भी हैं) जो ऐसी मशीन या उनके ऐसे फालतू पुर्जे नहीं हैं जिन पर इस अनुसूची की किसी अन्य मद के अधीन कर लगता हो।

1	2
39	दियासलाई, खाली दियासलाई की डिब्बियां, दियासलाई की तीलियां और दियासलाई शल्कल।
40	धातु की तिजोरी, रोकड़ पेटी (कैश बाक्स) और अलमारियां, सभी प्रकार के धातु के फर्नीचर, चाहे उन्हें सज्जित या असज्जित रूप में बेचा जाय, धातु के फर्नीचर के भाग, फाईबर ग्लास, प्रबलित (रि-इन्फोर्स्ड) प्लास्टिक या मूलतः किसी भी प्रकार के प्लास्टिक से बना फर्नीचर गद्दीदार (अपहोल्सटर्ड) फर्नीचर और फर्नीचर जिसके बनाने में लैमीनेटेड शीट का प्रयोग किया जाता हो।
41	मिल के स्टोर और लोहे से बनी वस्तुएं जिसके अन्तर्गत लोहे या इस्पात के तार नहीं हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत लोहे या इस्पात का ऐसा माल है जो इस अनुसूची की किसी अन्य मद के अन्तर्गत न आता हो।
42	शीरा।
43 (1)	मोटर गाड़ियां जिसके अन्तर्गत मोटरकार, मोटर टैक्सी कैब, मोटर साइकिल, मोटर साइकिल कैम्बिनेशन, मोटर स्कूटर, मोपेड, मोटरेट्स, मोटर आम्नीबस, मोटर वैन, मोटर लारी, मोटर ट्रक, जीप, स्टेशन वैगन और मोटर गाड़ियों के शैसी और मोटर गाड़ियों के शैसी पर बनाए गए या उन पर चढ़ाने के लिए तात्पर्यित बाडी या टैंकर या मोटर कारवां भी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत पहिया या ट्रैक्ट वाले ट्रैक्टर नहीं हैं।
(2)	उपयुक्त उप प्रविष्टि (1) विनिर्दिष्ट गाड़ियों के संघटक भाग, पुर्जे और सहायक सामान जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब, बैटरी और उक्त गाड़ियों के साथ प्रयोग किए जाने के लिए अनुकूलित ऐसे ट्रेलरों से भिन्न ट्रेलर भी हैं, जिनका प्रयोग प्रधानतया किन्हीं अन्य गाड़ियों के साथ किया जाता हो।
44	समाचार-पत्र का कागज (न्यूज प्रिंट)।
45	र्यालय में उपयोग की मशीनें और उपकरण जिसके अन्तर्गत टेबुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, डुप्लीकेटिंग, कैश रजिस्टरिंग, चेक राइटिंग, एकाउन्टिंग सांख्यिकी, इण्डेक्सिंग, कार्ड पंचिंग, फ्रेंकिंग और एड्रेसिंग मशीन भी है, और टाइपराइटर, कम्प्यूटर (जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाइयां और परिधीय यन्त्र भी हैं), टेलीप्रिंटर और सहायक मशीनें, ऐसी कार्यालय मशीनें और उपकरणों के संघटक भाग पुर्जे और सहायक सामान भी हैं।
46	सभी प्रकार के पेन्ट और वार्निश और पेन्ट और वार्निश करने में उपयोग में लाई जाने वाली सभी सामग्री जिसके अन्तर्गत डिस्टेम्पर, सीमेन्ट कलर या पेन्ट, पाउडर पेंट, स्टिफ पेस्ट पेंट, एनैमल और लिक्विड पेन्ट, चाहे प्रयोग के लिए तैयार हो या नहीं, फ्रैंच पालिश, वनस्पति तारपीन (वेजीटेबल टर्पेन्टाइन) सभी प्रकार के पेंट रिमूवर और स्टेनर और सभी प्रकार के माध्यम, अवमिश्रक (डिलूटेन्ट्स) और द्रावक (थिनर्स) जिसके अन्तर्गत नेचुरल

1	2
	और सिन्थेटिक ड्राइंग और सेमी ड्राइंग तेल जैसे डबुल ब्वायल्ड लिन्सीड आयल, ब्लोन लिन्सीड आयल, स्टैंड आयल, सल्फराइज्ड लिन्सीड आयल, पेरिला आयल, ह्वेल आयल और टंग आयल भी हैं ।
47	पाम आयल जिसके अन्तर्गत पामोलीन भी है ।
48	मोती जिसके अन्तर्गत बनावटी मोती भी है, असली और नकली दोनों प्रकार के बहुमूल्य और साधारण जवाहरात ।
49	पेराम्बुलेटर जिसके अन्तर्गत बच्चों की कुर्सी-गाड़ी (पुश चेयर) भी हैं और उसका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान भी हैं ।
50	फोटोग्राफी का और अन्य कैमरा और उनके साथ प्रयोग के लिए अपेक्षित इन्लार्जर, लेसेज, कागज, फिल्म, प्लेट और कपड़ा और उसका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान ।
51	पिकनिक सेट ।
52	प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक की चिलमची (बेसिन), प्लास्टिक की साबुनदानी, प्लास्टिक की तश्तरी और प्लास्टिक से बना अन्य बर्तन और डिब्बा (कन्टेनर) ।
53	ताश ।
54	सभी प्रकार की पालिश ।
55	विद्युत चालित प्रेशर कुकर से भिन्न प्रेशर कुकर ।
56	हथकरघे पर निर्मित से भिन्न शुद्ध रेशम का कपड़ा जिसके अन्तर्गत रेशमी धोती, साड़ी और चादर भी हैं ।
57	प्रशीतन (रेफ्रीजरेशन) और शीतताप नियन्त्रक संयन्त्र और सभी प्रकार के प्रशीतक (रेफ्रिजरेटिंग) उपकरण और सज्जा जिसके अन्तर्गत रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, मेकेनिकल वाटर कूलर, रूम-कूलर, एयर कण्डीशनर, एयर कूलर, वाटर कूलर, वाक-इन-कूलर और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान और पोलिस्ट्रीन फोम सहित प्रशीतन सामग्री भी है ।
58	फोम रबड़, प्लास्टिक फोम या अन्य कृत्रिम फोम या रेशेवाला फोम या रबड़ युक्त कायर से बनी चादर (शीट), कुशन, तकिया, गद्दा और अन्य वस्तुएं ।
59	सेनिटरी का सामान और फिटिंग्स जिसमें पाइप और उनकी फिटिंग्स सम्मिलित नहीं है ।
60	इत्र और सुगंधियां जिनके अन्तर्गत अगरबत्ती और धूपबत्ती नहीं है ।
61	सिलाई की मशीन और उनके पुर्जेऔर सहायक सामान ।
62	कपड़ा धोने के साबुन से भिन्न साबुन ।
63	सोडा वाटर, लेमनेड और अन्य मृदु पेय, और शरबत (सिरप), स्क्वैश, जैम और जेली ।

1	2
64	धूप का चश्मा, चश्मा, फ्रेम, धूप का शीशा, चश्मे का शीशा और संलग्नक।
65	चाय।
66	तेंदू पत्ता।
67	खपरैल से भिन्न सभी प्रकार की टाइल्स।
68	टार्च सेल और ड्राई सेल बैटरी।
69	इन अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट से भिन्न टायर और ट्यूब।
70	सभी प्रकार के वैकुअम फ्लास्क जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय या अन्य पदार्थ को गर्म या ठंडा रखने के लिए थर्मस, थरमिक जग, आइस बकेट या बाक्स, कलश (अर्न) और अन्य घरेलू पात्र भी हैं और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान।
71	वनस्पति जिसके अन्तर्गत परिशोधित (रिफाइण्ड) नारियल का तेल परिशोधित मूंगफली का तेल और मारगरीन भी हैं।
72	किसी धातु या मिश्र धातु से बनाया गया बाट और माप।
73	वेल्डिग राड और वेल्डिग इलेक्ट्रोड।
74 (1)	बेतार प्रसारण और ग्रहण उपकरण, यन्त्र और साधित्र जिसके अन्तर्गत ट्रांजिस्टर-रेडियो और अन्य रेडियो भी हैं, और उनके संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान जैसे ट्रांजिस्टर और बिजली के वाल्व।
(2)	ध्वनि प्रसारण उपकरण, यन्त्र और साधित्र जिसके अन्तर्गत टेलीफोन, इण्टरकाम यन्त्र और लाउडस्पीकर, श्रव्य, दृश्य और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के साथ प्रयुक्त किए जाने वाले समस्त एम्प्लीफाइंग उपकरण भी हैं किन्तु इसके अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक और प्रसारण साधित्र नहीं हैं जो विशिष्ट रूप से श्रवण यन्त्र के रूप में उपयोगार्थ शरीरपर धारण किए जाते हैं और ऐसे उपकरण, यन्त्र और साधित्र के संघटक भाग, पुर्जे और सहायक सामान।
(3)	ध्वनि आलेखन करने वाले उपकरण, यन्त्र और साधित्र जैसे डिक्टाफोन, टेपरिकार्डर, कैसेट मशीन और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान जिसके अन्तर्गत रिकार्डिग कैसेट और रील टेप भी हैं।
(4)	अन्य श्रव्य, दृश्य और इलेक्ट्रानिक उपकरण यन्त्र और साधित्र जिसके अन्तर्गत टेलीविजन रिसीविंग सेट, टेलीविजन कैमरा और प्रसारण उपकरण, रिकार्ड प्लेयर और चेंजर चाहे बिना स्पीकर के या बिल्ट-इन-स्पीकर के सहित, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन रिकार्ड, रेडियो ग्रामोफोन और दो या अधिक श्रव्य या दृश्य उपकरणों जैसे रेडियो, कैसेट, रिकार्ड प्लेयर, टेलीविजन और इसी तरह की वस्तुओं के समुच्चय हैं।

1	2
75	सभी प्रकार के और सभी वृक्षों के, चाहे वे किसी जाति के हों, काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियां और बाँस भी हैं, चाहे वह उगाई जा रही हों या काट दी गयी हों या चीरी गयी हों, किन्तु जिसके अन्तर्गत उनके उत्पाद और जलाने की लकड़ी नहीं है।
76	एक्सरे साधित्र और उसके साथ प्रयोग के लिए अपेक्षित फिल्म, प्लेट और अन्य उपकरण और किसी ऐसे साधित्र या उपकरण का संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान।"

द्वितीयअनुसूची का निकाला जाना

19--मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची निकाल दी जायगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन्, 1978कीधारा 20 का संशोधन

20--उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1978 की धारा 20 में, उपधारा (4) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्-

"(ख) 1 अप्रैल, 1966 से 30 सितम्बर, 1977 तक की अवधि में ऊनी कालीन के सूत के संबंध में विक्रय-धन पर निर्माता या आयात कर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर दो प्रतिशत की दर से कर देय होगा, और उक्त अवधि में बिना कर्ता ऊनी धागा, जिसे साधारणतया 'देशी काती' कहा जाता है, के सम्बन्ध में विक्रय-धन कर से विमुक्त समझा जायगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1979 की धारा 6 का संशोधन

21--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे।

विज्ञप्तियों का संशोधन

22--(1) समय-समय पर यथा संशोधित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 2-4949/दस-10, (2)-74, दिनांक 30 मई, 1975 की अनुसूची में, क्रम-संख्या 8 के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि में, शब्द "सूखा सोया" के पश्चात शब्द "सूखी मेथी, सोंठ, हींग, राई, कलौंजी, मखाना, चिरौंजी" बढ़ा दिए जायेंगे और सदैव से बढ़ाए गये समझे जायेंगे।

(2) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0टी0–दो–8499/दस–9(20)-74 दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 में, शब्द और अंक "15 नवम्बर, 1975" के स्थान पर शब्द और अंक "28 फरवरी, 1979" रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे ।

(3) विज्ञप्ति संख्या एस0टी0–दो––5586/दस–9(138)–75–उ0प्र0 अधि0–15/48, आदेश–77, दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 में,

(क) शब्द और अंक "दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 से" के स्थान पर शब्द और अंक "17 नवम्बर, 1975 को प्रारम्भ होने वाली और 6 दिसम्बर, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि में" रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे,

(ख) शब्द "परन्तु व्यापारी कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर या कर निर्धारण के लिए अन्तिम सुनवाई के दिनांक तक, जो भी पहले हो" के स्थान पर शब्द "बशर्ते कर निर्धारण के लिए अन्तिम सुनवाई के दिनांक तक" रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे।

(4) विज्ञप्ति संख्या एस0टी0–2–6299/दस–11(17)–78-यू0पी0 ऐक्ट–15–48 आर्डर–79, दिनांक 7 जुलाई, 1979, दिनांक 15 जुलाई, 1979 को प्रवृत्त समझी जायगी।

(5) विज्ञप्ति संख्या एस0टी0–2–8224/दस–9(213)– 77–उ0प्र0 अधि0 15–48–आदेश–79, दिनांक 31 अगस्त, 1979 में, उसकी सूची में, क्रम संख्या 1 के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि में, शब्द "रुई के सूत को छोड़कर" के स्थान पर शब्द "किसी अन्य विज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले सूत को छोड़ कर" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

(6) विज्ञप्ति संख्या एस0टी0–(2–10856/दस–623)–79–उ0प्र0 अधि0 15–48–आदेश–79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1979 में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी रुई के सूत के सम्बन्ध में जिसे किसी व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यापारी से कर का भुगतान किए बिना 7 दिसम्बर, 1979 के पूर्व क्रय किया गया हो या अन्यथा प्राप्त किया गया हो, विक्रय धन पर ऐसे क्रेता या प्राप्तिकर्ता व्यपारी द्वारा बिक्री के स्थल पर 2·5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904

एतद् द्वारा संशोधित विज्ञप्तियों की विधि मान्यता

23—इस अधिनियम द्वारा संशोधित विज्ञप्तियां तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 21 के साथ पठित मूल अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्हें संशोधित या विखंडित न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 23 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 24

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 2 सन् 1981

निरसन और अपवाद

24--(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या विज्ञप्तियों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या विज्ञप्तियों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री सुन्दर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खण्ड 24 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :--

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 1981

"24--(1) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981 एतद द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981, द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या विज्ञप्तियों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या विज्ञप्तियों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।'

श्री ब्रह्म दत्त

मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड 24 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय अर्थात --

निरसन और अपवाद

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 22 सन् 1981

24--(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 12 सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या विज्ञप्तियों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या विज्ञप्तियों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 24 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण)विधेयक, 1981

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1984 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने और उससे आनुषंगिक और सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा, सिवाय धारा 2 के खण्ड (ख), धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और उपधारा (2) और (3), धारा 11 के खण्ड (क) और धारा 15 के जो ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होंगी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं।

श्री सुन्दर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खण्ड 1 के स्थान स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

"1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) धारा 12, 13, 15, 16, 20, 21 और 23 तीन अगस्त, 1981 से, धारा 2 के खण्ड (क) और (ग), धारा 3, 4, 6, 7 और 8, धारा 11 का खण्ड (ग), और धारा 17, 18 (सिवाय उसके द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची की मद संख्या 63 के समक्ष प्रविष्टि में बढ़ाये गये शब्दों "और शरबत (सिरप), स्क्वैश जैम और जेली" के, जो तुरन्त प्रवृत्त होंगे) और 19 सात सितम्बर, 1981 से, धारा 2 का खण्ड (ख), धारा 10 के खण्ड (1) का उपखण्ड (क) और खण्ड (2) और (3), धारा 11 का खण्ड (क) और धारा 15 एक अक्तूबर, 1981 से प्रवृत्त समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड 1 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्

"1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) धारा 12, 13, 14, 16, 20, 21 और 23 तीन अगस्त, 1981, से, धारा 2 के खण्ड (क) और (ग) धारा 3, 4, 6, 7 और 8, धारा 11 का खण्ड (ग), और धारा 17, 18 (सिवाय उसके द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची की मद संख्या 63 के समक्ष प्रविष्टि में बढ़ाए गये शब्दों "और शरबत (सिरप), स्क्वैश, जैम और जेली के, जो तुरन्त प्रवृत्त होंगे) और 19 सात सितम्बर, 1981 से, धारा 2 का खण्ड (ख), धारा 10 के खण्ड (1) का उपखण्ड (क) और खण्ड (2) और (3), धारा 11 का खण्ड (क) और धारा 15 एक अक्तूबर, 1981 से प्रवृत्त समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त वृत्त होंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्म दत्त---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 5 बजकर 30 मिनट]

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत आठ सूचनायें प्राप्त हुई थी जिन में से माननीय भीखालाल की सूचना दिनांक 19 जनवरी, 82 को जनपद वाराणसी के थाना मुगलसराय के अन्तर्गत ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में वक्तव्य के लिए स्वीकृत की गई । बाकी सूचनायें अस्वीकृत की गई ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप कब तक वक्तव्य दे सकेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)---

मान्यवर, 28 तारीख को वक्तव्य हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है ।

श्री राम गोविन्द---

मान्यवर, मुझे आप सुन लें । कार्यसूची को देखें....

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें ।

श्री राम गोविन्द---

अगला आइटम लेने से पहले आप मुझे समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 के सम्बन्ध में मैंने सदन को अपना निर्णय सुनाया और अब मैं कार्यसूची के अगले आइटम के लिये माननीय मंत्री जी को बुलवा रहा हूं, आप किस बात पर बोलना चाहते हैं ? .. (व्यवधान).. आप कृपया बैठ जायं । शांत रहें । मैंने आपको नहीं बुलाया है ।

श्री राम गोविन्द---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और कार्यसूची के सम्बन्ध में ही मुझे बोलना है ।

श्री त्रिवेनी---

माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न पर खुद अव्यवस्थित हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आप स्पष्टीकरण के अवसर पर अपनी बात पूछ सकते हैं ।

श्री राम गोविन्द—

इसमें कार्यसूची में चार लोगों का नाम है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप औरों को भी सुनें।

केन्द्रीय कारागार बरेली में पुलिस द्वारा प्रवेश करके निहत्थे बंदियों पर गोली चलाए जाने से 5 कैदियों के मारे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य

*कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, दिनांक 19 जनवरी, 1982 को केन्द्रीय कारागार, बरेली में पुलिस द्वारा प्रवेश करके निहत्थे बंदियों पर गोली नहीं चलाई गई। प्राप्त सूचना के अनुसार घटना इस प्रकार है कि श्री सत्येन्द्र पाल सिंह पुंडीर ने केन्द्रीय कारागार, बरेली के अधीक्षक पद का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात जेल का राउण्ड लिया। उस दौरान जो घटना घटी उसकी प्रथम सूचना श्री पुंडीर ने थाना इज्जतनगर, बरेली में निम्न प्रकार से दी है:—

"आज दिनांक 19 जनवरी, 1982 को प्रातःकाल लगभग नौ बजे मैंने अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली का चार्ज लिया। चार्ज लेने के उपरान्त मैंने पूरे जेल का राउन्ड करने की नीयत से एवं बंदियों से सम्पर्क करने हेतु उनकी तकलीफों एवं परेशानियों को सुनने हेतु भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मैंने लोगों को हर तरह से समझाने एवं नियम से चलने की बात कही। बन्दी कुछ सितारगंज कैम्प जहां से मैं स्थानान्तरण होकर आया, वहां के थे। और कुछ तथा कथित बन्दी नेतागण यह कहने लगे कि आप यहां से चले जाये और आपसे यह जेल नहीं चल पायेगी। मैंने उन्हें हर तरह से समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी वे उत्तेजित होते गये। किसी प्रकार उनको समझा बुझाकर जब मैं गेट की तरफ चला तो यह लोग समूह में उत्तेजित होकर मुझे वह मेरे स्टाफ को मारने की नियत से बढ़े। हर गेट पर जो तीन चार गेट हैं, रास्ते में हम लोग उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे। परन्तु वे उत्तेजित होते रहे और बार बार एसाल्ट करने का प्रयास करते रहे। यहां तक कि मैं अपने स्टाफ के साथ मेन गेट तक पहुंचा और अपने आफिस की तरफ घूमा तब भी इन लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। किसी प्रकार अपने कार्यालय की खिड़की तोड़ कर बाहर निकला। इसी बीच में उग्र बन्दियों ने मेन गेट पर गेटकीपर से चाबी छीनकर बाहर निकल आये और ड्यूटी पर तैनात संतरी से बन्दूक छीनने का प्रयास किया। जिस पर सन्तरी, ड्यूटी पर तैनात रिजर्व वार्डर श्री गंगा राम ने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से फायर कर दिया। साथ ही अधीक्षक कार्यालय की गैलरी में लगे अग्निदमन को नष्ट करने का प्रयास करके एवं कार्यालय जेलर के आफिस के बगल बिजली कनेक्शन को डिस्टर्ब करके इन लोगों का इरादा कारागार भवनों एवं कार्यालयों में आग लगाने का उनका पक्का इरादा था साथ ही अधीक्षक कार्यालय के सामने जो अम्यूनेशन का भण्डार है उस पर भी उन्होंने कब्जा करके ताला तोड़ने का प्रयास किया। सन्तरी द्वारा फायर करने पर यह पीछे भागे जिसका लाभ उठाकर जेल कर्मचारी एवं अधिकारीगण द्वितीय गेट तक घुसे एवं छत व अन्य स्थानों पर मोर्चाबन्दी करके कारागार की सुरक्षा को सुरक्षित किया एवं समय-समय पर उन्हें भयभीत करने के लिये हवाई फायर करते रहे। इन बंदियों नें इस हंगामे के दौरान कारागार की चार दीवारियों को कई जगह तोड़कर एवं सीमेन्ट के बने गमले तोड़कर एवं फूल की क्यारियों में लगे ईटों को इकट्ठा करके काफी ईटे बाजी की इन्होंने तृतीय व द्वितीय गेट को भी क्षति पहुंचाई। इसी हंगामें के दौरान श्री बी0 के0 रायजादा, सहायक जेलर, को जान से मारने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर फायर होने से तीन बंदियों की मृत्यु हो गयी और कुछ बंदियों को चोटें आयी। और गोली चलने पर पर बंदियों की भगदड़ मची तो आवश्यकतानुसार बल प्रयोग करके बंदियों को अन्दर किया गया। इस घटना की सूचना मजिस्ट्रेट "सी" तथा पुलिस के अधिकारियों को दी गयी, जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सिंह खन्ना]

पर मजिस्ट्रेट "सी" एवं पुलिस अधिकारियों के समुचित फोर्स के आ जाने पर बंदियों को नियंत्रित किया गया।

बंदियों द्वारा निम्न जेल कर्मचारी एवं अधिकारीगणों को चोटें आयीं—

1—श्री वी० के० रायजादा, सहायक जेलर।
2—श्री एस० पी० सिंह पुन्डीर, अधीक्षक।
3—श्री घनश्याम सिंह, सहायक जेलर।
4—श्री के० के० गुप्ता, उप जेलर।
5—श्री एम० एल० बोहरा, उप जेलर।
6—श्री सागर स्वरूप सक्सेना, चीफ वार्डेन।
7—श्री ढांकन लाल, बंदी रक्षक।
8—श्री हेतराज, बंदी रक्षक।
9—श्री कृष्ण चन्द्र उपरेती, हेड वार्डर।
10—श्री प्रहलाद सिंह यादव, अ० वार्डर।
11—श्री दल सिंगार सिंह यादव, अ० वार्डर।
12—श्री राम भजन तिवारी, बंदी रक्षक।
13—श्री सबल सिंह रिजर्व वार्डर।
14—श्री मलिकियत सिंह, रिजर्व वार्डर।
15—श्री प्रसादी लाल, बंदी रक्षक।
16—श्री मोहर सिंह, रिजर्व वार्डर।

उक्त घटना में जिन तीन बंदियों की मृत्यु हुयी है उनके नाम निम्न प्रकार हैं:—

1— राम नरेश
2—जीवन
3—जरनैल सिंह

जिन बंदियों के चोटें आयी हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं:—

1—शिव कुमार,
2—ब्रज नन्दन
3—राधे
4—तेज सिंह
5—रमेश
6—गोपाली
7—अलाउद्दीन
8—रामकुमार
9—जैतेन्द्र पाल सिंह
10—राजू
11—भगवानदास
12—इकबाल
13—रामेश्वर
14—ईश्वरी
15—जय चन्द्र
16—अब्दुल खां
17—भोज राज
18—गुलजारी

19--महेश
20--राम प्रसाद पाठक
21--सर्फराज
22--होरी लाल
23--अश्विनी कुमार
24--वी0 डी0 जोशी
25--इक्फाक
26--धनिया
27--बाबू
28--प्रभू सिंह
29--लोटान

यह घटना 14-03 बजे पर हुयी। बंदियों ने अपने इस हंगामे के दौरान ड्यूटी पर तैनात बंदी रक्षकों एवं सर्वश्री एस0 एच0 जाफरी, सहायक जेलर श्री एम0 एल0 वोहरा, उप जेलर वी0 के0 रायजादा, सहायक जेलर एवं श्री सागर स्वरुप सक्सेना, चीफ हेड वार्डर को अपने कब्जे में कर लिया था। जिन्हें बंदियों पर पूर्णरूपेण अधिकार करने के बाद मुक्त कराया गया।

बंदियों का एक मात्र उद्देश्य उनकी उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि वह इन अधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मार कर शास्त्रागार पर कब्जा करके कारागार की ईमारतों में आग लगाकर पलायन करते।"

2--घटना की सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट, डाक्टर, पुलिस अधिकारी एवं पुलिस फोर्स घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आवश्यक उपाय उपचार की कार्यवाही की। उसी दिन लखनऊ से चलकर कारागार महानिरीक्षक एवं अपर कारागार महानिरीक्षक घटना स्थल पर गये। जिला मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिये है तथा कारागार महानिनिरीक्षक ने अपर कारागार महा निरीक्षक से विभागीय जांच करने को कह दिया है।

3--अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बंदी मृतकों की संख्या 5 एवं घायलों की संख्या 36 है। घायल हुए जेल कर्मचारियों की संख्या 22 है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और उस पर दृष्टि रखी जा रही है।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया और जो रिपोर्ट पढ़कर सुनाई है उससे कोई ऐसी बात स्पष्ट सामने नहीं आई जिस से कोई उत्तेजना फैली हो और बंदी इतने उत्तेजित हो जायं और जेल पर, अधीक्षक पर हमला करने के लिये कैदी तैयार हो जायं। केवल इतनी ही बात दूसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन में है कि भ्रमण के दौरान मैंने लोगों को हर तरह से समझाने एवं नियम की बात कही। तो यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे इतनी उत्तेजना फैल जाती कि बंदी अधीक्षक और स्टाफ पर हमला कर देते। तो मैं जनाना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी बात कही जिससे इतनी उत्तेजना हुई और अधिकारियों पर हमले की नौबत आई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इस सब की छानबीन करने के लिये यहां से उपमहानिरीक्षक को भेजा है क्योंकि अधीक्षक का कहना है कि वह स्वयं पार्टी हैं। और दूसरा इसमें मैजिस्ट्रेट की जांच हो रही ह। इन सब बातों की देखभाल करके वह बतायेंगे।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जेल में जो घटना घटी क्या यह सही है कि उसकी सबसे पहले सूचना टेलीफोन पर जेल के एक कैदी ने माननीय मंत्री जी को दी ?

श्री राम सिंह खन्ना---
जी नहीं।

श्री जटा शंकर सिंह---
मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 51 में आपने मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिये निर्देश दिया था लेकिन यह वक्तव्य जो पढ़ा है मंत्री जी ने इसको अगर देखा जाय तो यह केवल एफ0 आई0 आर0 है जिस पर माननीय मंत्री जी ने हस्ताक्षर कर दिये है। इसको आप देखें कि पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में लिखा है।"उस दौरान जो घटना घटी उसकी प्रथम सूचना श्री पुंढीर ने थाना इज्जतनगर, बरेली में निम्न प्रकार से दी है और अन्त में श्री राम सिंह खन्ना कारागार मंत्री के हस्ताक्षर है। इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण आना चाहिये न कि एफ0 आई0 आर0 पढ़ कर सुना देना चाहिये। यह वक्तव्य जिस स्वरूप में आपने निर्देश किया था उस स्वरूप में नहीं है। इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इस प्रकार से एफ0 आई0 आर0 को आधार मानकर अपने हस्ताक्षर करके इस सदन में उसको अपने वक्तव्य की संज्ञा दे सकते हैं? मेरा मन्तव्य यह है कि मंत्री जी से यह वक्तव्य वापस कराकर, पुनः दूसरी सक्षम एजेंसी से जांच कराकर वास्तविक वक्तव्य यहां पर प्रस्तुत किया जाए।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---
जैसी माननीय सदस्य ने व्यवस्था उठाई है, वह सही है कि जब नियम 51 में हम कोई वक्तव्य मांगते हैं तो वह शासन की अपनी जिम्मेदारी पर होगा। वह चाहे जिस एजेंसी से प्राप्त सूचना हो। यह उनका दृष्टिकोण है। इसकी भाषा वैसी नहीं है, इसमें श्री पुन्डीर के एफ0 आई0 आर0 की भाषा दे दी है। उसमें मृतकों की संख्या तीन दिखाई गई है और अन्तिम पैरा में पांच दी गई है, तो इस तरह से दो के नाम गायब हो गये। घायलों की संख्या एफ0 आई0 आर0 में घायल 29 है और इसमें 36 है और शेष नाम गायब हैं। उसी तरह से एफ0 आई0 आर0 में घायल जेल कर्मचारियों की संख्या 16 बताई गई है जबकि अन्तिम पैरा में वह 22 है। जब मंत्री जी से हम कोई पूरक प्रश्न इस पर करेंगे तो वह कहेंगे कि रिपोर्ट नहीं आई। 19 को यह घटना हुई और 20 को सूचना दी गई। तो सदन जब अपना बहूमूल्य समय नष्ट कर रहा है, तो उसमें यह तथ्य तक नहीं है कि वह मरे कैसे, हो सकता है कि उन कैदियों ने भी कोई बयान दिया हो, और दिया भी होगा, वह भी इसमें आ जाता तो हम पूरक प्रश्न करके वास्तविकता पर पहुंचते। मृतकों में दो के नाम गायब हैं और गोलीकांड का कोई जिक्र नहीं है। यह बयान बिलकुल अपूर्ण है और इस पर प्रश्न करने से सदन का समय नष्ट होगा, अतः किसी अग्रेतर दिन इस पर बयान आ जाए और उसे सरकार अपनी जिम्मेदारी पर कहे। तब इस पर हम पूरक प्रश्न कर लेंगे

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--
यह जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके संबंध में मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा वक्तव्य वास्तव में, पहले पेज से जो शुरू हुआ है--इन्वर्टेड कामा जो लगा है वह चौथे और अन्तिम पेज के पहले पैराग्राफ तक चला गया है। इसमें केवल पैराग्राफ दो और तीन ऐसे है जो शासन की सूचनाएं हैं। अन्यथा पूरे का पूरा एफ0 आई0 आर0 है। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि यह वक्तव्य चूंकि मंत्री जी की तरफ से आया है और आपने जो प्रश्न पूछा, उसका उन्होंने उत्तर दिया और जो उन्होंने कल्पित प्रश्न पूछा कि पूरक प्रश्न करने पर वह कह देंगे कि सूचना नहीं आई है, इससे तो उन्होंने अपने प्रश्न को अपने आप उत्तरित कर लिया है। लेकिन जिस ओर आपने मेरा ध्यान दिलाया, उस बारे में मैं कहूंगा कि शासन क्या चाहता है, उसका क्या विचार है, वह ज्यादा स्पष्ट (वक्तव्य में) होना चाहिए। भविष्य में यह ध्यान रहना चाहिये कि शासन का विचार वक्तव्य में आना चाहिए।

श्री जटा शंकर सिंह—

स्थिति सदन के सामने स्पष्ट नहीं हुई है। वक्तव्य आया या न आया बराबर है, कुछ साफ नहीं हुआ . . . . .

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह—

यह तो बरेली के रहने वाले हैं, यह वहां जाकर सूचना ले सकते थे। इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं . . . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जब तक पूरे तथ्य हमारे सामने नहीं आते तो हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। मान्यवर, यह एक असामान्य घटना है जिसमें 5–5 कैदी मारे गये हैं। मेरी जानकारी में ऐसी घटनायें फतेहगढ़ और एटा में हो चुकी है जिसमें एक कैदी को लटका कर मार दिया गया। आज जेल प्रशासन बहुत ही निकम्मा और गंदा हो गया है। मैं मान्यवर, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप सरकार के इस बयान से सनतुष्ट हैं। मैं समझता हूं कि आप भी नहीं होंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि इसको अगले किसी दिन के लिए रख दें। आपने जो निर्देश दिए है वे भविष्य में होने वाले वक्तव्यों के लिए दिए हैं, वह सही है लेकिन यह जो वक्तव्य है उसके बारे में आपने स्वयं कहा है कि सरकार के विचार होने चाहिए। तो सरकार की क्या रिपोर्ट है, इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिये। मेरी प्रार्थना है है कि इसको आप नामंजूर करके फिर के लिए स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

घटना की जो सूचना है उसके पैरा 2 और 3 में जो सरकार का मत है वह सरकार ने दिया है।

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिये।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, घटना की जो इत्तिला है वह मैंने लिख कर दी है। 19 तारीख की रात की घटना है। सूचना मिलने पर मैंने लखनऊ से कारागार महा निरीक्षक एवं अपर कारागार महा निरीक्षक को घटना पर भेजा। मेरे पास जो सूचना आयी उसको आपके सामने रख दिया। लेकिन घटना की गम्भीरता को देखते हुए मैं भी समझता हूं कि . . .

(घोर व्यवधान)

मेरी प्रार्थना है कि आप इस समस्या को ठंडे दिमाग से सुलझाने में हमारी मदद कीजिए ताकि जो हालात है उसको हम ठीक कर सकें।

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, इसमें 5 आदमी मारे गये हैं और बहुत से लोग घायल हुए हैं। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(कुबेर भंडारी वक्तव्य की प्रति फाड़ते हुए सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

(श्री राम गोविन्द के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। कभी कभी तो बैठ जाया कीजिए। 19 तारीख की यह घटना है। इसमें आप जल्दी चाहते थे इसलिए उन्होंने जल्दी-जल्दी में जो सूचना उनको मिली, वह दी। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हो सके, मामले की जांच हो रही है, तो फिर

[श्री अध्यक्ष]
आप इस सम्बन्ध में प्रश्न कर लीजिए। लेकिन शायद आप प्रश्न करने के लिये तैयार नहीं हैं ?

(व्यवधान)

श्री जटा शंकर सिंह—
मान्यवर, उन्होंने कहा है कि गोली पुलिस की थी लेकिन इसमें कहीं पर यह नहीं आया है कि पुलिस ने गोली चलायी। अगर पुलिस ने गोली नहीं चलायी तो किसने चलायी ?

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह—
मान्यवर, इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिये, 5 आदमी मर गये हैं इनकी जेल बरेली में ?

(घोर व्यवधान)

(श्री जटा शंकर सिंह के कुछ बोलते रहने पर)

श्री छत्तर सिंह—
मान्यवर, चूंकि न्यायिक जांच नहीं हो रही है, मैं भी इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री छत्तर सिंह वक्तव्य की प्रति फाड़कर सदन त्याग कर चले गये।)

(पुनः श्री जटा शंकर सिंह के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—
मा0 जटाशंकर सिंह जो बोल रहे हैं वह कार्यवही का अंग नहीं बनेगा।

श्री राम औतार दीक्षित—
मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या एफ0 आई0 आर0 को डिसओन कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—
यह तो मंत्री के विचार की बात है कि वे इसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें।

(श्री जटा शंकर सिंह के पुनः कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—
माननीय जटाशंकर सिंह जी जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री जटा शंकर सिंह—
बयान सही नहीं आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
माननीय राम औतार दीक्षित जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न निहित नहीं है। जो एफ0 आई0 आर0 थी वह उन्होंने पढ़ दी, जो और सूचना थी वह दे दी। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न उठता नहीं है। आप (व्यवधान) कृपया बैठ जायें। बयान में जो चीज खटकी उसको मैंने बता दिया और उस पर अपना निर्णय दे दिया। शासन का मत 2-3 पैरा में है। (व्यवधान) मैं पुनः शासन को यह निर्देश देता हूं कि वह अपने वक्तव्य में इस बात का ध्यान रखे कि शासन का क्या विचार है वह सामने आना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपकी व्यवस्था मान्यवर, शिरोधार्य है, मगर इस मामले में, जिसमें 5 हत्यायें हो गयी हैं, इस सरकार ने उपेक्षापूर्ण नीति अपनायी है और शिथिलता बरती है, इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और 27 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर बुधवार, 27 जनवरी, 1982 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
22 जनवरी, 1982।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 621 पर)

जिला कानपुर की तहसील बिल्हौर के 98 व्यक्तियों की सूची जिन्हें गृह अनुदान वितरित किया गया।

क्रमांक	लाभान्वित व्यक्तियों के नाम	वितरित धनराशि
1	2	3
		रु0
	1—श्री भजन लाल पुत्र बदलू	50
	2—श्री श्याम लाल पुत्र मुल्ला	50
	3—श्री बदलू पुत्र परगू	50
	4—श्री देवी दयाल पुत्र तुलसी	50
	5—श्री मौजी लाल पुत्र मटरू	50
	6—श्री छोटेलाल पुत्र मक्खा	50
	7—श्री नन्हे पुत्र रूपन	50
	8—श्री महाबीर पुत्र राम मरोसे	50
	9—श्री सुन्दर पुत्र छेदा	50
	10—श्री देवी दयाल पुत्र होरी लाल	150
	11—श्री नन्हे पुत्र मन्नी	50
	12—श्री रफीक पुत्र अजीमुल्ला	50
	13—श्री प्यारे लाल पुत्र राम मरोसे	100
	14—श्री खलील पुत्र करमूदीन	100
	15—मु0 चितारा वेवा बुलाकी	50
	16—श्री बाबू लाल पुत्र सुखलाल	50
	17—श्री राम औतार पुत्र जिया लाल	50
	18—श्री गयारी पुत्र बल्देव	50
	19—श्री राम औतार पुत्र होरीलाल	50
	20—श्री बदलू पुत्र खन्ना	50
	21—श्री फूल चन्द्र पुत्र प्रताप	50
	22—श्री सकटू पुत्र बदलू	50
	23—श्री राम बाबू पुत्र मदारी	50
	24—श्री राम पुत्र होरी लाल	150
	25—श्री लोचन पुत्र बिन्दा	50
	26—मु0 रुक्मिनी वेवा आलम	200

नत्थियां

1	2	3
		रु0
27	श्री रामेश्वर पुत्र बन्दु	100
28	श्री भूप नरायन पुत्र बुलाकी	50
29	श्री नन्हे पुत्र परभू	50
30	श्री मंगली पुत्र जस्मू	100
31	श्री भुपई पूत्र बुलाकी	50
32	श्री मुन्ना पुत्र चौथी	100
33	श्री होरी लाल पुत्र गुंदा	150
34	श्री राम मरोसे पुत्र दुर्गा-	50
35	श्री राम किशन पुत्र मक्का	50
36	श्री हुकुम सिंह पुत्र डिल्ला	50
37	श्री गजोधन पुत्र नन्हा	50
38	श्री बेचई पुत्र छिद्दू	50
39	श्री पीतम पुत्र दुल्ला	100
40	श्री रोहन पुत्र चन्दन	100
41	श्री छेदी लाल पुत्र द्वारिका	50
42	श्री अंगनू पुत्र नन्काऊ	50
43	श्री राम चन्द पुत्र विशेश्वर दयाल	50
44	श्री कल्लू पुत्र पच्चा	100
45	श्री उमराय पुत्र देवकी	100
46	श्री बांके लाल पुत्र लोचन	50
47	श्री मेडू पुत्र भिखारी	50
48	श्री राम चन्द्र पुत्र रिकखम	100
49	श्री भगवान दीन पुत्र बस्सा	100
50	श्री रसीद पुत्र करीम	50
51	श्री असगर अली पुत्र सुबराती	50
52	श्री तेजा पुत्र देब्बा	50
53	श्री बुद्धा पुत्र कुन्दन	50
54	श्री राम दुलारे पुत्र बदलू	50
55	श्री राम बाबू पुत्र बुद्धा	50
56	श्री काशी पुत्र दिनई	50
57	श्री बेचे लाल पुत्र परसाद	50

विधान सभा

1	2	3
		रु0
58	श्री घुरई पुत्र नेपाली	50
59	श्री राम कुमार पुत्र शिव प्रसाद	50
60	श्री गोधन पुत्र बाबू लाल	50
61	श्री राम जीवन आत्मज बुल्ला	50
62	श्री मैकू पुत्र लछिमन	50
63	श्री राम आसरे पुत्र सोने लाल	50
64	श्री राम स्वरूप पुत्र रघुवर	50
65	श्री गौरी पुत्र दुज्जा	50
66	श्री रज्जन पुत्र प्रयाग नारायन	50
67	श्री कृष्ण पुत्र विशेश्वर दयाल	50
68	श्री सफी पुत्र गुलजारी	50
69	श्री जुम्मन पुत्र लाला	50
70	श्री प्रेम नारायन पुत्र प्रयाग नारायन	50
71	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र रवि लाल सिंह	50
72	श्री अर्जुन सिंह पुत्र गज्जा	50
73	मु0 नन्हीं बेवा मंगली	50
74	मु0 महरानी बेवा राम दयाल	50
75	श्री शिवराम पुत्र सुरजू	100
76	श्री मोहन लाल पुत्र मैकू	50
77	श्री नोखे पुत्र मुल्ली	50
78	श्री कैलाश पुत्र गया दीन	50
79	श्री मुन्शी पुत्र बदलू	100
80	श्री रमाशंकर पुत्र लछिमन प्रसाद	50
81	श्री मुन्शी पुत्र सुखलाल	50
82	श्री राजा राम पुत्र राम चरन	100
83	श्री सुन्दर लाल पुत्र सुख लाल	50
84	श्री हरी शंकर पुत्र राम दयाल उर्फ लटाई प्रसाद	100
85	श्री राम पुत्र दुर्गा	50
86	मु0 अइयाम बीबी बेवा जहूर	50
87	श्री छोटा पुत्र मनसुख	50

विधान सभा प्रदेश

1	2	3
		रु 0
88—श्री घसीटे लाल पुत्र बाबू लाल	..	50
89—मु0 जगरानी पत्नी बच्ची लाल	..	50
90—श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र देवी दीन	..	100
91—श्री राम आसरे पुत्र कालिका	..	50
92—श्री नन्हका पुत्र ढुल्ला	..	50
93—श्री वशीर पुत्र सहादत	..	50
94—श्री शंकर पुत्र चुन्नी	..	50
95—श्री लाल पुत्र हरचरन	..	50
96—श्री दुर्गा पुत्र जगन्नाथ	..	50
97—श्री नबाब पुत्र तुल्ली	..	50
98—श्री नत्थू पुत्र नयाब	..	100
	कुल योग ..	6,200/-

विधान सभा पटेरा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 640 पर)

हरदोई जनपद में 60 हजार रु0 से अधिक विद्युत देयों के बकाये दारों की सूची एवं बकाया

क्रम-संख्या	उपभोक्ता का नाम पता	कनेक्शन नं0	मार विधा (प्रोसेस)	बकाया धनराशि	कृत कार्यवाही	
					लाइन काटने की तिथि	धारा 3 की नोटिस के अन्तर्गत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शंकर कोल्ड स्टोरेज, साडी, हरदोई।	एल0पी0 (12)	76 शीतगृह कि0वा0	63,800.53	15-11-79	63,800.53
2	कला कोल्ड स्टोरेज, उन्नाव रोड, संडीला।	एल0पी0 (15)	112 शीतगृह कि0वा0	85,731.56	..	..

सत्य प्रतिलिपि
(ह0 अस्पस्ट)
(अ0वा0 घोषाल)
अधि0अभि0,उ0प्र0रा0वि0प0

विधान सभा सचिवालय उ0प्र0

धनराशि की वसूली हेतु कृत कार्यवाही का विवरण—

(धनराशि रु0 में)

धारा 3 जारी करने की तिथि	धारा 5 की नोटिस के अन्तर्गत धनराशि	धारा 5 की नोटिस जारी करने की तिथि	न्यायालयों में विवाद-ग्रस्त मामले की धनराशि	विवरण
9	10	11	12	13
19–1–79	63,800.53	7–3–81	63,800.53	यह बकाया धनराशि माह 5/80 तक की है। धारा 3 की नोटिस भेजने के बाद उपभोक्ता ने उ0 प्र0 शासन द्वारा बकाये के भुगतान के लिये रु0 500.00 प्रति माह की किस्त निर्धारित करवाई थी। अनुवर्ती किस्तों का भुगतान न करने के कारण उपभोक्ता का कनेक्शन कटा हुआ है। यह मामला न्यायालय में विवादित विषय पार्टनरशिप से सम्बन्धित है, जिसमें उपभोक्ता ने न्यायालय से बकाया धनराशि समस्त भागीदारों से वसूल करने हेतु याचना की है। परिषद् द्वारा न्यायालय में विवादग्रस्त मामलों को निपटाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
..	..	..	85,731.56	यह बकाया धनराशि माह 2/81 व 5/81 के अतिरिक्त देयों से सम्बन्धित है। उपभोक्ता ने अतिरिक्त देयों की वसूली व कनेक्शन काटने के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं। परिषद् द्वारा न्यायालय में विवाद ग्रस्त मामलों को निपटाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	5	7	8
3—किसान कोल्ड स्टोरेज, सर्कुलर रोड, हरदोई।	एल0पी0 (11)	125 कि0वा0	शीतगृह	81,234.79			
4—यू0पी0 मेटल इण्डस्ट्रीज, संडीला।	एल0पी0 (1)	750 के वी0ए0	औद्योगिक	2,45,867.55	25—12—81		
5—अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, हरदोई (स्ट्रीट लाइट)।	आई0 8/5	..	प्रकाश	1,01,107 95	..	..	

विधान सभा हरदोई

9	10	11	12	13
				यह धनराशि उपभोक्ता को ऊर्जीकरण दिनांक 22-3-80 से माह 4/81 तक दिये गये अतिरिक्त देय (डेवलपमेन्ट रिबेट) से सम्बन्धित है उपभोक्ता ने इस धनराशि की वसूली एवं विद्युत् विच्छेदन करने के विरुद्ध न्यायालय से स्थागन आदेश प्राप्त कर लिये हैं। परिषद् द्वारा न्यायालय में विवाद ग्रस्त मामलों को शीघ्राति-शीघ्र निपटाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
				यह धनराशि निम्नलिखित मामलों से सम्बन्धित है-- (1) उपभोक्ता ने माह 5/81 में पावर कट के नियमों का उल्लंघन किया था जिसके अन्तर्गत 1,77,900.00 रुपये का जुर्माना किया है। (2) माह 6/81 के विद्युत् बिल में आर0 आई0 यू0 द्वारा रुपये 39,958.81 को बनाये गये शार्ट असेसमेन्ट से सम्बन्धित हैं। (3) माह 7/81 एवं 8/81 के विद्युत् बिलों रु0 28,008.74 का भुगतान न करने के कारण उपभोक्ता पर बकाया है। उपभोक्ता उक्त जुर्माने को विवाद-स्पद मानता है तथा परिषद् एवं शासन के समक्ष माफी के लिए प्रयत्न कर रहा है। जुर्माने को दिनांक 31-12-81 तक भुगतान करने हेतु समय मांगा है। उपभोक्ता को विद्युत् विच्छेदन हेतु नोटिस दिनांक 28-11-81 को को जारी की गयी थी एवं विद्युत् विच्छेदन दिनांक 25-12-81 को कर दिया गया है। बकाया विद्युत् धनराशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु परिषद् एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

(ह0) बृज भूषण चोपड़ा,
अपर सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ641 पर)

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चतुर्थ के अन्तर्गत विकास खण्ड परसेंडी तथा खैराबाद (जनपद सीतापुर) के लिए ग्रामों में से 31-12-1981 तक विद्युतीकरण ग्रामों की सूची

(अ) विकास खण्ड खैराबाद

1--विशनपुर
2--भगवतपुर
3--विजवारा खुर्द
4--बरोही
5--फिरोजपुर
6--हुसेनगंज
7--इस्माइलपुर
8--इस्मालीपुर
9--जयपुर
10--जैतोबोरा
11--रसपुरा
12--शाहमपुर
13--उमरिया
14--पकरिया
15--गद्दीपुर
16--अखाइया
17--रामकोट
18--नरही
19--टिकरिया
20--धरिया
21--जमोलपुर
22--बनहटी
23--सरइया अशरफ
24--भिमनी
25--पनारपुर
26--परसेहरा
27--जलालपुर
28--माखपुर
29--विष्णुनगर
30--असोढर
31--टकपुरवा
32--नबादा
33--जवाहरपुर
34--अकबरपुर
35--दारानगर
36--चिलवारा
37--गोंदीपुर
38--बरसोइया

(ब) विकास खण्ड परसेंडी

1--जरहीमाफ
2--अखोखरन जातपुर
4--घुघटी
5--बहादुरगढ़
6--डोमीजलालपुर
7--बहरिया
8--धोलोखुर्द
9--गढ़ही
10--गणेशपुर
11--गुंजरा
12--कलाबहादुरपुर
13--खुजरा खास
14--माधोपुर
15--मजलीसपुर
16--मरामपुर
17--कंधामलन्दपुर
18--रसूलपुर
19--तालगांव
20--उलजापुर
21--पगरोही
22--कसरैला
23--मवसपुर
24--अढ़ावल
25--शेरपुर शमन
26--पकरिया धामपुर
27--भंगा
28--सुटेतारा
29--कन्सा
30--उदयमलमऊ
31--राही
32--परसेंडी
33--रखौना
34--इटारी
35--उदनापुर
36--नस्सोही
37--रहीमाबाद
38--शादीपुर
39--बन्नीशाहपुर
40--बिलहरी
41--मुबारकपुर
42--महमूदपुर
43--सलीमपुर अलीरजा
44--ललियापुर
45--धरेंचा
46--निजामाबाद

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 653 पर)

संलग्नक

परगना मजिस्ट्रेट सलेमपुर के न्यायालय में 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1981 तक की अवधि में चले वादों का विवरण

माल

अधिनियम	धारा	वादों की सं0
1—जेड0ए0 एण्ड एल0 आर0 ऐक्ट	229-बी	170
	176	25
	161	15
	143	5
	123	1
	123-बी	1
2—एल0आर0 ऐक्ट	33/39	33
	210/211	116
	39	88
	41	238
	28	1
3—यू0पी0 टेनेन्सी ऐक्ट	63	3
	59/61	3
4—एल0एल0एच0टी ऐक्ट	4(2)	10
5—आर्बीट्रेशन ऐक्ट	—	6
6—यू0पी0 इम्पोजीशन आफ सीलिंग आम लैण्ड होल्डिंग ऐक्ट।	—	4
	योग ..	719

फौजदारी

अधिनियम	धारा	वादों की सं0
1—दण्ड प्रक्रिया संहिता	107	750
	109	41
	110	15
	133	27
	145	118
2—पंचायत राज ऐक्ट	85	2
	89	1
3—दुकान और वाणिज्य अधिनियम	—	5
4—पुलिस ऐक्ट	34	1
5—ई0सी0 ऐक्ट	6ए	29
	योग ..	989

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ङ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–114 का उत्तर पीछे पृष्ठ 658 पर)

वर्ष 1981 में बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई गयी सहायता का विवरण जनपद गोण्डा

तहसील/ब्लाक का नाम	गेहूं कुन्तल में	चना कुन्तल में	नमक कुन्तल में	मिट्टी का तेल लीटर में	माचिस	नकद सहायता
1	2	3	4	5	6	7
तहसील गोंण्डा						
1—हलधरमऊ	3,410	—	—	6,600	—	16,380
2—रुपई डीह	200	—	—	—	—	8,000
3—कटरा बाजार	2,940	—	—	—	—	1,000
4—झझरी	100	—	—	—	—	2,260
तहसील तरबगंज						
1—करनैलगंज	6,032	—	—	35,302	—	—
2—परसपुर	1,253	—	—	9,000	—	—
3—बेलसर	604	—	—	5,426	—	—
4—तरबगंज	2,316	—	—	10,080	—	—
5—नवाबगंज	1,195	—	—	11,818	—	—
6—वजीरगंज	193	—	—	1,188	—	—
तहसील उतरौला						
1—उतरौला	930	—	—	10,336	432	2,150
2—श्रीदत्तगंज	888	6	2	3,955	—	—
3—गैंडास बुजुर्ग	764	—	—	8,189	—	—
4—बभन जोत	20	—	—	200	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
तहसील बलरामपुर						
1—बलरामपुर	5,775	198	300	71 545	12,050	—
2—हर्रैया सतवरवा	3,712	60	600	37,606	1,840	—
3—गैसडी	1,670	43	600	17,236	1,840	—
4—पचपेडवा	712	—	800	7,770	1,728	—
5—तुलसीपुर	1,405	100	800	14,940	2,160	—
योग	34,118	407	*3,102	2,56,191	29,790	

1—बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने हेतु लगाई गयी नावों की संख्या

(अ) देशी नावें	1,183
(ब) मोटर बोट	1
(स) सेना की बोट	5
(द) पी0ए0सी0	2

2—चिकित्सीय सहायता का विवरण

1—विस्क्रमण किए गये कूपों की संख्या	41,336
2—क्लोरीन टिकिया का वितरण	17,421
3—लगाए गये हैजा निरोधक टीकों की संख्या	83,103
4—उपचारित रोगियों की संख्या	1,11,660
5—उपचारित पशुओं की संख्या	33,206
6—टीका लगाए गये पशुओं की संख्या	98,630

3—उपरोक्त के अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दो लाख खाने के पैकेट, 50 कुन्तल चना, 1200 माचिस, धोतियां एवं नकद धनराशि वितरित की गयी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्य 127 का उत्तर पीछे पृष्ठ 661पर)

संलग्नक

परगनाधिकारी सलेमपुर, जिला देवरिया के न्यायालय में 30-4-81 तक विचाराधीन वादों का विवरण

राजस्व वाद

क्रम सं0	अधिनियम	धारा	वादों की संख्या
1	जेड0ए0 एण्ड एल0 आर0 ऐक्ट, 1950	229 बी	82
		176	11
		161	8
		143	5
2	भू-राजस्व अधिनियम	39	20
		41	108
		210/211	65
3	एल0एल0एच0टी0	4(2)	2
4	आर्बीट्रेशन ऐक्ट	..	2
5	यू0पी0टेनेन्सी ऐक्ट	63	1
		59/61	2
	योग		306

फौजदारी वाद

1	दण्ड प्रक्रिया संहिता	107	251
		109	6
		110	9
		133	19
		145	52
2	पंचायत राज ऐक्ट	85	1
		89	1
3	पुलिस ऐक्ट	34	1
	योग		340

विधान सभा प्रदेश उत्तर

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 133 का उत्तर पीछे पृष्ठ 663 पर)

बांदा जनपद के बड़ोखर, खिसण्डा तथा महुवा विकास क्षेत्र की ग्राम सभाओं की सूची जिनका विद्युतीकरण 30-9-1981 तक नहीं किया गया था

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	टिप्पणी
1	2	3
	बड़ोखर विकास क्षेत्र	
1	लुक्तरा	25-12-1981 को विद्युतीकरण कर दिया गया।
2	पथरी	स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तृतीय में विद्युतीकरण का प्राविधान है।
3	छेहरावां	तदैव
4	चटगन खास	तदैव
5	पचुल्ला	तदैव
6	चकसकरन	तदैव
7	मरौली	तदैव
8	उजरेहटा	तदैव
9	अछरोड	तदैव
10	सुरौली	तदैव
11	घुरेडी	तदैव
12	चिलेहटा	15-11-1981 को विद्युतीकरण कर दिया गया है।
13	खैराडा	स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तृतीय में विद्युतीकरण का प्राविधान है।
14	जखौरा	तदैव
15	बसहरी	तदैव
16	चमरहा	तदैव
17	इटावा	तदैव
18	लोहरा	तदैव
19	करछा	तदैव
20	दुरेडी	तदैव
21	पडुई	23-11-1981 को विद्युतीकरण कर दिया गया है।
22	सोहराना	स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तृतीय में विद्युतीकरण का प्राविधान है।
23	इटेरीपुरवा	ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तृतीय में विद्युतीकरण का प्राविधान है।
24	निम्नीपार	तदैव
25	लडाकापुरवा	तदैव
26	बिसडर खुर्द	तदैव
27	मथनाखेरा	तदैव
28	वडेहा	तदैव

विधान सभा

1	2	3
29	कमनौडी	ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तृतीय में विद्युतीकरण का प्राविधान है।
30	मांदहा	तदैव
31	बेलबई	तदैव
32	दहरिया	तदैव
33	कुलकुम्हारी	तदैव
34	निल्ली	तदैव
35	कुरौली	तदैव
36	बकछा	तदैव
37	कतरावल	तदैव
38	भरखरी	तदैव
39	अरबई	तदैव
40	रेउना	तदैव
41	कुंअरपुर	तदैव
	बिसण्डा विकास क्षेत्र	
1	फफंदी	स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चतुर्थ में विद्युतीकरण का प्राविधान है।
2	कंरिगा	तदैव
3	एकौना	तदैव
4	दफतरा	तदैव
5	गया	तदैव
6	कौली टीकामऊ	तदैव
7	भूरी	तदैव
8	पावई	तदैव
9	कौनी	तदैव
10	उमरेहण्डा	तदैव
11	इटरा मलौली	तदैव
12	सिकरोडी	तदैव
13	पिण्डलवर	तदैव
14	बन्दायल	तदैव
15	बतौरा	तदैव
16	बल्लान	तदैव
17	चौसहा	तदैव
18	रमेहटा	तदैव
19	नन्दन मऊ	तदैव
20	तेन्दुर	तदैव
21	डमूनी	तदैव
22	बछौन्धा	तदैव
23	मरौली	तदैव
24	बलदान	तदैव

संसद्य प्रदर्श फिल्म

1	2	3
25	कोहरा	स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चतुर्थ में विद्युतीकरण का प्राविधान है ।
26	पवइया	तदैव
27	बेरी बिरहन	तदैव
28	भदावल	तदैव
29	कल्लूखेरा	तदैव
30	अमवां	राज्य सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना है ।
31	अमलोहरा	तदैव
32	जरोहरा	तदैव
33	बिसण्डी	तदैव
34	मझीबा सानी	तदैव
35	साहपुर सानी	तदैव
36	उतरवां	तदैव
37	पहाड़ी खुर्द	तदैव
38	इंटवा	तदैव
39	बेलगवां	तदैव
40	पल्हरीसानी	तदैव
41	रानीपुर	तदैव
42	राछा	तदैव
43	रसूलपुर	तदैव
	महुआ विकास क्षेत्र	
1	ऐला	राज्य सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना है ।
2	मूगुल	तदैव
3	सरीपुर	सदैव
4	गढ़ी चांदपुर	तदैव
5	सरहबाह	तदैव
6	तेरा गिरवां	तदैव
7	खडिहा	तदैव
8	पतौरा	तदैव
9	गेडीमाफी	तदैव
10	स्योहद	तदैव
11	डोगरी	तदैव
12	इटरा खुर्द	तदैव
13	वनसखा	तदैव
14	करगेहना	तदैव
15	मकरी	तदैव
16	निमोरा	तदैव
17	बलखेड़ा	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
18	सेमरिया जदीद	राज्य सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना है।
19	महुआ	तदैव
20	बरसडा खुर्द	तदैव
21	जर्मनी	तदैव
22	बरसडा बुजुर्ग	तदैव
23	जमरेही	तदैव
24	घुरोडा	तदैव
25	सहेबा	तदैव
26	बहोरुवा पुरवा	तदैव
27	विघहना	तदैव
28	नाई	तदैव
29	दुरईमाफी	तदैव
30	तकुली	तदैव
31	हसतम	तदैव
32	अघरोरी	तदैज
33	बरैहडा	तदैव
34	नगवारा	तदैव
35	ऐचनारा	तदैव
36	लौधेरा	तदैव
37	दिवली	तदैव
38	पचरा	तदैव
39	तेराब टोला	तदैव
40	तरसूभा	तदैव
41	टुबरिया	तदैव
42	हडहा माफी	तदैव
43	उदयपुर	तदैव
44	भुसासी	तदैव
45	काजीपुर बदौला	तदैव
46	भटोरा	तदैव
47	चकभैटोरा	तदैव
48	धौरही माफी	तदैव
49	लिडझा	तदैव
50	करारी	तदैव
51	मढवारा	तदैव
52	चन्दौर	तदैव
53	बनई	तदैव
54	पौहार	तदैव
55	मऊबदौला	तदैव
56	गोबरिया बुजुर्ग	तदैव
57	टिडिहरा	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1 2	3
58—पतौडा	राज्य सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना है।
59—गौडा	तदैव
60—लूक	तदैव
61—अभिलिहा	तदैव
62—हुडा	तदैव
63—भगवन्तपुर	तदैव
64—कोलउहां	तदैव
65—भवानीपुर	तदैव
66—कन्दौहरा	तदैव
67—खेरिया	तदैव
68—पालपुर	तदैव
69—गजपतीपुर कलां	तदैव
70—गजपतीपुर खुर्द	तदैव
71—पियार	तदैव
72—महुई	तदैव
73—कुलसारी	तदैव
74—कल्यानपुर	तदैव
75—भदइहा	तदैव
76—परसीदपुर	तदैव
77—संग्रामपुर	तदैव
78—प्रतापपुर	तदैव
79—छत्तूकलां	तदैव
80—बीरमपुर	तदैव
81—बम्बुरा	तदैव
82—बरछाडडिया	तदैव
83—करछू	तदैव
84—चकतकुली	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज''

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 663 पर)

वर्ष 1969–70 से 1971–72 तक पेशाकर बाकीदारों की सूची टाउन एरिया पुखरायां, तहसील भोगनीपुर ––विधान सभा प्रश्न– 35 के अनुपालन में उन बकायेदारों की सूची जिन पर अब भी बकाया है––

क्रम-संख्या	फर्म का नाम व पता	वर्ष	धनराशि रु0 में	व0प्र0 प्राप्त का दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	सर्वश्री कैलाश नारायण श्यामदास	69–70 से 71–72	2.00	25–1–78	
2	,, आदर्श वस्त्र भण्डार	,,	686.00	13–9–76	
3	,, अमर हैन्डलूम क्लाथ स्टोर्स	,,	176,00	13–9–76	
4	,, नेशनल टेलर्स	,,	60.00	23–2–78	
5	,, नमन्द कोमजी	,,	96.00	23–2–76	
6	,, हरभजन सिंह एण्ड सन्स	,,	622.00	22–8–79	
7	,, प्रकाश टेलरिंग शाप	,,	750.00	7–7–79	
8	,, प्रदीप चन्द्र अनिल कुमार	,,	750.00	22–8–79	
9	,, कुलदीप कुमार राम कुमार	,,	716.00	22–7–79	
10	,, किश्न चन्द्र पंजीवी	,,	750.00	25–7–79	
11	,, नसीम चप्पल जूता विक्रेता	,,	750.00	22–8–79	
12	,, न्यू माडर्न टेलर्स	,,	750.00	22–8–79	
13	,, नवीन जनता जनरल स्टोर्स	,,	750.00	22–8–79	
14	,, न्यू राबसी स्टोर्स	,,	750.00	22–8–79	
15	,, कृष्ण प्रसाद इम्पोरियम	,,	750.00	18–8–79	
16	,, किरन होम्यो हाउस	,,	750.00	18–8–79	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

17	,,	हरी किशन मनोज कुमार जं0 स्टोर्स	,,	180.00	22-8-79
18	,,	बाबू राम पंसारी	,,	622.00	17-8-79
19	,,	गुप्ता ट्रेडिंग कं0	,,	682.00	24-9-76
20	,,	अमर साइकिल स्टोर्स	,,	686.00	22-9-79
21	,,	बंगाल वस्त्र भण्डार	,,	726.00	22-8-79
22	,,	गर्ग एण्ड कं0	,,	750.00	22-8-79
23	,,	महावीर आयल एण्ड राइस मिल	70-71 से 71-72	500.00	10-8-79
24	,,	मुंशी लाल गुलशन कुमार	69-70 से 71-72	750.00	10-8-79
25	,,	मनोहर लाल गौरी शंकर	,,	750.00	22-8-79
26	,,	महेश कुमार	,,	628.00	22-8-79
27	,,	मन्नालाल गुप्ता रामलाल गुप्ता	,,	228.00	22-8 79
28	,,	प्यारीलाल पुत्र बेनी प्रसाद	,,	750.00	22-8-79
29	,,	पंजाबी होटल	,,	60.00	22-8-79
30	,,	सरदार सिंह पुत्र सरवत सिंह	,,	750.00	22-8-79
31	,,	शंकर राइस एण्ड दाल मिल्स	70-71 से 71-72	500.00	22-8-79
32	,,	श्रीराम अग्रवाल	69-70 से 71-72	750.00	28-8-79
33	,,	शंकर मेडिकल स्टोर्स	,,	686.00	28-8-79
34	,,	श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी	,,	652.00	6-1-79
35	,,	सीताराम अग्रवाल	,,	622.00	22-8-79
36	,,	श्रीराम गुप्ता	,,	622.00	22-8-79
37	,,	सालिगराम वेद प्रकाश	,,	622.00	22-8-79
38	,,	सालिगराम पुखराया	,,	622.00	22-8-79
39	,,	श्रीकृष्ण बाल किशन	,,	750.00	22-8-79
40	,,	शक्ति आयल मिल	,,	686.00	4-6-80
41	,,	गुप्ता किराना मर्चेन्ट	69-70 से 70-71	24.00	4-6-80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6

उन बकायादारों की सूची जिन पर वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है—

			रु०	
1	सर्वश्री लल्लू गुप्ता	69–70 से 71–72	84.00	31–3–81
2	,, वीरेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार	,,	686.00	31–3–81
3	,, जीवन आयुर्वेदिक भवन	,,	750.00	31–3–81
4	,, बल्देव राज मलहोत्रा	,,	622.00	31–3–81
5	,, बाजपेई मिष्ठान भण्डार	,,	562.50	27–3–80
6	,, गुप्ता ब्रदर्स	,,	84.00	12-3–79
7	,, विक्रम सिह	70–71 से 71–72	84.00	3–1–78
8	,, जमुना नरायण तिवारी	69–70 से 71–72	132.00	31–3–81
9	,, कन्हैया लाल दरबारी लाल	,,	750.00	24–7–89
10	,, भगवन्त सिह	,,	716.00	18–8–79
11	,, राम प्रकाश ओम प्रकाश	,,	750.00	25–7–79
12	,, रामकिशोर अशोक कुमार	,,	686.00	21–8–79
13	,, राम किशोर अग्रवाल	,,	686.00	21–8–79
14	,, रमाकान्त दीक्षित	,,	180.00	31–3–80
15	,, राजेन्द्र प्रसाद भूप नारायन	,,	750.00	21–8–79
16	,, राधेश्याम हुवलाल		686.00	18–8–79

कुल योग —57

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 146 का उत्तर पीछे पृष्ठ 666 पर)

दिनांक 23-3-1981 को जनपद वाराणसी के ब्लाक सेवापुरी में हुई उपलवृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामों की सूची

क्षति 25 से 49 प्रतिशत	क्षति 50 से 59 प्रतिशत तक	क्षति 60 से 74 प्रतिशत तक	क्षति 75 प्रतिशत या अधिक
1	2	3	4
1—बरैमा	1—भिटकुरी	1—तेलारी	1—कपसेठी
2—कुरौना उर्फ राने	2—दादपुर	2—खडौरा	2—हरभानपुर
3—हीरमपुर	3—खिल्लूपुर	3—करमसीपुर	3—रघुनाथपुर
4—जगापट्टी	4—उपरवार	4—दवपालपुर	4—सोनबरसा
5—परसीपुर	5—मटुका	5—नेरैचा	5—वसवरिया
6—पेड़का	6—वसावनचक	6—रामरायपुर	6—लखनरौपुर
7—लच्छीपुर	7—जम्मनपुर		7—बीरमपुर
8—पतेरचक	8—नरायनपुर		8—गहरपुर
9—भुइली	9—गौराई		9—छित्तापुर
10—करघना	10—देईपुर		10—गैरहा
11—जमीन करघना	11—नकुटुआ		11—पचसर
12—चकताल परेवा	13—बड़ौरा		12—वेसहपुर
13—भतसार	13—सुमेशपुर		13—बनकेटा
14—खोवली	14—जमसीपुर		14—बरसता
	15—हीरपुर		15—रसूलहा
	16—अतरसुइया		16—दलपतीपुर
	17—पुरन्दरपुर		17—इसरवार
	18—धन्नीपुर		18—ओदहरा
	19—खैमापुर		19—भगौतीपुर
	20—केवटान		20—मझियारे
	21—पराशिव		21—गोपालपुर
	22—निभनी		22—दूबेपुर
	23—खिल्लपुर		23—चौखण्डी.
	24—चकसोनबरसा		24—केरसतों
	25—शम्भूपुर		25—नेवादा
	26—बैजलपुर		26—सिरिहरा
	27—एकडगा		27—गजैपुर
	28—सारंगपुर		28—चकलोअवेग
	29—महेशपुर		29—घोसिला
	30—कतवारपुर		30—बिड़हर
	31—बबुआपुर		31—हथी
	32—तलापुर		32—अमरीपुर
	33—मिरचाचक		33—हरिपुर

विधान सभा

1	2	3	4
	34—गजापुर		34—सातो
	35—मोरकलां		35—गद्दोपुर
	36—टटेहरा		36—रोमडीह
	37—दौलतिया		37—नोनखरा
	38—दबेथुआ		38—गहरपुर
	39—सतेहड़ी		39—शकलपुर
	40—सिवदासपुर		40—दिलावलपुर
	41—कुड़रिया		41—अर्जुनपुर
	42—खजुही		42—भीषमपुर
	43—लक्षिरामपुर		43—कसरायशेषपुर
	44—महम्मदपुर		44—बनौली
	45—नवलपुर		45—बाजार कालिका
	46—बेरुवा		46—बाराडीह
	47—महराजपुर		47—खरगपुर
	48—जगतीपुर		48—बरनी
	49—तारापुर		49—मझियार
	50—मझमिटिया		50—रसीरामपुर
	51—सत्तनपुर		51—सुइलरा
	52—खमौना		52—टकरिया
	53—रामपुर		53—गोसाईपुर
	54—मंहगीपुर		54—बलुआ
	55—गोगवा		55—तिवारीपुर
	56—लच्छीपुर		56—मटौली
	57—नेवादा		57—दयापुर
	58—ठेकहा		58—रामकिशुनपुर
	59—रामपुर		59—ठठरा
	60—रसीपुर		60—बरकी
	61—चकअमिलिया		61—हीरमपुर
	62—जिवरामपुर		62—गोपीपुर
	63—मिरचिंय		
	64—तेंदुई		
	65—राखी		
	66—लोहराडीह		
	67—पुरामझिला		
	68—भरहरिया		
	69—माधोपुर		
	70—मडेवा		
	71—रतनपुर		
	72—मनियारीपुर		
	73—चकचेहवा		
	74—कामापुर		

अध्यक्ष विधान सभा

1	2	3	4
	75—सपेहटा		
	76—तरसांव		
	77—बसन्तपुर		
	78—मेचकनपुर		
	79—कमालपुर		
	80—नगईपुर		
	81—जलालपुर		
	82—नपुरा		
	83—झवरा		
	84—दशरथपुर		
	85—राखी		

मुमुक्षु भवन पुस्तकालय सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 152 का उत्तर पीछे पृष्ठ 668 पर)

संलग्न—1

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में 31-10-1981 तक विद्युतीकृत हरिजन गांवों की सूची—

1—दौलतियारपुर
2—चमरौधा
3—मल्लावां
4—महबूबपुर
5—भगवन्तनगर
6—रसूलपुर
7—बन्दीपुर
8—गंगापुर
9—गोवर्धनपुर
10—गंजजलालाबाद
11—काजीपुर
12—छिपाटी
13—मन्सूरपुर
14—गलबहा
15—नेवादा
16—ईश्वरपुर साई
17—तोरिया भवानीपुर
18—मोहिउद्दीनपुर
19—सुल्तानपुर
20—महीमपुर
21—भरवल सलेमपुर
22—अकबरपुर

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के ग्रामों की सूची जिनकी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चतुर्थ के अन्तर्गत प्रस्तावित है —

1—मिर्जापुर
2—सुमेरपुर
3—मेंहदीपुर
4—लच्छीपुर
5—मलौनीपुर
6—मीरनगर
7—खैरुद्दीनपुर
8—दसरइचामऊ
9—हजरतपुर
10—औसानपुर
11—हरैया
12—सलेमपुर
13—पूरनमऊ

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

14—नेकपुर
15—सौरी
16—मुर्तजा कालीपुर
17—केन्दरमऊ
18—कोकलमऊ
19—भूर भैवाईपुर
20—दारापुर
21—औलापुर
22—गोसावां
23—नेवादा पारस
24—हरवल
25—पुरवा बऊ
26—मझल जफरपुर
27—नयागांव
28—बौसा
29—खेन्दरया
30—कन्थोई
31—दारूकुनिया
32—भगतपुर
33—रघोवापुर
34—बिशेशरपुर
35—मझगांव
36—भसेंड़ा
37—परागी
38—इन्द्रनगर
39—जलई
40—भीकमपुर
41—सराय सुलतान
42—तरहतिवा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—एल० 401 विधान सभा (703)—1983—8131